खण्ड-200, अंक-9
बुधवार, 22 माघ, शक संवत् 1880
(11 फरवरी, 1959 ई0)

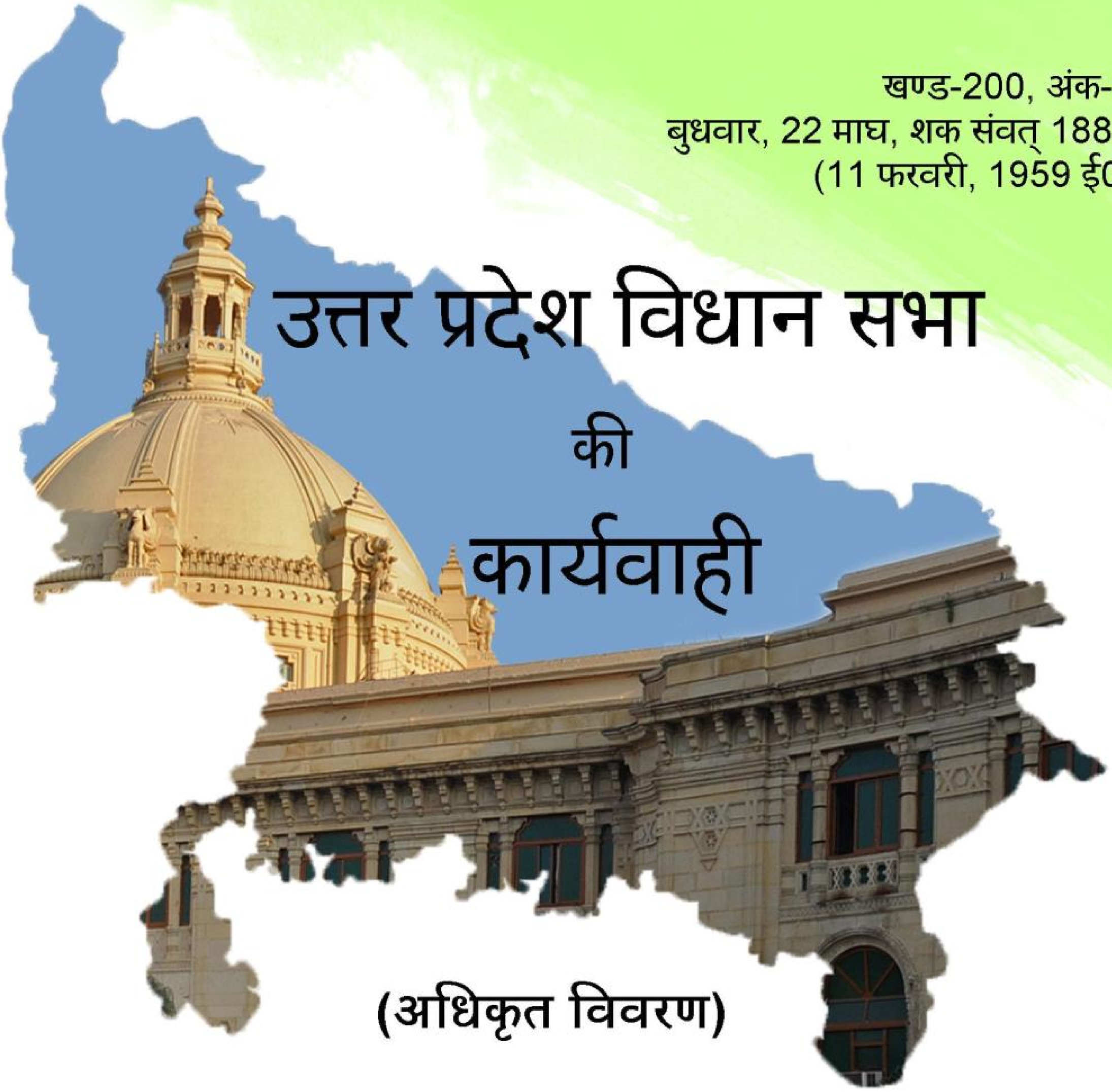

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 200 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५९

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, ११ फरवरी, १९५९

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३६१

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उल्फतसिंह, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गरीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री

गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जरगाम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दातारामचौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री

प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजवासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुल नबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदन मोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखान सिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथ सहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री

राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लाल बहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथ सिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री

सजीवनलाल, श्री
सत्यवती देवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वती देवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, ११ फरवरी, १९५९

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

जोनल पुलिस

**१---श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि Zonal Police की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी रूपरेखा सदन के समक्ष रखने की कृपा करेगी ?

स्वायत्त शासन उप-मंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)---जी हां, परन्तु इस प्रश्न पर अभी विचार हो रहा है और अभी तक ऐसे संगठन की कोई रूपरेखा निश्चित नहीं हुई ।

**२---श्री चन्द्रजीत यादव---क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार Police Code बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या कोई कदम उठाया है ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी नहीं ।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जोनल पुलिस की स्थापना केन्द्रीय सरकार के सुझाव पर हो रही है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार और अन्य प्रदेशीय सरकारों से कोई विचार-विमर्श अब तक हो सका है ?

श्री रामस्वरूप यादव---जो सेन्ट्रल जोन की बैठक हुई थी उसमें इस पर विचार हुआ था कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की एक ज्वाइंट आर्म्ड कांस्टेबुलरी बनायी जाय । उस संबंध में अभी कमेटी बैठी हुई है वह इस पर विचार कर रही है ।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस जोनल पुलिस की स्थापना की आवश्यकता राज्य सरकार ने क्यों महसूस की ?

†श्री रामस्वरूप यादव---राज्यों के व्यय में कमी करने के उद्देश्य से अन्य जोनल कौंसिल्स अपने जोन्स में एक कामन पुलिस रिजर्व बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही थी जिससे ऐसी पुलिस फोर्स जोन के किसी राज्य में विकट स्थिति उत्पन्न होने की दशा में काम में लाई जा सके। इसी उद्देश्य से सेन्ट्रल जोन में भी ऐसी फोर्स बनाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रकार का सुझाव केन्द्रीय सरकार की ओर से आया था या राज्य सरकारों की ओर से या हमारी यू० पी० सरकार की ओर से ?

श्री रामस्वरूप यादव---मैंने अभी निवेदन किया था कि जब हमारी जोनल कौंसिल की बैठक हो रही थी तो उसमें ही यह विचार आया था। उसमें हमारे केन्द्र के गृह मंत्री जी भी थे।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---जो वर्तमान पुलिस मैनुअल है उसमें अगर कोई संशोधन नहीं कर रहे हैं तो उसमें जो गोली चलाने के नियम बने हुये हैं उनमें सरकार कोई संशोधन कर रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव---अभी इसकी आवश्यकता नहीं समझी जा रही है कि इसमें कोई संशोधन किया जाय। जब जरूरत पड़ेगी तब कर देंगे।

बिल्थरा रोड, किड़िहरापुर तथा इन्दारा स्टेशनों से गन्ने की सप्लाई

**३---श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष बिल्थरा रोड (बलिया) किड़िहरापुर (बलिया) तथा इन्दारा (आजमगढ़) स्टेशनों पर आने वाले गन्ने को किन मिलों में भेजने का आदेश प्रदेश के गन्ना आयुक्त ने दिया है ?

श्रम उपमंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)---गन्ना आयुक्त ने इस वर्ष बिल्थरा रोड (बलिया) तथा इन्दारा (आजमगढ़) रेल सेंटरों को भटनी मिल, जिला देवरिया और किड़िहरापुर रेल सेंटर को सरैया फैक्टरी, सरदारनगर, जिला गोरखपुर के साथ लगा दिया है।

**४---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या यह सही है कि इन स्टेशनों का गन्ना अभी तक किसी भी मिल को नहीं दिया जा सका है और वहीं पड़ा है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जी नहीं।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ये तीनों रेलवे स्टेशन इन दोनों मिलों को कब-कब एलाट किये गये ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---सन् १९५८-५९ के सीजन के लिये जब सेंटरों का बटवारा हुआ तो उसी के साथ मुनासिब वक्त पर इन सेंटरों को इन मिलों के साथ लगा दिया। इसके आदेश गन्ना आयुक्त हर साल देते हैं। उन्होंने १९५८-५९ के आदेश सीजन शुरू होने के पहले दे दिये थे।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ये तीनों रेलवे स्टेशन कब से चालू किये गये ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---सीजन शुरू होने के साथ-साथ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---क्या सरकार को इस बात की सूचना मिली है कि इस स्टेशन पर गन्ना पड़ा रह जाता है और मिल को नहीं जाता ?

---

†२४ फरवरी, १९५९ को राजस्व मंत्री के सभासचिव, श्री धर्मसिंह, द्वारा दिये गये वक्तव्य के अनुसार संशोधित।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मान्यवर, इसमें तो तीन स्टेशन हैं, अगर किसी खास स्टेशन का नाम बतायें तो मैं बताऊं ।

श्री राजनारायण---तीनों के लिये मैं कह रहा हूं ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---यह गलत है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब रिजर्वेशन कान्फ्रेंस हुई थी तो उसमें इन स्टेशनों को सरैया या भटनी को उस समय क्यों नहीं एलाट किया गया था ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---भटनी मिल के पास जो रेलवे यार्ड है उससे गन्ने को लेने और उठाने के सिलसिले में दिक्कत आयी । इसलिये बजाय इसके कि गन्ना रुका पड़ा रहे यह बेहतर समझा गया कि भटनी के ऊपर जो जोर पड़ रहा है उसको हटा कर सरदारनगर को दे दिया जाय । इन सेन्टरों से गन्ना लिया जा रहा है चाहे वह बिल्थरा रोड हो चाहे इन्दारा हो, सभी जगह से बराबर गन्ना चल रहा है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी फिर से बताने की कृपा करेंगे कि यह सही है कि किड़िहरापुर रेलवे स्टेशन अभी तक चालू नहीं है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---यह जो सरैया और सरदारनगर फैक्टरियों को गन्ना लेना है तो बराबर इन सेन्टरों से गन्ना मिल रहा है या नहीं यह तो मैं नहीं कह सकता लेकिन उनको कहा गया है और फिर उनको सूचना दी गयी है कि वह उस सेन्टर के गन्ने को बराबर लेते रहें यद्यपि सरदारनगर फैक्टरी ने अपील की है कि हमको यह सेन्टर न दिया जाय । उनकी यह प्रार्थना विचाराधीन है लेकिन गन्ना आयुक्त ने ४ फरवरी, १९५९ को फिर लिखा है कि वही उस गन्ने को उठायें ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या यह सही है कि आज तक किड़िहरापुर रेलवे स्टेशन का गन्ना सरदारनगर मिल नहीं ले रही है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---क्या यह सही है कि भटनी मिल की मशीनें पुरानी होने के कारण वह स्थानीय गन्ना ही खपा सकती है तो उन स्टेशनों का गन्ना कैसे ले सकेंगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---इन कारणों से और रेलवे की डिफ़िकल्टी की वजह से ही तो यह सेन्टर भटनी से हटा कर सरदारनगर को दे दिया गया ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ये तीनों स्टेशन कितने वर्षों से भटनी को गन्ना सप्लाई कर रहे थे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---कई वर्षों की बात तो मैं कह नहीं सकता । सेन्टरों की अदला-बदली हुआ करती है, लेकिन १९५८-५९ के सीजन में भटनी मिल को ये तीनों सेन्टर दिये गये थे । एक सेन्टर को भटनी मिल वर्क नहीं कर पाया क्योंकि उसका रेलवे यार्ड बड़ा कन्जेस्टेड था । इसलिये वह सरदारनगर को दे दिया गया ।

गन्ने का मूल्य

**५---श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह निकट भविष्य में प्रदेश के मिल मालिकों द्वारा गन्ने के दाम १ रुपया १२ आना मन कराने जा रही है ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई बात-चीत मिलमालिकों, गन्ना उत्पादकों और सरकार के बीच हुई है ? यदि हां, तो बातचीत की प्रमुख बातें क्या हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---गन्ने का न्यूनतम मूल्य केन्द्रीय सरकार द्वारा एक सीजन पूर्व निर्धारित किया जाता है ।

जी नहीं ।

श्री प्रतापसिंह---क्या यह सही है कि इस सीजन के शुरू होने से पहले इस माननीय सदन ने १ रुपया १२ आने मन के दाम का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया ? यदि हां, तो क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री के नाते उन्होंने केन्द्रीय सरकार से इसे यथार्थ रूप में परिणत कराने में क्या प्रयत्न किया ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---मैं समझता हूं इस सम्बन्ध में मैं एक नहीं कई बार वक्तव्य दे चुका हूं कि यहां का प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास भेज दिया गया ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी से गन्ना उत्पादकों और मिल मालिकों से अलग-अलग बातें हुई हैं । यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---यदि इस प्रश्न का सम्बन्ध जो मुख्य प्रश्न है यानी गन्ने का दाम १ रुपया १२ आने करने से हो तो मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई, लेकिन हां, गन्ने के मूल्य के सम्बन्ध में कुछ बातचीत जरूर हुई ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार को उन्होंने विधान सभा का जो प्रस्ताव भेजा था उस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से कुछ बातचीत भी की ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इस प्रश्न का उत्तर भी मैं सदन में कई बार दे चुका हूं कि केन्द्रीय सरकार और प्रदेशीय सरकार से क्या बातचीत हुई उसका ब्यौरा मैं सदन के सामने नहीं रख सकता ।

श्री झारखंडेराय---इस बात को देखते हुये कि इस सदन की भावनाओं को भारत सरकार ने स्वीकार नहीं किया अब राज्य सरकार अथवा मुख्य मंत्री जी क्या करने जा रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अब तो यह सीजन खत्म हो चला । इस वक्त कुछ करने का मौका भी नहीं है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनकी क्या बातचीत मिल मालिकों से गन्ने के मूल्य के बारे में हुई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---गन्ना उत्पादकों का जो फेडरेशन है उसकी एक्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई थी । उसके बाद वह लोग मिले । १ रुपये १२ आने की बातचीत उन्होंने नहीं की लेकिन यह इच्छा जरूर प्रगट की कि यदि कुछ वृद्धि हो सके तो अच्छा है । इस सम्बन्ध में मैंने मिल मालिकों को बुलवाया । उनके खास-खास प्रतिनिधि मेरे पास आये । उनके सामने मैंने इन बातों को रखा तो उन्होंने अपनी कुछ कठिनाइयां बतलाईं । इसके सिलसिले में उद्योग विभाग के सचिव ने फिर फेडरेशन के लोगों से बातचीत की और उनको उनकी दिक्कतें बतलाईं कि इनके सम्बन्ध में आपका क्या कहना है ? उन्होंने उसका कुछ उत्तर दिया । इसके सिलसिले में फिर दोनों के प्रतिनिधियों से दो, तीन दिन हुये सचिव से बातचीत हुई । अभी तक निश्चित रूप से इसके आगे मैं कुछ कहने में समर्थ नहीं हूं ।

श्री उग्रसेन---क्या यह सही है कि मुख्य मंत्री जी ने गन्ना उत्पादकों के संघ को आश्वासन दिया था कि मिल मालिकों के अतिरिक्त लाभांश का कुछ अंश दिलवायेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---आश्वासन तो मैं नहीं दे सकता था लेकिन यह जरूर मैंने कहा था कि मैं कोशिश करूंगा और उनसे बातचीत करूंगा ।

श्री राजनारायण---क्या यह सही है कि सदन की जो इच्छा थी उसके विपरीत केन्द्रीय सरकार ने प्रान्तीय सरकार को आदेश भेजा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैं पहले ही कह चुका हूं कि जो कुछ केन्द्रीय सरकार और प्रान्तीय सरकार के बीच बातचीत हुई उस सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कह सकता ।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि मिल मालिकों और गन्ना उत्पादकों से जो उनकी बातचीत हुई थी तो निकट भविष्य में त्रिदलीय वार्ता होने वाली है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैं इस विषय में निराश तो नहीं हुआ हूं ।

श्री वीरेंद्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या मंत्री जी बतलावेंगे कि जो प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास भेजा गया था उसका लिखित उत्तर भी केन्द्रीय सरकार ने आपके पास भेजा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---उत्तर तो यही है कि जो पहला निश्चय था उसके बदलने के लिये वह तैयार नहीं हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि केन्द्रीय सरकार के खाद्य मंत्री जी ने इस सम्बन्ध में प्रेस कांफ्रेंस में और लोक सभा में सब बातें बता दी हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मुझे मालूम नहीं लेकिन वह लोग समर्थ हैं । क्या कहते हैं किसी समय मैं नहीं कह सकता ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---क्या मुख्य मंत्री जी का ध्यान केन्द्रीय सरकार के खाद्य मंत्री जी के उस वक्तव्य की ओर गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि विधान सभा के इस प्रस्ताव में यू० पी० की गवर्नमेंट पार्टी नहीं है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैं जानता नहीं हूं कि उनके शब्द क्या थे लेकिन एक बात स्पष्ट ही है कि माननीय कृषि मंत्री जी ने सदन में बतला दिया था कि शासन इस मूल्य को उचित नहीं समझता है । इसी का शायद उन्होंने हवाला दिया होगा ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि मिल मालिकों से जो उनकी बातचीत हुई तो गन्ने के दाम बढ़ाने में उन्होंने क्या क्या कठिनाइयां बताई थीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---ज्यादातर उन्होंने यही मुझे बतलाया कि प्रदेश के पूर्वी भाग में कई ऐसी मिलें हैं जो मुनाफे पर न चलकर घाटे पर चल रही हैं इसलिये मूल्य बढ़ाने में दिक्कत होगी ।

लखनऊ में प्रोग्रेसिव म्यूजियम के निकट सड़क पर अंधेरा होना

**६---श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)---क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बनारसी बाग में जो Progress Museum बना हुआ है उसके सामने नरही जाने वाली सड़क पर न तो प्रकाश का प्रबन्ध है और न उसके सामने के नाले की सफाई का प्रबन्ध है ?

श्री रामस्वरूप यादव---बनारसी बाग में प्रोग्रेस म्यूजियम (Progress Museum) के सामने से नरही जाने वाली सड़क पर प्रकाश का प्रबन्ध नहीं है, किन्तु नाले की सफाई अन्य नालों की भांति की जाती है ।

**७---श्री त्रिलोकीसिंह---यदि हां, तो सरकार उक्त सड़क पर प्रकाश और नाले की सफाई का प्रबन्ध कब तक करा देगी ?

श्री रामस्वरूप यादव---प्रकाश के सम्बन्ध में बिजली कम्पनी और नगरपालिका से पत्र-व्यवहार हो रहा है । यद्यपि बिजली कम्पनी से व्यय अनुमान लेकर और नगरपालिका द्वारा स्वीकृत करा कर कम्पनी को कार्य प्रारम्भ कराने के लिये भेज दिया गया है, तथापि अभी तक बिजली कम्पनी ने उक्त स्थान पर प्रकाश का प्रबन्ध नहीं किया है ।

प्रश्नगत नाला कच्चा हैं और उसकी आवश्यक सफाई प्रति सप्ताह की जाती है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह बिजली के प्रकाश की व्यवस्था प्रोग्रेस म्यूजियम के सामने कब तक हो जायगी ?

श्री रामस्वरूप यादव---आशा है, जल्दी ही हो जायगी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि बिजली कम्पनी को एस्टीमेट वगैरह बनाकर कब भेज दिये गये थे ?

श्री रामस्वरूप यादव---निश्चित तिथि तो नहीं है लेकिन करीब महीने भर हो गया है ।

तारांकित प्रश्न

[राजस्व मंत्री से संबंधित १२ दिसम्बर, १९५८ के स्थगित प्रश्न]

* * * * *

इलाहाबाद तथा नैनी को नवीन बिजली कनेक्शन

*५---श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद नगर में बिजली के पावर हाउस में कितने लोगों ने कनेक्शन के प्रार्थना-पत्र जनवरी, १९५७ से २९ जुलाई, १९५८ तक दिये और कितने लोगों को कनेक्शन दिये गये ?

राजस्व मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मसिंह)---इलाहाबाद नगर में जनवरी, १९५७ से २९ जुलाई, १९५८ तक ३०८४ प्रार्थना-पत्र इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी, इलाहाबाद को प्राप्त हुये और उनमें से १०४३ कनेक्शन दिये गये ।

*६---श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या यह सही है कि इलाहाबाद बिजली घर (Power House) ने वहां के नागरिकों को आटा पीसने तथा और किसी भी कार्य के लिये नये कनेक्शन देने से इन्कार कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री धर्मसिंह---जी हां । यू० पी० इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड, इलाहाबाद ने मार्च, १९५८ से कनेक्शन देने से इन्कार कर दिया है । उनका कहना है कि उनके पास धन (Capital) न होने के कारण वे नये कनेक्शन देने में असमर्थ हैं ।

*७---श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि नैनी इंडस्ट्रियल एरिया, इलाहाबाद में १९५६ से जुलाई, १९५८ तक कितने लोगों ने इन्डस्ट्रीज को चलाने के लिये बिजली कनेक्शन मांगे और कितने लोगों को दिये गये ?

श्री धर्मसिंह---नैनी इन्डस्ट्रीयल एरिया, इलाहाबाद में १९५६ से जुलाई, १९५८ तक ७५ लोगों ने बिजली के कनेक्शन मांगे, उनमें से २३ कनेक्शन दिये जा चुके हैं ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या सरकार बतायेगी कि जितने लोगों को कनेक्शन नहीं दिये गये उनके लिये सरकार ने कौन से कदम उठाये ?

श्री धर्मसिंह---इस दौरान में कम्पनी से बातचीत चल रही थी और कोशिश की जा रही है कि शीघ्र से शीघ्र कनेक्शन दे दिये जांय ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे कि यह कनेक्शन कब से मिलने लगेंगे ?

श्री धर्मसिंह---मैंने अभी निवेदन किया था कि कोशिश की जा रही है और जल्दी ही दे दिये जायेंगे ।

* * * *

देवरिया जिले की विद्युत् योजना

*१७---**श्री अयोध्याप्रसाद आर्य** (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद देवरिया के सलेमपुर तहसील के , सलेमपुर, भाटपार रानी, बरहज, लार, भिंगारी, भटनी, मझौली आदि नगरों में बिजली लगाने की योजना विचाराधीन है? यदि हां, तो यह योजना कब तक कार्यान्वित होगी ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

राजस्व मंत्री (श्री चरणसिंह)---धनाभाव के कारण अभी निश्चितरूप से नहीं कहा जा सकता है कि देवरिया जिले के किन नगरों का विद्युतीकरण किया जा सकेगा ।

* * * *

हाथरस को बिजली

*४४---**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ** (जिला अलीगढ़)---क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाथरस में पिछले तीन वर्षों में अलग-अलग घरेलू कार्यों के लिये कितनी, और उद्योग के लिये कितनी बिजली दी गई ?

श्री धर्मसिंह---हाथरस में पिछले तीन वर्षों में दी जाने वाली बिजली का विवरण इस प्रकार है :---

	घरेलू कार्यों के लिये	उद्योग के लिये
१९५५-५६	१६८.०१ के० डब्ल्यू०	३४.५ एच० पी०
१९५६-५७	१३३.७१० के० डब्ल्यू	१३४.५ एच० पी०
१९५७-५८	१०७.४८५ के० डब्ल्यू	७५७.५६ एच० पी०

*४५---**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ**---क्या सरकार पिछले ६ वर्षों से लिक्वीडेशन में चल रही हाथरस बिजली कम्पनी की व्यवस्था स्वयं लेने अथवा हाथरस म्युनिसिपैलेटी को देने जा रही है ?

श्री धर्मसिंह---सरकार कम्पनी को अपने हाथ में लेने के लिये आवश्यक कार्यवाही कर रही है । म्युनिसिपैलिटी को देने का विचार नहीं है ।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन घरेलू और उद्योगों के लिये बिजली की स्वीकृति मिल जाने पर भी कितने घरों तथा करखानों को अब तक बिजली नहीं मिली ?

श्री धर्मसिंह---इसकी तो मेरे पास सूचना नहीं है । इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या हाथरस में कोई शीघ्र ही नये पावर स्टेशन की स्थापना पर विचार हो रहा है ?

श्री धर्मसिंह---जी नहीं ।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह कार्यवाही कब से चल रही है और सरकार इसे अपने हाथ में कब तक लेने की आशा करती है ?

श्री धर्मसिंह---इसको काफी समय हो गया, सरकार अपने हाथ में कम्पनी को लेना चाहती है । लेकिन धन की कमी के कारण निर्णय नहीं हो सका है । इसके बारे में निश्चयपूर्वक बताना कठिन है । जब तक धन न मिल जाय लेने में हम असमर्थ हैं ।

* * * *

देहाती क्षेत्रों में बिजली संबंधी रेंटल

*४८---**श्री शिवराजसिंह यादव** (जिला बदायूं) (अनुपस्थित)---क्या यह सही है कि प्रदेश के देहाती क्षेत्रों में सबसे प्रथम बिजली लेने वाले व्यक्ति को ट्रान्समिशन लाइन सम्बन्धी माहवारी रेन्टल देना पड़ता है और उसी ट्रान्समिशन लाइन पर बाद में बीच में बिजली लेने वाले व्यक्तियों को कोई ट्रान्समिशन सम्बन्धी माहवारी रेन्टल्स नहीं देना पड़ता है ?

श्री चरणसिंह---जी हां, यदि बाद में बिजली लेने वालों के लिये कोई लाइन न लगानी पड़े ।

* * * *

छिबरामऊ, जिला फर्रुखाबाद को बिजली

*५३---**श्री कोतवालसिंह भदौरिया** (जिला फर्रुखाबाद)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कस्बा छिबरामऊ, जिला फर्रुखाबाद के निवासियों को कब तक बिजली मिल जावेगी ?

श्री धर्मसिंह---३०-१२-५८ को बिजली पहुंच गई है ।

श्री कोतवालसिंह भदौरिया---क्या सरकार बतलायेगी कि छिबरामऊ में बिजली जब ३०-१२-५८ को पहुंच गयी है तो अभी तक कस्बे में किसी मकान या दूकान को बिजली नहीं दी गयी, इसका क्या कारण है ?

श्री धर्मसिंह---उसका नियम इस प्रकार से है कि जो लोग प्रार्थना-पत्र देंगे उनके लिये कोई एतराज नहीं होगा कि बिजली मंजूर हो जाय और वह उसे प्राप्त कर सकें ।

* * * *

जालौन जिले में बिजली देने का कार्य

*५६---**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)---क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर से जालौन जिले में बिजली के खंभों व तारों के लगाने का काम कौन कर रहा है और वह कब आरम्भ हुआ था ?

श्री धर्मसिंह---यह कार्य उत्तर प्रदेश के विद्युत् विभाग द्वारा किया जा रहा है और कार्य जून, १९५६ में आरम्भ किया गया था ।

*५७---**श्री लक्ष्मणराव कदम**---क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एग्रीमेंट के अनुसार यह काम कब पूरा हो जाना चाहिये था और अभी तक कितना हुआ तथा कितना बाकी है ?

श्री धर्मसिंह---यह कार्य विद्युत् विभाग द्वारा किया जा रहा है । अतः एग्रीमेंट का प्रश्न नहीं उठता है । लगभग ८० प्रतिशत कार्य समाप्त हो चुका है और कार्य एक दो महीने में ही समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है ।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह कार्य कब पूरा हो जाना चाहिये था और इतना विलम्ब उसमें लगने के क्या कारण हैं ?

श्री धर्मसिंह—इसमें कोई तारीख नहीं थी । शुरूआत में यह कार्य प्रथम पंचवर्षीय योजना में समाप्त हो जाना चाहिये था । उसमें प्रयत्न भी किया गया लेकिन बिजली के उपलब्ध न होने के कारण इसमें कुछ देरी हो गयी और जैसा कि प्रश्न के उत्तर में कहा गया कि निकट भविष्य में ही उसके लिये प्रयत्न किया जा रहा है ।

श्री गरीबदास (जिला जालौन)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि सन् १९५६ से जब कार्य हो रहा है तो अब तक कितना कार्य हो गया है और कितना शेष है ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने बतला दिया है कि ८० फीसदी हो चुका है और २० फीसदी शेष है ।

* * * *

सिविल, मेकेनिकल तथा एलेक्ट्रिकल डेप्लोमा देने वाली संस्थायें

*६३—**श्री अनन्तराम वर्मा** (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में Civil Mechanical तथा Electrical Diploma की कितनी सरकारी और कितनी मान्यता प्राप्त संस्थायें हैं और वे कहां-कहां हैं ?

श्री चरणसिंह—वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८९८ पर)

रिहन्द बांध के जलमग्न क्षेत्र वासियों की पुनर्वासन व्यवस्था के लिए प्रार्थना

*६४—**श्री आनन्दब्रह्मशाह** (जिला मिर्जापुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रिहन्ड डैम डूब क्षेत्र के ग्रामों के रहने वालों ने सरकार से बसने के लिए ऐसी जमीन की व्यवस्था के लिए प्रार्थना की थी जहां वे लोग तथा उनके मवेशी सुविधापूर्वक रह सकें ? यदि हां, तो कब ?

श्री चरणसिंह—जी हां, ऐसे प्रार्थना पत्र अक्तूबर, १९५६ से अगस्त, १९५८ तक समय-समय पर आते रहे हैं ।

* * *

हल्द्वानी तहसील में शारदा हाइडिल की ट्रान्समिशन लाइन में आये मकानों का मुआवजा

*६६—**श्री नारायणदत्त तिवारी**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि शारदा हाइडिल की हल्द्वानी तहसील, जिला नैनीताल से होकर गुजरने वाली ट्रांसमिशन लाइन बनाने के लिए अधिकृत (acquire) भूमि के हेतु कितना मुआवजा कितने व्यक्तियों को देना बाकी है ?

श्री धर्मसिंह—हाइडिल ट्रांसमिशन लाइन जो कि हल्द्वानी तहसील, जिला नैनीताल से होकर गुजरती है उसके लिए कोई भूमि अधिकृत नहीं की गयी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि बिना भूमि अधिकृत किये हुये यह बन कैसे गयी लाइन ?

श्री धर्मसिंह—भूमि अधिकृत नहीं की गयी लेकिन मकान जो नष्ट किये गये थे उस पर हुआ । भूमि नहीं ली गयी यानी एक्वीजीशन जिसे कहते हैं वह नहीं किया गया ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---किस कानून के जरिये से सरकार ने यह अधिकार प्राप्त किया कि मकान को नष्ट कर दें और लाइन बना दें ?

श्री धर्मसिंह---चीफ इन्जीनियर को जो अधिकार होते हैं उसी से किया होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी---कौन से अधिकार ?

श्री धर्मसिंह---लाइन को एलाट करने के लिए जो अधिकार होते हैं उसी के अन्तर्गत किया होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी---जो मकान नष्ट किये गये हैं और जो उनकी जमीन पर कब्जा किया गया है चीफ इन्जीनियर के द्वारा क्या उस पर अब कोई मुआवजा दिया जा रहा है ?

श्री धर्मसिंह---जी हां, उस के लिए आर्डर्स हो गये हैं। इत्तला दे दी गयी है कि उनको मुआवजा दे दिया जाय।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो मकान नष्ट किये गये हैं तो लेने से पहले क्या उन लोगों की राय ले ली गयी थी ?

श्री धर्मसिंह---जी हां। राय ली गयी थी। वह लोग तैयार थे और इसी कारण से यह किया गया।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार यह बतायेगी कि जो मुआवजा दिया जायगा, उसके लिए जो आर्डर हुआ है वह कितना है और किस आधार पर तय किया गया है ?

श्री धर्मसिंह---यह १३,७६७ रुपये ४ आने ३ पाई है। यह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के द्वारा होता है। उसके कुछ कायदे कानून बने हुए हैं जिनके आधार पर वह होता है। उसी आधार पर यह किया गया है।

* * *

यमुना हाइडिल स्कीम की सेकंड स्टेज का सर्वे

*८२---**श्री गुलाबसिंह** (जिला देहरादून) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यमुना हाइडिल स्कीम के सेकेन्ड स्टेज का सर्वे हो चुका है ? यदि हां, तो उसमें कितना व्यय हुआ और उसमें कार्य कब से प्रारम्भ हो जायगा ?

श्री चरणसिंह---यमुना हाइडिल स्कीम की सेकेन्ड स्टेज पर सर्वे का कार्य लगभग पूरा हो गया है। सर्वे पर सितम्बर, १९५८ तक १,९०,००० रुपये व्यय हुए हैं। सर्वे से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार प्रोजेक्ट का एस्टिमेट बनाया जा रहा है। स्कीम पर कार्य प्रोजेक्ट एस्टिमेट पर सरकार द्वारा विचार करने के बाद प्रारम्भ करने का निश्चय किया जायगा।

* * *

फरेंदा तहसील में बिजली के लिये प्रार्थना

*८९---**श्री गौरीराम गुप्त** (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसे प्रश्न कर्त्ता का गोरखपुर जिले की फरेंदा तहसील की कुछ जगहों में बिजली लगाने के लिए २१ दिसम्बर, १९५७ का कोई पत्र प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री धर्मसिंह---जी हां। पत्र के प्रस्ताव पर जांच की गयी है।

श्री गौरीराम गुप्त---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि किन-किन स्थानों की जांच की गयी है और जांच करने वाले महोदय ने किन-किन जगहों में बिजली लगाने की रिपोर्ट दी है ?

श्री धर्मसिंह---जैसा कि माननीय सदस्य ने अपने पत्र में लिखा था कि तहसील फरेंदा में जांच की जाय तो उसी तहसील में की गयी है ।

श्री गौरीराम गुप्त---क्या सरकार बतलायेगी कि तहसील फरेंदा के कुछ गांवों का नाम भी दिया गया था या खाली तहसील फरेंदा के लिए ही लिखा था ?

श्री धर्मसिंह---फरेंदा तहसील में खास फरेंदा का सर्वे किया गया था और फिर सर्वे से यह ज्ञात हुआ कि यह मुमकिन नहीं है कि अभी बिजली लग सके, क्योंकि उसमें लास हो जाने का डर है ।

* * *

कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी में अप्रेन्टिसों की भर्ती

*९७---**श्री उमाशंकर शुक्ल** (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कानपुर एलेक्ट्रिक सप्लाई ऐडमिनिस्ट्रेशन प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कितनी बार व किन-किन तारीखों में एप्रेंटिसेज की भर्ती करता है ?

श्री चरणसिंह---कानपुर एलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऐडमिनिस्ट्रेशन अप्रेन्टिसों की भर्ती के हेतु प्रत्येक वर्ष एक बार साक्षात्कार (interview) लेता है। साक्षात्कार का समय (period) आवेदन कर्त्ताओं की संख्या तथा ऐडमिनिस्ट्रेशन की सुविधा पर निर्भर रहता है। साक्षात्कार कर लेने के पश्चात् योग्य आवेदन-कर्ताओं की सूची बनाई जाती है, जिसमें से अप्रेन्टिस की जगह होने पर आवश्यकतानुसार समय-समय पर वर्ष भर नियुक्ति की जाती है ।

*९८---**श्री उमाशंकर शुक्ल** (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५७-५८ के वित्तीय वर्ष में उक्त ऐडमिनिस्ट्रेशन में कितने पेड अप्रेन्टिसेस भर्ती किये गये और उनको कितना भत्ता दिया गया ?

श्री चरणसिंह---वित्तीय वर्ष १९५७-५८ में ३६ पेड अप्रेन्टिस भर्ती किये गये ।

प्रत्येक को प्रारम्भ में ४० रुपये मासिक वेतन के अतिरिक्त महंगाई भत्ता अन्य श्रमिकों की तरह उत्तर प्रदेश सरकार की विज्ञप्ति सं० ३७५४-एल० एल० १८---८९४-एल०-१९४८, दिनांक ६ दिसम्बर, १९४८ के अनुसार दिया गया ।

*९९---**श्री उमाशंकर शुक्ल** (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त अप्रेन्टिसेज का ट्रेनिंग पीरियड कितना होता है ?

श्री चरणसिंह---आम तौर से अप्रेन्टिसों का ट्रेनिंग पीरियड ११ मास का होता है। यह अवधि बाद में अप्रेन्टिसों की कार्यशीलता के अनुसार बढ़ायी भी जाती है। साधारणतया सुयोग्य अप्रेन्टिसों को २ वर्ष तक की ट्रेनिंग दी जाती है ।

* * *

राज्य की विद्युतीकरण योजना

*१०४---**श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा** (जिला कानपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के जिन ३६ नगरों में बिजली लगाने की योजना सन् १९५६ में इस सदन में विद्युत् मन्त्री ने की थी उनमें से किन-किन नगरों में बिजली लग चुकी है और किन-किन में लगना बाकी है ?

श्री धर्मसिंह---प्रश्न में दी हुई स्कीम के अन्तर्गत जिन नगरों का विद्युतीकरण हो चुका है और जिन का होना बाकी है उनके नाम संलग्न सूची में दिये हुए हैं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ८९९ पर)

*१०५---श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपर्युक्त नगरों में से जिन नगरों में अभी बिजली नहीं पहुंची है उन में कब तक बिजली पहुंच जायेगी ?

श्री धर्मसिंह---संलग्न सूची में दिये हुए ९ नगर जिनका विद्युतीकरण होना बाकी है उनमें से प्रथम ७ नगरों का विद्युतीकरण चालू वित्तीय वर्ष में हो जाने की आशा है तथा शेष २ नगरों का विद्युतीकरण सन् १९५९-६० में हो जायेगा।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा---क्या माननीय मन्त्री महोदय बतलायेंगे कि यह बिजली की लाइन जिन गांवों के पास होकर जा रही है उन गांवों के लिए बिजली मिल सकेगी ?

श्री धर्मसिंह---वह गांव यदि खर्चा बरदाश्त करने को तैयार हुये और जो सज्जन लेना चाहते हैं उन्होंने प्रार्थना-पत्र दिये और बिजली उपलब्ध हुई तो उस पर अवश्य कार्यवाही की जायगी।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा---क्या माननीय मन्त्री महोदय बतलायेंगे कि जो बिजली की लाइन कानपुर से कालपी की तरफ जा रही है वह जमुना पर टावर बनाकर क्रास की जायगी या ब्रिज पर से ले जायी जायेगी और इसके लिए कितना समय लगेगा ?

श्री धर्मसिंह---इसके लिए नोटिस की आवश्यकता है। इसके लिए मालूम नहीं है कि कहां से जायेगी।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उन ७ नगरों के नाम क्या हैं जहां इस वित्तीय वर्ष में बिजली की लाइन जा रही है ?

श्री धर्मसिंह---तुलसीपुर, कालपी, ऊरई, जालौन, कासगंज, अकबरपुर और पुखरायां, इस प्रकार सात हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि बिन्दकीरोड से कानपुर वापस आने वाली बिजली की लाइन कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री धर्मसिंह---इसके लिए नोटिस की आवश्यकता है।

* * *

*१०९-११०---श्रीमती सज्जनदेवी महनोत (जिला वाराणसी)---[माननीया सदस्या का निधन हो जाने के कारण हटा दिये गये।]

* * *

'केसा' के श्रमिकों के लिए आवास-व्यवस्था न होना

*१११---श्री मदन पांडेय---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि 'केसा' के श्रमिकों का आवास-व्यवस्था के निमित्त सरकार द्वारा फरवरी, १९५७ में दिये गये आदेश के अनुसार कितने मकान बन चुके हैं ?

श्री धर्मसिंह---कोई नहीं।

*१२०---श्री मदन पांडेय---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपर्युक्त आदेशानुसार जिन श्रमिक आवासों का निर्माण-कार्य सम्पन्न हो चुका है उनमें से कितने १०० से ऊपर तनख्वाह पान वालों के लिए हैं और कितने कम वालों के लिए ?

श्री धर्मसिंह---प्रश्न नहीं उठता।

श्री मदन पांडेय---अध्यक्ष महोदय, यह जो उत्तर ११९ प्रश्न का दिया गया है उससे स्पष्ट नहीं होता कि आदेश नहीं दिया गया है या मकान नहीं बने हैं।

श्री धर्मसिंह---आदेश भी अभी नहीं गये हैं और मकान भी अभी नहीं बने हैं ? यही इसका अभिप्राय है।

श्री मदन पांडेय---क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि आवास-व्यवस्था श्रमिकों के लिए वहां है इसलिए आदेश नहीं दिये गये हैं या और कोई दूसरा कारण है ?

श्री धर्मसिंह---इसका सर्वे इत्यादि हो रहा है, जमीन का प्रबन्ध हो रहा है। कितना रुपया खर्च होगा उसका एस्टिमेट बनाया जा रहा है और रुपया उपलब्ध होने पर निर्णय किया जायगा कि वहां मकान इत्यादि बनें।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह रिपोर्ट और एस्टिमेट कब तक तैयार हो जायगा ?

श्री धर्मसिंह---इसके लिए निश्चित समय बताना कठिन है, लेकिन कोशिश की जा रही है।

* * * *

मिर्जापुर जिले में रिहन्द बांध की भूमि का मुआवजा

*१२४---**राजा यादवेंद्रदत्त दुबे** (जिला जौनपुर)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला मिर्जापुर में रिहन्द बांध के अन्तर्गत जिन किसानों की भूमि ली गयी है उन को किस रेट से मुआवजा देने का निर्णय सरकार ने किया है ?

श्री धर्मसिंह---

(१)	भूमिधर ..	.. भूमि लगान का १०० गुना।
(२)	सीरदार ..	.. भूमि लगान का ३० गुना।
(३)	गांव समाज व अन्य स्थानीय अधिकारियों के असामियों के अतिरिक्त असामी	.. भूमि लगान का ५ से साढ़े सात गुना।
(४)	अधिवासी ..	.. भूमि लगान का साढ़े सात से ९ गुना।

राजा यादवेंद्रदत्त दुबे---क्या सरकार यह बतायेगी कि यह जो मुआवजा तय किया गया है यह वहां के किसानों को दे दिया गया है या नहीं ?

श्री धर्मसिंह---इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी।

राजा यादवेंद्रदत्त दुबे---यह देखते हुए कि वहां का लगान बहुत पहले परमानेंट सेटिलमेंट में तय हुआ था और उस समय जमीन उतनी उपजाऊ नहीं थी, अब किसानों ने उसको उपजाऊ बना लिया है और इसलिए यह मुआवजा जो तय किया गया है कम है, क्या सरकार इसको रिवाइज करने का विचार नहीं कर रही है ?

श्री धर्मसिंह---इस प्रकार का कोई विचार नहीं है।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसकी फर्द मुआवजा तैयार हो चुकी है ? यदि हां, तो उसके भुगतान में क्या विलम्ब है ?

श्री अध्यक्ष---उन्होंने पहले जवाब दे दिया कि नोटिस की आवश्यकता है, इसलिये यह उठता नहीं।

श्री राजनारायण---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अगर सीरदार की जमीन अच्छी है और भूमिधर की खराब, तो सीरदार को ३० गुना और भूमिधर को १०० गुना मुआवजा क्यों दिया जाय ?

श्री अध्यक्ष---यह तो आप बहस कर रहे हैं।

श्री राजनारायण---मैं इसका आधार जानना चाहता हूं।

श्री चरणसिंह---जमीन की अच्छाई-बुराई के मुताबिक ही लगान तय होता है और यह लगान का गुणक है, तो इसलिए किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष---इतना इशारा काफी है।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन काश्तकारों को मुआवजा दे कर उन को उस जमीन से बरतरफ कर दिया गया है उन को फिर से कहीं कालोनाइज करने की सरकार कृपा करेगी ?

श्री धर्मसिंह---जिन को मुआवजा नहीं दे सकेंगे उनके लिए कोशिश की जा रही है कि कहीं जमीन का प्रबन्ध हो।

कसया व भलुही मदारी पट्टी, जिला देवरिया के पावर हाउस में ली गई जमीन का मुआवजा

*१४०---श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)---क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम कसया व भलुही मदारी पट्टी (जिला देवरिया) में जो पावर हाउस बनाया गया है उस में कितनी एकड़ जमीन ली गयी है और काश्तकारों को जो मुआवजा दिया गया है वह कितना है ?

श्री धर्मसिंह---कसया में ०.९९ एकड़ और भलुही मदारी पट्टी (बजाय भलुही महीरा पट्टी) में ०.४३ एकड़ जमीन मार्च, १९५७ में ली गई थी।

लैण्ड एक्वीजिशन आफिसर गोरखपुर ने कसया में ली गई जमीन के लिये १३६ रु० ३ आ० और भलुही मदारी पट्टी के लिये ७० रु० ३ आ० मुआवजा निश्चित किया।

*१४१---श्री ब्रजनारायण तिवारी---क्या राजस्व मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उक्त पावर हाउस में कितने काश्तकारों को अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है ?

श्री धर्मसिंह---कसया के केवल एक काश्तकार ने अभी तक मुआवजा नहीं लिया है।

श्री ब्रजनारायण तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वे काश्तकार जिन्होंने मुआवजा नहीं लिया है उन्होंने क्यों नहीं लिया है ?

श्री धर्मसिंह---क्योंकि उनका ५० रुपये से अधिक धन था। दो बार उनको साइट पर बुलाया गया और वे नहीं आये। नियमों के अनुसार अगर दो बार के नोटिस के बाद वे मुआवजा लेने नहीं आते हैं तो ५० रुपये तक की रकम तो मनीआर्डर से उनको भेज दी जाती है और अधिक होने से ट्रेजरी में जमा कर दी जाती है। तो इसलिये वह धन ट्रेजरी में जमा कर दिया गया है।

श्री ब्रजनारायण तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि मुआवजा न लेने का कारण यह भी है कि मार्केट रेट से उनको मुआवजा नहीं दिया गया ?

श्री चरणसिंह---अगर उन्हें कोई शिकायत थी तो डिस्ट्रिक्ट जज के यहां अपील कर सकते थे।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो मुआवजा दिया गया है वह किस रेट से दिया गया है ?

श्री चरणसिंह---यह रेट वही है जो अभी कुछ देर पहले श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे के सवाल के जवाब में बताया गया।

[राजस्व मंत्री से सम्बन्धित १५ दिसम्बर, १९५८ के स्थगित प्रश्न]

* * * *

सिंचाई विभाग के अस्थायी एलेक्ट्रिकल व मैकेनिकल सुपरवाइजर

*८---श्री अभयराम यादव (जिला इटावा)---क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस समय कितने एलेक्ट्रिकल व मैकेनिकल सुपरवाइजर के स्थायी स्थान सिंचाई विभाग में रिक्त हैं और कब से ?

श्री धर्मसिंह---इस समय सिंचाई विभाग में एलेक्ट्रिकल व मैकेनिकल सुपरवाइजर के कुल ६३ स्थान रिक्त हैं, जिनका ब्यौरा इस प्रकार है :

	संख्या
१९५३-५४ के अन्त तक	६
१९५४-५६ के अन्त तक	३९
१९५६-५७ के अन्त तक	५६
१९५७-५८ के अन्त तक	६३

*९---श्री अभयराम यादव---क्या राजस्व मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि कितने सुपरवाइजर इन स्थानों के लिये लोक सेवा आयोग द्वारा १९५४ से अब तक एप्रूव हो चुके हैं जिनको अभी तक स्थायी नहीं किया गया है ?

श्री धर्मसिंह---लोक सेवा आयोग ने सन् १९५४, १९५५ और १९५७ में केवल अस्थायी पदों के लिए क्रमशः ११८, ६६ और ८ सुपरवाइजर के पदों के लिए चुनाव किया था। लोक सेवा आयोग द्वारा ज्येष्ठता का अन्तिम निर्णय हो जाने के बाद इन अस्थायी सुपरवाइजरों को स्थानों की उपलब्धि के अनुसार स्थायी किया जायेगा।

*१०---श्री अभयराम यादव---क्या यह सही है कि सुपरवाइजरों के बाद जो ओवरसियर लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश से एप्रूव हुये थे वे स्थायी स्थानों पर नियुक्त हो गये हैं ?

श्री धर्मसिंह---जी नहीं, ऐसे ओवरसियर अभी तक केवल परीक्षण-काल पर हैं।

श्री अभयराम यादव---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि एलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सुपरवाइजरों के स्थान रिक्त होने के क्या कारण हैं ?

श्री धर्मसिंह---यह स्थान रिक्त नहीं हैं, ये टेम्पोरेरी स्थान थे और टेम्पोरेरी तरीके से लोग इन पर काम कर रहे हैं, बिल्कुल खाली नहीं है।

श्री अभयराम यादव---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि लोक सेवा आयोग द्वारा ज्येष्ठता का अन्तिम निर्णय कब तक हो जायेगा ?

श्री धर्मसिंह---उनको लिखा गया है और जब वहां से इत्तला आयेगी तब निर्णय हो जायेगा।

* * * *

परसपुर-धौरहरा बांध, जिला गोंडा के ठेकेदारों का कथित स्मृति-पत्र

*१६---श्री उग्रसेन---क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने बाढ़ विभाग, गोंडा द्वारा बनाये गये परसपुर-धौरहरा बांध के ठेकेदारों के अप्रैल, १९५८ वाले स्मृति-पत्र पर कौन-सी कार्यवाही की ?

श्री धर्मसिंह—परसपुर-धौरहरा बांध के ठेकेदारों का अप्रैल ५८ वाला स्मृतिपत्र इस कार्यालय में नहीं प्राप्त हुआ है।

*१७—श्री उग्रसेन—उक्त स्मृति-पत्र की प्रतिलिपि क्या सरकार सदन की मेज पर रखेगी ?

श्री धर्मसिंह—प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी के पास इस बात की शिकायत परसपुर-धौरहरा बांध की ओर से आई है कि पलड डिवीजन गोंडा के इंजीनियर ने उस बांध पर जितना काम कराया है उसका पैसा नहीं दिया है ?

श्री धर्मसिंह—इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई है।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी इस प्रश्न को सूचना मान करके इसकी जांच करायेंगे ?

श्री धर्मसिंह—यदि कोई लिखित शिकायत आई तो उस पर कार्यवाही की जायेगी।

* * * *

बदायूं जिलान्तर्गत अरिल व रामगंगा नदियों का कटाव

*२७—श्री टीकाराम (जिला बदायूं)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बदायूं में तहसील बदायूं व दातागंज के उत्तरी भाग की जमीन कट कर खार होती जा रही है उसकी रोक का कोई प्रबन्ध किया गया है ? यदि किया गया है, तो क्या ?

श्री धर्मसिंह—जी हां, अरिल और रामगंगा नदियों से होने वाले अतिप्लावन (spill) से बदायूं और दातागंज तहसीलों के उत्तरी भाग में भूमि कट कर खार होती जा रही है। अभी तक नदियों के इस रुख को रोकने के हेतु कोई कार्य नहीं किया गया।

*२८—श्री टीकाराम—क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला बदायूं में सन् १९५६ से ३१ अगस्त, १९५८ तक घटपुरी स्टेशन से ऊपर से पानी के साथ कटकर जमीन आने क कारण बिनावर, मलकपुर, बरखेड़ा, नरखेड़ा गांवों के कितने क्षेत्रफल की भूमि रेत से दबकर बेकार हो गई है ?

श्री धर्मसिंह—जी हां, सन् १९५६ से (३१-८-१९५८) अब तक ऊपर से पानी के साथ कटकर जमीन आने के कारण लगभग १,००० एकड़ भूमि रेत से दब कर बेकार हो गई है।

*२९—श्री टीकाराम—क्या सरकार इन उपरोक्त गांवों की जमीन को बचाने के लिये इस खार के बहाव को रोकने का प्रबन्ध इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में करेगी ?

श्री धर्मसिंह—जी नहीं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में इस अतिप्लावन (spill) को रोकने का कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि उपलब्ध धन की अन्य योजनाओं के लिये पहले से ही व्यवस्था की जा चुकी है।

श्री टीकाराम—जो १,००० एकड़ जमीन बरबाद हो गई है उसे रोकने का कोई उपाय किया जायगा ?

श्री धर्मसिंह—फिलहाल ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री टीकाराम—क्या सरकार विचार न होने का कारण बतावेगी ?

श्री धर्मसिंह—धन और साधनों की कमी।

श्री टीकाराम—कटाव रोकने के लिये कार्य न करने का कारण क्या है ?

श्री धर्मसिंह—धन की कमी के कारण नहीं हो सकेगा।

* * *

सिंचाई विभाग, जिला इलाहाबाद में हरिजन

*३५—श्री जवाहरलाल (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद जिले के सिंचाई विभाग में कुल कितने आपरेटर, जिलेदार तथा पतरौल कार्य कर रहे हैं और उनमें कितने हरिजन हैं ?

श्री चरणसिंह—इलाहाबाद जिले के सिंचाई विभाग में उपरोक्त वर्ग के कर्मचारियों की संख्या, और उनमें हरिजनों की संख्या, इस प्रकार है :

पद	कुल संख्या	हरिजन
जिलेदार	९	—
पतरौल	१०५	४
आपरेटर	१०४	१२

* * *

ट्यूबवेल आपरेटर्स का वेतन तथा भत्ते

*३८—कुंवर श्रीपालसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में ट्यूबवेल आपरेटर को प्रतिमास कितनी तनख्वाह मिलती है ?

श्री धर्मसिंह—प्रदेश के सिंचाई विभाग में ट्यूबवेल आपरेटर का वेतन ३०—१—४५ रुपये प्रतिमास है। इसके अतिरिक्त, उनको समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर मंहगाई भत्ता भी मिलता है।

*३९—कुंवर श्रीपालसिंह—क्या सरकार कृपया बतावेगी कि इन ट्यूबवल आपरेटर्स को स्टेशनरी के लिये भी कुछ एलाउन्स मिलता है ?

श्री धर्मसिंह— जी नहीं।

*४०—कुंवर श्रीपालसिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इन ट्यूबवेल आपरेटर्स को यदि किसी सरकारी कार्य से अपने स्थान से कहीं दूसरी जगह जाना होता है तो उन्हें कुछ दैनिक भत्ता भी मिलता है ? यदि हां, तो कितना ?

श्री धर्मसिंह—यदि कोई ट्यूबवेल आपरेटर सरकारी कार्य से बाहर जाता है और वहां पर ८ घंटे से अधिक रुकता है तो, उसे 'सी' श्रेणी की जगहों में ६ आने प्रतिदिन और 'ए' और 'बी' श्रेणी की जगहों में ८ आने प्रतिदिन भत्ता मिलता है। और यदि उसकी मासिक आय (आधा मंहगाई भत्ता जोड़कर) ४५) प्रति मास से अधिक हो जाती है तो, वह दो आने प्रति १२ रुपये ८ आने (या उसके किसी भाग पर) की दर से दैनिक भत्ता पाता है।

कुंवर श्रीपालसिंह—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उनको मंहगाई भत्ता कितना मिलता है ?

श्री धर्मसिंह—जैसा समय-समय पर निर्धारित होता रहे, आजकल २५ रुपये हैं।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन आपरेटर्स की नियुक्ति के समय उनसे कोई कैश सीक्योरिटी भी ली जाती है ? यदि हां, तो कितनी ?

श्री धर्मसिंह---नोटिस की आवश्यकता है ?

श्री प्रतापसिंह---क्या मंत्री जी इस मंहगाई को देखते हुये और ६ आने भत्ते को कम समझते हुये उसे बढ़ाने पर विचार करेंगे ?

श्री धर्मसिंह---जी नहीं।

कुंवर श्रीपालसिंह---क्या इन आपरेटर्स के पास सिंचाई का हिसाब-किताब रखने के लिये कोई रजिस्टर होता है या कोई दूसरा अधिकारी इसे रखता है ?

श्री धर्मसिंह---जिन रजिस्टरों के द्वारा ये आपरेटर्स काम करते हैं वे छपे-छपाये होते हैं और विभाग द्वारा दिये जाते हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या इन आपरेटर्स के वेतन की कमी को देखते हुये सरकार उसे बढ़ाने पर विचार करेगी ?

श्री चरणसिंह---ट्यूबवेल आपरेटर्स ही नहीं, बल्कि सभी निम्न श्रेणी के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते वगैरह के बारे में अपने साधनों के अनुसार बराबर सरकार विचार करती ही रहती है।

श्री चद्रजीत यादव ---गत वर्ष १०० रुपये से कम वेतन वालों की जो ५ रुपये वृद्धि की गई थी वह इन आपरेटर्स को भी दी जाती है ?

श्री धर्मसिंह---जी हां।

कुंवर श्रीपालसिंह---रजिस्टर तो छपे-छपाये दिये जाते हैं मगर कलम, दवात व स्याही वगैरह के लिये कुछ पैसा दिया जाता है या वे अपने वेतन से ही खर्च करते हैं ?

श्री धर्मसिंह---नोटिस चाहिये।

* * * *

असिस्टेंट इंजीनियर्स, सिंचाई विभाग

*४२---श्री जगन्नाथ चौधरी (जिला बलिया)---क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कितने अन-क्वालीफाइड असिस्टेंट इंजीनियर सिंचाई विभाग में हैं ?

श्री धर्मसिंह---कोई नहीं।

श्री जगन्नाथ चौधरी---क्या यह सही है कि सितम्बर, १९५८ के पहले कुछ अनक्वालीफ़ाइड असिस्टेंट इंजीनियर विभाग में कार्य कर रहे थे ?

श्री धर्मसिंह---जी हां।

* * * *

ठाकुरद्वारा तहसील, जिला मुरादाबाद में नलकूप तथा बिजली

*५२---श्री किशनसिंह (जिला मुरादाबाद)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सिंचाई विभाग द्वारा तहसील ठाकुरद्वारा, जिला मुरादाबाद में जो ट्यूबवेल बनाये गये हैं वह कब तक चालू हो जायेंगे ?

श्री धर्मसिंह---इन नलकूपों को शीघ्र से शीघ्र चलाने का प्रयत्न किया जा रहा है। आशा है फरवरी, १९५९ तक इनसे सिंचाई होने लगेगी।

*५३---श्री किशनसिंह---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील ठाकुरद्वारा, जिला मुरादाबाद में बिजली कब तक पहुंचा दी जायगी ?

श्री धर्मसिंह---यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री किशनसिंह---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तहसील ठाकुरद्वारे में १९५८-५९ में नलकप न चलने से कितनी हानि हुई है?

श्री धर्मसिंह---हानि का कोई प्रश्न नहीं है लेकिन कोशिश की जा रही है कि फरवरी, १९५९ के अन्त तक वहां सिंचाई होने लगे।

देवरिया जिले में बड़ी गंडक से छितौनी बांध को खतरा

*५५---श्री राजदेव उपाध्याय (जिला देवरिया)---क्या सरकार को पता है कि देवरिया जिला, तहसील हाटा के अन्तर्गत ग्राम सभा भैंइसहा के कट जाने से अब बड़ी गंडक की धारा बिलकुल ही छितौनी बंध के पास बह रही है और बांध को भी नदी की धारा से बड़ा भारी खतरा पैदा हो गया है?

श्री धर्मसिंह---जी हां।

*५६---श्री राजदेव उपाध्याय---यदि हां, तो बांध और दक्षिणी पार के किसानों को बचाने के लिये सरकार ने तात्कालिक क्या कार्यवाही की है?

श्री धर्मसिंह---बांध को टूटने से बचाने के लिये भी टी स्पर्स तथा बांसों के फ्लोटिंग स्पर्स बनाये गये हैं और ५० फिट चौड़ी पत्थर की पट्टी भी बांध के टो पर डाली गई है।

श्री राजदेव उपाध्याय---क्या सरकार को पता है कि इस नदी के द्वारा कई मील उत्तर से दक्षिण हिस्से पर जमीन हट गई है और इसका कुछ अन्दाजा भी अब तक सरकार ने लगाया है?

श्री धर्मसिंह---धारा तो बहती है और कोई ऐसी हानि भी नहीं है जिसका विभाग के लोगों को पता होता और वे इन्तजाम करते।

श्री राजदेव उपाध्याय---क्या सरकार को पता है कि ५ महीने बरसात के बाकी रह गये हैं और इतनी खतरनाक नदी से बचाने के लिये कोई तात्कालिक कार्यवाही की जा रही है या नहीं?

श्री धर्मसिंह---थोड़ी-बहुत कार्यवाही की गई है। लेकिन अगर उसका अधिक परमानेंट इन्तजाम किया गया तो उसके लिये धन की कमी है, क्योंकि उसमें काफी पैसा लगेगा।

श्री ब्रजनारायण तिवारी---क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि नदी का कटाव अब भी जारी है और जो ठोकर बनाने का काम शुरू किया गया था वह बन्द कर दिया गया है?

श्री धर्मसिंह---कटाव को थोड़ा-बहुत रोकने का प्रबन्ध किया गया है।

श्री उग्रसेन---जहां नदी की धारा बांध तक पहुंच गई है वहां भी ठोकर बनाने की कोई व्यवस्था है?

श्री धर्मसिंह---थोड़ी बहुत व्यवस्था की गई है, लेकिन हमेशा के लिये इन्तजाम करने के लिये धन की कमी है जिसकी वजह से पूरे तरीके से उस काम को नहीं कर सकते।

खलीलाबाद तहसील में गांवों का ऊंचा किया जाना

*६५---श्रीमती गेंदादेवी (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)---क्या सरकार विधान सभा के द्वितीय सत्र के दिनांक १६ दिसम्बर, १९५७ के प्रश्नोत्तर संख्या ५० के संदर्भ में बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले की तहसील खलीलाबाद के अन्तर्गत अब तक जो बाढ़ विभाग द्वारा कुल २०८ ग्रामों का स्तर ऊंचा किया गया है उनमें कितने मुकम्मल हो गये हैं और कितने तथा कौन-कौन ग्राम अब भी अधूरे पड़े हैं?

श्री चरणसिंह---बस्ती जिले की खलीलाबाद तहसील में कुल २०८ ग्राम जिनका उल्लेख प्रश्न में दिया हुआ है, नवम्बर सन् १९५७ तक ऊंचे किये जा चुके हैं ।

*६६---श्रीमती गेंदादेवी (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त तहसील के नामुकम्मल ग्रामों को बाढ़ विभाग द्वारा कब तक पूरा किया जायगा ?

श्री चरणसिंह---इसका प्रश्न ही नहीं उठता, जबकि सारे ग्रामों का स्तर ऊंचा किया जा चुका है ।

बलिया बाढ़ डिवीजन तोड़ने का आदेश

*६७---श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)---क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया बाढ़ डिवीजन को सरकार तोड़ने जा रही है ?

श्री धर्मसिंह---बाढ़ डिवीजन, बलिया को फरवरी २८, १९५९ से तोड़ने के आदेश जारी कर दिये गये हैं ।

*६८---श्री मुक्तिनाथ राय---यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री धर्मसिंह---कार्यभार की कमी तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में बाढ़ कार्य के लिये धन की कमी के कारण ।

श्री मुक्तिनाथ राय---क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष भी करोड़ों रुपये की क्षति इस डिवीजन में बाढ़ से हुई, इसे देखते हुये और जबकि बाढ़ के कारणों का निवारण नहीं हो सका है, सरकार पुनः विचार करेगी कि वह विभाग न तोड़ा जाय ?

श्री चरणसिंह---हानि तो होती ही रहती है, लेकिन सवाल तो रुपये का है कि वह कहां से आवे ।

श्री मुक्तिनाथ राय---इस क्षेत्र के बाढ़ नियंत्रण का कार्य सरकार किस क्षेत्र के अन्तर्गत रख कर करावेगी ?

श्री धर्मसिंह---दूसरी तहसीलों और जिलों में कैनाल और ट्यूबवेल्स के अन्तर्गत उस स्टाफ को भेज दिया गया है, उनके द्वारा ही यहां का काम अब किया जायगा ।

श्री मुक्तिनाथ राय---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि बलिया बाढ़ डिवीजन के अन्तर्गत बाढ़ वाले क्षेत्रों की दशा को देखते हुए प्रदेशीय सरकार ने खुद कोई धन दिया है अथवा केन्द्रीय सरकार को धन देने के लिये उसने लिखा है ?

श्री धर्मसिंह---फिलहाल हमारे पास तो धन है नहीं । यदि कहीं से धन प्राप्त हो गया तो उस पर विचार किया जायगा ।

श्री झारखन्डेराय---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस विभाग को तोड़ दिये जाने से जो कर्मचारी नौकरी से अलग कर दिये गये हैं, उनको फिर से खपाने के लिये सरकार क्या विचार कर रही है ?

श्री धर्मसिंह---इनके टूट जाने से कोई भी कर्मचारी अलहदा नहीं किया गया है बल्कि एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में तबदील कर दिया जायगा ।

श्री गौरीशंकर राय---बलिया बाढ़ विभाग क्षेत्र में गंगा, घाघरा और तमसा नदियों की विकट बाढ़ को देखते हुए क्या सरकार फिर से विचार करेगी कि इस डिवीजन को न तोड़ा जाय ?

श्री धर्मसिंह---जी नहीं ।

श्री उग्रसेन---क्या यह सही है कि इस समय बलिया जिले में बाढ़ के भीषण कटाव को रोकने के लिये कोई योजना चालू नहीं है ?

श्री धर्मसिंह---जब-जब आवश्यकता होती है, उन पर कार्यवाही की जाती है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस डिवीजन के तोड़ने से कितनी बचत हुई ?

श्री धर्मसिंह---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

* * * *

गाजियाबाद तहसील के कुछ ग्रामों में बरसाती पानी जमा हो जाना

*७१---कुंवर महमूद अली खां (जिला मेरठ) (अनुपस्थित)---क्या सरकार को ज्ञात है कि तहसील गाजियाबाद, जिला मेरठ में ग्राम देहरा, निधावली, धौलाना, बासतपुर सपनावत, बझेड़ा कलां, समाना, पारपा इकलेडी, हसनपुर में और इनके आस-पास के ग्रामों में वर्षा के समय काफी क्षेत्र में वाटर लागिंग हो जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह इस विषय में क्या कर रही है ?

श्री चरणसिंह---तहसील गाजियाबाद जिला मेरठ के ग्राम देहरा, निधावली, धौलाना, बासतपुर, समाना, पारपा, इकलेडी में जल संचय (वाटर लागिंग) तो नहीं होता किन्तु वर्षा के समय अधिक वर्षा होने पर वर्तमान नालों से पानी देर से निकल पाता है। ग्राम बझेड़ा कलां तथा सपनावत में कुछ जल संचय (वाटर लागिंग) हो जाता है और इसके निवारण हेतु बझेड़ा ड्रेन (नाले) के पुनर्निर्माण पर कुछ कार्य किया गया है और इस कार्य को धनराशि प्राप्त होने पर पूरा किया जावेगा। ग्राम हसनपुर में भी कुछ जल संचय (वाटर लागिंग) हो जाता है और इसके रोकने के लिये एक प्राक्कलन (एस्टीमेट) बनाया गया है जो विचाराधीन है ।

नौगढ़ तहसील में कूड़ा घोंघी नदी के किनारे बांध का निर्माण

*७२---श्री मथुराप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बस्ती जिले की नौगढ़ तहसील में कूंड़ा व घोघी नदी के किनारे-किनारे बाढ़ विभाग द्वारा बांध का निर्माण हुआ है ?

श्री धर्मसिंह---बस्ती जिले की नौगढ़ तहसील में बाढ़ विभाग बस्ती द्वारा एक बांध कूंड़ा व घोंघी नदी के किनारे-किनारे बनाया जा रहा था जो कि अभी पूर्ण नहीं हुआ है।

*७३---श्री मथुराप्रसाद पांडेय---यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त बांध के बीच के किन-किन गांवों की कितनी-कितनी फसल इस वर्ष बाढ़ का पानी आ जाने के कारण बर्बाद हुई ?

श्री धर्मसिंह---चूंकि उपरोक्त बांध अभी पूरा नहीं बन पाया है, अतः बांध के बीच के गांवों की फसल का इस वर्ष बाढ़ का पानी आ जाने के कारण बर्बाद होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। फिर भी कूड़ा घोंघी बांध के बीच में पड़ने वाले ग्रामों के नाम तथा उनको हुई क्षति की सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ९०० पर)

श्री मथुराप्रसाद पांडेय---क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस बांध में अभी कौन-कौन सा काम बाकी है ?

श्री धर्मसिंह---डिटेल्स के लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री मथुरा प्रसाद पांडेय---क्या यह सही है कि बांध का काम जनवरी, १९५८ में ही पूरा हो गया था और महज फाटक न लगने के कारण गांव में पानी भर गया और फसल बरबाद हो गयी ?

श्री धर्मसिंह---यह देखना पड़ेगा कि माननीय सदस्य की बात कहां तक ठीक है।

वसाद तथा मढ़नी ताल, जिला बस्ती के पानी को रोकने की प्रार्थना

*७४---श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)---क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के अन्तर्गत ग्राम चेइली के पास वसाद ताल के पानी से जो हानि होती है उसे रोकने के लिये गत वर्ष या इससे कुछ पूर्व बाढ़ विभाग द्वारा कोई बांध बनाने की योजना सरकार के पास भेजी गई थी ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या निर्णय किया ?

श्री धर्मसिंह---बस्ती जिले के अन्तर्गत ग्राम चेइली के पास वसाद ताल के पानी से जो हानि होती है उसे रोकने के लिये बाढ़ विभाग बस्ती द्वारा कोई योजना नहीं बनाई गई थी ।

श्री धनुषधारी पांडेय---क्या सरकार को ज्ञात है कि वसाद ताल के अन्तर्गत पड़ने वाले गांवों के लोगों की दरख्वास्त पर क्या बाढ़ को रोकने का कोई उपाय किया गया है ?

श्री धर्मसिंह---सरकार को इस बात का कोई नोटिस नहीं है ।

श्री धनुषधारी पांडेय---क्या सरकार इस को सूचना मान कर और इसकी जांच कराकर इसका कोई उपाय करने की कृपा करेगी ?

श्री धर्मसिंह---जी हां, कर लेगी ।

*७५---श्री धुनषधारी पांडेय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिला के अन्तर्गत ग्राम माझा और सेंठा अदालती पंचायत क्षेत्र सेंठा, तहसील हरैया के मढ़नी ताल के पानी के निकास के लिये कोई योजना पर साल या उससे पूर्व वहां के बाढ़ विभाग द्वारा तैयार की गयी थी ?

श्री धर्मसिंह---बस्ती जिले की तहसील हरैया में मघनी ताल का बाढ़ का पानी दो नालों द्वारा निकलता था जो कि बहुत पहले किसी समय खोदे गये होंगे। यह नाले करीब करीब पट गये थे और पानी सुचारुरूप से नहीं निकल पाता था अतः बाढ़ विभाग बस्ती ने गत वर्ष इन नालों की सफाई करा दी थी। इसके अलावा और कोई योजना इस सम्बन्ध में नहीं बनाई गई है ।

*७६---श्री धनुषधारी पांडेय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या इस योजना को पूरा करने के लिये कुछ जमीन एक्वायर करने की आवश्यकता है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री धर्मसिंह---इसका प्रश्न ही नहीं उठता है ।

बरेली जिले में अरल नदी पर बांध की आवश्यकता

*७७---श्री नत्थूसिंह (जिला बरेली)---क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जिला बरेली में अरल नदी पर अतरछेड़ी के पास डैम बनाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसके बनाये जाने का कार्य कब से शुरू होगा ?

श्री धर्मसिंह---जी हां, जिला बरेली में अरल नदी पर अतरछेदी के पास डैम बनाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। परन्तु धनाभाव के कारण इस योजनाकाल में इस पर कोई कार्य न करने का निश्चय किया गया है।

श्री नत्थूसिंह---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि धन उपलब्ध होने पर इसमें कितना रुपया खर्च होगा ?

श्री धर्मसिंह---७ लाख रुपये के करीब ।

श्री नत्थूसिंह---क्या सरकार इस योजना को तृतीय पंचवर्षीय योजना में शामिल करने का विचार रखती है ?

श्री धर्मसिंह---अभी इसके बारे में कुछ निर्णय नहीं किया गया है कि उसको पंचवर्षीय योजना में लिया जायगा या नहीं लिया जायगा ।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस नदी पर हर साल विभाग की तरफ से कच्चा बांध बांधा जाता था और इस साल वह नहीं बांधा गया, इसका क्या कारण है ?

श्री धर्मसिंह---यह कच्चा बांध बांधा जाता था और जहां तक इस साल की इत्तला है सिंचाई विभाग ने उसे लिया था और उसने उस पर कार्यवाही की थी ।

श्री नवलकिशोर---श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि उस पर इस साल क्या काम हुआ या उसके ऊपर काम नहीं हुआ तो उसका क्या कारण है ?

श्री धर्मसिंह---क्या काम हुआ इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है । डिटेल मेरे पास नहीं है ।

बस्ती जिले की बखिरा झील से सिंचाई

*७७---श्रीमती गेंदादेवी (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के अन्दर तहसील खलीलाबाद में बखिरा झील सिंचाई के अन्दर किसानों द्वारा बोरों की खेती की जाती है ? यदि हां, तो कितने रकबे में ?

श्री चरणसिंह---जी हां, बस्ती जिले के अन्दर तहसील खलीलाबाद में बखिरा झील के अन्दर किसान बोरों की खेती करते हैं । रिकार्ड के अनुसार १,६०८ एकड़ में बोरों की खेती की जाती है ।

*७९---श्रीमती गेंदादेवी (अनुपस्थित)---क्या यह सत्य है कि उपर्युक्त झील में सिंचाई योजना लागू हो जाने से बोरों के खेती करने वाले किसानों को खेती करने से तथा शिकारमाही (मछली पकड़ने) से रोक दिया जायेगा ?

श्री चरणसिंह---जी नहीं, उपर्युक्त झील में सिंचाई योजना लागू हो जाने से बोरों की खेती करने वाले किसानों को खेती करने से नहीं रोका जायगा और न मछली पकड़ने वालों पर रुकावट की जायगी ।

सिंचाई विभाग, उन्नाव सब-डिवीजन में हरिजन अमीन

*८०---श्री बुलाकीराम (जिला हरदोई)---क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५६-५७ तथा १९५७-५८ में सिंचाई विभाग द्वारा उन्नाव सब-डिवीजन में किन-किन व्यक्तियों को सिंचाई अमीन की ट्रेनिंग दी गई है और उनमें हरिजन कौन-कौन है ?

श्री धर्मसिंह---उन्नाव डिवीजन में सिंचाई अमीन की ट्रेनिंग सन् १९५६-५७ में किसी को नहीं दी गई । १९५७-५८ में केवल एक व्यक्ति, श्री उजागर लाल, को ट्रेनिंग दी गई है जो कि हरिजन है ।

श्री बुलाकीराम---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह ट्रेनिंग कितने दिनों की थी और कब समाप्त हुई थी ?

श्री धर्मसिंह---इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री बुलाकीराम---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि क्या ट्रेंड उम्मीदवार को नौकरी में लगा दिया गया है ? यदि हां, तो कब ?

श्री धर्मसिंह---जी हां, उसको २८-१०-५८ को अमीन के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त कर दिया गया है ।

* * * *

नैनीताल जिले में तुमड़िया बांध निर्माण से विस्थापितों की पुनर्वासन योजना

*८२---**श्री नारायणदत्त तिवारी**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला नैनीताल में तुमड़िया बांध एवं जलाशय (काशीपुर) के निर्माण से विस्थापित किसानों के पुनर्वास हेतु क्या किया जा रहा है ?

श्री चरणसिंह---तुमड़ियां बांध एवं जलाशय के निर्माण के कारण ३४ शरणार्थी किसानों की भूमि ली गई है और उनको पुनर्वास हेतु दूसरी जगह जमीन देने की कार्यवाही की जा रही है ।

*८३---**श्री नारायणदत्त तिवारी**---क्या सरकार को ज्ञात है कि उपर्युक्त तुमड़िया बांध के हेतु अधिकृत की जाने वाली भूमि में कुछ ऐसी भूमि भी आ गई है जिसे कुछ ही वर्ष पूर्व शरणार्थियों को एलाट किया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे विस्थापित होने वाले शरणार्थियों को क्या सुविधा देने जा रही है ?

श्री चरण सिंह---तुमड़ियां बांध क्षेत्र में उपनिवेशन विभाग ने शरणार्थियों को खेती करने के लिये कुछ भूमि दी है । उस भूमि में से ८९.८७२ एकड़ भूमि तुमड़िया बांध के निर्माण के लिये अधिकृत की गई है । इस अधिकृत भूमि के बदले में शरणार्थियों को दूसरी भूमि देने का प्रश्न विचाराधीन है ।

गोरखपुर जिलान्तर्गत रोहिन नदी पर बनरहा व मनकहा बांध

*८४---**श्री मदन पांडेय**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिलान्तर्गत महाराजगंज तहसील में रोहिन नदी के बांये तथा दांयें किनारे पर सन् १९५२ से लेकर आज तक किन-किन स्थानों पर बांध बनाये गये हैं तथा उन पर अलग-अलग कितनी लागत लगी है ?

श्री चरणसिंह---गोरखपुर जिले की महराजगंज तहसील में रोहिन नदी के किनारे सिंचाई विभाग द्वारा कोई भी बांध नहीं बनाया गया है ।

*८५---**श्री मदन पांडेय**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कितने बांध उपर्युक्त रोहिन नदी पर पुराने बने हुए हैं तथा वे किस हालत में हैं ?

श्री चरणसिंह---रोहिन नदी पर २ पुराने बांध बन रहा और मकनहा बने हुए थे । जिसमें से बनरहा बांध की पूरी प्रकार से मरम्मत कर दी गई है । चूंकि मकनहा बांध की मरम्मत का तखमीना बाढ़ नियंत्रण बोर्ड ने स्वीकार नहीं किया इस कारण से उस पर कोई मरम्मत का काम नहीं हुआ और न भविष्य में होने की आशा है ।

नोट:---तारांकित प्रश्न ८० के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

*८६---श्री मदन पांडेय---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपर्युक्त नवनिर्मित बांधों में से कितने अधूरे पड़े हैं तथा उनके अधूरे रहने का क्या कारण है ?

श्री चरणसिंह---प्रश्न नहीं उठता है ।

* * *

नैनीताल जिले में मलुवाताल नदी का कटान

*८९---श्री प्रतापसिंह---क्या वित्त मंत्री को यह ज्ञात है कि ग्राम मलुवाताल, तहसील नैनीताल के मलुवाताल नदी के कटाव से बहने की आशंका है ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां के लोगों को दूसरी जगह बसाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री चरणसिंह---नैनीताल जिले की तहसील नैनीताल में मलुवाताल नदी से ग्राम मलुवाताल का कटान हो रहा है और उस ग्राम के निवासियों को दूसरी जगह पर बसाने का विचार किया जा रहा है ।

* * *

गाजीपुर जिले में रामगढ़ पम्प कैनाल पर व्यय

*९५---श्री रघुवीरराम (जिला गाजीपुर)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला गाजीपुर, थाना कासमाबाद के अन्तर्गत ग्राम रामगढ़ के पास जो नहर टोंस नदी से निकाली जा रही है अब तक उस पर कुल कितना धन व्यय हुआ है ?

श्री चरणसिंह---जिला गाजीपुर , थाना कासमाबाद के अन्तर्गत ग्राम रामगढ़ के पास टोंस नदी से रामगढ़ पम्प कैनाल निकाली जा रही है जिस पर नवम्बर, १९५८ तक २,३६,९१९ रुपया व्यय हुआ है ।

*९६---श्री रघुवीरराम---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस नहर में किसानों की अब तक कितनी जमीन नहर विभाग ने ली है और जो जमीन किसानों से ली गई है उसका किस हिसाब से और कितना मुआवजा दिया गया है ?

श्री चरणसिंह---उपरोक्त नहर के लिये किसानों की अब तक ७२.८६१ एकड़ भूमि नहर विभाग द्वारा ली गयी है जिसका मुआवजा अभी तक किसानों को नहीं दिया गया है ।

बाराबंकी जिले में गांवों का ऊंचा किया जाना तथा डिप्टी रेवेन्यू आफिसर के विचाराधीन मुकदमें

*९७---श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि नहर विभाग के न्यायाधीश, जिला बाराबंकी के इजलास में इस समय में ६, ९ व १२ महीने से अधिक के कितने मुकदमें विचाराधीन हैं ?

श्री चरणसिंह---डिप्टी रेवेन्यू आफिसर बाराबंकी डिवीजन की अदालत में १ मुकदमा १ साल से ज्यादा अर्से का और १ मुकदमा ६ महीने से अधिक का विचाराधीन है । ९ महीने से ज्यादा और १ साल से कम का कोई मुकदमा नहीं है ।

*९८---श्री जंगबहादुर वर्मा---क्या सिंचाई राज्य-मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १९५६-५७ व १९५७-५८ ई० में जिला बाराबंकी में कौन-कौन से कितने ग्राम ऊंचे किये गये हैं और प्रत्येक ग्राम के ऊंचा करने में कितना रुपया व्यय हुआ है ।

श्री चरणसिंह---बाराबंकी जिले में १९५६-५७ व १९५७-५८ में ७८ ग्राम ऊंचे किये गये हैं, जिनकी सूची संलग्न है । प्रत्येक ऊंचे किये गये ग्राम पर व्यय हुआ धन सूची में अंकित है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ९०१ पर) ।

दोहरीघाट पम्प नहर

*१०१--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सिंचाई राज्य-मंत्री २५-८-५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ७६ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि "दोहरीघाट पम्प नहर" कब से चालू हो जायेगी ?

श्री चरणसिंह--आशा की जाती है कि दोहरीघाट नहर में १२० क्यूसैक्स पानी जनवरी सन् १९५९ में चलाया जा सकेगा ।

* * * *

गोंडा जिले की नलकूप योजना

*१०३--श्री रघुरनतेज बहादुर सिंह (जिला गोंडा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में गोंडा जिले के अन्तर्गत कितने नलकूप लगाने की योजना है और अब तक कितने नलकूप कहां-कहां लगाये गये ?

श्री चरणसिंह--द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिला गोंडा में ५० नलकूप बनाने की योजना है । अब तक एक नलकूप ग्राम खेरिया, तहसील तरबगंज में लगाये जाने की आज्ञा दी गई है और उसके निर्माण का कार्य भी आरम्भ हो रहा है और शेष नलकूपों पर भी केन्द्रीय सरकार से स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर उपरोक्त कार्य शुरू कर दिया जायगा ।

* * * *

खटीमा तहसील में प्रयोगात्मक नलकूपों की असफलता

*१०९--श्री प्रताप सिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि खटीमा तहसील में ट्यूबवेल की स्कीम जो लागू की गई थी उसमें कितनी प्रगति हुई ?

श्री चरणसिंह--इस विभाग द्वारा खटीमा तहसील में कोई ट्यूबवेल की स्कीम लागू नहीं की गयी थी । अतः उसमें प्रगति होने का प्रश्न नहीं उठता । परन्तु सन् १९५७ में वहां दो प्रयोगात्मक नलकूपों का बनाया जाना प्रस्तावित हुआ था । इन नलकूपों पर मई १९५८ में कार्य भी आरम्भ किया गया पर उसमें कोई सफलता नहीं प्राप्त हुई ।

* * * *

मेरठ जिले में बाढ़ विभाग द्वारा नालों व पुलों का निर्माण

*१११--कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री (जिला मेरठ)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मेरठ जिले में १९५७-५८ में बाढ़ विभाग द्वारा कितने-कितने नाले तथा पुल प्रत्येक तहसील में बनवाये गये हैं ?

श्री चरणसिंह--मेरठ जिले में १९५७-५८ में बाढ़ विभाग द्वारा जिन नालों तथा पुलों का निर्माण किया गया है उनकी सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ९०२-९०३ पर)

* * * *

तिलहर तहसील में नहर में खांदी लगाने की प्रार्थना

*११७--श्री रूमसिंह (जिला शाहजहांपुर)--क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम भुड़िया परग खेड़ा बझेड़ा, तहसील तिलहर, जिला शाहजहांपुर के किसानों ने नहर में खांदी लगाने के संबंध में कोई दरख्वास्त मई सन् १९५८ ई० से अगस्त सन् ५८ तक दी है ?

श्री चरणसिंह---जी हां, जांच करने पर यह पता चला कि राजबहे में खुदाई नहीं की गई परन्तु आखिरी गूल (टेल गूल) सिंचाई करने के लिये काटी गई है।

*　　*　　*

बस्ती जिले में कुनरा और घोंघी नदियों के बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र का निरीक्षण

*१२८---**श्री धनुषधारी पांडेय**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या दिनांक ३१-८-५८ को सिंचाई राज्य-मंत्री जिला बस्ती में किसी खास शिकायत के संबंध में जांच करने के लिये गये थे ? यदि हां, तो वह शिकायत क्या थी और उनकी जांच का क्या परिणाम निकला ?

श्री चरणसिंह---जी हां, तत्कालीन सिंचाई मंत्री दिनांक ३१-८-१९५८ को जिला बस्ती में किसी खास शिकायत के संबंध में जांच करने के लिये गये थे। वह शिकायत कुनरा और घोंघी नदियों द्वारा फसल के जलमग्न हो जाने के संबंध में थी।

जांच से यह प्रतीत हुआ कि विस्तृत क्षेत्र में फसल को क्षति हुई जो कि इस इलाके (catchment area) में गत अगस्त के दूसरे सप्ताह में अतिवृष्टि होने के कारण थी।

मिर्जापुर जिले के विजयगढ़ परगने में नहर की आवश्यकता

*१२९---**श्री शोभनाथ** (जिला मिर्जापुर)---क्या सरकार परगना विजयगढ़, तहसील राबर्ट्सगंज, जिला मिर्जापुर के कर्मनाशा तट के उत्तर पार में कठौता बांध वाली नहर लाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री चरणसिंह---जी नहीं। ऐसी कोई योजना नहीं है।

*१३०---**श्री शोभनाथ**---अगर हां, तो कब तक इस योजना के पूर्ण होने की आशा की जाय ?

श्री चरणसिंह---प्रश्न नहीं उठता।

आजमगढ़ जिले में ऊंचे किये गये गांव

*१३१---**श्री रामसुन्दर पांडेय**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में बाढ़ से सुरक्षा के लिये योजना के अनुसार किन-किन तहसीलों के कौन-कौन गांव ऊंचे किये जा रहे हैं ?

श्री चरणसिंह---इस समय आजमगढ़ जिले में बाढ़ से सुरक्षा हेतु कोई ग्राम ऊंचे नहीं किये जा रहे हैं। पिछली योजना के अनुसार ३८० ग्रामों पर कार्य पूरा हो चुका है और ३४ पर अधूरा रह गया है क्योंकि इस कार्य के लिये इस समय धन उपलब्ध नहीं है।

अतारांकित प्रश्न

*　　*　　*

बाराबंकी जिलान्तर्गत हैदरगढ़ तहसील में कुड़ैल धान सूखने की शिकायत

५---**श्री जंगबहादुर वर्मा**---क्या राजस्व मंत्री को मालूम है कि जिला बाराबंकी के अन्तर्गत तहसील व परगना हैदरगढ़ के ग्रामों ने लाही, बहुता दवैचा, टिकरा, वारीखेरा, गनहरी, नरदही वल्ला, परेवां, खैरा कन्कू आदि ग्रामों में माह फरवरी, मार्च सन् १९५८ ही में किसानों ने कुड़ायल धान बोया था वह सूख गया ? क्या राजस्व मंत्री को मालूम है कि नहर का पानी न मिलने से ऐसा हुआ ?

श्री चरण सिंह---हैदरगढ़ तहसील के कुछ ग्रामों में कुड़ैल धान नीची जगहों में बोया जाता है, खासकर तालाबों के किनारे। कभी-कभी तालाबों में पानी न हो तो नहर का पानी भी किसान ले लेते हैं। केवल एक बहुता ग्राम से पानी की मांग आई और फसली प्रबन्ध शीघ्र ही कर दिया गया।

लाही, देवेचा व टिकरा गांवों में केवल एक एकड़ और गनहरी गांव में दो एकड़ कुड़ेल धान की सिंचाई नहर से की गई और उनमें कोई नुक्सान नहीं हुआ। और किसी अन्य ग्रामों से पानी न मिलने की शिकायत नहीं आई।

[बुधवार, ११ फरवरी, १९५९ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

नैनीताल जिले में ग्राम सभा स्यात की नहर संबंधी मांग तथा शिमायल रिख्वाल पाइप लाइन

*१---**श्री नारायणदत्त तिवारी**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम सभा स्यात, जिला नैनीताल द्वारा भेजी गयी सरकार सोत से सिंचाई हेतु नहर बनाये जाने की कोई मांग सिंचाई विभाग के पास आई है ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री चरणसिंह---ग्राम सभा स्यात द्वारा सिंचाई हेतु नहर बनाये जाने की कोई मांग नहीं आई है।

*२---**श्री नाराणदत्त तिवारी**---क्या सरकार को ज्ञात है कि सरकार द्वारा ग्राम शिमायल रेक्वाल, जिला नैनीताल में वर्षों से बनायी जा रही पाइप लाइन अभी तक पूर्ण नहीं हो पायी है ? यदि नहीं हो पायी, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह---ग्राम शिमायल रिख्वाल पाइप लाइन का कार्य जो रीठा ओड़खान पेय जल योजना के नाम से प्रसिद्ध है, मार्च, १९५८ में पूर्ण हो गया।

गोरखपुर जिले में ऐजड़ ताल का नाला

*३---**श्री अब्दुल रऊफ लारी** (जिला गोरखपुर)---गोरखपुर जिले की फरेंदा तहसील में ऐजड़ ताल से निकलने वाली नहर के विषय में २५ अगस्त, १९५८ के प्रश्न संख्या ९५ व ९६ के उत्तर के क्रम में क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले के ऐजड़ ताल से निकलने वाला नाला किस कार्य हेतु बना है और उसमें कहां तक सफलता मिली है ?

श्री चरणसिंह---कथित नाला एक वर्तमान नाले का सुधार रूप है। यह योजना संबंधित क्षेत्र में बाढ़ को कम करने के लिये कार्यान्वित की गयी थी। संबंधित क्षेत्र को बाढ़ से बचाने के अतिरिक्त यह ड्रेनेज योजना श्री नगर ताल में पानी भरने में भी सहायता देती है। उद्देश्य में अधिकांश सफलता प्राप्त हुई है।

*४---**श्री अब्दुल रऊफ लारी**---क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त नाले में कुल कितनी जमीन किसानों की ली गई है और उनका मुआवजा किसानों को दिया गया है कि नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह---इस योजना के बनाने में कृषकों की लगभग १० एकड़ भूमि ली गयी है। इस भूमि का मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है, चूंकि यह योजना वर्तमान नाले के सुधार रूप थी, अस्तु कृषकों की भूमि को लेने का साधारणतया प्रश्न उत्पन्न नहीं हुआ। काश्तकारों की भूमि ड्रेनेज में जहां तहां पर थी, किसी काश्तकार ने अभी तक मुआवजे के लिये प्रश्न भी नहीं उठाया। इस प्रश्न पर ध्यान दिया जा रहा है और मुआवजा शीघ्र ही दिया जायेगा।

*५—श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त नाला कितने मील लम्बा बन चुका है और कितना अभी और बनना बाकी है ?

श्री चरणसिंह—यह ड्रेन ३ मील ४ फर्लांग लम्बी है तथा पूर्ण हो गयी है।

इलाहाबाद जिले में बाढ़-पीड़ितों की सहायतार्थ कार्य

*६—श्री जवाहरलाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद जिले में कौन-कौन से ऐसे स्थान बाकी हैं जो बाढ़ विभाग द्वारा ऊंचे करने हैं ?

श्री चरणसिंह—इलाहाबाद जिले में बाढ़ विभाग द्वारा ऊंचे करने के लिये कुल १९ गांव बाकी हैं जिनके नाम नीचे दिये हुए हैं।

१—लीलापुर कलां, २—खानपुर, ३—जमनीपुर, ४—दासू पट्टी, ५—ककरा बिलवारा ६—गोंदरी, ७—बिठठलपुर बरामदपुर, ८—लम्हाई, ९—सिरसा, १०—छतवा, ११—दरयाव का पुरा, १२—पाली उपरहार, १३—अनधो, १४—महवा, १५—नौबस्ता, १६—सराय बादशाह कुली, १७—रेया १८—रसूलरू चन्दी, १९—खिजिरपुर।

*७—श्री जवाहरलाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद में बाढ़-काल के समय में बाढ़ पीड़ितों को ठहराने के लिये कोई व्यवस्था है ? यदि हां, तो कहां-कहां ?

श्री चरणसिंह—जी हां, इलाहाबाद जिले में बाढ़काल के समय में बाढ़पीड़ितों को ठहराने के लिये ४ फ्लड शलटर्स बनाये गये हैं, जिनका ब्योरा नीचे दिया है :—

नाम तहसील					स्थान
करछना	..	..	..	..	बसही
हंडिया	..	..	..	..	बीबीपुर
सोरांव	..	..	..	..	सोरांव
मऊ एमा	..	..	..	..	मऊ एमा

अंजुमन अनहार की मांगें

*८—श्री धनुषधारी पांडेय—क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अंजुमन अनहार, उत्तर प्रदेश द्वारा कोई स्मृति-पत्र सरकार को प्राप्त हुआ है ? यदि है, तो उस पर उदारतापूर्वक विचार करने का कष्ट करेंगे ?

श्री चरणसिंह—हां, मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग को स्मृति-पत्र प्राप्त हुआ है और उस पर विभाग द्वारा उचित कार्यवाही की जा रही है।

*९—श्री धनुषधारी पांडेय—क्या राजस्व मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि उपरोक्त स्मृति-पत्र में कौन-कौन सी मांगें हैं ?

श्री चरणसिंह—मांगों की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ९०४ पर)

बरेली जिले के नलकूप

*१०—श्री नत्थूसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या जिला बरेली में प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो नलकूप बने थे उनमें बिजली की लाइन पहुंच गई है ? यदि हां, तो बाकी कितने नलकूप हैं, जिनमें बिजली नहीं लगी है ?

श्री चरणसिंह—जिला बरेली में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो नलकूप बने थे उन सब में बिजली की लाइन पहुंच गयी है। अब कोई नलकूप बाकी नहीं है जिनमें बिजली नहीं लगी है।

*११—श्री नत्थूसिंह—क्या यह सच है कि यह नलकूप सन् १९५५ से पहले ही बन गये थे? यदि हां, तो आज तक सिंचाई न होने का क्या कारण है?

श्री चरणसिंह—जिला बरेली में प्रथम योजना में सन् १९५५ से पहले केवल एक नलकूप बना था जो कि चालू है।

*१२—श्री नत्थूसिंह—क्या सरकार बाकी नलकूपों पर बिजली की लाइन रबी की फसल से पहल पहुंचाने का प्रबन्ध करने की कृपा करेगी?

श्री चरणसिंह—प्रश्न नहीं उठता।

देवरिया जिले के लवकुश टैंक से नाला निकालने की आवश्यकता

*१३—श्री ब्रजनारायण तिवारी—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि जिला देवरिया के ग्राम लवकुश टैंक से नाला खोदने का काम कब से प्रारम्भ होगा?

श्री चरणसिंह—जिला देवरिया के ग्राम लवकुश टैंक से नाला खोदने का काम धन उपलब्ध होने पर प्रारम्भ किया जावेगा।

*१४-१६—श्री प्रतापसिंह—[२५ फरवरी, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

मैनपुरी जिले में औरिंध किन्हवार नाले की निर्माण योजना

*१७—श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में तहसील भोगांव के औंध के तालाब से काश्तकारों की रबी और खरीफ की फसल नष्ट हो जाने के कारण सरकार ने यह तय किया था कि तालाब के पानी की निकासी के लिये नाला बना दिये जावें? वह नाला कब तक बन जावेगा?

श्री चरणसिंह—जी हां। औरिन्ध किन्हवार नाला निर्माण की योजना ३० जून, १९५९ तक बनकर तैयार हो जाने की आशा की जाती है।

सिकन्दराराऊ तहसील में बरसाती पानी निकालने का कार्य

*१८—श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष सिकन्दराराऊ तहसील, जिला अलीगढ़ में अतिवर्षा एवं पानी इकट्ठा (water-logging) से कितने रुपये की जन-धन, गांव और फसलों की हानि हुई?

श्री चरणसिंह—अलीगढ़ जिले के अन्तर्गत तहसील सिकन्दराराऊ में १२५ गांव सन् १९५८ ई० में अधिक वर्षा तथा पानी के जमाव के कारण प्रभावित हुए। इनमें से १११ गांवों में खरीफ की फसल में रुपये में ६ आने से १६ आने तक की हानि हुई। २३,१६६ एकड़ भूमि क्षतिग्रस्त हुई और खरीफ की फसल में अनुमानित हानि २ लाख रुपये की हुई। मकान गिर जाने से एक मनुष्य की जान जाती रही और ८० मकान पूर्णतया गिर गये तथा ६२५ मकानों को आंशिक हानि पहुंची। इस वर्ष अति वर्षा एवं पानी इकट्ठा होने से फसल १३६६ फसली में आबपाशी की दरों में २०,८५४ रु० की मिन्हाई दी गई।

*१९—श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि water-logging जहां हो गया था वहां से पानी निकालने का क्या प्रबन्ध हुआ?

श्री चरण सिंह—सिकन्दराराऊ तहसील में संलग्न सूची के अनुसार ड्रेनेज बनाये जा रहे हैं। अब तक १,६०० एकड़ क्षेत्र रबी बोने के योग्य हो गया है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ९०५ पर)।

*२०—श्री नेकराम शर्मा—हसायन (सिकन्दराराऊ) क्षेत्र में water logging से कितनी हानि हुई ?

श्री चरण सिंह—परगना हसायन, तहसील सिकन्दराराऊ में ८,८८९ एकड़ खरीफ की फसल पानी के जमाव से नष्ट हुई। फसल की अनुमानित हानि १, २५,००० रु० की है।

*२१–२२—श्री तेजासिंह—[२५ फरवरी, १९५९ के लिए स्थगित किये गये।]

जौनपुर जिले में नल-कूप बढ़ाने की आवश्यकता

*२३—श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर जिला अन्तरिम परिषद् की ओर से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में और ट्यूबवेल लगाने की मांग आई है ?

श्री चरणसिंह—जौनपुर जिला अन्तरिम परिषद् की ओर से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में और ट्यूब वेल लगाने की कोई मांग नहीं आई है।

*२४–२६—श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)—[२५ फरवरी, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

मथुरा जिले में प्रयोगात्मक नलकूप

*२७—श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)—क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा, जिला तहसील छाता में जो परीक्षणार्थ नलकूप इस वर्ष लगाये गये थे उनमें से एक शेरगढ़ तथा यमुना नदी के पास सफल हो गया है ? यदि हां, तो उस क्षेत्र में जो एक नलकूप गांव सेई के पास और परीक्षणार्थ रक्खा गया था उस पर कब तक कार्य शुरू होने की आशा है ?

श्री चरणसिंह—ग्राम शेरगढ़ के पास एक परीक्षणार्थ नलकूप की बोरिंग की गयी है किन्तु इस नलकूप का डिस्चार्ज केवल १०,००० गैलन प्रति घन्टा है जो सिंचाई के लिए पर्याप्त नहीं है। सेई ग्राम के पास भी बोरिंग का काम आरम्भ किया गया था किन्तु वहां पर पानी न निकलने के कारण काम बन्द कर दिया गया।

*२८—श्री रामहेत सिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नन्दगांव नलकूप योजना के अन्तर्गत अभी तक किन कारणों से कार्य शुरू नहीं हुआ ?

श्री चरणसिंह—ग्राम नन्दगांव में पथरीली भूमि होने के कारण नलकूप का निर्माण असम्भव था। अतः जिलाधीश मथुरा को खुले कुएं बनवाने का सुझाव दिया गया है।

नानकसागर, जिला नैनीताल में ली गयी भूमि

*२९—श्री त्रिलोकी सिंह तथा श्री प्रताप सिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नैनीताल जिले में नानक सागर बनाने के लिए जिन किसानों को बेदखल किया गया उन्हें कोई दूसरी जमीन देने की योजना है ?

श्री चरणसिंह—जी हां, नैनीताल जिले में नानक सागर बनाने के लिए जिन किसानों को बदखल किया गया है उन्हें उनकी १३६४ फसली तक कृषि की जाने वाली भूमि के बदले एक निश्चित सीमा (ceiling) तक भूमि देने का सरकार का इरादा है। इस निश्चय की पूर्ति आवश्यक भूमि के उपलब्ध होने पर ही निर्भर है।

शेष खेती की जाने वाली भूमि तथा उस बंजर भूमि (जो नानक सागर बनाने के लिए बेदखल की गयी है) के बदले किसानों को उचित मुआवजा दिया जायेगा।

देवरिया जिले में नारायणी नदी का कटाव

*३०—ब्रजनारायण तिवारी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला देवरिया में नारायणी नदी का कटाव इस वर्ष किन-किन गांवों में हुआ है और कितना रकबा उपजाऊ भूमि का कट कर नदी में चला गया है?

श्री चरणसिंह—जिला देवरिया म नारायणी नदी का कटाव इस वर्ष लगभग ३४ गांवों में हुआ तथा उपजाऊ भूमि का रकबा जो कट कर नदी में चला गया है प्रत्येक गांव के सामने संलग्न सूची में अंकित है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ९०६ पर)।

*३१—श्री ब्रजनारायण तिवारी—क्या सरकार यह बतायेगी कि जिन किसानों के खेत तथा घर नारायणी नदी से कट चुके हैं सरकार ने इस के लिए क्या व्यवस्था की है?

श्री चरण सिंह—जिन किसानों के खेत तथा घर नारायणी नदी से कट चुके हैं उन्हें सुरक्षित भूमि पर बसाया गया, तकावी के रूप में और नकद मुफ्त सहायता दी गयी तथा मालगुजारी में छूट के लिए नक्शा तैयार किया जा रहा है।

बुलन्दशहर जिले में गंगागढ़ तथा धारिकपुर नहरी शाखाओं में पानी की कमी

*३२—श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष जिला बुलन्दशहर में गंगागढ़ माइनर और धारिकपुर माइनर में १८ नवम्बर, १९५८ ई० तक पानी नहीं छोड़ा गया? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया?

श्री चरणसिंह—इस वर्ष बरसात के बाद गंगागढ़ माइनर और धारिकपुर माइनर में १८ नवम्बर, १९५८ से पहले पानी नहीं छोड़ा गया।

मेन गंगा कैनाल क्लोजर वर्क्स करने के लिए २९ अक्तूबर से १३ नवम्बर तक बन्द थी जिसके कारण अनूपशहर ब्रांच १४ नवम्बर से पहले नहीं खोली जा सकती थी। क्योंकि अनूपशहर ब्रांच में एक पुल बन रहा था जिसका काम पानी की सतह से ऊपर तक नहीं आया था। अनूपशहर ब्रांच बजाय १४ नवम्बर क १५ नवम्बर को खोली गयी। इस कारण गंगागढ़ तथा धारिकपुर माइनर १८ नवम्बर से पहले नहीं खोली जा सकी।

*३३—श्री हिम्मत सिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में धारिकपुर माइनर के चार मील को इस वर्ष (१९५८) सर्विस रोड बनाया गया है? यदि हां, तो क्या सर्विस रोड बनाते समय फसल खड़ी थी और क्या उक्त खड़ी फसल का मुआवजा दिया गया?

श्री चरणसिंह—यह सही है कि जिला बुलन्दशहर में धारिकपुर माइनर के १ १।२ मील में सन् १९५८ में सर्विस रोड बनायी गयी। सर्विस रोड बनाते समय कहीं-कहीं फसल खड़ी थी। उक्त फसल का मुआवजा शीघ्र ही वितरण किया जायगा।

शारदा नहर हरदोई डिवीजन का कथित इंस्पेक्शन हाउस

*३४—श्री बुलाकीराम—सन् १९५७-५८ में शारदा नहर हरदोई डिवीजन के एस० डी० ओ० चतुर्थ के सर्किलमें कितने नये इन्स्पेक्शन हाउस बने और उक्त इन्स्पेक्शन हाउस बनाने में सीमेंट ब्लैक करने की कितनी शिकायतें सरकार के पास आयीं?

श्री चरण सिंह—हरदोई डिवीजन के चतुर्थ सबडिवीजन में सन् १९५७-५८ में कोई इन्स्पेक्शन हाउस नहीं बना।

*३५—श्री बुलाकीराम—उन शिकायतों पर अब तक क्या कार्यवाही सरकार द्वारा की गयी ?

श्री चरणसिंह—प्रश्न नहीं उठता।

अलीगढ़ जिले की कुछ नदियों को गहरी करने की योजना

*३६—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि अलीगढ़ जिले की ईशन करवन, सगर आदि बरसाती नदियों के गहरा तथा चौड़ा कराने की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसमें कितना व्यय होगा और उसमें से कन्द्रीय सरकार कितना प्रतिशत सहायता के रूप में देगी ?

श्री चरणसिंह—ईशन और सेगर नदियों को गहरा तथा चौड़ा करने की कोई योजना अभी तयार नहीं की गयी है। इन नदियों का सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव है। करवन नदी के पानी का निकास सुधार करने के लिए २२.३४ लाख रु० की एक योजना राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्वीकृत हुई थी परन्तु कोष की कमी के कारण इस पर कार्य नहीं किया जा सका।

केन्द्रीय सरकार बाढ़ योजनाओं हेतु राज्य सरकार को कोई सहायता नहीं देती है। वह केवल ऋण ही देती है।

गोरखपुर जिले में नारायणी नहर पर कुलाबे लगाने की मांग

*३७—श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)—क्या राजस्व मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि जिला गोरखपुर में बनी नारायणी नहर पर अस्थायी और स्थायी कुलाबों को लगाने के लिए सन् १९५७ ई० में कुल कितने प्रार्थना पत्र आये और वह किन-किन गांवों के थे ?

श्री चरणसिंह—जिला गोरखपुर में बनी नारायणी नहर पर अस्थायी कुलाबों को लगाने के लिए सन् १९५७ में कुल ३६ प्रार्थनापत्र प्राप्त हुये थे और ये निम्नलिखित २६ ग्रामों के थे :—

गोपाला, पिपरिया, बैरिया, अहिरौली, अग्या, लक्ष्मीपुर, करमाही, भिटौली, बखाखुर्द, परसागिदाही, सिसवा बाबू, बल्ली, बुवौली, महदेवा, बरवा, चमाइनियां, रामपुर बलडीहा, सतभरिया, लखिया, समरा, परसिया, बरवा, नगरौली, सोहनपुर, छतीराम, मिर्जापुर पकौरी और महारी।

स्थायी कुलाबों के लिए कोई प्रार्थनापत्र प्राप्त नहीं हुआ।

*३८—श्री अमरनाथ—क्या राजस्व मन्त्री इस बात की सूचना सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त प्रार्थना-पत्रों में किन-किन गांवों के प्रार्थना-पत्र स्वीकृत हुये ?

श्री चरण सिंह—उपरोक्त प्रार्थना-पत्रों में से २९ प्रार्थना-पत्र जो कि निम्नलिखित ३ ग्रामों के थे को छोड़कर शेष गांवों के थे, स्वीकृत हुये :—

(१) ग्राम छातीराम।
(२) ग्राम मिर्जापुर पकारी।
(३) ग्राम महारी।

पश्चिमी जिलों में बरसाती पानी निकालने की योजना

*३९—श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पश्चिमी जिलों म वाटर लोगिंग के पानी को निकालने के लिए उस ने कोई योजना बनायी है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ?

श्री चरण सिंह—जी हां। इस योजना के अन्तर्गत नये नालों का बनाना, वर्तमान नालों का नवनिर्माण और मुख्य आर्टियल नालों की क्षमता का विकास करना है, परन्तु धन उपलब्ध न होने के कारण वर्तमान काल में कार्य नहीं किया जा रहा है।

*४०—श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि यह योजना किन-किन जिलों पर लागू होगी और प्रत्येक जिले में उस पर क्या व्यय होगा ?

श्री चरणसिंह—पर्याप्त मात्रा में धनराशि उपलब्ध होने पर उपरोक्त योजना जिन जिलों में लागू करन का वतमान में प्रस्ताव है, उन का तथा उन पर अनुमानित व्यय का ब्योरा संलग्न सूची में अंकित है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ९०७ पर)

हेडवर्क्स डिवीजन, शारदा नहर के अन्तर्गत पीलीभीत जिले में नहरें

*४१—श्री मुनीन्द्रपाल सिंह (जिला पीलीभीत)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हेडवर्क्स डिवीजन, शारदा नहर के अन्तर्गत बरेली व पीलीभीत जिलों में नहरों की कुल लम्बाई अलग-अलग क्या है ?

श्री चरणसिंह—हेडवर्क्स डिवीजन, शारदा नहर के अन्तर्गत बरेली जिले में कोई नहरें नहीं हैं। पीलीभीत जिले में नहरों की लम्बाई २९३ मील १ फर्लांग ५८६ फिट है।

गोरखपुर जिले में कोठा रेग्रांव बांध का टूटना

*४२—श्री उग्रसेन—क्या सरकार को सूचना है कि गोरखपुर जिला अन्तर्गत राप्ती के किनारे 'कोठा-रेग्रांव' बांध दिनांक १८ अगस्त, १९५८ को टूट गया ? यदि हां, तो उससे क्या क्षति हुई ?

श्री चरणसिंह—गोरखपुर जिले की बांसगांव तहसील के अन्तर्गत कोठा रेग्रांव बांध गत १९ अगस्त सन् १९५८ को लगभग १ बजे दिन को टूट गया।

बांध के टूटने का प्रभाव तहसील के १०४ ग्रामों पर पड़ा है जिसके कारण अनुमानतः ८,९८८ एकड़ खरीफ की उपज की हानि हुई है। क्षतिग्रस्त उपज का अनुमानित मूल्य लगभग ८,७२,२३० रु० होता है। बांध के कटाव के कारण २५ घर पूर्णतया ध्वस्त हो गये जिस से ५,७६० रु० की हानि हुई एवं ५२ घर आंशिक रूप में नष्ट हुये हैं जिनकी अनुमानित क्षति ७,५७० रु० की है।

*४३—श्री उग्रसेन—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बांध टूटने के पहले उस की रक्षा की मांग करने पर ग्रामीणों को क्या सहायता जिलाधीश गोरखपुर ने की ?

श्री चरणसिंह—बांध की स्थिति भयावह है इसकी कोई सूचना ग्रामीणों द्वारा बांध टूटने के पूर्व नहीं मिली थी। स्थानीय कानूनगो एवं लेखपाल स्थिति से सतर्क थे। पानी का बढ़ाव देखकर बांध की रक्षा के लिए ग्रामीणों को उत्साहित करके बांध पर मिट्टी डलवायी किन्तु पानी बढ़ता ही गया यहां तक कि पानी बांध के ऊपर कहीं कहीं १ फुट तक आ गया। कटाव के दिन पुरवा हवा जोरों पर थी इसलिए बांध की रक्षा का कार्य असम्भव हो गया।

स्टेट फ्लड बोर्ड

*४४—श्री शिवराज सिंह यादव—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत दो वर्षों में State Flood Board, Uttar Pradesh की कितनी बैठकें हुयी हैं ? उपरोक्त बोर्ड ने इस बीच में क्या-क्या सिफारिशें सरकार से की हैं और सरकार ने उन पर अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री चरण सिंह—सूचना एकत्रित की जा रही है।

गोरखपुर जिले में श्रीनगर ताल योजना

*४५—श्री नरेंद्रसिंह भंडारी (जिला गढ़वाल)—क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सन् १९५७–५८ के बजट में जिस श्रीनगर ताल के निर्माण के लिए साढ़े सात लाख रुपये का प्राविधान किया गया है वह किस जिले में और कहां पर बन रहा है और वह अब तक कितना बन पाया है ?

श्री चरणसिंह—सन् १९५७–५८ के बजट में श्रीनगर ताल के निर्माण के लिए साढ़े सात लाख रुपये का प्राविधान नहीं किया गया था बल्कि उस वर्ष के डेवलपमेंट प्रोग्राम में इस योजना के लिए अन्तिम रूप से नौ लाख रुपये का आयोजन किया गया था। भारत सरकार ने इस कार्य के लिए सन् १९५७–५८ में ९०,००० रुपये की ग्रान्ट और ७,२०,००० रु० का ऋण (loan) स्वीकृत किया था। उस वर्ष में २ लाख रुपये कार्य के लिए मिले थे जिस को supplementary forecast में घटा कर ५०,००० रुपये कर दिया गया था।

श्रीनगर ताल योजना जिला गोरखपुर की तहसील फरेंदा में स्थित है। इस योजना पर एस्केप रेगुलेटर के पुनः निर्माण तथा किनारे के बांध की मजबूती का काय हो चुका है।

बस्ती जिले में राप्ती तट पर गायघाट से थरौली तक बांध निर्माण योजना

*४६—श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या बस्ती जिले के मेंहदावल कछार में राप्ती नदी के किनारे गाय घाट से थरौली तक बांध निर्माण की कोई स्कीम बाढ़ के इक्जीक्युटिव इंजीनियर बस्ती ने सरकार के पास गत वर्ष भेजी है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरणसिंह—जी हां, यह ठीक है कि एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, बाढ़ विभाग बस्ती ने राप्ती नदी के किनारे गायघाट से थरौली तक तहसील खलीलाबाद, जिला बस्ती के उत्तरी कछार क्षेत्र में एक बांध बनाने की योजना बनायी थी परन्तु द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में बाढ़ कार्य के लिये कोष की कमी के कारण राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्वीकृत नहीं हो सकी ?

बस्ती जिलाधीश के बंगले से ईंटों का उठाया जाना

*४७—श्री उदयशंकर दुबे (जिला बस्ती)—क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधीश बस्ती के बंगले के अहाते में से उनके विभाग द्वारा इकट्ठी की गई एक लाख सड़सठ हजार ईंटें जो हाइडल विभाग की इमारतें बनाने के लिये रक्खी हुई थीं सितम्बर या अक्तूबर सन् १९५७ में म्युनिसिपल बोर्ड के ठेकेदार द्वारा उठा कर म्यूनिसिपैलिटी की सड़क में इस्तेमाल की गईं ?

श्री चरणसिंह—विद्युत् विभाग की इमारतों के निर्माण के लिए ८,००,००० ईंटें जिलाधीश बस्ती के बंगले के पास इकट्ठी की गई थीं। इनमें से माह अक्तूबर में १,६७,५०० ईंटें श्री शाहमोहम्मद ठेकेदार द्वारा स्थानीय म्युनिसिपैलिटी की सड़क बनाने के लिए अवैधानिक रूप से उठाई गईं।

*४८—श्री उदयशंकर दुबे—क्या यह सच है कि जब यह ईंटें जिलाधीश के बंगले से उठाई गईं उस समय जिलाधीश म्युनिसिपैलिटी के Administrator थे।

श्री चरणसिंह—जी नहीं। जब यह ईंट जिलाधीश के बंगले के पास से उठाई गईं उस समय सिटी मैजिस्ट्रेट, बस्ती म्युनिसिपैलिटी के प्रशासक थे।

*४९—श्री उदयशंकर दुबे—क्या सरकार को पता है कि बस्ती कोतवाली में उपर्युक्त ईंटों के चोरी होने की रिपोर्ट हुई और उसमें फाइनल रिपोर्ट लगी ?

श्री चरणसिंह—बस्ती कोतवाली में उपर्युक्त ईंटों के चोरी होने की रिपोर्ट सम्बन्धित ओवरसियर ने तारीख १४-१०-५७ को कर दी थी और उसमें पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट २-३-५८ को लगा दी।

दहगवां तालाब जिला बदायूं

*५०—श्री उल्फतसिंह (जिला बदायूं)—क्या सरकार को मालूम है कि जिला बदायूं में तालाब दहगवां जो सरकार ने खुदवाया था अब पट गया है उसे दुबारा खुदवायेगी ?

श्री चरणसिंह—सूचना एकत्रित की जा रही है।

सिंचाई कर्मशाला मंडल, मध्य क्षेत्र, कानपुर के पाइप

*५१—श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि सन् १९५२ में तत्कालीन कृषि अभियंता सिंचाई कर्मशाला मंडल मध्य क्षेत्र कानपुर ने श्री डी० जे० गांधी, कृषि अभियंता, मध्य क्षेत्र, कानपुर को चार्ज देते हुये लिखा था कि ८०० लेन्थ ६" पाइप कटिंग व थ्रेडिंग के लिये मेसर्स भारत इंडस्ट्रीज, कानपुर के पास भेजा गया है और चार्ज मेमो में ६" पाइपों में कमी के अन्देशों का जिक्र किया था ? यदि हां, तो फिर उनके बाद श्री डी० जे० गांधी, कृषि अभियन्ता, मध्य क्षेत्र, कानपुर न वेरीफिकेशन की दिशा में क्या कार्य किया और किस नतीजे पर पहुंचे ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं। चार्ज मेमों में ६" पाइपों की कमी का कोई जिक्र नहीं है। केवल इतना विवरण है कि पाइपों की आमद व ईशू में बहुत अन्तर सम्भव है और उनकी जांच कर ली जावे।

*५२—श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या यह सही है कि सिंचाई कर्मशाला मंडल, मध्य क्षेत्र, कानपुर में ६ इंच गहरा पाइप की कमी के सम्बन्ध में उक्त क्षेत्र के वर्तमान कृषि अभियन्ता श्री डी० जे० गांधी की रिपोर्ट तथा इस सम्बन्ध में बिठाई गई जांच कमेटियों की रिपोर्टों में विरोधाभास है ? यदि हां, तो वह विरोधाभास क्या है ?

श्री चरणसिंह—जी हां। कृषि अभियन्ता मध्यक्षत्र, कानपुर ने जो उत्तर मुख्य अभियन्ता के प्रश्नों के दिये उसमें व जांच कमेटी की रिपोर्ट में सिर्फ यह विरोध था कि कृषि अभियन्ता की राय में ८०० पाइप जो भारत इंडस्ट्रीज को कटिंग व थ्रेडिंग के लिये दिया गया था उसमें से फर्म ने सब पाइप वापस नहीं किये।

*५३—श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या राजस्व मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि सिंचाई कर्मशाला मंडल, मध्यक्षेत्र, कानपुर में ६ इंच पाइपों की कमी की शिकायत की जांच के लिये कुल कितनी कमेटियां बिठाई गयीं, उनमें कौन व्यक्ति थे और उनकी रिपोर्ट अलग-अलग इस कमी के सम्बन्ध में क्या थी ? क्या सरकार उनकी एक-एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री चरणसिंह—इस विषय में ४ कमेटियां बैठाई गईं जिनके व्यक्तियों का विवरण नीचे दिया गया है :

(१) श्री डी० जे० गांधी, कृषि अभियन्ता, श्री असद उल्ला, सहायक अभियन्ता।

(२) श्री बी० एन० शर्मा, वैयक्तिक सहायक श्री डी० जे० गांधी, कृषि अभियन्ता।

(३) श्री एन० आर० गोपाल, कृषि अभियन्ता, श्री जी० एस० सक्सेना, सहायक अभियन्ता।

(४) श्री एस० पी० साहनी, अधीक्षक अभियन्ता, श्री बी० एन० बैस, अधिशासी अभियन्ता।

पहली व दूसरी कमेटी ने कोई रिपोर्ट नहीं दी। केवल तीसरी व चौथी कमेटियों न रिपोर्ट दी।

पूरी जांच के बाद तीसरी कमेटी की रिपोर्ट थी कि केवल ११७'–११ १/२" पाइप की कमी है और उसकी जिम्मेदारी Head Store Keeper पर ह। चौथी कमेटी ने रिपोर्ट का समर्थन किया पर २७'–७ १/२" पाइप और मिल गया और कमी केवल ९०–४" की रह गयी जिसकी कीमत वसूल करने की कार्यवाही की जा रही है।

यह रिपोर्ट अत्यधिक लम्बी है और इनकी प्रतियां बनाने में जो धन व्यय होगा तथा जो श्रम लगेगा उसको दृष्टिगत रखते हुए इन रिपोर्टों की प्रतियां सदन की मेज पर रखना जन हित में न होगा।

समाज-कल्याण योजना का प्रवर्तन

*५४--श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के किन-किन जिलों में समाज कल्याण योजना अब तक चालू की जा चुकी है?

समाज कल्याण मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)---सूचना संलग्न *सूची में दी हुई है।

*५५--श्री गनेशीलाल चौधरी---प्रदेश के अन्य जिलों में कब तक यह योजना चालू हो जाने की आशा है?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---प्रश्न नहीं उठता।

डुमरियागंज तहसील में चकबन्दी में गड़बड़ी

*५६--श्रीमती राजेंद्र किशोरी (जिला बस्ती)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि डाइरेक्टर, डिप्टी डाइरेक्टर तथा असिस्टेंट डाइरेक्टर चकबन्दी द्वारा कितने ग्रामों की चकबन्दी तहसील डुमरियागंज, बस्ती में १ जनवरी, १९५७ से ३१ जुलाई, १९५८ तक उल्टी गई है? सूची A. C. O. circlewise क्या है?

श्री चरणसिंह---संचालक तथा उपसंचालक चकबन्दी द्वारा तहसील डुमरियागंज, जिला बस्ती में १ जनवरी, १९५७ से ३१ जुलाई, १९५८ तक १६ ग्रामों की चकबन्दी उल्टी गई।

सहायक चकबन्दी अधिकारियों की सर्किलों के अनुसार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

*५७--श्रीमती राजेंद्र किशोरी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि Scrutiny basis पर कितने ग्रामों की चकबन्दी १ जनवरी, १९५७ से ३१ जुलाई, १९५८ तक तहसील डुमरियागंज, बस्ती में उल्टी गई है तथा सूची A. C. O. circlewise क्या है?

श्री चरणसिंह---उपरोक्त तहसील में १ जनवरी, १९५७ से ३१ जुलाई, १९५८ तक जांच के फलस्वरूप कुल १२२ ग्रामों की चकबन्दी उल्टी गई।

सहायक चकबन्दी अधिकारियों की सर्किलों के अनुसार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ९०८ पर)

माल विभाग, जिला प्रतापगढ़ के कर्मचारी

*५८--श्री गयाप्रसाद (जिला प्रतापगढ़)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रतापगढ़ जिले के माल विभाग में, कितने वासिल वाकी नवीस, लेखपाल, स्याह नवीस, नाजिर, कानूनगो, अमीन कलेक्शन, सदर नाजिर, असिस्टेंट वासिल वाकी नवीस अलग-अलग हैं, उनमें क्रमशः कितने परिगणित तथा पिछड़े वर्ग के हैं?

---

*सूची छापी नहीं गई।

श्री चरणसिंह--वांछित सूचना इस प्रकार है :

पद का नाम	कुल संख्या	परिगणित जाति के कर्मचारियों की संख्या	पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों की संख्या
१--वासिल बाकी नवीस ..	३	..	१
२--लेखपाल ..	३२०	१०	१८
३--स्याह नवीस ..	६	..	..
४--नाजिर (नायब नाजिर)	४	..	..
५--कानूनगो--			
(१) रजिस्ट्रार कानूनगो	३	..	..
(२) गिरदावर कानूनगो	१२	..	..
(३) सदर कानूनगो ..	१	..	..
(४) सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो	१३	..	..
६--अमीन कलेक्शन ..	८३	..	१
७--सदर नाजिर ..	१	..	..
८--असिस्टेंट वासिल बाकी नवीस	१२	..	..

*५९--श्री गयाप्रसाद--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कितने चपरासी क्लेक्शन विभाग व नाजरात में प्रतापगढ़ में मार्च, १९५७ से मार्च, ५८ तक चुने गये, उसमें कितने परिगणित तथा पिछड़े वर्ग के थे ?

श्री चरणसिंह--इस अवधि में नजारत में कोई चपरासी नहीं चुना गया किन्तु क्लेक्शन विभाग में ३७ चपरासी लिए गए जिनमें २ व्यक्ति परिगणित जाति के तथा २ पिछड़े वर्ग के थे।

प्रधान, ग्राम समाज, चुनवाडीह, जिला प्रतापगढ़ के विरुद्ध कार्यवाही

*६०--श्री रामअधार तिवारी (जिला प्रतापगढ़)--क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रधान ग्राम समाज चुनवाडीह, तहसील पट्टी, जिला प्रतापगढ़ ने ग्राम समाज की सम्पत्ति को नीलाम करके जो ४५० रुपया धन दिसम्बर, १९५७ में प्राप्त किया था वह धन कब जमा हुआ और कहां जमा हुआ ?

श्री चरणसिंह--प्रधान ग्राम समाज चुनवाडीह, तहसील पट्टी, जिला प्रतापगढ़ ने एक ताल दिसम्बर सन् १९५७ में ४५० रु० में नीलाम किया था। प्रधान ने नीलाम का कोई रुपया अभी तक गांव फंड में जमा नहीं किया। गांव समाज के कागजात से ऐसा मालूम होता है कि नीलाम का २२५ रुपया तो प्रधान ने वसूल कर लिया है और शेष अभी ठेकेदार पर बकाया है। प्रधान और ठेकेदार दोनों ही के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही रुपये की वसूली के सम्बन्ध में की जा रही है।

*६१--श्री रामअधार तिवारी--क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम समाज चुनवाडीह, तहसील पट्टी, जिला प्रतापगढ़ की आराजी में जो बाजार लगता है उस बाजार से पहली जनवरी, १९५७ से ३० अगस्त, १९५८ तक कितनी आमदनी ग्राम समाज को हुई और कब और कहां जमा की गई ?

श्री चरणसिंह--ग्राम समाज चुनवाडीह तहसील पट्टी जिला प्रतापगढ़ की आराजी पर कोई बाजार नहीं लगता, अतः बाजार से ग्राम समाज की आमदनी का प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्राम कटुवा नाला, जिला गोंडा में वर्षा से कथित क्षति

*६२---श्री गनेशचन्द्र काछी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम कटुवा नाला, पोस्ट दुबहाबाजार, तहसील व जिला गोंडा में पिछले साल की बारिश से मकान गिर गये हैं ?

श्री चरणसिंह---वहां पर पिछले साल की बारिश से कोई मकान नहीं गिरा है।

*६३---श्री गनेशचन्द्र काछी---यदि हां, तो जिनके मकान गिरे हैं उन्हें अब तक कोई सहायता दी गई है या नहीं ?

श्री चरणसिंह---प्रश्न ही नहीं उठता।

हाटा तहसील में गंडक का कटाव

*६४---श्री राजदेव उपाध्याय (जिला देवरिया)---क्या सरकार को पता है कि जनपद देवरिया, तहसील हाटा के अन्तर्गत ग्राम सभा भइसहा और भइसहा मैला हाल ही में बड़ी गण्डक के कटाव से कट कर धारा में बिलकुल ही विलीन हो चुका है ?

श्री चरणसिंह---ग्राम सभा भइसहा का केवल उत्तरी भाग भइसहा मेला कट कर नदी की धारा में विलीन हो गया है। दक्षिणी भाग अभी सुरक्षित है।

*६५---श्री राजदेव उपाध्याय---यदि हां, तो सम्बन्धित किसानों के आवास के लिये अब तक सरकार ने क्या सहायता दी है ?

श्री चरणसिंह---भइसहा ग्राम की पुरानी आबादी के नजदीक ६.८२ एकड़ भूमि प्राप्त कर के इन किसानों को बसाया गया।

उन्नाव जिले में अग्निपीड़ितों को सहायता

*६६---श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि मार्च से जून, १९५८ तक तहसील सफीपुर, जिला उन्नाव में किन-किन गांवों में आग लगी तथा उससे कितनी अनुमानित हानि हुई ?

श्री चरणसिंह---मार्च से जून १९५८ तक तहसील सफीपुर, जिला उन्नाव के जिन-जिन गांवों में आग लगी व जो अनुमानित हानि हुई उसकी सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ९०९ पर)

*६७---श्री जगन्नाथ प्रसाद---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि कितनी सरकारी सहायता इन गांवों के निवासियों को दी गई ?

श्री चरणसिंह---आवश्यकतानुसार क्षतिग्रस्त पीड़ितों को ६७५ रुपये अहेतुक सहायता के रूप में दिये गये।

बलरामपुर तथा गोंडा तहसीलों के अग्निपीड़ितों को सहायता

*६८---श्री दीनदयालु करुण (जिला गोंडा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १ अप्रैल, १९५८ से ३१ जुलाई, १९५८ तक बलरामपुर तथा गोंडा तहसील, जिला गोंडा में किन-किन ग्रामों में अग्निकांड हुये, कितना-कितना नुकसान हुआ और सरकार की ओर से क्या सहायता दी गई ?

श्री चरणसिंह---अपेक्षित सूचना संलग्न सूची में प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ ९१०-९१३ पर)

सगड़ी तहसील में अग्निपीड़ितों को सहायता

*६९---श्री मुक्तिनाथ राय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील में १ जनवरी, १९५८ से ३० जून, १९५८ तक कितनी आग लगने की दुर्घटनायें हुई ? पीड़ित व्यक्तियों को क्या सहायता दी गई ?

श्री चरणसिंह---२५ दुर्घटनायें हुई । पीड़ित व्यक्तियों को ३०५ रुपये अहेतुक सहायता के रूप में दिये गये ।

बस्ती जिले में लेखपालों की ट्रेनिंग के लिये चुनाव

*७०---श्री रामलाल (जिला बस्ती)---क्या सरकार यह बतानें की कृपा करेगी कि जिला बस्ती में सन् १९५८ में लेखपाल की ट्रेनिंग के लिये कोई चुनाव हुआ है ? यदि हां, तो कुल कितने चुने गये और उसमें कितने हरिजन हैं ? यदि नहीं हैं, तो क्यों ?

श्री चरण सिंह---जी हां । कुल २२ अभ्यर्थी चुने गये जिसमें से १ हरिजन है ।

विरोधी दलों के बन्दी कार्यकर्ताओं से भेंट के नियम

*७१---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या हाल ही में गिरफ्तार किये गये विरोधी दलों के नेताओं व कार्यकर्त्ताओं के सम्बन्ध में सरकार ने यह आदेश दिये हैं कि जिलाधीश की आज्ञा के बिना उनसे कोई भेंट नहीं कर सकता ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---जी नहीं ।

लखनऊ जिले में बाढ़ पीड़ितों को सहायता

*७२---श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखनऊ जिले की लखनऊ, व मोहनलालगंज तहसीलों के किन-किन ग्रामों में निम्नलिखित कारणों से बाढ़ इस वर्ष के सितम्बर के अन्तिम सप्ताह में आई---(१) नदी से, (२) Water-logging से ?

श्री चरणसिंह---उस सप्ताह में दोनों तहसीलों के किसी भी ग्राम में बाढ़ नहीं आई और न water-logging ही हुआ । पर बाढ़ का प्रकोप १४ अगस्त से २१ अगस्त तक, १२ सितम्बर से १५ सितम्बर तक व ६ अक्तूबर से १८ अक्तूबर तक रहा । इन बाढ़ों से व water-logging से प्रभावित ग्रामों की सूची पृथक-पृथक संलग्न तालिका-१ में दे दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ ९१४-९१५ पर ।)

*७३---श्री रामशरण यादव---उक्त बाढ़ग्रस्त ग्रामों में निम्नप्रकार का कितना नुकसान हुआ---(१) फसल, (२) मकानों का ?

श्री चरणसिंह---उक्त बाढ़ ग्रस्त ग्रामों में फसल व मकानों के नुकसान का तखमीना निम्न प्रकार है :---

विवरण	तहसील का नाम	
	लखनऊ	मोहनलालगंज
१---फसल को नुकसान ..	१० आने से १६ आने तक	१२ आने से १६ आने तक
२---मकानों की संख्या		
पूर्ण क्षति ..	१,९८१	१७९
आंशिक क्षति	१,७८८	१६०

*७४---श्री रामशरण यादव---उक्त बाढ़-ग्रस्त ग्रामों को सरकार ने कितनी और किस-किस रूप में सहायता की ?

श्री चरणसिंह---प्रभावित ग्रामों में सहायतार्थ किये गये कार्यों का विवरण संलग्न तालिका संख्या २ में दे दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ढ' आगे पृष्ठ ९१६ पर)

लखीमपुर तहसील में दाखिल खारिज के मुकदमे

*७५---श्री शिवप्रसाद नागर---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनवरी, सन् १९५७ से अब तक कितने मामले दाखिल खारिज के तहसील लखीमपुर, जिला खीरी की तहसील में विचाराधीन हैं ?

श्री चरणसिंह---जनवरी सन् १९५७ का कोई मामला दाखिल खारिज का तहसील लखीमपुर जिला खीरी की तहसील में विचाराधीन नही है।

*७६---श्री शिवप्रसाद नागर---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दाखिल खारिज क कुल कितने मुकदमें तहसील लखीमपुर में जनवरी, १९५७ से अब तक दाखिल हुये ?

श्री चरणसिंह---उक्त तहसील में जनवरी, १९५७ से ३ दिसम्बर, १९५८ तक कुल ७,०२७ दाखिल खारिज के मुकदमें दाखिल हुये।

महिला मंगल केंद्र, जिला प्रतापगढ़

*७७---श्री रामकिंकर (जिला प्रतापगढ़)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला प्रतापगढ़ में महिला मंगल योजना के अन्तर्गत कितनी ग्राम सेविकायें एवं ग्राम लक्ष्मी काम कर रही हैं और कुल कितने केन्द्र हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---प्रतापगढ़ जिले में महिला मंगल योजना के अंतर्गत १० ग्राम सेविकायें और २० ग्राम लक्ष्मियां काम कर रही हैं और कुल १० महिला मंगल केन्द्र हैं।

देवरिया जिले के तमकुही क्षेत्र में लेखपालों के कागजात में गलतियां

*७८---राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---क्या यह सही है कि गोरखपुर के कमिश्नर को २७-२८ अक्तूबर सन् १९५८ में देवरिया जिले का दौरा करते समय तमकुही क्षेत्र में लेखपालों के कागजात में अधिक संख्या में अनियमिततायें मिलीं। यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है और उन अनियमितताओं का प्रकार क्या है ?

श्री चरणसिंह---गोरखपुर खंड के कमिश्नर ने २७ अक्तूबर, १९५८ ई० को तमकुही क्षेत्र में बाढ़ तथा गंधी मक्खी से क्षतिग्रस्त ग्राम जंगली पट्टी का निरीक्षण करते समय पाया कि उक्त ग्राम के क्षति सम्बन्धी नक्शे में वर्तमान वर्ष में बोया गया खरीफ क्षेत्रफल न दिखाकर सन् १३६५ फसली का क्षेत्रफल अंकित किया गया था जो गलत था। इसके अतिरिक्त गन्ने की फसल में कोई क्षति नहीं दिखायी गयी थी जब कि रुपये में आठ आने के लगभग क्षति पायी गयी। इस सम्बन्ध में एक सुपरवाइजर कानूनगो तथा एक लेखपाल को दोषी पाया गया। सुपरावाइजर कानूनगो को लेखपाल के पद पर प्रत्यावर्तित (revert) कर दिया गया है तथा लेखपाल के विरुद्ध बैभाविक कार्यवाही हो रही है।

जौनपुर जिले में भूमि दान में प्राप्त भूमि का वितरण

*७९---श्री माताप्रसाद---क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले में भूमिदान में कितनी भूमि प्राप्त हो चुकी है, कितनी का वितरण हो चुका है और कितनी भूमि की तरमीम हो चुकी है ?

श्री चरणसिंह---जिला जौनपुर में ३० सितम्बर, १९५८ तक भूमिदान में कुल २९८६.७७ एकड़ भूमि प्राप्त हुई थी जिसमें से ५३६.२२ एकड़ भूमि का वितरण हो चुका है और ३५२.०९ एकड़ भूमि की तरमीम हो चुकी है।

[*८०--श्री माताप्रसाद--क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूमिदान में प्राप्त भूमि को चकबन्दी योजना में परिणित किया जाता है अथवा नहीं ?

श्री चरणसिंह--भूमिदान में प्राप्त केवल वही भूमि चकबन्दी योजना में परिगणित की जाती है जो जोती जाती है ।

मुजफ्फरनगर जिले से घूसखोरी की शिकायतें

*८१--श्री बादामसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुजफ्फरनगर में कितने लेखपालों के विरुद्ध घूसखोरी की शिकायतें सन् १९५७ व १९५८ में आईं और उनमें कितनी सही पाई गई तथा उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री चरणसिंह--जनवरी, १९५७ से नवम्बर, १९५८ तक कुल ११ लेखपालों के विरुद्ध घूसखोरी की शिकायतें आई । इनमें से एक के विरुद्ध आवश्यक जांच जारी है, चार के विरुद्ध आरोप सिद्ध नहीं हुए और एक को आरोप सिद्ध होने पर निकाल दिया गया । शेष ५ में से ३ लेखपालों के विरुद्ध आरोप तो सिद्ध नहीं हो सके किन्तु उन्हें प्रशासकीय आधार पर स्थानान्तरित किया गया । शेष २ लेखपालों के विरुद्ध भी घूसखोरी के आरोप तो सिद्ध नहीं हुए किन्तु उनकी लापरवाही प्रकाश में आई जिसके फलस्वरूप एक लेखपाल की दो वेतन-वृद्धियां रोक दी गईं और दूसरे को मुअत्तली की अवधि का वेतन नहीं दिया गया ।

सीतापुर जिले को बाढ़ सहायता

*८२--श्री गनेशीलाल चौधरी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार द्वारा सीतापुर जिले में बाढ़ के लिये जो १० हजार रुपये सहायता के लिये हाल में दिया गया है वह किन-किन गांवों में और किस काम में व्यय किया गया ?

श्री चरणसिंह--१४ मई १९५८ की आदेश संख्या ५२९ आर/१-स--१२९-१९५८ के द्वारा जिलाधीश सीतापुर के अधिकार में कुल १०,००० रुपये रक्खे गये थे जिनमें से ५,००० रुपये अहेतुक सहायता के लिये नियत थे तथा ५,००० रुपये अन्य सहायता तथा बाढ़ से बचाव कार्य के लिये थे । अहेतुक सहायता के हेतु स्वीकृत ५,००० रुपये में से ३,७५१·५८ नये पैसे जिलाधीश द्वारा व्यय किये गये जिनका ग्रामवार विवरण संलग्न तालिका में दे दिया गया है । अन्य कार्य के लिये स्वीकृत ५,००० रुपये में से व्यय सहायता के रूप में किसी भी ग्राम में नहीं दिया गया था अतः ग्रामवार विवरण देना संभव नहीं है । इस धन में से विभिन्न कार्य जैसे नावों का किराया, नावों की मरम्मत व मल्लाहों की मजदूरी आदि हेतु व्यय किया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार है :

				रु०
१--मल्लाहों की मजदूरी ..	..	..	..	२,८७७.३९
२--नावों की मरम्मत ..	..	..	..	२,५००.८१
३--अन्य व्यय ..	..	..	..	६२१.८०
		योग	..	५,०००.००

(देखिये नत्थी 'ण' आगे पृष्ठ ९१७-९१९ पर)

अलीगढ़ जिले में बरसाती पानी जमा हो जाने से हानि

*८३--श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--क्या सरकार ३१ अगस्त तक की रिपोर्टों के आधार पर यह बताने की कृपा करेगी कि अलीगढ़ जिले की तहसीलवार पानी के जमा होने तथा ऊपर के बहाव से जन, मवेशियों, मकानों, फसलों की कितनी हानि हुई है और कितने एकड़ भूमि में रबी की फसल नहीं बोई जा सकेगी ?

श्री चरणसिंह--अपेक्षित सूचना संलग्न तालिका में दे दी गई है।

(देखिये नत्थी 'त' आगे पृष्ठ ९२० पर)

पशुचर भूमि, जिला सहारनपुर

*८४--**श्रीमती शकुंतला देवी** (जिला सहारनपुर)---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि सहारनपुर की बंजर भूमि में पशुओं के चरागाह के लिये कितनी भूमि है ?

श्री चरणसिंह--जिला सहारनपुर की बंजर भूमि में से १३,५७७ एकड़ भूमि पशुओं के चरागाह के लिये उपयोग में लाई जाती है।

बंजर भूमि, जिला उन्नाव

*८५--**श्री परमेश्वरदीन वर्मा** (जिला उन्नाव)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले में कितनी बंजर भूमि है ?

श्री चरण सिंह--१,०३,७१८ एकड़।

झांसी जिले में वर्षा से क्षति

*८६--**श्री लक्ष्मणराव कदम**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिले में वर्षाकाल में वर्षा का क्या औसत है और इस वर्ष वहां उक्त काल में ५ अक्तूबर तक कितनी वर्षा हुई है ?

श्री चरणसिंह---झांसी जिले में वर्षाकाल में वर्षा का औसत ३३.६९ इंच है। इस वर्ष वहां उक्त काल में ५ अक्तूबर तक ३८.२० इंच वर्षा हुई है।

*८७--**श्री लक्ष्मणराव कदम**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अति-वृष्टि के कारण वहां की किस-किस तहसील में फसल को कितनी-कितनी क्षति पहुंची है ?

श्री चरणसिंह--अपेक्षित सूचना इस प्रकार है:---

फसल	क्षति
१--तहसील झांसी	
मक्का	१२ आने फी रु० व उससे अधिक पूरी तहसील में।
ज्वार	लगभग ८ आने फी रु०।
अन्य फसलों में	६ आने फी रू० से कम।
२--तहसील ललितपुर	
मक्का	१२ आने से १६ आने तक फी रुपया।
ज्वार	८ आने से १० आने तक फी रुपया।
फिकार	४ आने से ८ आने तक फी रुपया।
३--तहसील महरौनी	
मक्का	४ आने से ५ आने तक फी रुपया।
ज्वार	२ आने से ४ आने तक फी रुपया।
फिकार व सवां	२ आने से ४ आने तक फी रुपया।

(शेष तीन तहसीलों मऊरानीपुर, गरौठा और मेरठ में खरीफ की फसल में कोई क्षति नहीं हुई।)

गोंडा जिले में मेहिया तथा बेलभरिया ग्राम सभाओं की बंजर भूमि

*८८---**श्री गंगाप्रसाद** (जिला गोंडा)---क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा मेहिया तथा ग्राम सभा बेलभरिया, परगना महादेवा, तहसील तरबगंज, जिला गोंडा में कितने एकड़ भूमि बंजर है, और कितने एकड़ भूमि फरारी खाता है ?

श्री चरणसिंह---ग्राम सभा मेहिया तथा बेलभरिया में क्रमशः ३४·१८ तथा २९·३९ एकड़ बंजर भूमि है ।

ग्राम सभा मेहिया में १.१० एकड़ के १ खाते की करारी की कार्यवाही हो रही है । ग्राम-सभा बेलभरिया में २.०३ एकड़ भूमि के दो खाते फरार घोषित होकर ग्राम समाज में निहित हो चुके हैं और १३.६३ एकड़ के ४ खातों के बारे में फरारी की कार्यवाही हो रही है ।

एटा जिले में उड़हर बांध का टूटना

*८९---**श्री टीकाराम**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अगस्त-सितम्बर, १९५८ में जिला एटा का उड़ेहर बांध टूट गया ? यदि हां, तो उससे कितने गांवों को क्षति पहुंची ?

श्री चरणसिंह---उड़हर बांध को गंगा ने अगस्त में काटना शुरू कर दिया था और उसका कुछ भाग कट गया था, लेकिन २४ अगस्त, १९५८ को कटाव बन्द हो गया था । इसके बाद ३० सितम्बर तथा १ अक्तूबर, १९५८ की रात में गंगा की आकस्मिक बाढ़ से पूरा बांध बह गया ।

बांध के कटने से अगस्त में एक गांव को तथा सितम्बर में पांच गांवों को क्षति पहुंची थी ।

*९०---**श्री टीकाराम**---क्या सरकार को यह ज्ञात है कि जिलाधीश, एटा को इसके टूटने से पहले ही खतरे की सूचना किसानों द्वारा दी जा चुकी थी ? यदि हां, तो उसका क्या प्रबन्ध सरकार ने किया था ?

श्री चरणसिंह---बांध के टूटने की खबर जिलाधीश को किसानों के द्वारा नहीं बल्कि माल विभाग के कर्मचारियों द्वारा मिली थी । सूचना मिलते ही उन्होंने जिले के नियोजन अधिकारी तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग के जिला इंजीनियर से सम्पर्क स्थापित किया और स्वयं घटनास्थल पर पहुंच कर परिस्थिति को सम्हालने का प्रयत्न किया । उन्होंने पानी से घिरे १९ परिवारों को सुरक्षित स्थान पर हटाने की व्यवस्था की ।

आजमगढ़ जिले में बाढ़ पीड़ितों को सहायता

*९१---**श्री चन्द्रजीत यादव**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अगस्त, १९५८ के दूसरे सप्ताह में आजमगढ़ जिले में बाढ़ आ जाने के कारण किन-किन गांवों में फसलों, मकानों तथा अन्य प्रकार की कितनी क्षति हुई है ?

श्री चरणसिंह---आजमगढ़ जिले में अगस्त के दूसरे सप्ताह में बाढ़ आने के कारण हुई प्रत्येक तहसील का विवरण संलग्न तालिका १ में दिखा दिया गया है । ग्रामवार विवरण कार्यालय में उपलब्ध है जो देखा जा सकता है । प्रभावित ग्रामों की संख्या ६८४ है ग्रामवार विवरण सदन में देने में जो समय व परिश्रम लगेगा वह होने वाले लाभ से कहीं अधिक होगा ।

(देखिये नत्थी 'थ' आगे पृष्ठ ९२१ पर)

*९२---**श्री चन्द्रजीत यादव**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त बाढ़ पीड़ित व्यक्तियों की सहायतार्थ सरकार ने क्या किया है ?

श्री चरणसिंह---सरकार द्वारा जिला आजमगढ़ में दी गई सहायता का विवरण संलग्न तालिका २ में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'द' आगे पृष्ठ ९२२ पर)

देहाती क्षेत्र में बिजली देने की योजना

*९३---**श्री शिवराजसिंह यादव**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि देहाती क्षेत्र में बिजली का इस्तेमाल बढ़ाने के हेतु कोई विशेष सुविधायें देने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री चरणसिंह---जी हां, सरकार यह विचार कर रही है कि यदि एक लाइन से एक से अधिक उपभोक्ता को बिजली दी जाय तो लाइन का खर्च सब उपभोक्ताओं में बांट दिया जाय।

*९४---**श्री शिवराजसिंह यादव**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि देहाती क्षेत्र में बिजली के उपभोक्ताओं को ट्रांसमिशन लाइन्स संबंधी माहवारी रेंटल जिस दर देने पड़ते हैं उनमें परिवर्तन करने हेतु सरकार के पास गत दो वर्षों में कोई सुझाव विधान सभा के सदस्य-गण द्वारा प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो कब और अब तक उस पर क्या कार्यवाही की जा चुकी है ?

श्री चरणसिंह---जी हां, इस मसले पर विधान सभा के कुछ सदस्यों से अप्रैल, १९५८ में एक पत्र प्राप्त हुआ। जैसा कि प्रश्न संख्या ९३ के उत्तर में अभी बतलाया है ये मामला सरकार के विचाराधीन है।

पडरौना नगरपालिका को बिजली

*९५---**श्री चन्द्रदेव** (जिला देवरिया)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नगरपालिका पडरौना (देवरिया) में बिजली कब तक लग जायेगी ?

श्री चरणसिंह---कार्य हाथ में ले लिया गया है और पडरौना का विद्युतीकरण जल्द से जल्द करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

कानपुर मिल मालिकों पर बिजली का बकाया

*९६---**श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित** (जिला कानपुर)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर के मिल मालिकों पर बिजली कम्पनी का कितना रुपया बकाया है और उस रुपये को वसूल करने के क्या तरीके अपनाये गये हैं ?

श्री चरणसिंह---३१ दिसम्बर, १९५८ तक दी गई बिजली के संबंध में २७ जनवरी, १९५९ तक कानपुर के मिल मालिकों पर कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एडमिनिस्ट्रेशन का रु० ५९,२८,६७८.०५ नये पैसे बकाया है; इस धनराशि की वसूली उत्तर प्रदेश सरकारी बिजली व्यवसाय संस्था (देयों की वसूली) अधिनियम, १९५८ के अनुसार कार्यवाही करके तथा आपसी वार्ता (negotiations) द्वारा की जा रही है।

झांसी कलेक्टरी के अस्थायी कर्मचारी

*९७---**श्री गज्जूराम** (जिला झांसी)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि कलेक्टरी झांसी में ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो कि १० वर्ष से अभी तक अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं ? अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री चरणसिंह---तीन। दो कर्मचारियों को स्थायी करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। किन्तु तीसरा कर्मचारी उन शर्तों को पूरा नहीं करता है जो सरकार द्वारा कलेक्ट्रेट के अस्थायी कर्मचारियों को पेड अप्रेंटिस नियुक्त करने के हेतु, निर्धारित की गई है।

बद्रीनाथ मंदिर के भूतपूर्व रावल श्री कृष्णनन नम्बूदरी का त्याग-पत्र

*९८---श्री गोविन्द सिंह बिष्ट---क्या सरकार बद्रीनाथ मन्दिर के भूतपूर्व रावल श्री कृष्णनन् नम्बूदरी के त्याग-पत्र के कारणों पर प्रकाश डालने की कृपा करेगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---श्री कृष्णनन् नम्बूदरी ने अपनी अस्वस्थता एवं वृद्धावस्था के कारण त्याग-पत्र दिया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने महाराजा द्वारा दी जाने वाली दीक्षा एवं मंदिर में लोक सभा के हरिजन सदस्य श्री प्रयागी लाल के प्रवेश का भी विरोध किया था। कमेटी ने उनके विरोध को अस्वीकार कर दिया था।

जौनपुर जिले में शिकमी काश्तकारों को सीरदारी के अधिकार

*९९---श्री माताप्रसाद---क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले की प्रत्येक तहसील में फसली सन् १९५६ और १९५९ में कितने शिकमी काश्तकार थे ? उनमें से फसली सन् १९६३ में कितने काश्तकारों को सीरदारी के अधिकार मिले ?

श्री चरणसिंह---वांछित सूचना एक सूची में दे दी गयी है जो मेज पर रखी है।

(देखिये नत्थी 'ध' आगे पृष्ट ९२३ पर)

श्री टीकाराम पुजारी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री अध्यक्ष---श्री रामेश्वर प्रसाद जी ने विशेषाधिकार की अवहेलना का एक प्रश्न उठाया है, तो इसे क्या वे उपस्थित करना चाहते हैं ?

श्री रामेश्वरप्रसाद (जिला रायबरेली)---जी हां।

श्री अध्यक्ष---तो आपने इसकी एक प्रतिलिपि उन माननीय सदस्य को, जिन के खिलाफ यह उठाया है, दे दी है ?

श्री रामेश्वरप्रसाद---जी हां।

श्री अध्यक्ष---तो आप यह बतलायें कि किस तरह से आप यह समझते हैं कि विशेषाधिकार की अवहेलना इसमें हुई है और इतने महत्व का यह प्रश्न है कि इस पर यह सदन विचार करे।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---अपने कमरे में आप इस बात को पूछ सकते हैं।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं।

श्री राजनारायण---सदन का समय नष्ट न हो इसलिए मैंने निवेदन किया।

श्री अध्यक्ष---सवाल तो यह है कि विशेषाधिकार का प्रश्न सदन में उठाया गया है।

श्री राजनारायण---फिर भी आप को अधिकार है कि आप कमरे में बुला कर पूछ सकते हैं।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं।

श्री रामेश्वरप्रसाद---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से जिस प्रश्न को उपस्थित करना चाहता हूं और जिस प्रश्न को लेकर कल सचिव महोदय की सेवा में मैंने पत्र भेजा था उसे पहले पढ़ देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---मेरे पास तो यह आया है। आप ज़बानी बतला दें कि टीकाराम जी पुजारी कल जो भाषण देते रहे यह उसी के बारे में है।

श्री रामेश्वरप्रसाद---पढ़ने से स्थिति स्पष्ट हो जायगी।

श्री अध्यक्ष---मैं टीकाराम जी को रोकता रहा और वह बोलते रहे और इसके बाद वे चले गये यह वाकया सदन के सामने का है। आप उसको पढ़ने के पहले संक्षेप में यह बतलाइये कि इसमें विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की जो आपको आवश्यकता प्रतीत हुई, वह क्या है। आप ने कल मेरा ध्यान आकृष्ट कर दिया था, मैंने उनको रोका भी था और जो कार्यवाही मुझको करनी थी वह की थी। उसके बाद विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की आपको क्या आवश्यकता पड़ी और यह भी बतलाइये कि किस नियम के अनुसार आप इसमें विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहते हैं।

श्री रामेश्वरप्रसाद---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से सदन के सामने यह कहना चाहता हूं कि जब कल माननीय टीकाराम जी पुजारी माइक पर बार-बार बोल रहे थे और माननीय अध्यक्ष ने उनको बोलने की इजाजत नहीं दी तब भी वह बार-बार बिना इजाजत लिये बोलते रहे। अध्यक्ष महोदय ने उनको कई बार इसके लिए रोका भी कि आप बिना अध्यक्ष की आज्ञा के न बोलें और आप आसन ग्रहण करें। लेकिन वे बोलते रहे जब कि दूसरे माननीय सदस्य श्री प्रतापसिंह जी को माननीय अध्यक्ष महोदय ने बोलने की इजाजत दी थी और वे माइक पर बोल रहे थे। तो यह जो उनका कार्य था यह सदन के समक्ष हुआ और अध्यक्ष के समक्ष हुआ और अध्यक्ष की आज्ञा का उल्लंघन करके जानबूझ कर हठपूर्वक सदन का अपमान करने के लिए वे बोलते रहे। मैं यह समझता हूं कि उस वक्त उनके उस तरह के कार्य से सदन के सदस्यों को काफी दुख पहुंचा और सदन की मान मर्यादा को काफी ठेस लगी। इसके साथ ही साथ मैं इसको इस तरह समझता हूं, यदि आप प्रोसीडिंग्स से जो उनके शब्द हैं उनको देखें तो उनसे साफ प्रकट होगा, जिनको मैं आपकी आज्ञा से पढ़ देता हूं---

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े दुख का विषय है....

श्री अध्यक्ष---लेकिन आपने जो मेरे पास प्रस्ताव भेजा है उसमें इसका जिक्र नहीं है। तो जब जिक्र नहीं है तो वह चीज आप यहां पढ़ नहीं सकते, क्योंकि उसके ऊपर आपका प्रस्ताव आधारित नहीं है।

श्री रामेश्वरप्रसाद---अध्यक्ष महोदय, मैंने जो अपना पत्र भेजा था उस में लिख दिया है कि उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। तो इसलिए उसी के एक्सप्लेनेशन में मैं कोट कर रहा था।

श्री अध्यक्ष---व्यवहार में भाषण भी शामिल कर रहे हैं आप?

श्री रामेश्वर प्रसाद---जी हां। उन्होंने यह कहा:---

"अध्यक्ष महोदय, बड़े दुख का विषय है आपने अब काम रोको प्रस्ताव भी स्वीकार करना बन्द कर दिया, पढ़कर भी आप नहीं सुनाये..."

श्री अध्यक्ष---आप कृपा करके बैठ जायं।

श्री रामेश्वरप्रसाद---"मैं पहले भी कह चुका हूं कि हम अगर गरीबों की आवाज उठाते हैं तो आप नहीं सुनते, सरकार नहीं सुनती, कोई उनकी बात को सुनने वाला नहीं है। इसलिए इसके विरोध में मैं भी सदन का परित्याग आज दिन भर के लिए करता हूं। यह सरकार जबरदस्ती करती है, गरीबों पर जुल्म होता है।"

[श्री रामेश्वरप्रसाद---]

तो अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब संक्षेप में यह है कि जो शब्द उन्होंने कहे अगर वह सरकार पर आक्षेप करते तो कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा यहां कोई नहीं सुनता, यानी पूरे सदन का अपमान किया, 'आप नहीं सुनते', चेयर का भी अपमान किया। इन वजूहात के साथ, और साथ ही साथ इसी चेयर से सन् १९५३ में जो रूलिंग हुई हैं उनको कोट करते हुये आपका ध्यान . . .

श्री राजनारायण---क्या ही अच्छा होता यदि आप इनको कमरे में सुन लेते।

श्री रामेश्वरप्रसाद---अध्यक्ष महोदय, इसी चेयर से एक रूलिंग हुई थी कि "अध्यक्ष की आज्ञाओं का उल्लंघन सदन के विशेषाधिकारों की अवहेलना है।" यह ४ मार्च, १९५३ को चेयर से रूलिंग दी गयी थी। विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता।

श्री अध्यक्ष---ठीक है, आपका भाषण हो गया, अब दूसरे सदस्यों के विचार भी सुन लूं।

श्री रामेश्वरप्रसाद---अभी तो बहुत कहना है।

श्री अध्यक्ष---जो एक वैधानिक प्रश्न था वह आपने कह दिया। अभी तो, वह वैधानिक है या नहीं, मैं इसका फैसला करूंगा।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, मुझे खेद है कि माननीय रामेश्वर प्रसाद जी द्वारा जो आपत्ति उठायी गयी है मेरी राय में आपको उसकी अनुमति नहीं देनी चाहिए। यह सही है कि विशेषाधिकार की अवहेलना एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेकिन इस के दो भाग किये जाते हैं। एक तो वह जिसके उल्लंघन के सम्बन्ध में नियम इस नियमावली में ही दिये हुए हैं और दूसरा वह जिनके सम्बन्ध में नियमावली में कोई निर्देश नहीं है और उनकी विशेषाधिकार समिति को जांच करनी पड़ती है। जब कभी नियमों का उल्लंघन होता है तो दण्ड की व्यवस्था नियमों में दी हुई है। कोई भी माननीय सदस्य को, जैसे कल माननीय टीकाराम पुजारी जी ने भाषण किया था, तो उसी समय माननीय रामेश्वर प्रसाद जी को आपका ध्यान आकर्षित करना चाहिए था कि माननीय टीकाराम पुजारी जी ने नियम २८६ और २८९ का उल्लंघन किया है और आप उन पर ऐक्शन लें और आप उन्हें आदेश देते कि वह सदन छोड़ कर चले जायं और तब वह न जाते तो आप कार्यवाही करते। तो कल आप ने भी कोई कार्यवाही करना उचित नहीं समझा और माननीय टीकाराम जी स्वयं उठकर चले गये, यद्यपि आप ने उनसे कहा कि वह बैठें। आप ने उन्हें कोई अपनी ओर से आज्ञा इस प्रकार की नहीं की। तो इसलिए मेरे विचार से अब कोई प्रश्न नहीं उठता वह समय बीत चुका। मैं मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के पेज ३६२ की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसमें लिखा है :---

"Other privileges, the enforcement of which is regulated in part by standing orders, are dealt with as so provided. For instance, breaches of order in the House are dealt with and punished, if necessary, as they arise ;"

तो यह मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस का भी इसमें उद्धरण है। तो वह नियमों का उल्लंघन था, इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है और इसलिए मैं माननीय रामेश्वर प्रसाद जी से कहूंगा कि वह इसे प्रेस न करें। माननीय टीकाराम जी का इस सदन में विशेष स्थान है और वह भावना-वश एकाध शब्द इधर-उधर कह जाते हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि उनके हृदय में कोई कुलुष नहीं है कि सदन की मान मर्यादा को नुकसान पहुंचे, बल्कि वह चाहते हैं कि उनकी बात सुनी जाय। इसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। मुझे विश्वास है कि माननीय रामेश्वर प्रसाद जी टीकाराम जी का जो विशेष स्थान है उसको देखते हुए इसे प्रेस नहीं करेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, नियमों के अतिरिक्त सदन के भीतर स्वस्थ्य परम्पराओं और सद्भावनाओं की दृष्टि से इस सम्बन्ध में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। मेरा विचार है कि आपकी आज्ञाओं का उल्लंघन एक ऐसा विषय है कि जिसके सम्बन्ध में आप स्वयं सजग रहते हैं और जब आपकी आज्ञा का उल्लंघन होता है तो आप स्वयं और सदस्यों से अधिक जानते हैं कि आपकी आज्ञा का उल्लंघन हुआ और उसी समय आप आज्ञा का उल्लंघन होने पर समुचित और आवश्यक कार्यवाही कर सकते हैं। इसलिए इस विषय में सदस्यगण एक दूसरे के सम्बन्ध में इस प्रकार के विशेषाधिकार के प्रश्न न उठायें तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करूं कि दोनों बातें हैं। एक तो जो माननीय नारायणदत्त तिवारी ने कहा कि माननीय टीकाराम पुजारी जी का एक विशेष स्थान है, उसका ध्यान हमें रखना चाहिए। जैसे कि विरोधी दल के नेता के सम्बन्ध में आप इस बात का ध्यान रखते हैं कि वह बैठे हुए ही बोल सकते हैं, इस तरह से ध्यान रखना होता है।

(व्यवधान)

अगर आप शांति से बोलें तो अच्छा है।

श्रम उप मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)--टीकाराम जी का विशेष स्थान क्या है, इसकी परिभाषा बता दें।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य बहुत शीघ्रता से समझने वालों में से हैं। इसलिए वह समझ गये होंगे फिर भी जान बूझ कर यह प्रश्न पूछने से कोई लाभ नहीं है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--मैं उसी सद्भावना की दृष्टि से डिप्टी मिनिस्टर महोदय को इस बात का उत्तर नहीं देना चाहता हूं कि वह क्या स्थान विशेष है, नहीं तो इसका उत्तर दे सकता हूं और अच्छा उत्तर दे सकता हूं। लेकिन मैं इसको बचाना चाहता हूं। आप इसको प्रारम्भ करना चाहते हैं तो . . .

श्री अध्यक्ष--मैं कहता हूं कि ऐसी बातें बचाइये।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--मैं कह रहा हूं कि बदतमीजी करना एक तरफ का ही काम नहीं है, दोनों तरफ से हो सकती है। मैं कह रहा था कि टीकाराम जी का जो भाषण पढ़कर सुनाया उसमें "आप नहीं सुनते" इन शब्दों को छोड़कर पूरे भाषण में एक भी शब्द मुझे नहीं दिखायी दिया जो आपत्तिजनक और आप पर प्रहार था। "आप नहीं सुनते" इस तरह की भाषा का इतना सही प्रयोग अगर हम पकड़ने लगें तो माननीय मुख्य मन्त्री महोदय और बड़े-बड़े मिनिस्टरों को भी पकड़ सकते हैं और कई मर्तबा ९ तारीख को ३ मिनिस्टरों को पकड़ना पड़ा। तो अगर एक-एक शब्द को लेकर ऐसा वातावरण उत्पन्न किया जाय तो अच्छा नहीं होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो कीजिये। मैं इन्कार नहीं करूंगा। जिन सदस्य ने यह प्रश्न पेश किया उनके सम्बन्ध में मैं निवेदन करूं कि वह भी जब बोलने के लिए खड़े हुए थे तो आप ने इजाजत नहीं दी थी। नियम यह भी है कि सदस्य को खड़ा होना चाहिए और बोलना तब प्रारम्भ करना चाहिए जब अध्यक्ष नाम पुकारें। वह बिना नाम पुकारे ही पहले से बोलने लगे। तो अगर इनके विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न बन सकता है तो उनके विरुद्ध भी बन सकता है और मैं इसीलिए कहता हूं कि यह वातावरण मत उत्पन्न कीजिये। छोटी बातों का प्रवेश मत कीजिये, कुछ सद्भावनाओं का खयाल रखिये।

श्री राजनारायण--अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक बात साफ करने के लिये आप से आज्ञा चाहता था . . . . .

श्री अध्यक्ष--जी नहीं, बात यह है कि आप भी इस विषय पर ज्यादा समय लेंगे, मैं अब इस प्रश्न को खत्म कर रहा हूं और इसको उठाने की मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। इसका कारण यह है, जैसा कि श्री नारायणदत्त जी ने कहा कि पार्लियामेंटरी पद्धति में यह आवश्यक है कि अध्यक्ष की मान-मर्यादा सदस्यगण रखें क्योंकि सदन की मान-मर्यादा उनसे सम्बद्ध है लेकिन सदन में बातें कहते-कहते बहुत सी गलतियां सदस्यगण समय-समय पर करते हैं, फिर भी नियमों का पालन कराना तो अध्यक्ष का ही काम रहता है। इसलिये व्यवस्था कायम रखने के नियमों में दो हिस्से कर दिये गये हैं : एक तो यह कि अनुशासन भंग करके सदन की यदि बहुत अप्रतिष्ठा हुई हो और अध्यक्ष द्वारा नियमानुसार जितनी कार्यवाही करना उचित हो उसके करने के बाद भी अनुशासनहीनता जारी रहे जो कि सदन के सामने ही हुई हो तो ऐसा विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना उचित होता है। दूसरे, अगर सदन के बाहर कोई सदन की अप्रतिष्ठा की गयी हो और उस पर कोई कार्यवाही न हुई हो तब भी विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जा सकता है। परन्तु सदन के सामने की घटनाओं के विषय में तात्कालिक कार्यवाही करने के अधिकार अध्यक्ष को हमारे नियमों में दिये गये हैं और उनमें अध्यक्ष को पूरा अधिकार है कि जो उसकी आज्ञा का पालन न करे उसे वह सदन छोड़ने के लिये भी कह सकता है और इस पर भी अगर कोई सदन त्यागने के लिये राजी नहीं होता है तो अध्यक्ष उसे इंगित कर सकता है और सदन द्वारा सस्पेंड करा सकता है। लेकिन अगर अध्यक्ष किसी वक्त ऐसा कदम नहीं उठाता है तो इसके मानी होते हैं कि वह ऐसा कदम उठाने की आवश्यकता नहीं समझता। मैं तो इस प्रश्न को कल ही खत्म कर देता लेकिन चूंकि बार-बार इस तरह की चीजें सदन में लाई जाती हैं इसलिये मैंने सोचा कि कुछ जानकारी सदस्यों की राय की हासिल कर लूं। अगर यह बात कही गई होती कि अध्यक्ष की आज्ञा का पालन न करना सदन की मानहानि नहीं है तो मैं कहता कि विशेषाधिकार की अवहेलना अवश्य हुई है लेकिन ऐसा कथन दूसरी तरफ से नहीं हुआ। दूसरी ओर से तो यही कहा गया है कि अध्यक्ष ने उसके ऊपर अधिक कार्यवाही करना उचित नहीं समझा इसलिये कि माननीय सदस्य तत्काल ही बाहर सदन छोड़कर चले गये ऐसी अवस्था में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाना अनावश्यक है।

जहां तक "आप" शब्द के प्रयोग की बात है, वह मैंने भी सुना था लेकिन जिस लहजे में लोग उसका प्रयोग करते हैं वह ज्यादातर सरकार के लिये होता है हालांकि वह अध्यक्ष के लिये ही मालूम होता है। हिन्दी भाषा में अधिकतर लोग इस तरह से "आप" शब्द का प्रयोग कर जाते हैं। उन्होंने जो कल "आप" शब्द का प्रयोग किया कि "आप" नहीं सुनते हैं या आगे कहा 'सरकार नहीं सुनती है' इन दो वाक्यों से मैंने तो यही समझा कि उन्होंने जो मेरे निर्णय पर प्रोटेस्ट किया वह तो है ही लेकिन उसके साथ-साथ आमतौर पर उनका कहने का मन्शा यही था कि उनकी बात सदन में कोई सुनता नहीं है। यह तो उनका एक बोलने का लहजा इस तरह का है, एक बोलने का तरीका है और उनकी ऐसी बात पर कभी-कभी हम लोग हंसते भी हैं उनके भाषण के समय और वह भी उसमें बुरा नहीं मानते और बोलते ही जाते हैं। यही वास्तविकता थी और अधिक उनका कोई मन्शा नहीं था। मैंने सोचा कि जब वह सदन छोड़ जा ही रहे हैं तो और विशेष कार्यवाही की जरूरत नहीं है वर्ना मैं आगे उन्हें इंगित भी कर सकता था। इसलिये मैं आशा करता हूं कि अगर भविष्य में न बोलने की आज्ञा किसी सदस्य को मिल भी जाय तो उसका पालन वह करें और बोलें नहीं और किसी तरह की विशेष कार्यवाही करने के लिये मुझे बाध्य न करें और न ही इस तरह के विशेषाधिकार के प्रश्न ही उठाये जायं। इस प्रश्न पर इन कारणों से मेरा निर्णय यही है कि मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री रामेश्वर प्रसाद--अध्यक्ष महोदय, आपने जो निर्णय दिया वह तो शिरोधार्य है लेकिन हमारी नियमावली के रूल ६४ में यह स्पष्ट है कि अगर हाउस के सामने कोई इस तरह का ऐक्शन होता है तो हाउस को उसमें अधिकार है कि वह निर्णय कर सकता है....

श्री अध्यक्ष--लेकिन मेरी इजाजत से। मेरी बगैर इजाजत के कोई बात विचार में लाई नहीं जा सकती। तो मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री रामेश्वरप्रसाद--यह तो शिरोधार्य है, लेकिन दूसरी बात यह है कि जो उनके भाषण का इन्टरप्रेटेशन आपने किया वह ठीक है मगर उनके भाषण में साफ-साफ लिखा है, आपके लिये अलग प्रयोग किया गया है और सरकार के लिये अलग।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--यह तो आपकी रूलिंग के बाद वह कह रहे हैं।

श्री राजनारायण--मैं वही शंका समाधान करना चाहता हूं। यों तो मुझे बड़ी खुशी है कि आपने हमारी बात को मान लिया और सदन का समय नष्ट नहीं होने दिया, लेकिन मैं यह कहता हूं कि अगर मैं आप से कहूं कि आप गरीबों की बात नहीं सुनते तो क्या यह विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठ सकता है ? आप यहां गरीबों की बात तो सुनने के लिये तैयार हैं नहीं। आप तो यहां आर्डर मेन्टेन करने के लिये हैं। सदस्यों की बात सुनने के लिये हैं।

श्री अध्यक्ष--मेरे निर्णय के बाद अब इसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--श्रीमन्, यह जो भाषण की प्रतिलिपि वे दिखा रहे हैं इसको माननीय सदस्य ने जांच लिया है या नहीं और यह आपकी आज्ञा से उनको मिला है या वैसे ही ?

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि अब आप यह प्रश्न न मुझसे पूछ सकते हैं और न उनसे पूछ सकते हैं। मेरा निर्णय हो चुका। आपने मेरा ध्यान आकर्षित कर दिया, मैं उनसे जानकारी हासिल कर लूंगा।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, आपको मालूम होगा कि हमने जब-जब भाषण मांगे तो आपके सचिव ने लिखित दिया है कि बिना आपकी आज्ञा के कार्यवाही नहीं दी जा सकती। तो इस पर जरा जांच कर लीजिये और इस प्रति को भी अपने कब्जे में कर लीजिये।

श्री अध्यक्ष--यह मैं जाचूंगा कि उन्होंने प्रतिलिपि ली या कार्यवाही से नोट कर लिया है।

श्री राजनारायण--इतना सब कैसे नोट कर लेंगे ?

श्री अध्यक्ष--मैं अपने कमरे में प्रोसीडिंग्स दिखा देता हूं, लेकिन अगर कोई नकल मांगता है तो मैं यह कहता हूं कि जब तक शुद्धि नहीं होती तब-तक नहीं मिल सकती है।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, वह अभी ले लीजिये आप।

श्री अध्यक्ष--यह हमारे यहां से नहीं गयी होगी। उन्होंने नोट किया होगा।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, वह प्रतिलिपि आप अभी ले लीजिये तो ठीक रहे।

श्री अध्यक्ष--मैं जांच करूंगा।

छः कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना

श्री अध्यक्ष--मेरे पास ५-६ कामरोको प्रस्ताव आये हैं। इनके बारे में मैंने यह निर्णय कर दिया है कि ये विषय ऐसे हैं जिनके ऊपर बहस आय-व्ययक पर आम बहस के साथ हो सकती है और इनकी अर्जेंसी न होने के कारण मैं इजाजत नहीं देता हूं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिय)--श्रीमन्, मुझे कुछ .....

श्री अध्यक्ष--६ कामरोको प्रस्ताव हैं। आपको बोलने को इजाजत दूं तो सब को देनी पड़ेगी।

श्री उग्रसेन--मंत्री जी रिपोर्ट दे दें।

श्री अध्यक्ष--मंत्री जी को आप लिख कर भेज दें।

श्री उग्रसेन--उन्हें लिखा गया, कोई जवाब नहीं मिला तब आपका दरवाजा खटखटाया गया।

श्री अध्यक्ष--बजट के सिलसिले में कह डालियेगा।

श्री उग्रसेन--तब तक तो और भी परेशानी हो जायगी।

नियम ५२ के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों पर ध्यान आकृष्ट करने की सूचना

श्री अध्यक्ष--अब एक प्रस्ताव श्री जगदीश शरण अग्रवाल जी का और एक श्री झारखंडेराय जी का नियम ५२ के अनुसार है। इन दोनों की भी मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। इस विषय में या तो वे अल्पसूचित तारांकित प्रश्न कर के माननीय मंत्री जी से जानकारी हासिल करें। और आय-व्ययक पर आम बहस में उन्हें कुछ कहना हो तो वह उस समय भी कह सकते हैं।

५ दिसम्बर, १९५८ के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ५ से संबंधित एक अनपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन†

स्वायत्त शासन उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)--अध्यक्ष महोदय, अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के संबंध में ५ दिसम्बर, १९५८ को श्री नारायणदत्त तिवारी के एक अनुपूरक प्रश्न का उत्तर निम्न प्रकार दिया गया था :--

प्रश्न	उत्तर
सेल्स टैक्स सिस्टम को सिंगिल प्वाइंट सिस्टम में तब्दील करने के बारे में कमेटी ने क्या राय दी है ?	मेरे ख्याल में कोई उनकी राय नहीं है कि सिंगिल प्वाइंट कर दिया जाय।

उक्त उत्तर सही नहीं था। सही उत्तर इस प्रकार है कि :--

"मौजूदा टैक्स सिस्टम को सिंगिल प्वाइंट में तब्दील करने की कमेटी ने राय दी थी और यह सिफारिश की थी कि यह टैक्स रजिस्टर्ड व्यापारी द्वारा अनरजिस्टर्ड व्यापारी या कंज्यूमर को की गई बिक्री पर लगाया जाय। आप से प्रार्थना है कि ५ दिसम्बर, १९५८ की कार्यवाही में तदनुसार संशोधन कर दिया जाय।"

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उस कमेटी की सिफारिश पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अध्यक्ष--इस समय पूरक प्रश्न आप नहीं कर सकेंगे। आप शार्ट नोटिस क्वेश्चन भेज दें।

श्री नारायणदत्त तिवारी--पहले आपने इजाजत दी है।

श्री अध्यक्ष--मैंने यह कहा था कि जब कोई सुधार करें तो दूसरे समय आप शार्ट नोटिस क्वेश्चन कर सकते हैं।

---

† ५ दिसम्बर, १९५८ की कार्यवाही में तदनुसार संशोधन कर दिया गया।

साहू केमिकल्स मिल्स के संबंध में विवाद की मांग

*श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, जब सदन चल रहा था तो साहू केमिकल के बारे में हमने पूछा था तो मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि वह बयान देंगे। लेकिन मुझे दुख है कि जब उन्होंने बयान दिया तो मैं उस समय उपस्थित नहीं था। जब उनका बयान आया तो रामस्वरूप जी वर्मा जी का शार्ट नोटिस का सवाल आया और आध घंटे का विवाद मांगा गया जिसका कल हमें उत्तर मिल गया कि इसकी इजाजत नहीं दी जायगी। नियम ५३ के संबंध में विवाद मांगा तो उसका भी उत्तर आ गया है कि इसके अन्तर्गत विवाद की इजाजत नहीं दी जायगी। अब आप कृपा करके बतायें कि हमारे लिये क्या रास्ता रह जाता है। आप जो तरीका बताते हैं और उसका हम उपयोग करते हैं और एक का उपयोग करते हैं तो दूसरी दिक्कत सामने आ जाती है और जब दूसरे का उपयोग करते हैं तो तीसरी सामने आ जाती है।

श्री अध्यक्ष—इसमें बात यह थी कि जब इस पर निर्णय होगा तो सदन को मुख्य मंत्री जी सूचना दे देंगे। यह उन्होंने कहा था अगर कोई निश्चय कर लिया और उसकी सदन को सूचना नहीं दी तो प्रश्न उठाने का प्रश्न आता है अन्यथा यदि केवल कोई नई घटना हुई है तो दो चार रोज बाद आम बहस में आप उसका जिक्र कर सकते हैं। इसलिये मैंने इजाजत नहीं दी।

श्री राजनारायण—श्रीमान् जी, भारतीय जी ने भी प्रश्न दिया था।

श्री अध्यक्ष—वह तो एक ही बात सब के लिये लागू होगी।

श्री राजनारायण—मैं चाहूंगा कि आप उदारतापूर्वक देखें।

श्री अध्यक्ष—इसका तो जब मौका होगा देखा जायगा।

सरकार की महत्वपूर्ण नीतियों से पहले सदन को अवगत कराने की मांग

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैं इस समय आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि लोक सभा में वहां के अध्यक्ष ने एक परम्परा कायम कर दी है कि सरकार जो भी महत्वपूर्ण नीति संबंधी घोषणा करे तो वह सदन में घोषित कर दिया करे। यह परम्परा हमारे यहां नहीं है। अभी मैं आप को एक उदाहरण दूं कि माननीय माल मंत्री जी ने झांसी में घोषणा की कि बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स में वह रुपया खर्च नहीं करेंगे बल्कि माइनर प्रोजेक्ट्स में करेंगे। ऐसे ही कोआपरेटिव फार्मिंग में आजमगढ़ में या मेरठ में घोषणा की गई। मैं यह नहीं कहता कि उनको अधिकार नहीं था। उनको पूरा अधिकार है। लेकिन हम चाहते हैं कि यदि नीति संबंधी महत्वपूर्ण घोषणा यहां कर दी जाया करे तो एक अच्छी परम्परा कायम होगी और जो लोक सभा में प्रथा चल रही है वह ठीक है। अगर उस प्रथा को यहां भी कायम करा दें तो सभी सहमत होंगे। माननीय मुख्य मंत्री जी भी सहमत होंगे कि नीति सम्बन्धी घोषणा यहीं की जाय और सरकार अपनी ओर से इनीशिएटिव लेकर कर दिया करे।

श्री अध्यक्ष—जो उदाहरण आप ने छोटी छोटी योजनाओं के सम्बन्ध में दिया है मैं समझता हूं और मुझे स्मरण आता है कि इस नीति का सदन में जिक्र पहले हो चुका है। माननीय राजस्व मंत्री उत्तर दे दें कि जिक्र किया था या नहीं और कब किया था, क्योंकि मैं सभी बातों को सुनता हूं इसलिए निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि कब जिक्र किया गया था।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*राजस्व मंत्री (श्री चरणसिंह)—जैसा आप ने फरमाया, यह सही है कि बड़ी-बड़ी योजनाओं के बजाय अब ज्यादा ध्यान छोटी योजनाओं पर दिया जायगा—इस प्रकार की बात माननीय मुख्य मंत्री द्वारा यहां कही जा चुकी थी पहले और जहां तक आजमगढ़ वगैरह की बात है, तो आजमगढ़ में मैंने कोई घोषणा नहीं की थी।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—मेरठ में?

श्री चरणसिंह—अभी आप इतमीनान रखिये।

आजमगढ़ में कुछ कांग्रेसजनों के साथ बातचीत हो रही थी, विचार विनिमय हो रहा था। मुझे नहीं मालूम था कि कोई प्रेस के सज्जन वहां बैठे थे। उसके बाद मालूम हुआ तो मैंने उनसे कहा कि कोई घोषणा नहीं हो रही है, न मैं कोई विचार व्यक्त कर रहा हूं। आप अखबार में न दीजियेगा। बावजूद इसके जो घोषणा नहीं थी, न कोई निश्चय हुआ था, उसके सम्बन्ध में उन्होंने प्रेस में दिया। मुझ को बाद में मालूम हुआ कि बैकवर्ड क्लास कानफ्रेंस के जो सेक्रेटरी थे उनकी तरफ से उसका प्रतिवाद भी निकल चुका है।

जहां तक मेरठ की बात है वह बात सही है कि मैंने यह कहा कि मेरा अपना जहां तक विचार है, गवर्नमेंट क्या करेगी मैं नहीं कह सकता यह मैंने स्पष्ट कर दिया था, लेकिन मेरा अपना विचार यह है कि पचास एकड़ पर सीलिंग फिक्स की जाय। तो मेरठ की बात उस हद तक सही है। लेकिन इस सिलसिले में मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अगर बीच में जब कि हाउस न बैठा हो कोई बात कहने की आवश्यकता हो और वह सार्वजनिक प्रश्न बन गया हो तो मैं नहीं समझता हूं कि इस तरह की कोई रोक होनी चाहिए कि बीच में कोई बात न कही जाय। बेशक अगर सदन चल रहा है तो उस वक्त गवर्नमेंट की कोशिश होनी चाहिये कि अगर कोई बात नीति की कहनी है तो सदन में कहने की कोशिश की जाय लेकिन अनिवार्य तौर पर प्रतिबन्ध हो जाय वह मैं समझता हूं मुनासिब नहीं है।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—मैं इस बात का स्पष्टीकरण चाहता हूं। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि मैंने निजी तौर पर घोषणा की थी। मुझे इसमें संदेह है। क्या ज्वाइंट रेस्पांसिबिलिटी रखते हुए मंत्री जी कोई बात निजी तौर से कह सकते हैं जिसमें मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी न हो? ऐसी चीजें कहां तक संभव हो सकती हैं?

श्री अध्यक्ष—जब निजी तौर से कहा तो उस समय वे मंत्री तो रहे नहीं। जिस वक्त वह निजी बात करते हैं वह मंत्री नहीं हैं। उसमें ज्वाइंट रेस्पांसिबिलिटी का सवाल नहीं होता। कोई अपने लड़के से निजी बात करता है तो कोई यह नहीं कहेगा कि मंत्री होने से ज्वाइंट रेस्पांसिबिलिटी से वह बात कर रहे हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मुझे इस सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं है। मेरा तात्पर्य यह है कि यह प्रथा कायम कर दें।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि वह खुद इस बात को मानते हैं कि जब सदन बैठा हो और कोई महत्वपूर्ण नीति की घोषणा करनी हो तो सदन के सामने पहले उसे करना चाहिये। लेकिन जब सदन न बैठा हो और अत्यन्त आवश्यकता हो तो जो सरकार की नीति है वह कैबिनेट में विचार कर के घोषित कर सकते हैं। लेकिन बहुत आवश्यकता हो तभी। लेकिन आम तौर पर तो इस सदन में जब नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो, तो सदन में आ जाना चाहिए। इस सिद्धान्त को वह स्वयं मानते हैं। उन्होंने स्पष्टीकरण कर दिया। मैं समझता हूं कि इसमें सर्वसम्मति है और हमको यह प्रथा जारी रखनी चाहिए। उसमें थोड़ी बहुत यदि गलत फहमी हो गई थी तो उसका अब स्पष्टीकरण हो गया। इसलिये आशा यह करनी चाहिये कि भविष्य में यही परिपाटी चलेगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अपराह्न १ से २ बजे तक मतदान तथा गणपूर्ति के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष की व्यवस्था

श्री अध्यक्ष—इसके पहले कि आगे का कार्यक्रम लिया जाय, मैं एक सूचना देना चाहता हूं। अगर आप को पसन्द हो तो क्योंकि अब दिन भर हम लोग बैठते हैं और कोई बीच में लंच के लिये उठते नहीं तो ऐसी अवस्था में एक कन्वेंशन हम लोग यह भी मान लें कि १ बजे से २ बजे तक जो समय है इसमें भाषण तो जारी रहें लेकिन इसमें कोई राय न ली जाय, मतदान उस वक्त न हो किसी विषय के बारे में तो ज्यादा अच्छा हो। इस तरह की प्रथा लोक सभा में भी है।

दूसरे कोरम के बारे में सवाल न उपस्थित किया जाय। केवल भाषण देते रहें। लेकिन ऐसी भी परिस्थिति हो सकती है कि जब किसी विधेयक के किसी खंड पर चर्चा हो उस पर बोलने वाला बीच में कोई बाकी न रहे, तो यह प्र न उठ सकता है कि क्या उस पर राय ली जाय। तो उस समय उस पर राय लेना स्थगित कर दिया जाय और दूसरा संशोधन या खंड शुरू कर दिया जाय और जिस वक्त २ बजे के बाद कोरम हो जाय उस वक्त जो विषय पहले छोड़ दिये गये थे जिनके ऊपर सदन ने राय न दी हो उनके ऊपर राय ले ली जाय। इस तरह की प्रथा हम जारी करें तो कोई अनुचित नहीं होगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—श्रीमन्, जैसा कि आपने अभी अपना निर्णय दिया है ठीक उसी प्रकार का निर्णय उपाध्यक्ष जी ने एक अवसर पर दिया था। यह ठीक है कि आप ने उसको और स्पष्ट रूप से रखा है। इससे कार्य करने में सुविधा भी होगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, यह कंन्वेंशन बिल्कुल ठीक है, लेकिन यह प्रश्न खुला रखा जाय क्योंकि नियमों में परिवर्तन करने के लिये शायद कोई प्रश्न आने वाला है कि लंच रखा जाय या नहीं।

श्री अध्यक्ष—वह बाद का विषय है। लेकिन जब तक के लिए हम लंच की प्रथा नहीं रखते हैं तब तक के लिये यह प्रथा हम बना लें, १ से २ बजे तक के लिये।

†उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) विधेयक, १९५९
खंड १६ (क्रमागत)††

***श्री मोतीलाल अवस्थी** (जिला कानपुर)—श्रीमन्, मैं अपना विरोध खंड १६ के संबंध में रख रहा था और उसी सिलसिले में उस खंड के उपखंडों की अलग अलग बातें हाउस के सामने रख भी रहा था।

(व्यवधान)

मैं श्रीमन् क्या २ मिनट के लिये रुक जाऊं, क्योंकि हाउस में बड़ा शोर हो रहा है?

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि लोग बाहर जाते हैं, वे कृपा कर शान्तिपूर्वक जायें और बातें न करें, क्योंकि इस समय माननीय अवस्थी जी बोल रहे हैं और उनका भाषण सबको सुनना है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं आप के द्वारा यह कह रहा था कि इस खंड १६ के उपखंडों में पावर्स जो निरीक्षक को दी गई है वे एक तो बहुत ज्यादा विस्तृत हैं, इन्डेफिनिट हैं और उनसे मिसकरी होने का अन्देशा है। श्रीमन् आप देखें कि खंड १६ के उपखंड (अ) में कहा गया है:—

"१६—(१) निरीक्षक अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले क्षेत्र में समस्त उचित समयों पर ऐसे बाट, माप तथा तोलने और मापने के यंत्रों का, जो व्यापार

---

†९ फरवरी, १९५९ की कार्यवाही में छपा है।
††१० फरवरी, १९५९ की कार्यवाही से।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

या वाणिज्य के व्यवहार में प्रयुक्त होते हों या जो ऐसे प्रयोग के लिये किसी व्यक्ति के कब्जे में हों या जो ऐसे प्रयोग के लिये किसी भू गृहादि में हों, निरीक्षण कर सकता है, तथा प्रत्येक ऐसे बाट या माप अथवा तोलने या मापने क यन्त्र का द्वितीय अथवा कार्यमानक बाट अथवा तोलने या मापने के यन्त्र से परीक्षण कर सकता है।"

आप यह देखें कि तीन बातें इसमें कही गयी हैं। एक तो जो "व्यवहार में प्रयुक्त होते हों।" यहां तक तो सही है कि किसी समय कोई माप या बाट प्रयुक्त हो रहा है तो उनका निरीक्षण करें। लेकिन इसके साथ जो दूसरे शब्द "किसी व्यक्ति के कब्जे में" रखे गये हैं इससे कुछ दूसरा ही मतलब निकलता है। मैं आप के सामने यह रखना चाहता हूं कि किसी भी व्यापारी के पास कुछ बाट नये और कुछ बाट पुराने भी रह सकते ह और यहां यह साबित करना कि उस के पास जो बाट है वह बदनीयती से उनको इस्तेमाल नहीं करता है उसके लिये बहुत कठिन है। इस कब्जे की बात को कह कर किसी भी व्यापारी और किसान को निरीक्षक परेशानी में डाल सकता है। यह मानी हुई बात है कि किसी व्यापारी के पास या किसी जन साधारण के पास जो पुराने बाट होंगे उनको वह फाउन्डरी में भेज कर गला देगा या और किसी प्रकार से उनको बरबाद कर देगा यह उनके लिये कठिन है। उसके पास वह कुछ दिन तक रह सकते हैं। उसके 'कब्जे' में रहने की हालत में उसके ऊपर आपत्ति आ सकती है और निरीक्षक के द्वारा आसानी के साथ कहा जा सकता ह कि यह जो पुराने बाट ह वह इस नीयत से ह कि वह उनका दुरुपयोग करता है। यह शब्द ऐसे हैं कि किसी भी व्यापारी को और किसी भी साधारण पुरुष को कानून के शिकन्जे में फंसा सकते हैं।

मैं आप के द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें जो यह १६ खंड है उसमें न केवल ऐसी पावर दी गई है बल्कि शब्दों की चेन इस लापरवाही के साथ रखी गयी है या बिना सोचे रखी गयी है कि जिसका अर्थ निकाल कर जिसको कानून के शिकन्जे में लाना चाहे ला सकते हैं। कानून के सम्बन्ध में मेरी अधिक जानकारी नहीं है लेकिन मैं अपने अनुभव से यह जानता हूं कि जब कभी आरोप के सम्बन्ध में कानून की व्याख्या की जाती है या इन्टरप्रिटेशन किया जाता है तो उसके कई अर्थ लगाये जाते हैं। इन्टरप्रिटेन को लेकर तमाम केसेज में रूलिंग खड़ी की जाती है. . . . . .

(इस समय १२ बज कर ४२ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री वीरसेन, पीठासीन हुये।)

उसी इन्टरप्रिटेशन के आधार पर कभी-कभी बड़े-बड़े केसेज में न्याय पक्ष या विपक्ष में हो जाया करते ह। इसी प्रकार से जब मैं इस खंड को देखता हूं तो यह मालूम होता है कि इसके भी दो अर्थ निकलते हैं। इस खंड के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को आसानी के साथ कानून के शिकन्जे में लाया जा सकता ह। अभी कुछ दिन पहले हाईकोर्ट में इस बात को अंगीकृत किया गया है कि नये नये कानून का गठन करने में सरकार शब्दों की तरफ ज्यादा सजग नहीं रहती है। उन शब्दों के व्यापक मायने लगाये जाते हैं जिसके अनुसार कभी कभी न्याय करने में बड़ी दिक्कत होती है। रेन्ट कंट्रोल ऐक्ट के सम्बन्ध में अभी हाल ही में हाईकोर्ट के एक जज ने अपनी व्यवख्या दी ह और कहा है कि इसमें एक अधिकारी को इतने अधिकार दिये गये हैं जो सारे कानून को ही बेमानी कर देते ह। वही परेशानी इस माप और बाट के विधेयक में आ रही है। इस विधेयक को बनाते समय इस बात का ध्यान नहीं रखा गया है कि शब्द ऐसे हों जो बिलकुल सीमित हों और जो उसी अर्थ को देने वाले हों और जिसका गलत अर्थ न लगाया जा सके।

इसी सिलसिले में दूसरे खंड में यह कहा गया है कि "किसी व्योहार में प्रयुक्त किसी बाट या माप की शुद्धता का परीक्षण करने के प्रयोजनार्थ निरीक्षक व्यवहार के दौरान में बेची गयी अथवा दी गई किसी वस्तु के भार अथवा माप का भी परीक्षण कर सकता है"। इसमें जो यह

"बेची गई" या "दी गई" शब्द है इसमें यह पता नहीं लगता है कि कितने दिन पहले बेची गई या कितने पहले दी गई वह वस्तु है। हो सकता है कि कोई इंस्पेक्टर ऐसी व्यवस्था को चलाने का साहस करे कि इस कानून के इस हिस्से के लागू होने के एक वर्ष पहले १ घंटे पहले जो बेची गयी हो। किसी बेची गयी या दी गयी वस्तु के संबंध में होना यह चाहिये कि कुछ समय का भी उल्लेख हो ताकि हम कह सकें कि कितने समय पहले बेची गयी या दी गयी। ऐसा न होने से कोई भी व्यापारी खरीदने वाला या लेने वाला किसी भी समय इस कानून के शिकंजे में आ सकता है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता---माननीय सदस्य जरा शान्ति रखें।

श्री मोतीलाल अवस्थी---तो इस ओर मैंने आप का ध्यान आकर्षित किया कि इसमें जितने भी शब्द हैं चाहे वह खंड "अ" में हों अथवा कब्जे के बारे में, उन सब में ऐसी क्रियायें और शब्द इस्तेमाल किये गये हैं कि जिनके साथ कोई विशेषण नहीं लगाये गये हैं ताकि वह क्रियायें सीमित हो जातीं, और इसका फल यह होगा कि उनका इंटरप्रेटेशन गलत हो सकेगा। दफा ३ की ओर में आप का ध्यान आकर्षित करूंगा। उसमें निरीक्षक को अधिकार दिया गया है कि वह किसी व्यापारी या उसके कर्मचारी या अभिकर्ता से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह उन समस्त बाटों, मापों, तोलने अथवा मापने के यंत्र को, जो उसके द्वारा प्रयोग किये जाते हों अथवा जो उसके कब्जे में हों अथवा जो व्यापार के लिये प्रयुक्त होने वाले किसी भू-गृहादि में रखे हुए हों, तत्संबंधी समस्त लेख्यों और अभिलेखों को परीक्षण के लिए उसके समक्ष प्रस्तुत करे, तथा उक्त व्यापारी, कर्मचारी अथवा अभिकर्ता ऐसी अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा। मैं जानना चाहता हूं कि इस चीज को किस रूप में समझा जाय। कोई भी इंस्पेक्टर किसी व्यापारी को इत्तला दे सकता है कि वह इन सबको उसके हेडक्वार्टर में ला कर प्रस्तुत करे। वह अपने ह्विम पर उनको कहीं भी प्रस्तुत करने पर बाध्य कर सकता है और मान्यवर यह बड़ी हैरासिंग वाली चीज होगी। अक्सर ऐसा होता है कि ये अधिकारी अपने शहर के हेडक्वार्टर में देहात के किसी हिस्से से कोई चीज तलब कराने का साहस करते हैं और इस कानून के अन्दर तो खुले आम उनको यह अधिकार दिया गया है कि वह व्यापारी से यह चीजें अपने दफ्तर में मंगवा लें। तो नियम में इतनी नम्नता है कि किसी प्रकार से भी लोगों को परेशान करने की बात हो सकती है। मैं इसको मानता हूं कि सरकार को इसमें कुछ डेलीगेटेड पावर्स हैं और आगे चल कर शायद उस का कुछ विस्तार या विशेष स्पेसिफिकेशन वह दें, लेकिन फिर भी डेलीगेशन की पावर्स उतनी ही हो सकती हैं कि जो ऐक्ट से डेलीगेटेड हों। उसमें कुछ ऐसी भी चीजें हो सकती हैं कि जो ऐक्ट के मंशा के विरुद्ध हों या जिनके अधिकार ऐक्ट न देता हो या जिनसे विशेष व्याख्या न होती हो। तो इसलिये उन पावर्स को हम बिना देखे कैसे विश्वास कर लें कि जो मूल ऐक्ट में शब्द हैं उनसे अशुद्ध भाव नहीं निकाला जा सकेगा। तो यह बात मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की कि खंड ३ में जो प्रस्तुत करने की बात है उसके साथ-साथ यह नहीं बताया गया है कि अधिकारी को यह अधिकार कहां तक सीमित होगा। क्या वह स्वयं उस स्थान में पहुंच कर प्रस्तुत करायेगा या अपने हेडक्वार्टर में उनको वह सब प्रस्तुत करने को बाध्य करेगा या प्रस्तुत कराने के साथ साथ अगर उसे कोई विशेष अड़चन डालनी हो तो क्या उसको वह रोक सकेगा।

इसी प्रकार से उपखंड (४) है और यह बहुत विस्तृत है। इसमें आप देखें ३ शब्द हैं जो बड़े व्यापक हैं। "निरीक्षक किसी ऐसे बाट अथवा माप या तोलने अथवा मापने के यंत्र का, जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन अपराध किया गया प्रतीत हो।" इन शब्दों से मालूम होता है कि कुछ स्पेशल पावर्स दी गई है और इसे वे स्वयं महसूस करेंगे। इसके बाद दूसरा शब्द और वास्टर है। इसमें लिखा हुआ है "अपराध करने में प्रयुक्त किया गया प्रतीत हो।" इसी के साथ साथ मैं अंग्रेजी के शब्द भी पढ़ दूं जो कि शायद जल्दी समझ में आ सकते हैं। इसमें लिखा है "might be used in the commission of such an offence" अब इसमें न केवल भूत

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

की बात है बल्कि भविष्य की भी बात है। इस तरह इसमें तीन बातें हैं। एक "प्रयुक्त किया गया प्रतीत हो" दूसरे "प्रयुक्त किया जा सकता हो"। इसमें किसी आदमी का कमीशन करने के लिये एक इंटेन्शन है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या एक इंस्पेक्टर में इंटेन्शन जान लेने की क्षमता होगी, क्योंकि वह तो एक बहुत छोटे अनुभव का आदमी हो सकता है या तो वह एक ज्योतषी हो, लेकिन वह ज्योतषी हो नहीं सकता। इसलिये मालूम यह होता है कि केवल ह्विम में ही अधिकारियों के पास सभी चीजें रख दी गई हैं जिससे कि अधिकार व्यापक हो जांय और उनके पीछे जनता माई-बाप कहती हुई फिरे।

श्रीमन्, इन शब्दों को ऐक्ट में नहीं रखना चाहिये था और यदि रखना ही चाहते थे तो उनकी व्याख्या होनी चाहिये थी और इसमें विस्तृत भावना प्रेषित होनी चाहिये थी। इस तरह से तो जो लूज शब्द रख दिये गये हैं उनसे निर्माणकर्ताओं की योग्यता का ही परीक्षण होता है या फिर यूं कहें कि माननीय मंत्री जी ने इसकी आड़ में ऐसी शक्ति ले लेनी चाही है जिसका कि आगे चल कर दुरुपयोग कर सकें। मैं उनकी नियत के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता केवल शब्दों को ले कर ही कहना चाहता हूं। इसमें ऐसे शब्द होने चाहिये थे जो कि कानून के शब्द होते और चल्तू शब्द नहीं होते जिनके कि अर्थ कोई चलता हुआ आदमी लगा ले। कानून के ये शब्द हैं इसलिये इनको उचित स्थान पर रखना चाहिये।

श्रीमन्, इसके अन्दर यह है "कि वह लेख्यों और अभिलेखों को सीज कर सकता है।" इसके लिये उसे तीन आवश्यकतायें हो सकती हैं। एक यह कि अपराध किया गया, प्रतीत होता हो, या प्रयुक्त किया जा सकता हो या प्रयुक्त करने की मंशा हो। तो इन तीनों बातों की गुंजायश में किसी के लेख्य या डाक्यूमेन्ट्स सीज किये जा सकते हैं।

इसी प्रकार से खंड ५ में भी बुराई मौजूद है जो कि मैंने इन सब में बताई। इसमें निरीक्षक के पास अधिकार दिये गये हैं कि किसी सील बन्द पैकेट या पात्र में वस्तु का वास्तव में उतना शुद्ध भार या माप . . . .

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—श्रीमन्, हाउस में कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और कोरम पूरा होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई)

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं उपखंड (५) के बारे में आपके सामने रख रहा था कि उसमें निरीक्षक को अधिकार दिया गया है कि सीलबन्द पैकेट या पात्र में किसी वस्तु का वास्तव में उतना शुद्ध भार या माप नहीं है उसमें होना प्रकट होता है, तो निरीक्षक सील बन्द पैकेट या पात्र को खोल सकता है और उसके भीतर की वस्तु का परीक्षण कर सकता है। इस बारे में मैं पिछले दिन भी कह चुका हूं कि यह एक बहुत ही बड़े अधिकार को फैलाने वाला है कि वह जब चाहें पैकेट को खोल ले। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह खोलने की स्टेज कहां पर होगी। यह दो ही सूरतों में हो सकता है। एक तो रेलवे के ट्रांजिट द्वारा या दूसरे पोस्ट आफिस के द्वारा तो उनमें कहां पर यह होगा, मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन मुझको फिलहाल यह बात आपके सामने रखनी है कि इसमें जो यह लिखा हुआ है कि "पात्र को खोल सकता है और उसके भीतर की वस्तु का परीक्षण कर सकता है और यदि ऐसा परीक्षण करने पर उक्त वस्तु का शुद्ध भार अथवा माप ठीक पाया जाय और यदि उसमें रखी वस्तु को बिना क्षति पहुंचाये ऐसा करना संभव हो, तो निरीक्षक उक्त पैकेट अथवा पात्र को फिर से सीलबन्द कर देगा।"

अब यदि आप गौर से देखें तो उसमें यह नहीं लिखा गया है कि अगर बिना क्षति पहुंचाये उसको सीलबन्द करना संभव नहीं हुआ तो क्या होगा और अगर ऐसे पैकेजेज कई सौ हुए और उनको खोल डाला गया तो फिर उनके रखने आदि का क्या तरीका होगा। इसलिये ऐसी बातें इसमें बिना सोचे समझे रख दी गयीं हैं। मैं नहीं समझता कि उस हालत के लिये सरकार क्या करना चाहती है। मालूम ऐसा होता है कि जल्दी में कानून ले आया जाता है और मिनिस्टर साहब एक रात को उसको देखकर उस पर नोट लगा देते हैं। मेरे विचार से ऐसे लूज शब्द

इसमें नहीं होने चाहियें। मैं जानना चाहूंगा कि क्या कहीं इंसपेक्टर को सीज करने का अधिकार दिया गया है ? लेकिन इस कानून में ऐसी चीज नहीं जिसमें यह कहा गया हो कि सीज करने के बाद उसको डैमेजेज में या रद्दी खाते में डाल दिया जायगा। जब तक यह बात किसी ऐक्ट में नहीं होती है तब तक सीज करने की पावर्स भी नहीं हो सकती। इस प्रकार से इस विधेयक के हर एक उपखंड में एक लेकूना है, और डिफेक्ट है।

अब इसके छठवें उपखंड में जो अधिकार दिये जा रहे हैं उनसे मालूम होता है कि कुछ अधिकार देना बाकी रह गया था उसको इसके द्वारा सर्वांश रूप में दे दिया जा रहा है। उसमें लिखा गया है---

"उचित समयों पर, किसी ऐसे स्थान में प्रवेश कर सकता है, जहां बाट, माप, अथवा तौलने या मापने के यंत्रों को व्यापार या वाणिज्य के व्यवहारों में प्रयुक्त किया जाता हो"

इस प्रवेश करने की चीज को देखकर मुझे भय लगता है। आई० पी० सी० के अनुसार किसी के घर में तभी प्रवेश किया जा सकता है जब किसी के घर में प्रवेश करने का अधिकार पुलिस को हो किसी जुर्म के आधीन, लेकिन यहां तो किसी हालत में भी प्रवेश करने का अधिकार दे दिया गया है। उसको पब्लिक यूटीलिटी सर्विसेज के लोगों से भी अधिक अधिकार दे दिये जा रहे हैं। लेकिन यह बात इसमें नहीं है कि कैसे संभव हो सकेगा। किस प्रकार से वह इंसपेक्टर किसी घर में प्रवेश करेगा ? अगर किसी मकान में ताला लगा हुआ है तो क्या वह ताले को तोड़ कर उसमें प्रवेश करेगा ? अगर उस मकान में स्त्रियां हैं और वहां वह नहीं घुस सकता है तो बिना डिसेंसी मेनटेन किये हुए वह किस प्रकार से घुस जायगा। ऐसी बहुत सी स्थितियां पैदा हो सकती हैं जो कि कानून के अन्दर अमान्य हो जायेंगी और उन सबके होते हुए भी इंसपेक्टर को अधिकार होगा कि वह प्रवेश कर सकेगा। मैंने कभी कोई ऐसा क्रीमिनल जुरिस्प्रूडेंस नहीं देखा कि इतनी वास्ट पावर किसी अधिकारी को दे दी गयी हो। सरकार बहुत उतावली में अपने अधिकारियों को इस कानून के द्वारा अधिकार देकर उस पर उनको चलाना चाहती है। इसमें यह चीज साफ होनी चाहिये थी कि किन-किन स्थितियों में प्रवेश किया जायगा और उसके लिये किस स्थिति में प्रवेश करना होगा और किस स्थिति में नहीं तथा उस समय क्या-क्या एहतियात लिया जायगा। इसमें इन चीजों का कोई स्पष्टीकरण नहीं है जिससे इस बात की संभावना हो सकती है कि इनका इंटरप्रिटेशन अलग-अलग ढंग से लगा कर उनका गलत ढंग से इस्तेमाल किया जाय। मैं समझता हूं कि ये सारी बातें साफ-साफ ऐक्ट के अन्दर रहनी चाहिये।

यह खंड १६ जो है वह सचमुच ही हमारे लिये अमान्य है, इसके रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मैंने यह साबित कर दिया है कि इसकी आवश्यकता इसलिये नहीं है कि जो अधिकार आप दफा १६ में देने वाले हैं वे खंड १५ में पहले से ही मौजूद हैं। इनके होते हुए दफा १६ में अधिकार देना अनावश्यक और बेईमानी है। विशेष तौर पर जो अधिकार देने वाले शब्द हैं उनको बिलकुल स्पष्ट होना चाहिये जो कि नहीं किया गया है और इसकी वजह से उसके कई इंटरप्रिटेशन किये जा सकते हैं और इस तरह से लोगों को परेशान किया जा सकता है। इसलिये मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि या तो सरकार खंड १६ को बिलकुल निकाल दे या इसको दूसरे रूप में रखे। अच्छा तो यही होगा कि सरकार इस समय इसको वापस ले ले और किसी दूसरे वक्त इन शब्दों में थोड़ा हेर-फेर करके उनको लाने की कोशिश करे।

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)--अधिष्ठाता महोदय, खंड १५ और १६ के ऊपर माननीय अवस्थी जी ने मेरे ख्याल में दो तीन घंटे जो भाषण दे डाला, उसमें आप चाहते यह हैं कि खंड १६ को या तो निकाल दिया जाय या उसे दूसरे रूप में लाया जाय। तो यह कोई संशोधन उनका नहीं मालूम होता कि दोनों चीजों में एक चीज हो यानी या तो इसे निकाल दिया जाय या इसे दूसरे रूप में लाया जाय। मेरी समझ में उनकी यह बात नहीं आयी जो उन्होंने अपने अंतिम शब्दों में कही। खंड १५ में परीक्षण और खंड १६ में निरीक्षण

[श्री जगमोहन सिंह नेगी]

की बात है। पहले वेरिफिकेशन कर लिया जायगा कि यह जो माप या तौल है वह ठीक है या नहीं है और यह कार्य व्यवहार में आ रहा है या नहीं। कहीं पुराने बाट तो नहीं चल रहे हैं ? आपका क्या यह मतलब है कि वह देखे ही नहीं कि यहां पर कौन से बाट चल रहे हैं ? मेरी समझ में यह बात नहीं आयी कि वह इस बात को देखे भी नहीं कि लोगों को नये बाट दिये भी गये हैं या नहीं। खंड १६ (६) के विषय में जो कहा गया है कि वह ताला तोड़ कर किसी के घर में प्रवेश कर सकता है तो उसमें तो साफ लिखा हुआ है कि "उचित समय पर"। उचित समय के माने तो यही होता है कि उस घर का मालिक भी मौजूद होगा। यह तो होगा नहीं कि वह आधी रात को ही पहुंच जाय। तो किसी कानून में हर चीज के लिये, उसके बचाव के लिये दूसरे शब्द रखे जायं यह बात समझ में नहीं आती। अगर इस तरह के कानून बनाये जायं तो उसमें पचासों लूप होल्स हो सकते हैं और फिर तो कुछ काम ही न चले। तो वह भी डिफेक्टिव हो सकता है। यह भी हो सकता है कि हम ऐसे कानून बनवावें जिसकी वजह से हमारा मंशा ऐसा न हो कि किसी को तकलीफ हो जाय लेकिन ऐसे लूप होल्स दूसरे प्रकार के हो सकते हैं। तो भाषा किसी कानून की ऐसी होनी चाहिये कि रीजिनेबिली वह सब चीजों को कवर कर सके। कोशिश इस बात की की गयी है इसमें कि न तो जुर्म करने वाले छूट सकें और न इसमें कोई कसूर न करने वाले पकड़े ही जायं या इंस्पेक्टर ज्यादती कर सके। इसमें लिखा हुआ है कि वे इंटर कर सकते हैं लेकिन करते तो नहीं हैं। अगर एक आध केस में कहीं ज्यादती करते हैं तो सिविल सूट भी होते हैं और मुआविजा मिलता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इस में शब्दों को तोल-तोल कर रखा गया है जिससे जुर्म करने वाले निकल न सकें। यद्यपि आपने २ घंटे लगा कर, जो परिश्रम किया उसकी मैं प्रशंसा करता हूं लेकिन मुझे अफसोस है कि मेरी समझ में वह बात बैठी नहीं और शायद आपकी ही समझ में नहीं बैठी। अगर बैठी होती तो उसकी जगह पर आप कोई न कोई संशोधन अवश्य लाते। लेकिन आप कहते हैं कि सारा निकाल दो, वेकुअम कर दो। आपके दिल में जो शंकायें थीं उन्हें आपने रखा। ठीक है उन शंकाओं से मुझे हमदर्दी है, लेकिन जहां तक कानून का सवाल आता है मुझे ऐसा नहीं मालूम होता कि आपकी शंकायें सिद्ध हो सकेंगी। हर कानून में ऐसे ही लिखा जाता है। पुराने ऐक्टों में ऐसा ही है और कहीं नहीं देखा कि उनका दुरुपयोग हुआ हो। एक आध केस में कहीं-कहीं होता होगा। हजारों कानून हैं, उनको तोड़ने वाले और मानने वाले भी होते हैं। कहीं ज्यादती हो जाती है उसके लिये और उपाय हैं। ऐसी अवस्था में मुझे अत्यन्त खेद है कि मैं आपकी बात को स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

श्री अधिष्ठाता---मोतीलाल जी अवस्थी, क्या आप मंत्री जी के जवाब के बाद भी विरोध करते हैं और अपने संशोधन को प्रेस करते हैं ?

श्री मोतीलाल अवस्थी---जी हां।

श्री अधिष्ठाता---मैं इसको स्थगित करता हूं २ बजे तक के लिये। उसके बाद मतदान लिया जायगा।

खण्ड १७ व १८

निरीक्षक का बाटों तथा मापों का समायोजन करने का अधिकार

१७---जब राज्य सरकार को यह वांछनीय प्रतीत हो कि किसी क्षेत्र में किसी निरीक्षक को बाटों अथवा मापों या तोलने अथवा मापने के यंत्रों का समायोजन करने की अनुज्ञा दी जानी चाहिये, तो वह, यदि उचित समझे, उक्त निरीक्षक को बाटों तथा मापों या ऐसे यंत्रों का तदनुसार समायोजन करने का प्राधिकार दे सकती है।

निर्माणकर्ताओं आदि द्वारा अभिलेखों तथा लेखों का रखा जाना

१८—(१) बाटों तथा मापों अथवा तोलने या मापने के यंत्रों का प्रत्येक निर्माणकर्ता, मरम्मत करने वाला या व्यापारी तथा प्रत्येक व्यक्ति जो व्यापार या वाणिज्य के व्यवहार में उनका प्रयोग करता हो, ऐसे अभिलेख तथा लखे रखेगा, जो नियत किये जायं तथा निरीक्षक द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाने पर उक्त अभिलेखों तथा लेखों को उसके समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(२) उपधारा (१) में किसी बात के होते हुये भी, यदि राज्य सरकार की राय हो कि किसी ऐसे निर्माणकर्ता, मरम्मत करने वाले या व्यापारी द्वारा किये जाने वाले व्यवसाय के प्रकार को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना आवश्यक है तो वह आदेश द्वारा उक्त व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को उक्त उपधारा के प्रवर्तन से नियुक्त कर सकती है।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड १७ व १८ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १९

अपीलें

१९—(१) उपधारा (२) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये:—

(क) इस अधिनियम के अधीन निरीक्षक के प्रत्येक निर्णय के विरुद्ध अपील नियंत्रक को, तथा

(ख) इस अधिनियम के अधीन नियंत्रक के प्रत्येक निर्णय के, जो खंड (क) के अधीन की गई अपील पर निर्णय न हो, विरुद्ध अपील राज्य सरकार को या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ विशेष रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी को की जायगी।

(२) ऐसी प्रत्येक अपील निर्णय के दिनांक से साठ दिन के भीतर प्रस्तुत की जायगी।

(३) ऐसी किसी अपील की प्राप्ति पर अपीलीय प्राधिकारी, अपीलकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात् तथा ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह उचित समझे, अपील पर निर्णय देगा तथा अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमान् जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि "खंड १९ के उपखंड (१) के भाग (क) की पंक्ति २ में शब्द 'नियंत्रक' के स्थान में शब्द 'मैजिस्ट्रेट जो प्रथम दर्जे से कम न हों' रख दिये जायं। मैंने खंड १६ के संबंध में अभी जो विचार रखे और मंत्री जी ने जो प्रत्युत्तर दिया उसको ध्यान में रखते हुये चूंकि अभी दफा १६ पर कोई मत भी नहीं लिया गया है और मुझे बहुत कुछ आशा है कि मेरा संशोधन स्वीकार किया जायगा उसी आशा पर मैं यह दफा १९ में भी संशोधन पेश कर रहा हूं। मैं फिर यह कहूंगा कि अभी तक जो कुछ भी निरीक्षक को अधिकार दिये गये हैं वे निरंकुश अधिकार हैं।

उन अधिकारियों के विरुद्ध किसी भी आरोपी को अपील करने का अधिकार यदि दिया गया है तो खंड १९ में दिया गया है। उसमें लिखा हुआ है।

"इस अधिनियम के अधीन निरीक्षक के प्रत्येक निर्णय के विरुद्ध अपील नियंत्रक को, तथा"

तो निरीक्षक के निर्णयों के विरुद्ध अपील नियंत्रक को रखी गई है जो इंस्पेक्टर का इमीडियेट अफसर है। जैसा कि इसके पहले की दफा १४ में बताया गया है कि सरकार बाट तथा माप नियंत्रक तथा आवश्यक संख्या में बाट तथा माप के उप-नियंत्रक और सहायक नियंत्रक तथा निरीक्षक नियुक्त कर सकती है तो अधिकारियों की जो एक फेहरिस्त है उसी के सिलसिले में इस निरीक्षक के ऊपर नियंत्रक रखा गया है .....

श्री अधिष्ठाता---माननीय अवस्थी जी, आप अपना दूसरा संशोधन भी पेश कर दें।

श्री मोतीलाल अवस्थी---अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्न संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

"खंड १९ के उपखंड (१) के भाग (ख) की पंक्ति १ के शब्द 'नियंत्रक' के स्थान पर शब्द 'अपीलेट अधिकारी' रख दिये जायं।"

ये दोनों ही संशोधन एक ही भावना से रखे गये हैं। मेरा मतलब है कि निरीक्षक के कार्यों की अपील करने के लिये हमको कुछ सहारा मिलना चहिये और वह हमें न्यायालयों में ही मिल सकता है, यद्यपि मुझे न्याय किये जाने की प्रणाली पर संदेह पैदा हो गया है, लेकिन फिर भी जो चीज हमारे पास मौजूद है उससे हमें आशा करनी चाहिये। और किसी न्यायालय में किसी न्यायाधीश के पास होने की बात आवश्यक है। वह मैजिस्ट्रेट हो और फर्स्ट क्लास पावर्स का हो जो समझ सके। इस सारे विधेयक में कहीं भी कोई बात नहीं है जहां न्यायालय ले जाने की बात कही गई हो। हां, कभी-कभी सजायें देने की बात जो कही गई है उसके लिये तो अधिकारियों के पास भेजने को कहा गया है, लेकिन मैंने तो केवल इस निरीक्षक के निर्णयों, के विरुद्ध, जिसको असीमित अधिकार दिये जा रहे हैं, अपील न्यायालयों में ले जाने की बात कही है, क्योंकि वहीं निष्पक्ष रूप से न्याय मिलता है और हमको रिलीफ मिल सके। अभी इसी के उपखंड (ख) में दिया हुआ है कि---"इस अधिनियम के अधीन नियंत्रक के प्रत्येक निर्णय के, जो खंड (क) के अधीन की गई अपील पर निर्णय न हो, विरुद्ध अपील राज्य सरकार को या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ विशेष रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी को की जायगी"। यह भी उसी सिलसिले की बात है। मालूम होता है कि सरकार ने सोचा है कि सभी निर्णयों का फैसला डिपार्टमेंटली कर ले और वहीं उसको जिस प्रकार से चाहे सुलझा ले। मैं जानना चाहता हूं कि यह डिपार्टमेंट की बात यहां इस कानून में क्यों लाई जा रही है। जब हम दंड बना रहे हैं और दंडों की व्यवस्था है, तब न्यायालय में जाने के लिये क्यों रास्ता रोका जा रहा है? इसीलिये मैंने दोनों संशोधन रखे हैं कि निरीक्षक के निर्णय के विरुद्ध अपील नियंत्रक के पास हो और नियंत्रक की अपील किसी अपीलेट अथारिटी के पास हो जिसके यहां फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की अपील हो सकती हो। मेरी मंशा यही है कि इसकी अथारिटी उसी डिपार्टमेंट के पास फिर न आवे जैसा कि खंड (ख) में दिया गया है। मेरी इस संशोधन को लाने की मंशा यह है कि निरीक्षक के प्रति अपील करने की न्यायालय में गुंजाइश हो जहां से आशा है कि न्याय मिल सकेगा, और डिपार्टमेंट से नहीं मिल सकेगा। जैसा कि आजकल देखने को मिलता है कि आफिसर अपने नेक्स्ट आफिसर की बात को मानता है और उसी की बैकिंग करता है। इसलिये आशा है कि माननीय मंत्री जी इस विषय पर ध्यान देंगे और हमारे ऊपर अन्याय किये जाने पर प्रतिकार करने का मौका देंगे।

श्री जगमोहनसिंह नेगी---अधिष्ठाता महोदय, यह जो संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं उनकी कोई आवश्यकता नहीं मालूम होती, क्योंकि कंट्रोलर इसके हमारे डिप्टी सेक्रेटरी होंगे, डिप्टी कंट्रोलर, जो आर०एफ०सीज० हैं वह होंगे, और असिस्टेंट कंट्रोलर वगैरह होंगे। तो यह सारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिलसिला चला है और उसमें अपील जो होगी वह सीधे कंट्रोलर के यहां और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट को होगी। तो इसको फिर किसी मैजिस्ट्रेसी में डाल देना जब कि एक सिलसिला एडमिनिस्ट्रेटिव रखा है, उससे कोई लाभ नहीं होगा। तो शायद आप पहले भी घबड़ा रहे थे कि इंस्पेक्टर या निरीक्षक जाने क्या-क्या गड़बड़ी कर देगा, लेकिन इसी में एक धारा आगे ऐसी भी है कि अगर वह भी गलती करेगा तो उसको भी कैद की सजा मिल सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। तो यह विभागीय · · · · · ·

श्री मोतीलाल अवस्थी---यह करेगा कौन?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---वही जो अपीलेट आफिसर हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हैं वही करेंगे और कौन करेगा? तो ये दोनों बातें आपकी समझ में नहीं आईं। एडमिनिस्ट्रेटिव प्वाइंट आफ व्यू से जिस तरह से यह सिलसिला रखा गया है उसमें यह उचित नहीं मालूम होता।

कि बीच में एक मैजिस्ट्रेट हो। यह तो ऐसा हो गया है कि वर्ग के अन्दर अंडा फिट नहीं करता है। इसलिये मैं इन संशोधनों को स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मुझे तो श्रीमन्, खाद्य मंत्री जी के उत्तर में सिर्फ इतना ही कहना है कि आपको इसलिये नहीं स्वीकार है कि आपके पास संख्या-सुर का बल है। आपको इसलिये स्वीकार नहीं है कि आप जानते हैं कि अपनी बुद्धि के आगे दूसरे की बात को सुनना अपनी बुद्धि को नाकाबिल करना है। अतः तर्क की बात जहां वश के बाहर होती है वहां मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको सद्बुद्धि दे और आप कभी बाद में समझें।

श्री अधिष्ठाता—और कोई सदस्य बोलने वाला है ?

(किसी सदस्य के न खड़े होने पर)

मैं इस खंड को और संशोधनों को मतदान के लिये २ बजे तक के लिये स्थगित करता हूं।

खंड २० व २१

२०—राज्य सरकार निम्नलिखित के लिये ऐसे शुल्क ले सकती है, जो नियत किये जायं— शुल्कों का उद्ग्रहण

(क) व्यापारिक बाटों तथा मापों और तोलने तथा मापने के यंत्रों के निर्माण, मरम्मत या बिक्री के लिये धारा १२ के अधीन लाइसेंस प्रदान करना, तथा

(ख) व्यापारिक बाटों तथा मापों और तोलने तथा मापने के यंत्रों का परीक्षण, अंकन अथवा चिन्हित करना, मुद्रांकन और समायोजन।

२१—इस अधिनियम के अधीन निरीक्षक द्वारा यथाविधि मुद्रांकित कोई बाट या माप अथवा तोलने या मापने का यंत्र, जब तक कि वह मिथ्या या त्रुटिपूर्ण न पाया जाय तब तक वह उन समस्त स्थानों में जहां यह अधिनियम प्रवृत्त हो गया हो, वैध बाट या माप अथवा तोलने या मापने का यंत्र होगा तथा उसे केवल इस कारण पुनः मुद्रांकित न किया जायगा कि वह किसी ऐसे स्थान से भिन्न स्थान में प्रयुक्त किया जाता है जहां उसे मूलतः मुद्रांकित किया गया था। यथा विधि मुद्रांकित बाटों तथा मापों की वैधता।

श्री अधिष्ठाता—खंड २० और खंड २१ इन दोनों में कोई संशोधन नहीं है इसलिये मैं इनका प्रश्न उपस्थित करता हूं।

प्रश्न यह है कि खंड २० और २१ इस विधेयक के अंग माने जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २२

२२—जो व्यक्ति इस धारा के प्रारम्भ से तीन मास के पश्चात व्यापार या वाणिज्य के किसी व्यवहार के दौरान में किसी वस्तु को मानक बाटों तथा मापों से भिन्न बाट या माप के अभिधान से बेचता है या बिकवाता है अथवा देता है या दिलवाता है, वह प्रथम अपराध के लिये अर्थदण्ड से दंड्य होगा, जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है, तथा द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिये, कारावास से, जो तीन मास तक हो सकता है, अथवा अर्थदंड से जो पांच सौ रुपया तक हो सकता है, या दोनों से दंड्य होगा। मानक बाट या माप से भिन्न बाट या माप से बिक्री करने या माल देने के लिये शास्ति।

श्री देवनारायण भारतीय—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं उपस्थित विधेयक के खंड २२ में निम्नलिखित संशोधन उपस्थित कर रहा हूं—

"खंड २२ की पंक्ति ४ में शब्द 'पांच सौ' के स्थान पर शब्द 'पांच' रख दिया जाय", और

[श्री देवनारायण भारतीय]

"खंड २२ की पंक्ति ६ में शब्द 'मास' के स्थान पर शब्द 'दिन' तथा शब्द 'पांच सौ' के स्थान पर शब्द 'पांच' रख दिया जाय।"

इन दोनों संशोधनों को समाविष्ट करने के बाद खंड २२ का रूप इस तरह का हो जायगा :

"जो व्यक्ति इस धारा के प्रारम्भ से तीन मास के पश्चात् व्यापार या वाणिज्य के किसी व्यवहार के दौरान में किसी वस्तु को मानक बाटों तथा मापों से भिन्न बाट या माप के अभिधान से बेचता है या बिकवाता है अथवा देता है या दिलवाता है, वह प्रथम अपराध के लिये अर्थदंड से दंड्य होगा, जो पांच रुपये तक हो सकता है, तथा द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिये, कारावास से जो तीन दिन तक हो सकता है, अथवा अर्थदंड से, जो पांच रुपये तक हो सकता है, या दोनों से दंड्य होगा।"

मान्यवर, मैंने प्रथम वाचन के समय भी इस विधेयक पर अपने विचार व्यक्त किये थे कि इस विधेयक को सरकार जनता को पेनेलाइज करने की भावना से सदन में उपस्थित न करे, बल्कि इस विधेयक को सरकार जनहित की भावना से लाये ताकि कानून बनने के बाद इस के अधिनियम की शक्ल में आने पर इससे जनता का कल्याण हो और इस समय जो बाटों और मापों की भिन्नता के कारण एक गलतफहमी और भ्रष्टाचार सा फैला हुआ है वह दूर हो जाय। यदि इस भावना को सामने रखकर इस विधेयक को पास कराना चाहते हैं तो मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह मेरे इन दोनों संशोधनों को स्वीकार कर लें। इन मामूली से अपराधों पर ५०० रुपया जुर्माना और ३ मास की सजा अथवा इन दोनों सजाओं का विधान रखना यह सद्भावना और जनहित की दृष्टि से नहीं है, बल्कि जनता को भयभीत और पेनेलाइज करने की भावना से है। इसलिये मैं मंत्री जी से नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि वह मेरे इन संशोधनों में जो ५०० रुपये के बजाय ५ रुपये और तीन मास की सजा के बजाय ३ दिन की सजा की बात है उसे स्वीकार कर लें। जहां तक सजा की बात है कोई भी व्यक्ति यदि एक दिन के लिये भी जेल में पहुंच जाता है तो उसके लिये जैसे एक दिन वैसे ही ३ मास या एक मास होता है। एक दिन की सजा जितनी अपमानजनक है उतनी ही अपमानजनक ३ मास की सजा भी है। यदि आप सुधार के लिये रखना चाहते हैं तो ३ दिन का दंड उद्देश्य की पूर्ति के लिये काफी है। इसी तरह से अगर किसी अपराधी पर १ रुपया जुर्माना हो जाता है तो जुर्माना तो जुर्माना ही है चाहे उसकी संख्या १ रुपया हो, ५ रुपया हो या ५०० रुपया हो। इसलिये यदि सुधार की दृष्टि से ही रखना है तो यह सजा बहुत अधिक है। अतः मैं मान्यवर, आप के द्वारा माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे मेरे दोनों संशोधनों को स्वीकार कर लें और इस खंड २२ में जो परिवर्तन मैंने बताये हैं उन्हें स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री जगमोहनसिंह नेगी---अधिष्ठाता महोदय, भारतीय जी ने जो विचार व्यक्त किये अपने संशोधन के पक्ष में उनका मैं आदर करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि इसमें जो ५०० रुपये तक जुर्माना और ३ मास तक की सजा की व्यवस्था है तो जो फैसला देगा वह तो १ रुपया भी जुर्माना कर सकता है, भारतीय जी तो ५ रुपये कहते हैं। यह तो न्याय करने वाले को अधिकार होगा कि वह जैसा कसूर देखें उसके मुताबिक सजा दे। इसलिये जो सीमा भारतीय जी ने अपने संशोधन में प्रस्तुत की है वह तो इसके अन्तर्गत आ ही जाती है और आपने ही कल कहा था कि तस्कर व्यापारियों के लिये कठोर से कठोर दंड रखना चाहिये। तो आपकी ही मन्शा की पूर्ति हो रही है। अब तस्कर व्यापारियों में कौन आता है? दो आने के बजाय ९ पैसे में बेचने वाला या जो बाट में ही गड़बड़ी करके बेचता रहे वह भी आता है। तो आपकी दोनों बातें एक प्रकार से स्वीकृत हो रही हैं। ऐसी सूरत में मैं समझता हूं कि भारतीय जी इसे वापस ले लेंगे। वैसे अवस्थी जी ने तो भगवान से प्रार्थना की कि मुझे सद्बुद्धि प्रदान करे लेकिन मुझे भारतीय जी के लिये ऐसी प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है, वे सद्बुद्धि रखते ही हैं। जब अवस्थी जी की बात आयेगी तो मैं अवश्य भगवान से प्रार्थना करूंगा। मुझे आशा है कि भारतीय जी अपने संशोधन को वापस ले लेंगे।

श्री देवनारायण भारतीय--माननीय मंत्री जी ने जो अभी स्पष्टीकरण दिया उससे मुझे संतोष नहीं है । जहां तक तस्कर व्यापारियों का सम्बन्ध है मैं फिर दोहराता हूं इस बात को कि वे दूसरे खंड के द्वारा तस्कर व्यापारियों के लिये बजाय ५०० के १,००० रुपया जुर्माना कर दें और बजाय ३ मास की सजा के ६ मास की सजा रख दें तो मैं सहर्ष स्वीकार कर लूंगा, लेकिन भूले से यदि किसी व्यापारी के पास पुराने बाट निकल आयें या नये बाटों के स्थान पर पुराने बाटों से तोल जाय तो उसको इतनी सजा दी जाय यह हमारी कल्पना की सीमा के बाहर है, उसे हम स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हैं ।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम ५०० रुपये तक जुर्माने की सजा रख रहे हैं और उसमें ५ रुपया भी आ जाता है । मैं यह चाहता हूं कि ५ रुपया ही अन्तिम सीमा रखी जाय, उससे कम चाहे १, २ या ३ रुपया सजा दे तो वह ठीक होगा । यदि आप ५०० रुपये की सीमा रखेंगे तो स्वाभाविक है कि न्यायाधीश का दिमाग अधिक जुर्माना करने की ओर रहेगा । इसी प्रकार जहां तक कारावास देने का प्रश्न है, यदि आप ३ महीने की अवधि रखेंगे तो जाहिर है कि किसी भी अपराधी को १ या २ मास से कम सजा नहीं मिलेगी, लेकिन मैं समझता हूं कि उसको १ दिन की भी सजा उतनी फलदायक होगी जितनी ३ माह की । इसलिये मैं अपने संशोधन को वापस लेने के लिये तैयार नहीं हूं । वैसे मैं समझता हूं कि मेरा संशोधन बहुमत के मुकाबले में ठहर नहीं सकेगा लेकिन मैं इसके औचित्य का जरा भी कम अनुमान नहीं कर रहा हूं इसलिये मैं इसे वापस नहीं लेता हूं ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी--मुझे जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता--मैं इसके ऊपर मतदान २ बजे के लिये स्थगित करता हूं ।

खण्ड २३

२३--जो व्यक्ति किसी व्यापारिक बाट या माप अथवा किसी तोलने या मापने के यंत्र को, जिसका इस अधिनियम तथा इसके अधीन बने नियमों के उपबन्धों के अनुसार परीक्षण या पुनः परीक्षण अथवा मुद्रांकन न हुआ हो, बेचता है या देता है, वह अर्थदंड से दंड्य होगा जो, पांच सौ रुपये तक हो सकता है ।

अमुद्रांकित व्यापारिक बाटों तथा मापों की बिक्री के लिये शास्ति

श्री देवनारायण भारतीय--श्रीमन्, मेरा संशोधन विधेयक के खंड २३ में इस प्रकार है कि :--

"खंड २३ की अंतिम पंक्ति में शब्द 'या देता है' निकाल दिये जांय ।"

मान्यवर, मैंने इस खंड को बहुत ध्यान से पढ़ा और मैं समझता हूं कि इसमें शब्द 'या देता है' अनावश्यक हैं और इनके निकाल देने से इसके भाव में कोई भी कमी नहीं आती है और जो इसका मंशा है वह भी ज्यों का त्यों रहता है इसलिये मैं यह संशोधन उपस्थित कर रहा हूं और आशा है कि मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी--यह तो इसको और क्लेरीफाई करता है । बेचता है या देता है तो इसमें बेचने के अलावा वह दे भी सकता है इसलिये इसको यह स्पष्ट करता है । अगर कोई वैसे ही दे दे तो कठिनाई उपस्थित हो जायगी, निःशुल्क भी दे सकता है । इसलिये दोनों शब्दों का रहना आवश्यक है । इसलिये वह इसको वापस ले लें ।

श्री देवनारायण भारतीय--श्रीमन्, अगर वैसे ही दे दे यानी बिना लाभ उठाये तो मैं उसको अपराध मानने के लिये तैयार नहीं हूं । जिस मंशा से यह खंड रखा गया वह इन शब्दों के निकालने से ज्यों का त्यों बना रहता है निर्दोष होने पर भी एक अनावश्यक दंड की व्यवस्था हुई जाती है इसलिये मैं अपने संशोधन को वापस लेने के लिये तैयार नहीं हूं और मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इसे स्वीकार कर लें ।

श्री जगमोहन सिंह नेगी---मुझे कोई जवाब देने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता---मैं इसके ऊपर भी मतदान २ बजे के लिये स्थगित करता हूं ।

(श्री देवनारायण भारतीय से) आप खंड २४ में अपने तीनों संशोधन एक साथ पेश कर दें ।

खण्ड २४

अमुद्रांकित व्यापारिक बाटों तथा मापों के प्रयोग के लिये शास्ति।

२४---जो व्यक्ति किसी व्यापारिक बाट या माप अथवा किसी तोलने या मापने के यंत्र को, जिसका इस अधिनियम के तथा उसके अधीन बने नियमों के उपबन्धों के अनुसार परीक्षण या पुनः परीक्षण अथवा मुद्रांकन न हुआ हो, व्यापार या वाणिज्य के किसी व्यवहार में प्रयुक्त करता है, अथवा ऐसे प्रयोग के लिये अपने कब्जे में रखता है, वह प्रथम अपराध के लिये अर्थ दंड से दंड्य होगा, जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है तथा द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिये कारावास से, जो तीन मास तक हो सकता है, अथवा अर्थदंड से, जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है, या दोनों से दंड्य होगा ।

स्पष्टीकरण (१)---जब कोई ऐसा बाट या माप अथवा तोलने या मापने का यंत्र किसी व्यापारी या ऐसे व्यापारी के कर्मचारी अथवा अभिकर्ता के कब्जे में पाया जाय, तो जब तक कि अन्यथा प्रमाणित न कर दिया जाय तब तक यह माना जायगा कि उक्त व्यापारी, कर्मचारी या अभिकर्ता ने ऐसे बाट या माप अथवा तोलने या मापने के यंत्र को वाणिज्य या व्यापार के व्यवहारों में प्रयोग के लिये अपने कब्जे में रक्खा था ।

स्पष्टीकरण (२)---जब किसी व्यापारी की ओर से उसके कर्मचारी अथवा अभिकर्ता द्वारा इस धारा का उल्लंघन करके कोई बाट या माप अथवा तोलने या मापने का यंत्र प्रयुक्त किया जाय अथवा कब्जे में रक्खा जाय तो उक्त व्यापारी भी, जब तक कि वह यह प्रमाणित न कर दे कि इस अधिनियम के अधीन अपराध उसके कर्मचारी या अभिकर्ता द्वारा बिना उसकी जानकारी या सम्मति के किया गया था, अपराध का दोषी समझा जायगा ।

श्री देवनारायण भारतीय---श्रीमन्, मैं उपस्थित विधेयक के खंड २४ में निम्नलिखित तीन संशोधन उपस्थित करता हूं कि :---

"खंड २४ की पंक्ति ६ में शब्द 'सौ' हटा दिया जाय ।"

"खंड २४ की पंक्ति ७ में शब्द 'मास' के स्थान पर शब्द 'दिन' रख दिया जाय ।"

"खंड २४ की पंक्ति ७ में शब्द 'सौ' निकाल दिया जाय ।"

मेरे इन संशोधनों की मंशा वही है जो मैं पहले खंड २२ में संशोधन उपस्थित करते समय अपने विचार प्रकट कर चुका हूं । मेरी मंशा यह है कि विधेयक सद्भावना की दृष्टि से पेश किया जा रहा है तो इसमें दंड देने की भावना नहीं आनी चाहिये । इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इनको स्वीकार कर लें ।

***श्री ब्रजनारायण तिवारी** (जिला देवरिया)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय भारतीय जी द्वारा उपस्थित संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मैं समझता हूं कि यह जो दंड की विधि रखी गई है इसमें जानबूझ कर कोई अपराध नहीं करेगा और अगर यह कानून सद्भावना की दृष्टि से पेश किया जाता है तो फिर काफी मौका मिलना चाहिये विचार करने का । यह नयी प्रणाली है और इस की भाषा भी फ्रांस की भाषा है । तो इसमें नीयतन गड़बड़ी नहीं होगी, भाषा बदलने के आधार पर और नये प्रचलन के आधार पर गड़बड़ी हो सकती

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है । इसके लिये मैंने कहा कि इसको अगर किसी कोर्ट, अलग अथारिटी या किसी विभाग द्वारा नियन्त्रित किया जाय बल्कि मैं यह सुझाव दूंगा क्योंकि इस सदन में बार-बार इधर से कहा गया कि इसमें जल्दबाजी न की जाय इसलिये कि यह एक नयी चीज है । इसमें जो खामियां हैं, उनके लिये मंत्री जी को फिर संशोधन लाना पड़ेगा । मैं इसको अपव्यय समझता हूं । यह मुल्क गरीब है और एक दिन की बैठक में जो पैसा खर्च होता है वह भी गरीब मुल्क के लिये काफी कठिन है । इसलिये अगर कोई कानून बने तो उसमें इतना समय मिलना चाहिये कि बार-बार संशोधन करने की जरूरत न पड़े । बार-बार पब्लिक का पैसा खर्च न हो । मैं समझता हूं कि यह जो दंड देने का नियम रखा गया है जो सरकार की तरफ से नियोजन विभाग चल रहा है गांव-गांव में उसके कर्मचारी हैं । गांव सभाएं हैं । टाउन एरिया और नोटिफाइड एरिया हैं । उन्हीं के जिम्मे इसके नियन्त्रण का काम दिया जाय, तो इसमें दंड रखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी । जो सरकारी कर्मचारी नित्य प्रति के काम करते हैं, उन्हीं के द्वारा सजा की व्यवस्था हो जैसे ग्राम सभाएं है । वह तौलने पर टैक्स लगा सकती हैं । तो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक उन्हीं के द्वारा यह नियन्त्रण का काम भी कराया जाता तो हम लोगों को यह शंका नहीं होती कि जनता को कष्ट का सामना करना पड़ेगा । इन शब्दों के साथ मैं जरूर चाहूंगा कि जिस सद्भावना से यह कानून बनाया जा रहा है इसमें अधिक दंड की व्यवस्था नहीं होनी चाहिये । भारतीय जी ने जो संशोधन रखा है उसको वह कबूल कर लें तो कोई हर्ज नहीं है ।

*श्री जगमोहनसिंह नेगी—अधिष्ठाता महोदय, १९४७ के ऐक्ट में भी लगभग यही पावर्स थीं । यह ऐक्ट जो रिपील हो गया था वही उतार कर रख दिया गया है । इसमें हमने कोई घटती बढ़ती नहीं की । इस बीच में क्या बातें हुईं इसका अनुभव आपको स्वयं होगा कि वेट्स ऐंड मेजर्स क सिलसिले में कितनी ज्यादतियां हुईं, क्या प्रभाव पड़ा, यह अनुभव है । यही सजाएं हैं । कभी दुरुपयोग नहीं हुआ । वही इंस्पेक्टर्स हैं । वही बात है । मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें क्या नयी बात है । सैद्धांतिक दृष्टि से भारतीय जी और मैं भी बोल चुका हूं । इसलिये कुछ कहने को बाकी नहीं रह जाता । यह तो संशोधन ठीक ही है कि जैसा पिछले संशोधन में भारतीय जी ने रखा है लेकिन उसमें दिक्कत यह थी कि अगर कोई पकड़ा गया और उसने कह दिया कि मैंने बेचा कहां था तो क्या होगा ।

अब लोगों को परेशानी न हो लेकिन क्या उसको हम लोग अपने दिल में कभी सोच सकते हैं कि लोगों को परेशानी हो । मैं यही तो कह रहा हूं कि सन् १९४७ के ऐक्ट में भी यही पावर्स थीं । उससे कोई बात आपकी दृष्टि में भी नहीं आयी और न हमारी दृष्टि में आयी । इस बात की आवश्यकता है कि गलत बात कोई न हो इस पर जोर देने की आवश्यकता है । उसके लिये जैसा मैंने आपसे कहा कि यह एक प्रतिबन्ध रखा गया है कि अगर कोई गलती या गड़बड़ इंस्पेक्टर भी करेगा या खराब नीयत से काम करेगा या उसकी बोनाफाइडी में शक होगा तो उसको केवल नौकरी से अलग करने या सस्पेंड करने की बात नहीं है बल्कि उसके लिये भी वही जुर्माना और सजा की व्यवस्था है । एक-सी बात दोनों के लिये रखी गयी है तो मेरी समझ में नहीं आता कि सरकारी कर्मचारियों के लिये कम परेशानी की बात कहां है और दूसरे लोगों के लिये परेशानी कहां ज्यादा है ? दोनों में, उसके लिये भी है और सरकारी कर्मचारी के लिये भी है । इसमें अब मेरी समझ में नहीं आता है कि कैसे आपसे कहूं कि आप अपने संशोधन को वापस ले लें । आप वापस ले ही लेंगे ।

*श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद यह चाहता हूं कि वे जरा खंड २४ को ध्यान से देखें । इसमें लिखा है :—

> "जो व्यक्ति किसी व्यापारिक बाट या माप अथवा किसी तोलने या मापने के यंत्र को, जिसका इस अधिनियम के तथा उसके अधीन बने नियमों के उपबन्धों के अनुसार परीक्षण या पुनः परीक्षण अथवा मुद्रांकन न हुआ हो,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

व्यापार या वाणिज्य के किसी व्यवहार में प्रयुक्त करता है, अथवा ऐसे प्रयोग के लिये अपने कब्जे में रखता है।"

इसमें दोनों शब्द हैं "व्यवहार में प्रयुक्त करता है" और "अपने कब्जे में रखता है"। श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी को सुनाने के लिये यह कह रहा हूं लेकिन कुछ अफसरान ने उन्हें अपने काम में लगा लिया है। यह काम उनके दफ्तर में होना चाहिये।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—ठीक है मैं सुन रहा हूं। आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री अधिष्ठाता—माननीय अवस्थी जी, अब आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, यह दोनों बातें "हंसब, ठठाब, फुलाउब गालू" नहीं चल सकतीं। मैं यहां उनके लिये कह रहा हूं लेकिन वे सुन भी रहे हैं और दफ्तर के आदमियों से बातें भी कर रहे हैं। यह बातें दफ्तर में हो सकती थीं।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—लेकिन अगर उनकी बात न सुनूं तो आपकी बातों का जवाब कैसे दूं?

श्री मोतीलाल अवस्थी—तो आपको अपने अफसरान से बहुत कुछ सीखना बाकी है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—और आपको सिखाना बाकी है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं तो यहां सीख ही रहा हूं।

मैं यह कह रहा था कि इसमें एक ऐसा क्लाज है कि "ऐसे प्रयोग के लिये अपने कब्जे में रखता है"। मगर कब्जे की बात हो तो उसी ढंग से लागू हो जायगा जब वह पुराने बाटों को रखने में रहा होगा। अभी हमारे मंत्री जी ने कहा कि यह गलत बाटों को रखने की बात सन् १९४७ के कानून से है लेकिन गलत बाट पहले वही हुआ करते थे जो तौल में घट जायं या किसी प्रकार से निकम्मे हो जांय। यहां तो अभी तक के जो पुराने बाट हैं उन्हीं के बने रहेंगे, सरकारी कब्जे में रहने की बात आ जायगी और दंड का भागी भी वह बनेगा इसलिये न केवल इतना ही कि पुनः परीक्षण या मुद्रांकन न किया गया हो बल्कि ऐसे किसी भी बाट जो अमान्य हो उसके साथ में पाये जाने पर वह दंड का भागी होगा। तो जब दंड इतना लूज है और उसके लिये पैमाने इतने बड़े हैं कि जुर्माना पांच सौ और तीन महीने की सजा हो तो उसी के लिये भारतीय जी ने कहा कि उसको न माना जाय।

इसके साथ जो स्पष्टीकरण है उसमें यह कहा गया है कि "जब तक कि अन्यथा प्रमाणित न कर दिया जाय।" तब तक यह मान ही लिया जायगा कि वह दोषी है। यह बर्डेन आफ प्रूफ उसी कम्प्लेंट के ऊपर आ जायगा और इसको प्रूव करने के लिये उसको कितनी कठिनाई पैदा हो जायगी। अन्यथा वह दंड का भागी बना रहेगा। माननीय खाद्य मंत्री जी ने बार-बार इस बात को कहा कि उसके ऊपर केस चलाया जायगा। वह उस दफा को तो नहीं बतला सके, वह दफा ३४ है जिसमें लिखा हुआ है कि वह स्वयं निरीक्षक यदि वह कोई कर्तव्य भंग करता है तो १ वर्ष का कारावास या ५०० रुपये दंड का भागी हो सकता है। यह एक अजीब प्रकार का दंड उसके लिये रखा गया है। यह दोनों प्रकार का रखा गया है, ठीक है लेकिन या तो इस चीज को लाने के लिये यह निरीक्षक और कंट्रोलर कुछ लेवा देई की बात करेंगे या वह स्वयं मुकदमा चलायेंगे नहीं। चलाने के पहले जो तरीके हो सकते हैं वह जानते हैं और ले देकर मामला ठंडा कर दिया जायगा। यह भी हो सकता है कि चूंकि यह दंड की बात है तो समझौते की बात करेंगे। एक बार अधिकार दे देना दूसरे समझौते की बात को उत्पन्न करता है क्योंकि यह मुकदमा निरीक्षक के ऊपर चलाया कैसे जायगा इसको मैं समझ नहीं पाया। कागनिजेबिल आफेन्स तभी बन सकता है जब कोई प्रासीक्यूशन करने की अथारिटी हो। अब इसको अभि-

योगी चलायेगा या अधिकारी चलायेंगे या कोर्ट चलायेगा। काउन्टर चार्जेज मानकर उसको निजात दे दे ऐसी कोई बात नहीं है। इसका स्पष्टीकरण होना चाहिये। काउन्टर चार्जेज का सोर्स होने पर यह हो सकता है। लेकिन उस निरीक्षक को दंड दिलाने के लिये कागनिजेबिल आफेन्स कौन लायेगा और उसका सोर्स क्या होगा। इन सब बातों को अगर देखा जाय तो यह मालूम पड़ता है कि यह भार जो इसमें रखा गया है वह बहुत अधिक है और इसका प्रयोग करने में जो विस्तृत अधिकार रखा गया है वह भी गलत है। साथ ही इसमें जो 'कन्जे' का शब्द रखा गया है वह बहुत भयानक दिखाई पड़ता है।

श्री देवनारायण भारतीय---माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी ने मेरे संशोधन पर उत्तर देते हुये कहा कि सन् १९४७ में जो विधान बनाया गया था उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है और वह ज्यों का त्यों रख दिया गया है। सन् १९४७ से सन् १९५९ तक १२ वर्ष बीत जाने पर उन धाराओं का प्रयोग जनता के खिलाफ नहीं किया गया जिनको कि कानून में शामिल किया गया था। मैं माननीय मंत्री जी के इन तर्कों को उन्हीं के खिलाफ समझता हूं। मैं चाहता हूं कि एक सजा को कानून में शामिल कर देना और उसको कभी प्रयोग में न लाना यह कोई बुद्धिमानी नहीं है। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से बहुत नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि सजा विधान में जितनी आपने सन् १९४७ में रखी थी उससे कम कीजिये और फिर उसको सख्ती के साथ व्यवहार में लाइये ताकि जहां आपका सुधार का मंशा है वह सुधार जल्द से जल्द अमल में आये और जनता का कल्याण हो और हमारे प्रान्त का कल्याण हो। केवल कानून की किताब में एक सख्त कानून बनाकर रख देना और उसको कभी काम में न लाना उससे जनता का कल्याण नहीं हो सकता है, मेरा ऐसा विचार है। दूसरी बात माननीय मंत्री जी ने यह कही कि वह संशोधन को किसी भी हालत में स्वीकार करने अथवा उस पर पुनः विचार करने के लिये वे तैयार नहीं हैं। ऐसी परिस्थिति में उपरोक्त कारणों से मैं भी अपने संशोधन वापस लेने को तैयार नहीं हूं। हम चाहे कितनी ही उचित और न्याय-संगत बात कहें और जनहित और सद्भावना की दृष्टि से कहें, लेकिन उसे मंत्री जी स्वीकार नहीं करेंगे। इसके कुछ अन्य कारण हैं। उनकी बहुसंख्या है, जैसा माननीय पालीवाल जी के शब्दों में उनको संख्यासुर का बल है और उसी बल पर ही वह हमारी भली बात को भी स्वीकार नहीं करते। लेकिन हमें भली बात कहने और उस पर कायम रहने का अधिकार है। वह अपनी बात को छोड़ नहीं सकते, वह तो जन-कल्याण करेंगे ही जिसे वह जन-कल्याण समझ रहे हैं, चाहे उस से जनता का और सरकार का कल्याण हो अथवा न हो और उस दल का कल्याण हो अथवा न हो जिससे हमारे माननीय मंत्री जी संबंधित हैं, लेकिन उनको जन-कल्याण करना है। तो जब उनकी जन-कल्याण की धारणा इस श्रेणी पर पहुंच चुकी है कि उससे चाहे जो कुछ भी परिणाम क्यों न हो, वह परिणाम सब के लिये विपरीत ही क्यों न हो वह जिसे एक बार ठीक मान चुके हैं उस हिसाब से वह जन-कल्याण करेंगे ही तो करें, मैं अपना संशोधन वापस लेने को तैयार नहीं हूं।

श्री जगमोहनसिंह नेगी---अधिष्ठाता महोदय, यह जो भारतीय जी ने कहा कि हमको बहुमत का बल है और उसके बल पर हम उनकी बात नहीं मानते, यह बात बिलकुल तथ्यहीन है। मैं आपके द्वारा उनको यह बता दूं कि अगर वह ऐसा हास्यास्पद संशोधन प्रस्तुत न करते और उसमें कहते कि ३ महीने ज्यादा है उसे २ या १ महीना कर दिया जाय और ५०० के बजाय ४०० या ३०० कर दिया जाय, तो मैं जरूर उनकी बात स्वीकार कर लेता, लेकिन कानून बना कर अगर इसमें कोई खास सजा न हो तो उससे कौन डरेगा। इज्जतदार आदमी के लिये तो एक दिन और एक साल की सजा समान है, लेकिन जहां तक पैसे का सवाल है, भारतीय जी को भी पता होगा कि बहुत से आदमी ऐसे होते हैं कि जो यह भी हिसाब लगाते हैं कि जेल जाने में फायदा है या जेल न जाने में। वह पैसा देने के बजाय जेल काट आना पसन्द करेंगे। वह इसका हिसाब रखते हैं कि जेल जाने में मुनाफा है या बाहर रहने में। तो इसको भी सोचना पड़ता है। अगर आपका संशोधन इस तरह का आया होता तो मुझे उसको स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होती।

श्री देवनारायण भारतीय---मैं मंत्री जी से कहूंगा कि इसमें जो स्वयं उचित समझें वह संशोधन कर लें ।

श्री जगमोहन सिंह नेगी---मैं अपने आप कैसे समझूं ? मैंने तो जो उचित समझा वही रखा है । आप एक मत हो कर कोई उचित बात बताते कि ३ महीने के बजाय २ महीना कर दीजिये और ५०० के बजाय ३०० कर दीजिये तो उसे मानने में मुझे कोई आपत्ति न होती ।

दूसरी बात यह है कि जैसा अभी अवस्थी जी बार-बार कह रहे थे, अगर कोई अफसर जानबूझ कर वेट्स ऐन्ड मेजर्स के सिलसिले में हैरान करे, तो उसके लिये तो पब्लिक भी शिकायत कर सकती है और उसको सजा जहां चोरी और बदमाशी करने वालों को मिलती है, वहीं मिलेगी। आप भी उसके खिलाफ दावा कर सकते हैं और उसके लिये हमने जो सजा रखी है वह है । लेकिन न्याय के हिसाब से अगर इधर सजा घटायेंगे तो उधर भी सजा घटानी पड़ेगी । अगर हम ३०० रुपया यहां करेंगे तो १०० रुपया वहां भी करना होगा । तो आप समझ लीजिये अगर कोई इंस्पेक्टर निजी तौर पर किसी को नुकसान पहुंचाता है तो उसके लिये वह सिविल कोर्ट में नुकसानदेही का दावा कर सकता है । अगर जानबूझ कर वह किसी धारा का रांग इंटरप्रिटेशन लगाता है तो उसके ऊपर हमने यह सख्ती जरूर रखी है जो इस विधेयक में आपके सामने है । जहां तक इसका सवाल है जो आपने कहा कि कानून जो बने, चाहे उसमें छोटी सजा हो मगर इफेक्टिवली हो, यह बात ठीक है, इसको हम भी मानते हैं । जो क़ानून बने हैं उनकी अवहेलना किसी प्रकार से नहीं होनी चाहिये । मैंने तो इस तर्क में उस बात को कहा था कि जो आप उम्मीद करते हैं कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा लोगों पर अनाचार और अत्याचार अकारण ही होगा तो यह बात नहीं होगी, क्योंकि अनुभव हमारा इस बात को सिद्ध करता है । जहां तक उसके एनफोर्समेन्ट का ताल्लुक है उसके लिये तो मेरी और आपकी राय में कोई मतभेद नहीं है कि इफेक्टिवली और बड़ी मजबूती के साथ उसको कार्यान्वित कराना चाहिये । और जहां तक इसका ताल्लुक है आप सोच कर रख लीजिये, मगर वह आशय स्पष्ट नहीं है । आप भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, कल कानून बनेगा, उसको बाहर के लोग देखेंगे, समझेंगे और यह कहेंगे कि चाहे अपोजीशन ने रखा या इधर ने---संख्यासुर या बहुमत के आधार पर नहीं कह रहा हूं बल्कि वाजबियत के आधार पर कह रहा हूं---उसमें सबकी जिम्मेदारी है ।

श्री देवनारायण भारतीय---श्रीमन्, मैं कुछ कहना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता---आप तो जवाब दे चुके ।

(इस समय १ बजकर ५६ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुये ।)

श्री उपाध्यक्ष---आप क्या चाहते हैं ? आपका संशोधन था ।

श्री देवनारायण भारतीय---मेरा संशोधन है और उसको मंत्री जी ने स्वीकार किया है । मैं उनके कहने पर अपना स्पष्टीकरण करना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---या तो आप अपना संशोधन वापस लें या कोई सवाल पूछना चाहें तो करें । भाषण देने की गुंजायश नहीं है ।

श्री देवनारायण भारतीय---मैं कोई भाषण नहीं दूंगा । मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि कोई रीजनेबिल बात कहूं बजाय इसके जो मैंने संशोधन पेश किया है, तो मैं .....

श्री उपाध्यक्ष---वह बाद में आप कहियेगा ।

श्री देवनारायण भारतीय---फिर जब वह विधान बन जायगा तो मेरे कहने का तात्पर्य ही क्या होगा ?

श्री उपाध्यक्ष---अब वह प्रथा नहीं है, अगर मंत्री जी कोई बात मानना चाहें....

श्री देवनारायण भारतीय---मंत्री जी ने कहा था कि इसको मान लेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष---मैं कार्यवाही पोस्टपोन किये देता हूं, आप उनसे बात कर लें । भाषण करने की कोई गुंजायश नहीं है ।

श्री देवनारायण भारतीय---मैं प्रश्न तो कर सकता हूं ?

श्री उपाध्यक्ष---कीजिये ।

श्री देवनारायण भारतीय---क्या मंत्री जी ३ मास की जगह १ मास की सजा रखेंगे और ५०० की जगह १०० रुपया जुर्माना रखकर मेरे संशोधन को स्वीकार कर लेंगे ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---२ मास और ३०० रुपये पर मैं सहमत हो सकता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---मैं उस कनवेंशन के मुताबिक खंड २४ को पोस्टपोन किये देता हूं, इसे ढाई बजे के बाद लूंगा, तब तक आप लोग बात कर लें ।

खंड २५-३२

बिना लाइसेंस के बाटों आदि के निर्माण के लिये शास्ति

२५---जो व्यक्ति धारा १२ द्वारा अपेक्षित लाइसेंस प्राप्त किये बिना कोई व्यापारिक बाट या माप अथवा तोलने या मापने के यंत्र का निर्माण करता है, उसकी मरम्मत करता है अथवा उसे बेचता है वह कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकता है, अथवा अर्थ-दंड से, जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है, या दोनों से दंड्य होगा ।

धारा ८ का उल्लघंन करके बाट या माप के प्रयोग के लिये शास्ति

२६---जो व्यक्ति धारा ८ के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति के उपबन्धों में से किसी उपबन्ध का उल्लंघन करता है वह अर्थ-दंड से दंड्य होगा जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है ।

सील बन्द पात्रों पर भार या माप अंकित न करने पर शास्ति

२७---जो व्यक्ति धारा १३ के उपबन्धों का उल्लंघन करता है वह अर्थ-दंड से दंड्य होगा जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है ।

बाटों तथा मापों आदि के कपटपूर्ण प्रयोग के लिये शास्ति

२८---जो व्यक्ति किसी ऐसे मानक बाट या माप अथवा तोलने या मापने के यंत्र का कपटपूर्वक प्रयोग करता है, जिसका मिथ्या होना वह जानता है वह कारावास से जो एक वर्ष तक का हो सकता है, अथवा अर्थ-दंड से, जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है, या दोनों से दंड्य होगा ।

मिथ्या बाट या माप आदि कब्जे में रखने के लिये शास्ति

२९---जो व्यक्ति किसी ऐसे व्यापारिक बाट या माप अथवा तोलने या मापने के यंत्र को, जिसका मिथ्या होना वह जानता है, इस अभिप्राय से अपने कब्जे में रखता है कि उसका कपटपूर्वक प्रयोग किया जा सके, वह कारावास से, जो एक वर्ष तक का हो सकता है, अथवा अर्थदंड से, जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है, या दोनों से दंड्य होगा ।

मिथ्या बाट तथा माप आदि निर्मित करने या बेचने के लिये शास्ति

३०---जो व्यक्ति किसी मानक बाट या माप अथवा तोलने या मापने के यंत्र को, यह जानते हुए कि वह मिथ्या है, असली के रूप में प्रयोग के निमित्त या यह जानते हुए कि उसके असली के रूप में प्रयुक्त होने की संभावना है, निर्मित करता है, बेचता है या निस्तारित करता है अथवा निर्मित करवाता है, बिकवाता है या निस्तारित करवाता है, वह कारावास से जो एक वर्ष तक का हो सकता है, अथवा अर्थ-दंड से, जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है, या दोनों से दंड्य होगा ।

काम तोलने या मापने के लिये शास्ति

३१---जो व्यक्ति किसी वस्तु को तोलकर या मापकर बेचते समय क्रेता को जितना अभिप्रेत हो उससे कम देता है या दिलवाता है और ऐसी कमी भूल की नियत सीमा से अधिक हो जाती है, वह अर्थ-दंड से दंड्य होगा जो तीन सौ रुपये तक हो सकता है।

कूटरचित बाटों, मापों आदि को रचना करने आदि के लिये शास्ति

३२---(१) जो व्यक्ति किसी ऐसे मुद्रांक को, जो इस अधिनियम के अधीन किसी मानक बाट या माप अथवा तोलने या मापने के यंत्र के मुद्रांकन के लिये प्रयुक्त होता है, कूट रचना करता है या कूटकृत करता है अथवा किसी ऐसे कूटकृत मुद्रांक को अपने कब्जे में रखता है, या किसी मानक बाट या माप अथवा तोलने या मापने के यंत्र से मुद्रांक हटा देता है तथा उसे दूसरे बाट या माप अथवा तोलने या मापने के यंत्र में लगा देता है अथवा इस प्रकार मुद्रांकित बाट या माप को जान-बूझकर बढ़ाता है अथवा घटाता है, वह कारावास से, जो एक वर्ष तक का हो सकता है, अथवा अर्थ-दंड से, जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है, या दोनों से दंड्य होगा।

(२) जो व्यक्ति जानबूझ कर किसी ऐसे बाट या माप अथवा तोलने या मापने के यंत्र को, जिस पर ऐसा कूट रचित या कूट कृत मुद्रांक हो, या इस प्रकार बढ़ाये गये या घटाये गये बाट अथवा माप को प्रयुक्त करता है, बेचता है, निस्तारित करता है अथवा बिक्री के लिये प्रदर्शित करता है, वह कारावास से, जो छः मास तक का हो सकता है, अथवा अर्थदंड से, जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है, या दोनों से दंड्य होगा।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २५ से ३२ तक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३३-४३

बाट या माप आदि को निरीक्षण के लिये प्रस्तुत करने में उपेक्षा करने या उससे इनकार करने के लिये शास्ति

३३---जो व्यक्ति---

(क) किसी ऐसे बाट या माप अथवा तोलने या मापने के यंत्र अथवा उससे संबंधित किसी लेख्य या अभिलेख को जो उसके कब्जे में हो अथवा उसके भूगृहादि में हो, धारा १६ के अधीन निरीक्षण के लिये प्रस्तुत करने से इन्कार करता है या उसमें अपेक्षा करता है; अथवा

(ख) निरीक्षक को किसी ऐसे बाट, माप, यंत्र, लेख्य या अभिलेख का निरीक्षण तथा परीक्षण करने के लिये अनुमति नहीं देता है; अथवा

(ग) धारा १६ के अधीन निरीक्षक के प्रवेश करने में बाधा डालता है; अथवा

(घ) निरीक्षक के इस अधिनियम के अधीन अपने कर्त्तव्यों के पालन में अन्य किसी प्रकार से बाधा डालता है या रोकता है,

वह अर्थ-दंड से दंड्य होगा, जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है।

निरीक्षक द्वारा कर्त्तव्य-भंग के लिये शास्ति

३४---यदि कोई निरीक्षक इस अधिनियम के उपबन्धों अथवा उसके अधीन बने नियमों का उल्लंघन करके, जानबूझ कर किसी बाट या माप अथवा तोलने या मापने के यंत्र को मुद्रांकित करता है, तो वह कारावास से, जो एक वर्ष तक का हो सकता है, अथवा अर्थ-दंड से, जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है, या दोनों से दंड्य होगा।

३५---इस अधिनियम के अधीन नियुक्त बाट तथा माप के नियंत्रक, या किसी उप-नियंत्रक या सहायक नियंत्रक या किसी निरीक्षक या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसे कार्य के सम्बन्ध में, जो उसने इस अधिनियम या उसके अधीन बने नियमों के अनुसरण में सद्भावना से किया हो अथवा जो इस प्रकार किया गया प्रकट हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। सद्भावना से किये गये कार्य का संरक्षण

३६---इस अधिनियम के अधीन नियुक्त नियंत्रक, प्रत्येक उप-नियंत्रक, सहायक नियंत्रक तथा निरीक्षक इंडियन पीनल कोड, १८६० की धारा २१ के अर्थ में लोक-सेवक (public servant) समझे जायेंगे। इस अधिनियम के अधीन नियुक्त नियंत्रक आदि लोक-सेवक होंगे, ऐक्ट संख्या ४५, १८६०

३७---(१) कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंड्य अपराध के सम्बन्ध में तब तक संज्ञान नहीं करेगा जब तक कि नियंत्रक या उसके सामान्य या विशेष आदेश द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई अधिकारी लिखित परिवाद प्रस्तुत न करे। अपराधों आदि के सम्बन्ध में संज्ञान

(२) प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट से निम्नश्रेणी का कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंड्य अपराध का परीक्षण नहीं करेगा।

३८---इस अधिनियम तथा इसके अधीन बने नियमों के उपबन्धों के अधीन यथाविधि मुद्रांकित कोई बाट या माप अथवा तोलने या मापने का यंत्र जो किसी न्यायालय में किसी ऐसे निरीक्षक द्वारा जिसके अवधान में वह हो या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो नियंत्रक के सामान्य या विशेष प्राधिकार के अधीन कार्य कर रहा हो, प्रस्तुत किया जाय, तब तक शुद्ध माना जायगा, जब तक कि उसकी अशुद्धता सिद्ध न हो जाय। मुद्रांकित बाटों आदि को शुद्ध माना जायगा

३९---(१) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति समवाय (कम्पनी) हो, तो प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध किये जाने के समय समवाय के कार्य का अवधायक तथा समवाय के प्रति उसके कार्य-संचालन के लिये उत्तरदायी रहा हो तथा समवाय भी अपराध के दोषी समझे जायेंगे और तदनुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी तथा उन्हें दंड दिया जा सकेगा : समवायों द्वारा अपराध

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा में दी गई किसी बात से कोई उक्त व्यक्ति दंड का भागी न होगा यदि वह यह प्रमाणित कर दे कि अपराध बिना उसकी जानकारी के किया गया था या उसने उस अपराध के किये जाने को रोकने के लिये समस्त यथोचित प्रयास किया था।

(२) उपधारा (१) में किसी बात के होते हुये भी, जब इस अधिनियम के अधीन किसी समवाय द्वारा अपराध किया गया हो और यह प्रमाणित हो जाय कि अपराध किसी संचालक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सम्मति या मौनानुकूलता (connivance) से किया गया है या उसकी ओर से किसी उपेक्षा के कारण हुआ है तो समवाय का उक्त संचालक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायगा और तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी तथा उसे दंड दिया जा सकेगा।

<u>स्पष्टीकरण</u>---इस धारा के प्रयोजनों के लिये---

(क) "समवाय" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है तथा इसके अन्तर्गत फर्म या व्यक्तियों का अन्य संघ भी है, तथा

(ख) फर्म के सम्बन्ध में "संचालक" का तात्पर्य किसी साझेदार से है ।

अधिकारों का प्रतिनिधान

४०—राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम या इसके अन्तर्गत बने नियमों के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य कोई अधिकार, ऐसे विषयों के सम्बन्ध में तथा ऐसे प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए, जो उक्त निदेश में निर्दिष्ट किये जायं, उसके अधीनस्थ उस अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा भी प्रयोक्तव्य होंगे जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किया जाय ।

बाटों तथा मापों के सम्बन्ध में भूलों की क्षम्य सीमायें ऐक्ट, ८९, १९५६

४१—स्टैन्डर्ड्स आफ वेट्स एन्ड मेजर्स ऐक्ट, १९५६ के अधीन तदर्थ बनाये जाने वाले किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुये राज्य सरकार निम्नलिखित के सम्बन्ध में भूल की अनुज्ञेय सीमायें नियत कर सकती है जो क्षम्य होगी :—

(क) धारा ४ में उल्लिखित द्वितीय मानक ;

(ख) धारा ३ में उल्लिखित कार्यमानक ;

(ग) व्यापारिक बाट तथा माप के सम्बन्ध में या भार या माप द्वारा वस्तुओं की बिक्री के सम्बन्ध में सामान्यतया या किसी व्यापार या व्यापार के वर्ग के सम्बन्ध में; तथा

(घ) तोलने या मापने के यंत्र ।

निरसन सं० प्रा० ऐक्ट संख्या २३,१९४८ सं० प्रा० ऐक्ट संख्या १,१९०४

४२—बाटों और पैमानों का ऐक्ट, संयुक्त प्रान्त, १९४७ ई० एतद्द्वारा निरसित किया जाता है तथा यू०पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १, १९०४ की धारा ६ और २४ के उपबन्ध उस पर लागू होंगे ।

नियम बनाने का अधिकार

४३—(१) राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है ।

(२) विशेषतः और पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी विषयों में से सभी या किसी एक के लिये व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात् —

(क) जो तोलने तथा मापने के यंत्र रक्खे जायेंगे उसकी संख्या, रीति जिसके अनुसार उनका परीक्षण, अंकन, चिन्हांकन तथा मुद्रांकन किया जायगा तथा उन्हें रखा जायगा और उनके सम्बन्ध में आवश्यक विवरण ;

(ख) रीति जिसके अनुसार बाट तथा माप निर्माणकर्ताओं द्वारा चिन्हित या अंकित किये जायेंगे ;

(ग) आकार तथा रीति जिसके अनुसार और शर्तें जिनके अधीन व्यापारिक बाटों तथा मापों और तोलने तथा मापने के यंत्रों के निर्माण, मरम्मत अथवा विक्रय के निमित्त लाइसेंस स्वीकृत किये जायेंगे;

(घ) इस अधिनियम के अधीन निरीक्षकों की सामान्यतया अर्हतायें, कृत्य, तथा कर्त्तव्य;

(ङ) बाटों तथा मापों और तोलने तथा मापने के यंत्रों का परीक्षण और मुद्रांकन तथा वह अवधि जिसके भीतर उनका पुनः परीक्षण किया जायगा;

(घ) व्यापार तथा वाणिज्य के व्यवहार में प्रयुक्त होने वाले बाटों तथा मापों और तोलने तथा मापने के यंत्रों का निरीक्षण ;

(छ) उन बाटों तथा मापों के जो इस अधिनियम द्वारा अनुमत नहीं हैं, अभिग्रहण, उन्हें रोक रखना तथा उनका निस्तारण ;

(ज) बाटों तथा मापों और तोलने तथा मापने के यंत्रों से संबंधित बहियां, लेखे तथा अभिलेख जो रखे जायेंगे तथा रीति जिसके अनुसार वे रखे जायेंगे या प्रस्तुत किये जायेंगे ;

(झ) आकार तथा रीति जिसके अनुसार निरीक्षकों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलें प्रस्तुत की जायेंगी तथा अपीलों की सुनवाई की प्रक्रिया;

(ञ) व्यापारिक बाटों तथा मापों और तोलने तथा मापने के यंत्रों का पदार्थ, आकार तथा विशिष्टतायें और उनका निर्माण तथा विक्रय;

(ट) कोई अन्य विषय जो नियत करना हो या जो नियत किया जा सकता हो ।

(३) इस धारा के अधीन कोई नियम बनाते समय राज्य सरकार यह व्यवस्था कर सकती है कि उसका उल्लंघन अर्थ-दंड से दंड्य होगा, जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है ।

(४) इस धारा के अधीन नियम बनाने का अधिकार इस शर्त के अधीन रहेगा कि नियम सरकारी गजट में पूर्व प्रकाशन के पश्चात् बनाये जायं ।

(५) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम बन जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान-मंडल के समक्ष रक्खे जायेंगे और वे ऐसे परिष्कारों के अधीन रहेंगे, जो विधान-मंडल उस सत्र में करे जिसमें वे इस प्रकार रक्खे जायं ।

***श्री मोतीलाल अवस्थी**—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से खंड ३३ का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं । यह खंड ३३, श्रीमन्, उसी खंड १६ से संबंधित है जिसको हटाये जाने के सम्बन्ध में मैंने अपना संशोधन रखा था और जिसके सम्बन्ध में अब भी मत नहीं लिये जा सके हैं और माननीय सदस्यों के सामने वह पुनः मत के लिये आने वाला है । यह सदन उसे स्वीकार करता है या नहीं, मगर मुझे पूरी-पूरी आशा है कि सदन संशोधन को स्वीकार करेगा और उस खंड को हटा देगा । उसी विश्वास पर मैं ३३ को हटाने की बात भी रख रहा हूं ।

इसमें खंड १६ में किये गये अपराधों का दंड बताया गया है । श्रीमन्, आप देखें कि खंड १६ के सम्बन्ध में पहले तो उन्हीं डिपार्टमेन्टल अधिकारियों को निरीक्षण करने का अधिकार दिया गया है और फिर उन्हीं अधिकारियों के द्वारा कोई अभियोग लगाये जाने पर दंड की व्यवस्था की गई है । मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इसमें ४ बातें हैं जिनके होने पर ५०० रुपये का दंड हो सकता है । पहला यह है कि "बाट या माप के तौलने या मापने के यंत्र या उससे संबंधित किसी लेख्य या अभिलेख को जो उसके कब्जे में हो अथवा उसके भू-गृहादि में हों उन्हें वह निरीक्षण के समय प्रस्तुत करने में इन्कार कर दे" और दूसरा यह है कि "किसी ऐसे बाट, माप, यंत्र, लेख्य या अभिलेख का निरीक्षण तथा परीक्षण के लिये अनुमति न दे ।" तीसरा यह कि "निरीक्षक के प्रवेश करने में बाधा डाले और चौथा यह कि निरीक्षक को अपने कर्तव्यों का पालन करने में रोके या बाधा डाले ।" तो श्रीमन्, आप देखेंगे कि इस ३३ दफा में उस

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

व्यापारी के अलावा जोकि गैर-कानूनी कार्य कर रहा है, एक दूसरा व्यक्ति भी उस दंड का भागी माना जा सकता है क्योंकि इसमें लिखा है कि जो व्यक्ति इनकार करे या इसके करने में बाधा डाले या रोके वह भी दंड का भागी हो सकता है। सवाल यह हो सकता है कि उस व्यापारी के साथ कोई अन्य व्यक्ति भी दंडित हो जाय जो किसी प्रकार से उसमें सम्मिलित मान लिया जाय या शामिल कर लिया जाय। कभी-कभी ऐसा होता रहता है कि किसी निरीक्षक के द्वारा कोई अन्यायपूर्ण कार्य हो रहा हो, या मनमाने ढंग से किसी पर आरोप लगाने की कोशिश की जा रही हो तो उसके इस कार्य में कुछ लोग शरीक हों और वे समझायें, कोशिश करें तो वैसी हालत में दूसरे लोग भी शरीक हो सकेंगे और वे भी दंड के भागी हो जायेंगे। नतीजा यह होगा कि इस कानून के मुताबिक कुछ अधिकारी, पुलिस अथारिटीज के समान हो जायेंगे और जैसा कि पुलिस किया करती है किसी घटना के स्थान पर पहुंचने पर कि घटना करने वाले के साथ-साथ देखने वालों को भी शरीक कर लिया करती है, इसी प्रकार से यहां भी कुछ व्यक्ति जो अपराध नहीं कर रहे होंगे बल्कि निरीक्षक को सहायता देने में ही शरीक होंगे वे भी दंड के भागी हो जायेंगे। तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करूं कि इस प्रकार का व्यापक अधिकार एक निरीक्षक को देना, जैसा कि मैंने आपके सामने रखा, बड़ा अनुचित है। दूसरे कोई निरीक्षक के अमान्य कार्यों के लिये अपील करने की जो गुंजायश है वह भी बड़ी शंका की और गलत है। उसी डिपार्टमेन्ट के ही आनेस्ट आफिसर के पास अपील की जायगी, यह कहां तक मुनासिब है।

उसके बाद दफा ३३ में यह भी है कि वह व्यक्ति जो अपराध करेगा केवल वही ही नहीं परेशान किया जायगा बल्कि उसके साथ-साथ कुछ और व्यक्ति भी जो उस कार्य में सहायता देने के लिये शरीक होंगे वे भी घसीटे जा सकते हैं और उनको भी एक पार्टी बना कर नीचा दिखाया जा सकता है। श्रीमन्, इन कानूनों के द्वारा मैंने कभी-कभी देखा है कि इनमें राजनीति भी घुस आती है और असरदार आदमियों को खेल खेलने का मौका मिल जाता है। इन शब्दों को ध्यान में रखते हुए मैं प्रार्थना करूंगा कि वह यह खंड ३३ भी उसी प्रकार से गलत है जैसा कि खंड १६ और १९ है। इन तीनों धाराओं का स्थान एक सा है, १६, १९ और ३३ का, और मैं चाहता हूं कि सदन इस बात को देखे कि कैसे एक गलती दूसरी गलती कराती है और दूसरी गलती तीसरी गलती कराती है। इसलिये मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इस पर ध्यान देकर हमारी बात को मानेंगे। मैंने चाहा था कि दफा १६ में जो व्यापक अधिकार हैं उनका स्पष्टीकरण हो जाय। मैंने यहां तक भी चाहा था और निवेदन किया था कि मैं इस कानून को केवल रद्द कर देने के लिये ही पक्ष में नहीं हूं बल्कि मैंने तो यहां तक मंत्री जी को आफर दिया था कि इसके बदले ऐसा कोई खंड रखें जो सभी कमियों को दूर करते हुए हो और शब्दों के अन्दर नम्रता न हो जिससे वे आगे चल कर लोगों के लिये दुखदायी सिद्ध हों। लेकिन उन बातों पर मंत्री जी ने ध्यान बिल्कुल ही नहीं दिया। शब्दों के बारे में उन्होंने यह अवश्य कहा कि दोषपूर्ण हैं लेकिन यह नहीं कहा कि दूसरे शब्द सोचने के लिये वह तत्पर हैं। दफा १६ के शब्दों में मिसरिप्रेजेन्टेशन हो सकते हैं और उसके कितने नमूने मैंने मंत्री जी के सामने रखे और दिखाया कि आजकल अदालतों में शब्दों के अर्थों पर फैसले उलट जाते हैं। अभी हाल में रेन्ट कंट्रोल ऐक्ट के बारे में हमारे हाई कोर्ट ने कहा है कि सरकार ने ऐसे अधिकार दे दिये हैं जो ऐक्ट को ही नल ऐन्ड वायड कर देते हैं। इसी प्रकार इस कानून में भी शब्दावली एक प्रकार से बिना सोचे हुए या अमान्य है या दोषपूर्ण अर्थ रखने वाली है। दफा ३३ में और ज्यादा विष फूंका गया है क्योंकि इसके द्वारा दूसरे लोगों को भी परेशान किया जा सकता है जो निरीक्षक की सहायता करें। इसलिये मैं चाहता हूं कि दफा ३३ को भी सदन रद्द कर दे।

श्री हरिश्चन्द्र अष्ठाना (जिला सीतापुर)---धारा १६ और १९ पर बहस हो चुकी है और उनके संशोधन को मंत्री जी ने स्वीकार नहीं किया। यह सही है कि उन पर अभी मतदान होना है मगर धारा ३३ उनसे सम्बद्ध है। यदि खंड १६ और १९ को सदन ने मान लिया तो निरीक्षक को अधिकार देने के साथ ही उसके पीछे कोई सैन्कशन भी होनी चाहिये। निरीक्षक के काम में

बाधा डालने वाले व्यक्तियों के लिये कोई दंड की व्यवस्था न हो तो उसके पीछे कोई सैंक्शन ही नहीं होगी ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---प्वाइंट आफ आर्डर, सर । अभी न १६ पास हुआ है, न १९ पास हुआ है । माननीय सदस्य थे नहीं, इसलिये उन्हें मालूम होना चाहिये ।

श्री हरिश्चन्द्र अष्ठाना---मैं सदन में मौजूद था और मैंने सुना कि उसके संशोधनों को मंत्री जी ने अस्वीकार कर दिया है । मैं इसीलिये कह रहा हूं कि यदि मन्त्री जी ने खंड १६ और १९ के संशोधनों को अमान्य कर दिया तो खंड ३३ के विरोध का प्रश्न नहीं उठता है । मैं निवेदन कर रहा हूं कि निरीक्षक के अधिकारों की सैंक्शन दफा ३३ में दी गयी है और दफा ३३ का होना आवश्यक है ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी---उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कार्य श्री अष्ठाना ने कुछ सरल कर दिया है मगर अवस्थी जी अभी भी उस बात को दोहरा रहे थे कि दफा १६ में कुछ शब्द दोषपूर्ण हैं । यह उनका कर्तव्य था कि जो उनकी मंशा थी उसे निश्चित संशोधन के रूप में रखते कि ये शब्द हटा दिये जावें या जोड़ दिये जावें । वह उन्होंने नहीं किया । उन्होंने तो यह कहा कि या तो इसमें शब्दों का परिवर्तन किया जाय और या साफ ही कर दिया जाय । मालूम होता है कि उनकी समझ में बात नहीं आई कि क्या बात है और क्या होना चाहिये । इसलिये वह खाम-ख्याली से बात कर रहे हैं । अगर वह स्पष्ट संशोधन रखते तो मैं उस पर विचार करता । अब प्रश्न केवल इतना रह जाता है कि मेरे दृष्टिकोण से वह स्टेज भी पार हो गई जिससे उसमें कुछ किया जा सकता क्योंकि अब तो उस पर केवल मत लेना ही बाकी है । अगर वह चला जाता है तो दफा ३३ भी चली जाती है । इसलिये चूंकि मैं पहले को अस्वीकार कर चुका हूं तो मेरे लिये यह लाजमी हो जाता है कि इसे और जोर से अस्वीकार करूं ।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३३ से खंड ४३ तक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ:---

पक्ष में---५४,

विपक्ष में---२३ ।)

खण्ड १६ (क्रमागत)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १६ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ---

पक्ष में---५५,

विपक्ष में---२१ ।)

खण्ड १९ (क्रमागत)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १९ के उप-खंड (१) के भाग (क) की पंक्ति २ में शब्द "नियंत्रक" के स्थान में शब्द "मैजिस्ट्रेट जो प्रथम दर्जे से कम न हो" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ---

पक्ष में---२५,

विपक्ष में---६० ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १९ के उप-खंड (१) के भाग (ख) की पंक्ति १ के शब्द "नियंत्रक" के स्थान पर शब्द "अपीलेट अधिकारी" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ---

पक्ष में---२६,

विपक्ष में---६० ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १९ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ---

पक्ष में---६१,

विपक्ष में---२५ ।)

खंड २२ (क्रमागत)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २२ की पंक्ति ४ में शब्द .....

श्री देवनारायण भारतीय---श्रीमन्, खंड २२ में जो मेरे दोनों संशोधन हैं उनको मैं वापस ले रहा हूं क्योंकि मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि वह स्वयं अपनी ओर से संशोधन ला रहे हैं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिये गये ।)

श्री जगमोहनसिंह नेगी---अगर उपाध्यक्ष महोदय, आपको आपत्ति न हो, और चूंकि माननीय देवनारायण भारतीय जी ने अपने संशोधन वापस ले लिये हैं तो इन शब्दों में बजाय उसके जहां पर ३ माह हैं सजा के वहां २ माह कर दें और जुर्माने के जहां ५०० रु० हैं उसकी जगह ३०० रु० कर दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---अभी मैं इसको न लेकर खंड २३ ले रहा हूं ।

खंड २३ (क्रमागत)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २३ की अन्तिम पंक्ति में शब्द "या देता है" निकाल दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २३ विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड २२ व २४ (क्रमागत)

श्री देवनारायण भारतीय---श्रीमन्, खंड २४ में जो मेरे संशोधन हैं वह भी मैं उसी आश्वासन पर वापस ले रहा हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिये गये ।)

श्री उपाध्यक्ष---माननीय मन्त्री को अगर कोई संशोधन करना है तो लिख कर भेज दें ।

(कुछ देर रुकने के उपरान्त)

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---यह क्या हो रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष---मैंने कहा कि सदन निष्क्रिय बैठा हुआ है ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---मैं एक वैधानिक प्रश्न उठाना चाहता हूं । क्या सदन का निष्क्रिय बैठे रहना सदन का अपमान नहीं है ?

श्री उपाध्यक्ष---यह तो बहुत समय हो चुका है । अपमान नहीं समझा जाता है ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी---उपाध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य इसको अपमान समझते हैं तो जैसा है वैसा ही प्रस्तुत कर दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---आप उनकी बातों से नाराज हो कर अपनी पोजीशन को एम्बैरिस न करें ।

श्री उग्रसेन---१० मिनट हो चुके हैं, अब १० मिनट के लिये सदन एडजर्न कर दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---अब यह सदन पौने ३ बजे बैठेगा ।

(२ बज कर ३४ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर ४६ मिनट पर सदन का कार्य श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुआ ।)

श्री जगमोहनसिंह नेगी---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खंड २२ की पंक्ति ४ में शब्द "पांच सौ" के स्थान पर शब्द "तीन सौ" रख दिये जायं, और खंड २२ की पंक्ति ६ में शब्द "तीन मास" के स्थान पर शब्द "दो मास" तथा शब्द "पांच सौ" के स्थान पर "तीन सौ" रख दिये जायं ।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २२ की पंक्ति ४ में शब्द "पांच सौ" के स्थान पर शब्द "तीन सौ" रख दिये जायं, और खंड २२ की पंक्ति ६ में शब्द "तीन मास" के स्थान पर शब्द "दो मास" तथा शब्द "पांच सौ" के स्थान पर शब्द "तीन सौ" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २२ इस विधेयक का अंग मान लिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री जगमोहनसिंह नेगी---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खंड २४ की पंक्ति ६ में "पांच सौ" के स्थान पर "तीन सौ" कर दिया जाय, और खंड २४ की पंक्ति ७ में शब्द "तीन मास" के स्थान पर शब्द "दो मास" कर दिया जाय ।

श्री देवनारायण भारतीय---श्रीमन्, पंक्ति ७ की ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं, वहां भी "पांच सौ" के स्थान पर "तीन सौ" होना चाहिये । इस तरह से खंड २४ की पंक्ति ६ और ७ दोनों में "पांच सौ" के स्थान पर "तीन सौ" हो जायगा ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी---मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २४ की पंक्ति ६ में "पांच सौ" के स्थान पर "तीन सौ" कर दिया जाय, और खंड २४ की पंक्ति ७ में शब्द "तीन मास" के स्थान पर शब्द "दो मास" तथा "पांच सौ" के स्थान पर "तीन सौ" कर दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २४ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) विधेयक, १९५९

मानक बाटों और मापों को प्रचलित करने तथा उनसे सम्बद्ध विषयों की व्यवस्था करने का

विधेयक

यह इष्टकर है कि मानक बाटों और मापों को प्रचलित करने तथा उनसे संबद्ध विषयों की व्यवस्था की जाय ;

अतएव भारतीय गणतंत्र के दसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:---

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार नियम, तथा प्रारम्भ

१---(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) अधिनियम, १९५९ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह उस दिनांक से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा निश्चित करे, तथा इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों, अथवा विभिन्न क्षेत्रों, अथवा व्यवसाय संस्थाओं के विभिन्न वर्गों अथवा माल के विभिन्न वर्गों के लिये विभिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जगमोहन सिंह नेगी---मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) विधेयक, १९५९, जैसा कि वह इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, इस पर काफी वाद-विवाद हो चुका है, और खंडों में भी आवश्यकता से अधिक समय लग गया, अतएव इसकी पूरी-पूरी छानबीन हो चुकी है जितनी कि आवश्यकता भी नहीं थी। इसलिये मुझे आशा है कि सदन इसे पारित करेगा।

श्री उग्रसेन---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी के इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं और इस संबंध में मैं केवल दो तीन बातें उन की सेवा में पेश करना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि इस पूरे विधेयक में धारा १६, १९ और ३३ में निरीक्षण अथारिटी को इतनी वाइड पावर्स दे दी गई हैं कि जो संविधान की धाराओं के प्रतिकूल हैं। संविधान की धाराओं में यह साफ तौर पर दिया है कि किसी भी एक अधिकारी को एक दम अधिक या वाइड पावर्स नहीं देना चाहिये। इस संविधान की धारा को लेकर जितने भी रिट्स हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में गये किसी कानून के संबंध में तो उस कानून को उनके द्वारा अल्ट्रावायरस करार दिया गया है। मुझे इसके संबंध में भी अन्देशा है कि अगर इस ऐक्ट की निरीक्षक की पावर्स को भी किसी ने बहुत वाइड होने के कारण चैलेंज कर दिया तो संविधान के प्रतिकूल होने के कारण यह रद्द हो जायगा और फिर मंत्री जी को इसके लिये एक दूसरा संशोधन लाना पड़ेगा।

दूसरी बात यह है कि इस में जुडीशियल अपील की कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार कानून बनाती है और उसके अधिकारी उन कानूनों का पालन कराते हैं, लेकिन अगर एग्जिक्यूटिव से किसी को न्याय नहीं मिलता तो संबंधित पार्टीज को, जिन पर वह कानून उनके द्वारा लागू किया जाता है, जुडीशियल कोर्ट में या हाईकोर्ट में जाने के लिये अपील की व्यवस्था होनी चाहिये।

तीसरी बात यह है कि यह विधेयक इतना महत्वपूर्ण है कि इस में करोड़ों रुपये का खर्च है और इस से प्रदेश का और देश का प्रत्येक व्यक्ति संबंध रखता है इसलिये मंत्री जी को इस विधेयक में ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये थी कि कम से कम लोगों का जो नुकसान हो रहा है, वह न हो। जब तक इस तरह की व्यवस्था वह नहीं करते हैं तब तक जनता के हित का यह कानून नहीं हो सकता।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) विधेयक, १९५९, जैसा कि वह इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*इन्टरमीडियेट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५९

†स्वास्थ्य शासन उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इंटरमीडियेट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५९ पर विचार किया जाय।

श्रीमन्, इधर कुछ वर्षों से हाई स्कूल तथा इंटरमीडियेट शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न परीक्षाओं में परीक्षार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसके कारण हमें केंद्र भी बढ़ाने पड़ रहे हैं और साथ साथ अधीक्षकों की संख्या भी बढ़ाना आवश्यक हो गया है, इन अधीक्षकों की वहां के कार्य में बड़ी जिम्मेदारी होती है, उत्तरदायित्व होता है कि वे परीक्षाओं में अधिक से अधिक गोपनीयता रखें और उनका सावधानी से संचालन करें। लेकिन इधर दो तीन साल से ऐसी स्थिति आई कि परीक्षा लेने वालों ने कुछ ऐसे कार्य किये हैं कि जिससे आवश्यक हो गया है कि अब उनको पब्लिक सरवेंट करार दिया जाय। इधर दो तीन साल से कुछ ऐसे हमले हुये हैं कि कानूनी दिक्कतों के कारण उनको सजा भी नहीं दी जा सकी है जिन लोगों ने वह हमले किये हैं। इस कारण से मांग आ रही थी कि कानून में उचित संशोधन किया जाय ताकि ऐसे गलत आदमियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा सके। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो उन्हें स्वयं मुकदमा चलाना पड़ता है। उनका खर्चा होता और जिन संस्थाओं के वह स्वयं अध्यापक होते हैं वह भी उस खर्चे को बरदाश्त नहीं करते। इसलिये श्रीमन्, यह आवश्यक होगा कि एक छोटा-सा संशोधन इस इम्तहान जो कि १९५९ में होने जा रहा है उससे पहले इस सदन के सामने लाया जाय और उस पर विचार किया जाय।

श्रीमन्, परीक्षार्थियों की संख्या इस वर्ष आशा की जाती है कि लगभग २,९८,००० के होगी। उनके लिये करीब करीब ७५४ हमारे परीक्षा के केंद्र हैं जिनमें कि ७९० के करीब अधीक्षक होंगे और इनवेजिलेटर्स की संख्या करीब २९,८०० के होगी। इतनी बड़ी संख्या के इनवेजिलेटर्स जो ऐसे ऐसे स्थानों में हैं जहां और भी सुविधायें प्राप्त नहीं हैं, और भी आवश्यक है कि उनकी सुरक्षा के लिये ऐसा कानून बनाया जाय।

इसमें श्रीमन्, बहुत थोड़ी ही धारायें हैं जिन में कि डेफिनीशन इनवेजिलेटर्स की और सुपरिंटेंडेंट्स की दी गयी हैं और यह कहा गया है कि इम्तहान से एक महीने पहले और इम्तहान के दो महीने बाद अपराधी दंड विधान में धारा २१ के अनुसार वह पब्लिक सर्वेंट माने जायेंगे। मैं आशा करता हूं कि इस बात का महत्व देखते हुए कि हमारे अध्यापक जोकि ऐसा कार्य कर रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिये आवश्यक है कि यह प्रावीजन जल्दी से जल्दी लागू कर दिया जाय और यह सदन इस पर विचार करके इसको स्वीकार करेगा।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का यह निश्चित मत है कि इंटरमीडियेट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५९ को एक संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय जिसे इसकी परिधि को बढ़ाने का भी अधिकार हो। संयुक्त प्रवर समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*१० फरवरी, १९५९ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री गोविन्द सिंह विष्ट]

श्रीमन्, जहां तक इस बिल की मंशा का सवाल है, मेरा ख्याल है कि चाहे हम कांग्रेस पक्ष के हों या विरोधी दल के हों हम सब इसका स्वागत करेंगे और मैं तो इसका स्वागत करता रहा हूं। लेकिन जहां तक बिल के ड्राफ्ट करने का सवाल है मुझे कुछ इसमें शक पैदा हो रहा है कि आया यह ठीक तरह से ड्राफ्ट हुआ है, आया इसमें पूरी तरह से विचार कर लिया गया है या नहीं।

इसके अलावा, श्रीमन्, छात्रों में जो इनडिसिप्लिन फैल रहा है जिसकी वजह से वे गुरू, जिसको हमारे यहां कहा गया है "माता, पिता, गुरू, देवता" यानी गुरू को पिता और देवता के समकक्ष माना गया है वही जब इम्तहान लेते वक्त अनुशासनहीन विद्यार्थियों के खिलाफ ऐक्शन लेते हैं तो वे पीटे जाते हैं, उनको मारा जाता है, कत्ल की भी अलीगढ़ में घटनायें हुई थीं। इसी नीयत से इस बिल को रखा गया है। ऐसी हालत में हमें जानना होगा कि अनुशासनहीनता होती क्यों है? हमारे पेट में दर्द हो और सर पर पट्टी बांध लें तो इससे काम नहीं चलता है। हमें बुनियादी चीज को देखना होगा कि आखिर यह अनुशासनहीनता बढ़ी क्यों? क्यों यह स्टेज आया कि गुरू जो बाप के मानिन्द है लड़के उसको पीटने पर आमादा हो जायं? आजादी के बाद वे विद्यार्थी ज्यादा आजाद हो गये हैं, यह सभी को तसलीम है। आजादी जो मिली है शायद उसके गलत माने लगा बैठे हैं। पोलिटिकल पार्टीज का इस अनुशासनहीनता में चाहे कोई भी हों, काफी हाथ है, इसके कहने में मुझे कोई हिचक नहीं, क्योंकि एलेक्शन के वक्त हमने देखा है कि कितना प्रोपेगेंडा बच्चों द्वारा होता है। मुदालियर कमीशन ने इसके संबंध में कुछ सिफारिशें की थीं और उन चीजों का माननीय मंत्री जी को खयाल होना चाहिये था जबकि वह इस विधेयक को लाये। जब तक करैक्टर बिल्डिंग की (चरित्र गठन की) कोई ऐसी योजना न बन जायगी तब तक लड़के अनुशासन में नहीं लाये जा सकते। मगर उसकी कोई कोशिश नहीं की जाती है। फिर जैसा कि मुदालियर कमीशन ने कहा है टीचर और "टीट" के बीच में, अध्यापक और शिष्य के बीच में अधिक सम्पर्क हो, एक दूसरे के निकट आ सकें, एक दूसरे को समझ सकें और एक दूसरे के लिये हमदर्दी हो इसके लिये भी हमने कोई प्रयत्न नहीं किया। तीसरे, जैसा उन्होंने कहा है ग्रुप गेम्स हों, लड़कों में ऐसी भावनायें बढ़ायी जायं कि अपने द्वारा ही अनुशासित हों, ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया और १७ साल से कम उम्र के लड़कों के लिये खासतौर से इसमें लिखा है कि किसी भी एलेक्शन या पोलिटिकल पार्टी के प्रोपेगेंडा में भाग लेना मना कर दिया जाय। मौरल कैरेक्टर का ह्रास तो दिन पर दिन होता जा रहा है। पता नहीं हम सेक्युलरिज्म से क्या समझने लगे हैं लेकिन इतना सब को मानना पड़ेगा कि हमारे राष्ट्र का चरित्र गिर रहा है और उसको सुधारने की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता।

इस बिल का मन्शा सिर्फ यह है कि टीचर्स की रक्षा हो सके। सिर्फ किसी चीज को आफ़ेंस बना देने से रक्षा नहीं हो सकती। सभी जानते हैं कि दफा ३०२ में कत्ल करने वाले को फांसी की सजा होगी लेकिन कत्ल होते हैं। मौजूदा बिल के जरिये माननीय मंत्री जी ने यह कोशिश की है कि इसको एक कागनिजेबिल आफेंस बना दें, यानी पुलिस उसमें हस्तक्षेप कर सके। लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि यह कैसे होगा। मंत्री जी ने कहा है कि धारा २१ ताजीरात हिंद के मातहत ये जनसेवक कहाये जायेंगे। बिल के सेक्शन १४-ए और १४-ए-१ और १४-ए-२। तो इसके मुताबिक जो पहला उपखंड है १४-ए का इसके अन्तर्गत दूसरा उपखंड भी आ जाता है। अब कानून की नजर से देखना यह है कि आपने कह दिया कि:

"A Superintendent of a Centre and an Invigilator shall be deemed to be a public servant under section 21 of the Indian Penal Code, 1860, during the course of examination or examinations conducted by the Board and for a period of one month prior to the commencement of and for two months"

यानी परीक्षा काल में और उससे २ महीना बाद और १ महीना पहले, इतने दिन वह पब्लिक सरवेंट रहेगा दफा २१ के मातहत। लेकिन अगर इंडियन पैनल कोड की दफा २१ हम देखें तो यह वर्णन उसकी किसी तारीफ में भी नहीं आता है। इसमें ११ उपधारायें हैं। इसमें जो पब्लिक सरवेंट के फंकशन्स डिफाइन्ड हैं उनके अन्दर मेरी नाचीज राय में यह आता नहीं है। दफा २१ के माने तो बृहत् हो जाते हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट में उन्होंने संशोधन कर दिया कि केवल दफा १६१ के लिये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का कोई भी कर्मचारी पब्लिक सर्वेंट समझा जायगा। यह दफा घूस लेने के बारे में है। वह हाई कोर्ट ने भी माना है। लेकिन दफा २१ आल काम्प्रिहेन्सिव है।

श्री रामस्वरूप यादव---सब-सेक्शन २ आप पढ़ें तो साफ हो जायगा।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---Sub-section 2 is included in sub-section 1.

श्री उपाध्यक्ष---आप इंडियन पैनल कोड का सेक्शन २१ पढ़ रहे थे।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---श्रीमन्, मैंने पूरा पढ़ा नहीं समय बचाने की दृष्टि से। उसमें जितने भी फंक्शंस हैं उनमें किसी में भी यह आता नहीं है। मंत्री जी एक नया बिजनेस ताजीरात हिंद की दफा २१ में जोड़ना चाहते हैं। यानी केंद्रीय सरकार की पार्लियामेंट के जो फंक्शन्स हैं क्या उसमें हम इस तरह से जोड़ या तरमीम कर सकते हैं। अगर हम किसी एक विशेष कार्य के लिये करते तो कर सकते हैं। लेकिन मौजूदा बिल में खंड १ को वृहत् बना दिया है। यदि उपधारा (१) में यह शब्द जोड़ दें, For the purpose of sections 332, 352 of I. P. C. तो ठीक होगा। यह धारायें मारपीट और Assault के लिये हैं। यह पब्लिक ऑफेंस बनाया गया है तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इसमें काफी सुधार की गुंजाइश है। श्री हरीसिंह गौड़ बहुत बड़े जूरिस्ट हुये हैं, उनकी राय में सदन में पढ़ देना चाहता हूं। एक तो पब्लिक सरवेंट्स दफा २१ के मुताबिक होते हैं और दूसरे स्टेच्यूट्स से होते हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में हैं या म्युनिसिपल बोर्ड में हैं। यह भी जरूरी नहीं है कि पब्लिक सरवेंट गवर्नमेंट सरवेंट हो, हर गवर्नमेंट सरवेंट पब्लिक सरवेंट नहीं होता। इतनी सब बातों के बावजूद इस बिल में ये विशेष फंकशन्स नहीं दिये हैं। माननीय मंत्री जी सब सेक्शन (२) से यह चीज हासिल करना चाहते हैं। वह पहले उपखंड को वृहत् करना चाहते हैं। उन्हें इसमें लिमिट करना चाहिये था। मैं यह पढ़ना चाहता हूं कि:---

"Public servants known to the law are those statutory and those mentioned in this section. The local or special laws have declared certain functionaries as public servants for the purposes of the Penal Code. As they owe their status to some statute, they are designated statutory public servants and in their case, it is not necessary to refer to the section, though they must necessarily fulfil its requirements. But they have been so declared to be a public servant by a statute, but such declaration would not necessarily make him a public servant within the meaning of this section, unless he possesses any of the qualifications therein described, though he will, of course, be a public servant for other purposes in accordance with the provisions of the statute."

अगर कोई इस नये statute से पब्लिक सरवेंट नहीं होता है तो वह section 21, I. P. C. से भी नहीं होगा, या फिर हम उसके functions limit करें जैसे हमने और ऐक्ट बनायें हैं यानी स्टैच्यूट्स में और प्रावीजन इस के लिये करना होगा। यह दोनों चीजें शायद मैं मंत्री जी को समझा पाया या नहीं यह नहीं कहा जा सकता। यह बड़ा conflicting हो जाता है। वरना यह धारा अवैध हो जायेगी।

श्रीमन्, मैं अगर यह मान भी लूं कि आपका कानून ठीक है। मान लिया कि आपका ड्राफ्ट भी ठीक है और आपके आफिसर्स बड़े एक्सपर्ट्स हैं तो भी मैं अर्ज करूंगा कि धारा १६१

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

से लेकर आगे कुछ धारायें हैं जो पब्लिक सरवेंट्स के खिलाफ आती हैं और विशेष तौर पर उन पर आयद होती हैं। मंत्री जी का मंशा ऐसा मालूम होता है कि टीचर को न तो पुलिस मदद कर सकती है और न उसको ला (law) का इतना प्रोटेक्शन मिल सकता है जितना दूसरे पब्लिक सरवेंट्स को मिल सकता है। इतनी चीज आ चुकी है।

एक चीज और अर्ज कर दूं कि कल यह हो सकता है कि किसी केस में किसी लड़के ने एक छोटी सी हरकत कर दी और यह सभी को मालूम है कि मास्टर का दिल बाप का दिल होता है और बड़ा प्रेमपूर्ण होता है उसका दिल मिनिस्टरों का सा नहीं होता है जो कठोर से कठोर लेजिस्लेशन कर सकते हैं। इसके माने यह हैं कि मास्टर को दया आ सकती है लेकिन sections 332, 352, I. P. C. के औफेन्स नान कम्पाउडेबिल है। देखने की बात यह है कि जब टीचर माफ कर देता है तो वह ऐसा कर सकता है या नहीं? बहुत सी वजह माफ कर देने की होती हैं। लेकिन यहां मास्टर और लड़का दोनों ला कोर्ट में चले जाते हैं और लड़का माफी मांगे और मास्टर माफ कर दे तो वर्त्तमान धारा से ऐसा संभव न होगा। तो उस पोजीशन को भी आप देखिये। श्रीमन्, क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड में बड़ी मजे की तरमीमें हुई हैं। २५० रुपये तक का अगर गबन है तो राजीनामा हो जायगा और २५१ रुपये का है तो नहीं होगा। चोरी में राजीनामा हो जायगा लेकिन चोरी का माल खरीदने में राजीनामा नहीं होगा। इसी तरह का यह भी हो गया है। कानून में हर संभव हालत को ध्यान में रखना चाहिए।

दूसरी चीज मैं कह रहा था दफा १६१ ताजीरात में क्या है---घूसखोरी अगर किसी लड़के से टीचर ने इन दिनों मुफ्त एक फूल भी ले लिया तो वह घूसखोरी में आ सकता है। यह ठीक है जो घूस खाता है उस को सजा मिलनी चाहिए लेकिन दफा १६६ ताजीरात हिन्द की ऐसी व्यवस्था होगी कि कोई ट्यूशन नहीं कर पायेंगे। एक तो प्राइवेट स्कूलों के टीचरों को वैसे ही कम तनख्वाह मिलती है। अगर ट्यूशन करने से भी वंचित रह गये तो दो नुक्सान होंगे। एक तो उससे उनको जो कुछ आय हो जाती है जिससे वह अपनी कम तनख्वाह को कुछ पूरा करते हैं वह खत्म हो जायगी, दूसरे लड़कों को अनुभवी टीचरों से जो मदद मिलती है वह खत्म हो जायगी। आप उन्हें जनसेवक धारा २१ के मुताबिक बनाते हैं तो वरदान के साथ साथ यह धारा अभिशाप हो जाता है यानी इससे टीचर ट्यूशन नहीं कर सकेंगे। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का टीचर यह भी सोचता है कि वह अगर गवर्नमेंट कालेज में होता तो ८ रुपये इनक्रीमेंट मिलता जब कि उसे कम मिलता है। मंत्री जी ने कहा कि इस डिस्पैरिटी को दूर करने के लिये वे कोशिश कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष---यह विषयान्तर हो रहा है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---मैं इसकी रेलीवेंसी निवेदन करता हूं। मंत्री जी की मंशा है कि टीचर सुरक्षित रहें यानी लड़के उन्हें न मारें। एक पुलिस ही थोड़े ही रोक सकती है। उसका प्रिवेंशन भी हो सकता है। अगर लड़का ही ऐसा न हो जिसमें मारने की मनोवृत्ति हो तो यह स्थिति न आये। दूसरे टीचर को बलशाली होना चाहिए। वह खुद अपनी रक्षा कर सके। तो टीचर को पुष्ट कीजिये। इसके लिये जरूरी है कि उसे अच्छी तनख्वाह मिले। इसलिये रेलेवेंसी आती है। माननीय कमलापति जी ने २१ दिसम्बर, ५७ को घोषणा की थी कि इसके लिए शीघ्र विधेयक प्रस्तुत करने का इरादा है। मगर वह शीघ्र अभी नहीं आया। अध्यापकों को चिकित्सा की सुविधा देने की बात भी कही गई थी। अभी उन्हें कोई मेडिकल फेसिलिटी नहीं दी गयी और जो प्राविडेन्ट फंड की बात कही गयी थी वह भी इसमें नहीं रखी गयी है।

श्री उपाध्यक्ष---आप विषय से फिर बाहर जा रहे हैं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---मैंने तो श्रीमन्, इस तरफ तवज्जह दिलाई है क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस बिल की परिधि बढ़ा दी जाय। वह इसलिये करना चाहता हूं कि वहां पर बुनियादी बातों को कि किस कारण इन्डिसिप्लिन है इसको देख सकें। पूरी तनख्वाह न मिलने के कारण टीचर मन नहीं लगाता और पूरा पूरा कोर्स नहीं पढ़ाता। तो लड़के बुग्ज रखते हैं और इम्तहान के समय जब ऐसे विद्यार्थी से कुछ नहीं हो सकता है तो वह अध्यापकों को पीटने लगता है। जब तक अध्यापकों का वेतन नहीं बढ़ाया जायगा तब तक यह इन्डिसिप्लिन दूर नहीं हो सकती।

हाल ही में टीचर्स ने हड़ताल और भूख हड़ताल की धमकी दी है। खैर, वह तो माननीय शिक्षा मंत्री जी जानें लेकिन अनुशासन तो दुतरफा होगा। लेकिन इस प्रदेश का दुर्भाग्य तो यही है कि यहां के शिक्षा मंत्री पर पुलिस मंत्री हावी हो गया है। शिक्षा का विषय कौन पेश करता है, पुलिस का मिनिस्टर और यही तो कारण है कि police is all-powerful in this State. आज जो पुलिस ऐक्शन की बात इतनी जल्दी से आ जाती है उसका कारण यही है कि शिक्षा का विषय पुलिस मिनिस्टर के हाथ में है और आप ने भी, श्रीमन्, कहा कि माननीय गृह मंत्री इसको पेश करेंगे। अब इस स्टेट का भगवान ही भला करें। जहां शिक्षा को पुलिस डील करे तो अल्लाह ही उसका मालिक है। श्रीमन्, हर तरीके से इसको देख लें। तो इसमें बहुत सी गुंजाइश है, और मेरा निवेदन है कि प्रवर समिति में थोड़ा बहुत बैठ लें और सोच लें। कहीं हाई कोर्ट इस को बाद में सेट असाइड न करें। इससे अच्छा है कि सब लोग मिलें और पूछ पाछ लें और नये तरीके से कानून लायें यही मेरी अर्ज है।

***श्री मोतीलाल अवस्थी** (जिला कानपुर)---श्रीमन्, मैं श्री गोविन्दसिंह जी द्वारा प्रस्तावित संशोधन में यह संशोधन रखता हूं कि उपर्युक्त संशोधन के अन्त में निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं :--

"वह संयुक्त प्रवर समिति अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में प्रस्तुत कर देवे।"

मेरा जो संशोधन है उससे स्पष्ट है कि मैं विलम्ब नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि यह जल्द से जल्द पास हो कर आवे।

हमारे पूर्व वक्ता ने जो अपने विचार रखे हैं इस बिल के बारे में उन्हीं के सम्बन्ध में मुझे भी कुछ बातें कहनी हैं। यह इंटरमीडियेट विधेयक जो हमारे सामने आया है वह २१ के संशोधनात्मक रूप में है। लेकिन हमारे माननीय मंत्री जी के काल में इसमें दो संशोधन हुये हैं। एक तो हमने अभी हाल ही में पास किया है जिसमें कुछ अध्यापकों के अधिकारों या अध्यापकों के अनुशासन के सम्बन्ध में मैनेजमेंट कमेटी और इंस्पेक्टोरेट के दर्मियान कुछ हेरफेर किये गये हैं और कुछ और भी स्कीमों में कुछ और तरमीमें की गयी हैं। और दूसरा बिल यह भी आया था जिसको एजूकेशन कोर बिल कहते हैं और जिससे सैनिक शिक्षा देने का प्रोत्साहन मिला था। उन दोनों के अलावा यह तीसरा संशोधन आया है। इसका यह अर्थ निकलता है कि शिक्षा मंत्री अपने शिक्षा विभाग में यह संशोधन करना चाहते हैं और इसको इस रूप में आवश्यक समझते हैं। आज शिक्षा मंत्री जी यहां पर उपस्थित नहीं हैं, किन्तु उनकी जगह पर जो कोई भी हो, मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि प्रथम जब एजूकेशन कोर बिल सामने आया था जो कि इस मन्त्रिमंडल का शिक्षा सम्बन्धी पहला बिल था, उसके अन्तर्गत मैंने कुछ बातें अध्यापक होने के नाते उनके सामने रखी थीं। शिक्षा मंत्री जी के सामने अध्यापकों की परेशानी या शिक्षा पद्धति के सम्बन्ध में जो कुछ मेरी राय थी उस को रखने की कोशिश की थी और यह चाहा था कि शिक्षा मंत्री अपने विचारों में परिवर्तन करके एक अध्यापक की बातें सुनने की कृपा करेंगे। मुझे आशा थी कि मेरी बातें सुनने के बाद शिक्षा पद्धति के सम्बन्ध में कुछ परिवर्तन, जो उन्होंने अपने दिमाग में सोचे होंगे, उनको शीघ्र इस सदन के सामने लाकर रखेंगे और उन पर हमें अपनी राय देने का अवसर मिलेगा, किन्तु हमारी आशा पूरी नहीं हुई।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

माननीय कमलापति जी हमसे यह आशा करते थे कि हम अध्यापक वर्ग उनको सहयोग दें और कुछ उनको सुझाव दें और उन सुझावों को लेकर वह शिक्षा में सुधार करेंगे। उनके शब्द आज भी मुझको याद हैं। लेकिन न तो उन्होंने वे शब्द याद रखे और न उन्होंने यहां पर उपस्थित होना ही उचित समझा है। मैं देख रहा हूं कि जो सुधार करना चाहते हैं वह इस विधेयक के रूप में हमको दिखाई पड़ते हैं। इस विधेयक में केवल एक धारा है जिसका मंशा सिर्फ एक है कि अध्यापकों को संरक्षण दिया जाय। संरक्षण इस बात का दिया जाय कि जब कोई मुमतहिन हमला करने का इरादा करले या उद्दंडता दिखा दे तो सरकार ने यह उचित समझा कि ऐसे अवसर पर वह कर्तव्य निबाहे। मैं मन्त्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि हमारे शिक्षा मन्त्री जी को इस बात को सोचने की कोशिश करनी चाहिये कि क्या यह उद्दंडता, जिसके प्रतिकार रूप में यह संरक्षण दे रहे हैं, वह विद्यार्थियों में अनायास ही पैदा हो गई है या पैदा होने के कुछ और भी कारण हैं या इसके अन्दर कुछ और भी बातें हैं। मेरा नम्र निवेदन यह है कि हमारे विद्यार्थियों पर जो यह आरोप है कि वे उद्दंड हैं जिससे संरक्षण देने की जरूरत पड़ी है, माना कि आप अध्यापकों को पब्लिक सर्वेंट का ओहदा दे दें किन्तु मुझे यह कहने का साहस है कि वे गुरु जी अपने विद्यार्थियों को सचमुच सेवा भाव से पढ़ाते हैं उनके लिये इस प्रकार के संरक्षण की आवश्यकता नहीं है। किसी को आवश्यकता हो सकती है और हुई है, लेकिन जरा माननीय मन्त्री जी इस बात पर ध्यान दें कि इस संरक्षणात्मक उपाय से न तो सरकार गुरु को संरक्षण दे सकेगी और न शिक्षा पद्धति में आमूल परिवर्तन कर के शिक्षा को रास्ते पर ला सकती है। इस शिक्षा पद्धति को सही रास्ते पर लाने के लिये शिक्षा विभाग को सोचना पड़ेगा। उन्होंने न कभी सोचा है, न सोचने वाले हैं और न वह सोचने की बात करते हैं और भविष्य क लिये भी कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ता है। इस अवसर पर मुझे इन सभी बातों को कहना पड़ता है। यह जो लेजिस्लेशन है मैं इसका विरोध नहीं करता। उसके लिये मने केवल सेलेक्ट कमेटी में भेजने की बात कही है। मैं भी चाहता हूं कि यह जल्दी पास हो। यह लेजिस्लेशन पीसमील विधेयक है। इसके कोई मायने नहीं हैं। जब एजूकेशन के नाम पर कोई संशोधन सामने आता है तो ये ३०, ३३ हजार से अधिक अध्यापक बड़े गौर से देखने लगते हैं कि क्या हमार सम्बन्ध में भी कोई बात आ रही है और न कवल अध्यापक बल्कि सारा शिक्षा विभाग इस बात को सोचने लगता है। इस अधिवेशन में यह नया बिल आया और बहुत जल्दी में आया। मैंने भी इसको बड़े गौर से पढ़ा और पाया कि एक ही दफा में यह खत्म हो गया। सिर्फ एक खंड इसमें है और एक पन्ने में यह समाप्त हो गया। सारा शिक्षा विभाग ढाई साल के अन्दर केवल एक यह बात ही सोच पाया . . . .

श्री उपाध्यक्ष—आपने जो सोचा हो उस को भी आप सामने रखिये।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, मैं आप की आज्ञा शिरोधार्य करता अगर मैं विरोधी पार्टी का न होता। सरकार विरोधी पार्टी को विरोधी के रूप में ही देखती है। अगर सरकार में विरोधी पार्टी के लोगों की बात का आदर होता तो मुझे अपनी बात कहने का साहस होता, लेकिन मैंने जैसी प्रतिक्रिया उनकी पिछले दो सालों में देखी है कि उनको हमारी एक भी बात स्वीकार करने में शर्म मालूम होती है, वह सोचते हैं कि इसको स्वीकार करके वे ऊपर से नीचे गिर जायंगे. . .

श्री रामस्वरूप यादव—अध्यापक का आदर करते हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी—यह आपके और त्रिपाठी जी के केवल शब्द हैं। इतना ही आदर करते हैं कि शब्दों में नम्र हैं लेकिन जब वह पीड़ित हो कर, पेट खाली होने पर चिल्लाते हैं कि हम भूखे हैं, असमानता से पीड़ित हैं, अरक्षित हैं तो आप सुनते ही नहीं। उन अध्यापकों की संस्थाओं द्वारा जो अनेक प्रस्ताव पास हो कर आप के पास आये हैं उन पर आप ध्यान क्यों नहीं

देते, उनके पत्रों का उत्तर क्यों नहीं देते, यदि आप को उनसे सहानुभूति है, आप उनका आदर करते हैं। मैं केवल इशारा करना चाहता हूं। आज ही हमारे प्रदेश में अध्यापकों की अनेक संस्थायें बन चुकी हैं और वह न केवल प्रस्तावों में ही बल्कि डाइरेक्ट और इन्डाइरेक्ट ऐक्शन लेने की बात भी करती हैं---यह मैं नहीं कहता कि यह कह कर मैं आप को डरवाना चाहता हूं बल्कि यह कि उनके शब्द जोरदार हैं---और यह इसलिये कि जब हल्के शब्द नहीं सुने जाते तो ढोल जोर से पीटा जाता है और अगर फिर भी बहरे कानों में आवाज न जाय तो तीसरा काम भी करना होगा और शायद हम लोग करेंगे भी। श्रीमन्, अब मैं अपनी पिछली बात पर आना चाहता हूं। उपमंत्री जी की बात सुन कर मैं उधर चला गया क्योंकि वह मुझे कुछ उत्तेजित करना चाहते थे। मैं देखता हूं कि केवल ऐसा करने से ही काम नहीं चलेगा। अगर कथनी और करनी में कुछ समानता रखना चाहते हैं तो उनके लिये कुछ करना पड़ेगा। आपने एक अमेंडिंग बिल पास किया और उसमें आपने कुछ कोशिश यह की थी. . . . .

श्री उपाध्यक्ष---मैं यह निवेदन करूंगा कि एक अमेंडमेंट की बात ही आप ५ मिनट से कह रहे हैं। या तो आप परिधि बढ़ाने की बात के सम्बन्ध में अपने सुझाव दें या सरकार की किसी बात पर आक्षेप करें, तब तो ठीक है, लेकिन कुछ नहीं किया सरकार ने केवल यही कह कर समय बरबाद करने नहीं दिया जायगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी---मैं उसके रेफरेंस के रूप में कह रहा था।

श्री उपाध्यक्ष---भूमिका इतनी बड़ी हो गई कि उसके कुछ माने नहीं रह गये।

श्री मोतीलाल अवस्थी---मुझे उन पुरानी बातों की कुछ विशेष व्याख्या नहीं करनी है। मैं उन्हीं के आधार पर अपनी बात कहता हूं। पास्ट की बात पर ही फ्यूचर की बात निवेदन करता हूं। पिछली बातों पर ही आगे का खाका बनता है। मैं रेफरेंस कर रहा था कि सरकार ने जो कुछ किया है इन अध्यापकों के बारे में वह कुछ थोड़ा हेरफेर ही किया और जो दूसरा हेरफेर आप करना चाहते हैं उनके लिये, उसमें उनको कुछ संरक्षण देने की बात है। इस बात की आवश्यकता अध्यापकों को केवल उस समय होती है कि जब परीक्षाकाल होता है और यह समय साल भर में केवल एक बार होता है। इस विधेयक के अनुसार उस काल में उनको दो एक महीने पीछे आगे संरक्षण मिलेगा। यह उनको एक विशेष प्रकार की सुविधा मिल रही है। लेकिन इन अध्यापकों के लिये साल भर की कुछ सुविधायें भी चाहिए जो कि साल भर चलें। पिछले अमेंडमेंट बिल के पास करते समय हमारे शिक्षा मन्त्री जी ने इस बात को बड़े खुले दिल से कहा था, जब कि वे यह बात रख रहे थे कि आज सब से बड़ी दिक्कत अध्यापकों की असमान वेतन और असमान व्यवहार के बारे में है और उन कानूनों के लागू न होने के बारे में जो कि अन्य सरकारी कर्मचारियों के साथ लागू हैं तो इनके साथ ही साथ शिक्षा मन्त्री जी ने आश्वासन दिया था समान कार्य के लिये। समान वेतन की बात सिद्धान्ततः वे स्वीकार करते हैं और उसे वे कभी न कभी पूरा करेंगे। उनके शब्द बड़े सुन्दर थे और आशा थी कि निकट भविष्य में वह कोई कदम उठायेंगे लेकिन उनके कहे हुये शब्द अभी सूखे भी नहीं थे कि ठीक उनके विरोध में माननीय मुख्य मंत्री जी ने विरोधाभास का प्रमाण दिया। माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक स्कूल का उद्घाटन करते हुये कह दिया कि वे समान कार्य के लिये, समान वेतन के लिये तैयार नहीं हैं। जो कारण उन्होंने बताये कि फंड नहीं है वे कारण तो उस समय भी लागू थे जबकि पहली बात शिक्षा मन्त्री जी ने कही थी। शिक्षा मन्त्री जी ने कहा था कि वे धन की व्यवस्था करने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि उसी का खंडन करने के लिये माननीय मुख्य मन्त्री जी ने दूसरी बात कह दी। अब इसमें क्या सत्यता होगी वह तो आगे आयेगी।

श्रीमन् अगर हमसे डाइरेक्टली पूछना चाहते हों कि हम क्या सुझाव रखते हैं तो अब कोई नये सुझाव रखने की बात नहीं है केवल पुराने सुझावों को दोहराने की ही बात है। अगर कोई ऐसी बात होती कि इन अध्यापकों के शारीरिक संरक्षण के अलावा एकोनामिक संरक्षण या उदरपूर्ति के संरक्षण की ओर कोई कदम उठाये जायेंगे तो ज्यादा प्रसन्नता होती। आज न केवल

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

समान कार्य के लिये समान वेतन की बात है बल्कि उन सब सुविधाओं की बात लागू होती है जो कि एक साधारण सेवक क नाते उनको मिलनी चाहिये। क्या एक अध्यापक जो अनेक बालकों को पढ़ावे लकिन अपने बालक को पढ़ाने के समय उस को शुल्क से वंचित रखा जाय, इसको सरकार करते करते रुक जाती है। आज भी यह है कि हाई स्कूल तक तो माफ कर देते हैं, लेकिन जब ११वें, १२वें, और बी० ए० और एम० ए० में उनके लड़के पहुंचें तब उनके लिये शुल्क माफ करने की ओर कोई कदम नहीं उठाया गया है। एक अध्यापक जो अन्य बच्चों को पढ़ावे लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने क लिये उसको फीस देनी पड़े, यह क्या एक व्यावहारिक चीज है। अंधेर है कि अपने बच्चे को पढ़ाने के लिये उसे फीस देनी पड़े और वह भिखमंगा हो जाय। मैं आपके द्वारा रखना चाहता हूं कि आज चन्द ही अध्यापक आपको मिलेंगे जो कि १००, २०० रुपये से अधिक वेतन पाते हैं। इतने वेतन में वे अपने बच्चों को शिक्षा दे नहीं सकते इसलिये उनको और चाकरी करनी पड़ती है जैसे कि हर घर में टहल करने वाली स्त्रियां आती हैं और सुबह जब तक कि घर के आदमी हाथ मुंह धोकर चाय वगैरह पीते हैं वे टहल कर के चली जाती हैं और इसी प्रकार वे दो चार घरों में काम करती हैं। उसी प्रकार से १०,२० या २५ रुपये के लिये उनको भी ट्यूशन करने पड़ते हैं क्योंकि उनका खर्चा पूरा नहीं हो पाता। फिर भी उनके बालक बालिकायें शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। क्या वे नहीं चाहते कि उनके बालक शिक्षा प्राप्त करें और क्या उनको इसके लिये दूसरे उपाय नहीं करने पड़ते? क्या आज भी इन बातों को बताना आवश्यक है कि उनके बच्चे इसलिये नहीं पढ़ पाते कि वे उनका खर्चा सम्हाल नहीं पाते। यह सब अनेक ऐसी बातें हैं जिनको अध्यापकों ने बार बार कहा है और मेमोरेंडम भी भेजा है और यही नहीं बल्कि सरकार से अनुनय विनय भी की है। अभी अभी दो दिन की बात है गौरीशंकर राय जी ने एक एडजर्नमेंट मोशन के रूप में इसी चीज को रखा था जिसके लिये कहा गया कि बजट के समय जवाब देंगे या बाद को एक हफ्ते का समय मांग लिया। इससे प्रकट होता है कि अध्यापकों की मांग सदस्यों के द्वारा इस सदन में आ जाया करती हैं। लेकिन सरकार वैसा पसंद कब करती है, क्योंकि एक भी अध्यापक टीचर्स कांस्टीट्यूएंसी से नहीं आ पाता है इस विधान सभा में। एक आध कोई अध्यापक पोलीटिकल फील्ड में घुस कर आ जाता है लेकिन डायरेक्टली अध्यापकों का रिप्रेजेन्टेटिव यहां कोई नहीं आ पाता है। बड़े अफसोस की बात है कि कौंसिल की भांति यहां पर कोई भी सदस्य अध्यापकों का डायरेक्ट रिप्रेजेन्टेटिव हो कर नहीं आता है। इसलिये वे अपनी बात इस सदन क सामने नहीं कह पाते हैं। मुझे हर्ष है कि उन अध्यापकों की तरफ से न सिर्फ उनके वेतन के ही संबंध में लेकिन उनकी सुख और सुविधा के लिये यहां कभी कभी मैं कह दिया करता हूं। मैंने उनके बचाव के लिये पिछली बार यह भी कहा था कि उनको मैनेजिंग कमेटी के चंगुल से निकाल कर इंस्पेक्टर के चंगल में नहीं फंसाया जा सकता। इस पर कमलापति जी ने कहा था कि अवस्थी जी अपने टू कलर में आज आ रहे हैं और उन्होंने इसको ब्लेकमेलिंग बताया था। उन्होंने उसका उतना ही हिस्सा छापा, पूरा नहीं छापा। अगर यहां कोई अध्यापकों की बात कहता है तो तोड़ मरोड़ कर उसको सामने लाया जाता है और प्रेस में भी दे दिया जाता है।

इस बिल में उन अध्यापकों के संरक्षण की बात है। उसके लिये मैं फैक्ट्स और फिगर्स रखना चाहता हूं। जो सवाल मैंने पिछले सेशन में रखे थे, उनसे मेरी यह मंशा थी कि मैं यह मालूम करूं कि प्रदेश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में बड़े लम्बे दायरे में विद्यार्थियों के द्वारा पर्चे आउट किये गये। परीक्षायें दुबारा ली गयीं और उसके लिये समय दिया गया। उनके उत्तर में जवाब दिया गया था कि ७,६३० विद्यार्थियों ने गणित प्रथम और १२,५१० विद्यार्थियों ने गणित द्वितीय के पर्चे दिये। इस पर ८ हजार रुपया अधिक व्यय होने की संभावना है। कितनी गंभीर समस्या है। १२-१२ हजार विद्यार्थी द्वितीय प्रश्न पत्र में बैठें और ३६ केन्द्रों में परीक्षण दुबारा लेना पड़े। यह सारा है क्या? यह सब क्यों होता है? इसका एक मात्र कारण यह है कि आप का सारा सिस्टम ही खराब है, चाहे वह एक्जामिनेशन का सिस्टम हो या सिलेबस हो अथवा टीचर्स की ट्रेनिंग का सवाल हो।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी---जैसी आपकी आज्ञा हो। इन्हीं अवसरों पर इस प्रकार के फैक्ट्स रखने का मौका मिलता है और यह लेटेस्ट फैक्ट्स हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह बिल इसलिये लाया गया है जिससे यह मालूम हो कि विद्यार्थियों के द्वारा उपद्रव किये जा रहे हैं? क्या यह बिल यह प्रमाणित करता है? क्या इस बिल के द्वारा आप यह साबित करना चाहते हैं कि विद्यार्थी उद्दंड और उपद्रवी हैं? विद्यार्थी उपद्रवी नहीं हैं। कारण यह है कि सरकार की सब बातें ही बिगड़ी हुई हैं। चाहे वह एक्जामिनेशन का सवाल हो, चाहे सिलेबस का सवाल हो सरकार उन चीजों में कोई मौलिक परिवर्तन करना नहीं चाहती है। वे सिर्फ वो एक फुंसी पर मलहम लगा रहे हैं जो भीतर से सड़ान पैदा करके निकली है। इस सारे सिस्टम में परिवर्तन किये जाने की जरूरत है और विशेष तौर पर एक्जामिनेशन सिस्टम को बदलने की जरूरत है। एक्जामिनेशन सिस्टम को बदलने के लिये सेंट्रल ऐडवायजरी बोर्ड ने भी कुछ प्रस्ताव रखे हैं और यहां भी एक्जामिनेशन सिस्टम बदलने के लिये कई सुझाव दिये गये लेकिन पता नहीं कि सरकार ने उस तरफ अभी तक ध्यान क्यों नहीं दिया। न मालूम सरकार कब तक इस सिस्टम को बदलने के बारे में सोचेगी। एक्जामिनेशन सिस्टम को बदलने की बात तो अलग रही अब नये सिलेबस के अनुसार हाई स्कूल के विद्यार्थियों को भी साइंस का प्रैक्टिकल एक्जामिनेशन देना पड़ेगा, इस तरह से उनके सर पर एक और बोझा लाद दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष---बार बार मना करने पर भी माननीय सदस्य विस्तार में जा रहे हैं, तो मुझे ऐसा न करना पड़े कि उनको भाषण करने से रोकना पड़े।

श्री मोतीलाल अवस्थी---आप रोक देंगे तो मैं बैठ जाऊंगा। अब तक तो जो कुछ भी मैंने अपने भाषण में कहा है वह बिलकुल ठीक ही कहा है। उसमें कोई भी गलत बात नहीं है। फिर भी अगर आपकी आज्ञा होगी तो मैं बैठ जाऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष---आप संगत विषय पर भाषण करें, इतना ही मेरा निवेदन है।

श्री मोतीलाल अवस्थी---अब तक जो कुछ भी मैंने कहा है सब संगत ही कहा है। अध्यापक होने के नाते मुझे पता है कि मुझे क्या कहना चाहिये। अगर अध्यापक होने पर भी उनसे सम्बन्धित बातों पर मैं न बोलूं तो फिर क्या कह सकता हूं। आपकी आज्ञा पर मैं अध्यापकों के इस अधिकार को भी छोड़ने के लिये तैयार हूं। आपके सामने मैंने आंकड़े रखे और उनके द्वारा यह साबित किया कि विद्यार्थियों के ऊपर जो आरोप है कि वे उद्दंड होते जा रहे हैं और इसमें अध्यापकों का हाथ होता है, मैं समझता हूं कि यह सही नहीं है। विद्यार्थी भी आखिर बच्चे ही होते हैं, उनसे गलती हो सकती है लेकिन इसका सारा दोष विद्यार्थियों और अध्यापकों पर ही डालना उचित नहीं है। आपका एक्जामिनेशन सिस्टम ऐसा है, आपका सिलेबस ऐसा है जिसकी वजह से विद्यार्थी अन्ततोगत्वा उद्दंड तो हो ही जायेंगे। उनके उद्दंड होने का एक कारण यह है कि वे नीचे से उकसाये जाते हैं और उकसाने की वजह से वे गुमराह हो जाते हैं। आज कल उनके ऊपर पुस्तकों का बोझ इतना लाद दिया गया है जिसकी वजह से वे परेशान हो जाते हैं.....

श्री रामस्वरूप यादव---उपाध्यक्ष महोदय, माननीय अवस्थी जी शायद भ्रम में हैं, मैं उनको बतला दूं कि यह कानून छात्रों की उद्दंडता के बारे में नहीं बनाया जा रहा है बल्कि जो भी व्यक्ति अध्यापकों के ऊपर हमला करे उनके लिये यह कानून लाया जा रहा है। तो इस दृष्टि से आप अगर भाषण करें तो उचित होगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी---माननीय उपाध्यक्ष जी मुझे माफ करेंगे, मुझे तो माननीय मन्त्री जी की बुद्धि पर तरस आता है। इसमें स्पष्ट लिखा है "सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ एक्जामिनेशन ऐंड इनविजिलेटर्स" तो एक्जामिनेशन सेंटर की बाउंडरी में सिवा विद्यार्थियों के कौन दूसरा होता ही है। जिस समय एक्जामिनेशन्स होते हैं उस समय सिवा विद्यार्थियों के कोई भी बाहरी आदमी

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

बाउंडरी के अन्दर नहीं प्रवेश कर सकता है । यहां तक कि जो पोस्टमैन होता है वह भी उस बाउंडरी के अन्दर पोस्ट डेलिवरी करने के लिये नहीं घुस सकता है । जब ऐसी हालत है तो फिर दूसरा आदमी सिवा एक्जामिनी के वहां और कौन हो ही सकता है ।

श्री रामस्वरूप यादव---वह अपने घर जायेगा कि नहीं जायेगा ?

श्री मोतीलाल अवस्थी---मैं पूछता हूं कि क्या कोई अध्यापक बाउंडरी के बाहर कभी जायेगा ही नहीं ? क्या एक अध्यापक तीन महीने के दरमियान बाजार नहीं जायेगा या दूसरी जगह नहीं जायेगा और वहां पर कोई बाहरी आदमी उसके ऊपर हमला नहीं कर सकता है ? क्या आप चाहते हैं कि इस तरह का कानून बना कर एक्जामिनीज की हालत को अस्त-व्यस्त कर दिया जाय ? इस तरह से कोई अपनी पुरानी रंजिश निकाल सकता है । इसलिये एक्जामिनेशन का विषय इसमें सम्मिलित है और इससे सम्बन्धित है, इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता । यह हो सकता है कि इक्जामिनीज और एनविजिलेटर्स लोग जब इस कानून पर बहस हो तो उसे समझने की कोशिश न करें और इसके दूसरे पहलू को समझें । श्रीमान्, मैं आपके सामने रखना चाहता था कि इसमें विद्यार्थी की बात लगी है और इसमें अध्यापक की बात लगी है । इसमें दोनों चीजें इसलिये लगी हैं कि दोनों में ही मौलिक नुक्स होने के कारण सरकार ढूंढ नहीं पाती । सिलेक्ट कमेटी में जब यह जायगा और सरकार को मेरी बात सुनने की फुर्सत होगी, इरादा होगा तो वह मेरी बात समझ सकेगी । मैं चाहे आपके द्वारा रोक दिया जाऊं या सदन के द्वारा रोक दिया जाऊं रुक तो जाऊंगा ही । लेकिन मुझे साहस है यह कहने का कि जब इस प्रकार के शिक्षा सम्बन्धी विधेयक आते हैं तो कहा जाता है कि ज्यादा न बोलिये । लेकिन जिसने अध्यापक होने के नाते अध्यापक की पीड़ा देखी है, विद्यार्थी की पीड़ा देखी है और पीड़ा स्वयं सही है तो इससे ज्यादा अच्छा मौका कौन सा आ सकता है कि वह अपनी बात कह सके । जब जब आप ऐसा बिल लायेंगे तब तब हमारी आवाज बुलन्द होगी । मैं तो कहूंगा कि भले ही मैं किसी पोलिटिकल पार्टी से सम्बन्धित होऊं लेकिन हूं तो संस्कृति से एक अध्यापक । आप अध्यापक नहीं रहे, आपने विद्यार्थियों को नहीं देखा और न आप अध्यापक व विद्यार्थियों के दुख व उत्पीड़न को देख सके हैं । अगर आपने विद्यार्थियों की पीड़ा तथा अध्यापकों की पीड़ा देखी होती अगर यहां अध्यापकों का सच्चे रूप से आप में कोई प्रतिनिधि होता तो आप भी आवाज बुलन्द करके उनकी बात रखते ।

गोविन्द सिंह जी का जो प्रस्ताव है मैं समझता हूं कि वह बड़ा उचित है । पीसमील लेजिस्लेशन लाने का आपका तरीका है कार्य करने का और पीसमील लेजिस्लेशन में यही उपाय होगा कि परिधि बढ़ाई जाय और परिधि बढ़ाने के लिये सारी बातें रखने की कोशिश करूंगा । यह झगड़ा चलता रहेगा । मैं ज्यादा समय न लेकर इतना ही कहूंगा कि मेरी बातें ऐसी हैं जिन्हें आप सुनेंगे और वह दिन आयेगा जब आप जरूर सुनेंगे ।

श्री जगदीश शरण अग्रवाल (जिला बरेली)---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ परम्पराओं के अनुसार इस विधेयक में भी प्रवर समिति की मांग का प्रस्ताव आया है । मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है जिसे मैं पहले भी इस सदन में कह चुका हूं कि एक औषधि भी समय बे समय प्रयोग करने से अपना महत्व खो बैठती है । इसी प्रकार हर प्रस्ताव में प्रवर समिति की मांग उस मांग का महत्व ही नष्ट कर देती है ।

श्रीमन्, मुझे आश्चर्य नहीं होता अगर यह मांग केवल गोविन्दसिंह जी विष्ट की होती । वे स्पष्टवादी हैं और वे हमें बतला चुके हैं क्यों वे इस सदन में प्रवर समिति की मांग कभी कभी पेश कर दिया करते हैं । लेकिन जब माननीय अवस्थी जी द्वारा भी ऐसी मांग पेश हुई तब मुझे और भी आश्चर्य हुआ यद्यपि होना शायद मेरी गलती हो ।

श्रीमन्, मैं यह निवेदन करूं कि जहां तक प्रस्तुत विधेयक का सम्बन्ध है उसमें कदाचित् वे सारी कल्पनायें हमारी शिक्षा के सम्बन्ध में न पूरी हो सकें। हमारे शिक्षा मंत्री जी की निश्चित घोषणा है कि एक काम्प्रिहेंसिव बिल इंटरमीडियेट एजूकेशन बिल आने जा रहा है। अभी पिछले बिल की स्याही सूख भी नहीं पाई है उसके लिये यह कहना कि उसे बहुत समय बीत चुका शायद गलत हो। वह आ रहा है और अवश्य आयेगा। उसके बीच में एक आवश्यकता अनुभव हुई और वह आवश्यकता थी उस वर्ग को जिसके प्रतिनिधित्व की सबसे बड़ी दुहाई माननीय-अवस्थी जी ने दी, उसके संरक्षण की। आज प्रदेश के शिक्षक वर्ग की मांग है कि वे इनविजिलेशन करते हैं एक्जामिनेशन सेन्टर्स की सुपरिन्टेन्डेन्ट्स करते हैं लेकिन उनको वह प्रोटेक्शन नहीं मिलता है जो मिलना चाहिये। माननीय अवस्थी जी में आशा करता हूं कि मुझ से अधिक अच्छी तरह से जानते होंगे कि शिक्षक वर्ग ने ऐसा तक संकेत किया है कि यदि ऐसा प्रोटेक्शन उनको न मिला सरकार की ओर से तो कदाचित उनको इस बात के लिये बाध्य होना पड़ेगा कि वे उन सेवाओं को न कर सकें। ऐसी विषम परिस्थिति थी। इन्टरमीडियेट एजूकेशन बोर्ड का एक अकिंचन सदस्य मैं भी हूं उस नाते मैंने वहां पर देखा कि इस किस्म की शिकायतें आयीं। यहां पर भी सरकार के सामने वह सारी बातें आयीं। प्रश्न यह था कि क्या वह संरक्षण देने के लिये हमें उस समय तक इंतजार करना चाहिये जब तक कि वह काम्प्रीहेंसिव बिल आने जा रहा है? या समय की मांग को देखते हुए तुरन्त एक संशोधक विधेयक लाकर उस संरक्षण को जिसकी मांग उसी वर्ग की ओर से सबसे ज्यादा है जिसके प्रतिनिधि माननीय अवस्थी जी अपने को कहते हैं, उसको फौरन किया जाय? श्रीमन्, यह प्रस्तुत विधेयक केवल उस उद्देश्य को सामने रख कर लाया गया। अधिकार है किसी भी माननीय सदस्य को कि किसी प्रस्तुत विधेयक की सीमा को लांघकर सारी बातों की आलोचना कर ले, माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने अभी २ महीने पहले कोई बात कही हो उसका जवाब दे लें, सरकार को कोस लें और शिक्षा के सम्बन्ध में जितनी बातें उचित या अनुचित समझें कह लें। लेकिन मैं बड़े आदर के साथ कहूंगा कि अच्छा होता यदि आज केवल इस प्रस्तुत विधेयक को इस दृष्टि से ही देखें कि क्या यह उचित है सरकार के लिये, क्या माननीय अवस्थी जी सरकार को यह सलाह देंगे कि जब तक वह काम्प्रीहेंसिव बिल आवे तब तक इन्तजार किया जाय और तब तक शिक्षक समुदाय को वह संरक्षण न दिया जाय जिसके लिये वह मांग कर रहे हैं? यदि उनकी बात का यह मतलब हो तब तो वह सारी आलोचना जो उन्होंने की उसका औचित्य हो सकता है। लेकिन यदि वह यह समझते हों और दूसरे माननीय सदस्य यह समझें कि हम एक क्षण भी विलम्ब न करें, परीक्षायें हमारे सामने हैं, अध्यापकों की मांग हमारे सामने है, उस सब के आधार पर यह आवश्यकता है कि हम उनको वह संरक्षण दें।

श्रीमन्, इसके अतिरिक्त माननीय गोविन्द सिंह जी ने एक कानूनी बात कही। वह स्वयं अच्छे वकील हैं। उस दृष्टि से यदि उन्होंने इस विधेयक को जांचा तो ठीक किया। सदन के सभी सदस्यों को उनका आभारी होना चाहिये। अच्छा होता यदि और लोगों को भी इस प्रकार की शंका होती तो उसका यहां समाधान हो जाता विवाद के दौरान में या संशोधनों के द्वारा। मैं केवल बड़े आदर के साथ कहूंगा कि जिस शंका की ओर उन्होंने ध्यान दिलाया वह भी कदाचित ठीक नहीं है। मैंने भी उसके बाद इंडियन पीनल कोड की धारा २१, जिसका माननीय गोविन्द सिंह जी ने जिक्र किया, उसको श्रीमन्, पढ़ने का प्रयत्न किया। उसके नवें सब-क्लाज में बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है, जहां पब्लिक सर्वेन्ट को डिफाइन किया है, उन्होंने उस वर्ग को भी पब्लिक सर्वेन्ट माना है, जिसके लिये लिखा है ". . . . or remunerated by fees or commission for the performance of any public duty." तो हाई स्कूल इंटरमीडियेट बोर्ड एक क्वासी गवर्नमेंट बाडी है। इस सदन के कानून के अनुसार वह चलती है। उस बोर्ड के फंड से रेम्यूनरेशन दिया जाता है एक्जामिनेशन सुपरिन्टेन्डेन्ट्स को और सेन्टर सुपरिन्टेन्डेन्ट्स को और इनविजीलेटर्स को। इसलिये यह प्रत्यक्ष है कि वे पब्लिक सर्वेन्ट की परिभाषा में आ सकते हैं। यानी इस बात में कोई शुबहे की गुंजाइश नहीं रहती। इसलिये इस नियम के द्वारा उस बात को स्पष्ट करना आवश्यक था। मैं समझता हूं श्रीमन्,

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल]

कि आज यदि हम यह निश्चय कर लें कि इस संशोधन विधेयक को वापस ले लिया जाय और इसको आज पास न किया जाय, फिर कल्पना करें---और उस समय तक प्रतीक्षा करें जब तक कि काम्प्रीहेंसिव बिल न आ जाय कि अध्यापक वर्ग को किस स्थिति में छोड़ देंगे, और जो हमारी परीक्षा आने वाली हैं २-३ महीने के बाद उस समय हमारे प्रदेश को किस परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। इसबात को सामने रखते हुए श्रीमन् मैं यह निवेदन करूंगा कि हमें इस विधेयक को अविलम्ब पास करना चाहिये। जहां तक इसमें प्राविजन्स का ताल्लुक है, सीधी-सीधी सी बात है। इसलिये मैं यह प्रार्थना माननीय अवस्थी जी से करूंगा यद्यपि उनके जो भी अनुभव रहे हों सरकार के प्रति, मेरा अनुभव है कि ऐसी प्रार्थनाएं वह कभी स्वीकार नहीं करते, लेकिन वह जो कुछ भी करें---मुझे तो अपना कर्तव्य करना ही चाहिये। अतः मैं बड़े आदरपूर्वक उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे शिक्षक वर्ग के संरक्षण के ही लिये अपने इस प्रस्ताव को वापस करने की कृपा करें और एक दिन का भी इसमें विलम्ब न होने दें।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अभी अपने माननीय मित्र श्री जगदीशशरण जी का भाषण सुना। जब उन्हें इतना आश्चर्य हुआ प्रवर समिति में भेजने की बात पर तो अगर ज्यादा बातें कही जायं तो उनको कष्ट होगा, और उन्हें कष्ट होगा तो हमको भी कष्ट होगा। मैं कहना यह चाहता हूं कि मेरी समझ में अगर उनके कष्ट होने की भी वैज्ञानिक प्रक्रिया होती तो उनको इससे अधिक कष्ट होता इस बात को देखकर कि आज से दो महीने पहले इन्टरमीडियेट एजूकेशन अमेंडमेंट बिल आया उस समय यह बात नहीं लाई गई। मुझे तो इस बात का कष्ट है कि बिल्स का आना यहां ऐसा हो गया है कि भाई जगदीश शरण जी आज इन्टरमीडियेट बोर्ड में चले गये वहां जाने पर एक अनुभूति हुई और एक बिल आ गया। हमारे मोतीलाल अवस्थी अध्यापक हैं, वह विद्यालय में गये और उन्हें कोई अनुभूति हुई लेकिन वह बिल तो ला नहीं सकते, क्योंकि वह इधर के बैठने वाले हैं। अगर कहीं पद-यात्रा में कोई कठिनाई मिली तो उस पर अमेन्डमेन्ट ले आये।

उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे समय में भाई जगदीशशरण जी जैसे लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे प्रश्नों पर गम्भीरतापूर्वक सोचने के बाद अपने विचार देंगे। मैं समझता हूं कि विधेयक बड़ा सीधा है और इस विधेयक को लाने के पीछे जो मनोभावना है वह अच्छी है, लेकिन शंकाएं हमारी कुछ जरूर हो सकती हैं। अवस्थी जी के भीतर का अध्यापक बोल रहा था लेकिन एक बात छूट गयी। मेरे भीतर का अध्यापक बोला, मुझे शंका है। मुझे ऐसा लगता है कि माध्यमिक शिक्षक संघ का निर्णय है कि वे हड़ताल करने जा रहे हैं और परीक्षा का बाइकाट करने जा रहे हैं। अब गोविन्द सिंह जी की तरह मैं न वकील हूं, मैं नहीं समझता कि पब्लिक सर्वेन्ट होने के बाद परीक्षा का बाइकाट करने पर क्या असर पड़ेगा। मैं कहता हूं कि सरकार की नियत साफ और उचित बताई जाती है लेकिन मुझे सरकार की नियत पर शुबहा है। अगर उसकी नियत साफ होती तो दो महीने पहले जो अमेन्डमेन्ट आया है उसमें इसे कर दिया होता। मुझे ऐसा लगता है सरकार यह विधेयक इसीलिये लायी है कि उन अध्यापकों को उचित दंड दे सकें और वह चंगुल में ठीक से आ सकें और वह बाइकाट आदि न कर सकें, मेरा विश्वास है कि इसीलिये यह विधेयक लाया गया है। फिर भी जैसा कि हमारे इस विधेयक को पेश करने वाले माननीय मन्त्री जी ने बताया कि पब्लिक सर्वेन्ट्स होने के बाद हमला करने वाला विद्यार्थी के अलावा कोई और भी होगा वह भी दंडित किया जा सकेगा। इस कानून का सम्बन्ध विद्यार्थियों और अध्यापकों से है और अगर वैज्ञानिक भाषा का प्रयोग किया जाय तो यह अनुशासन का प्रबन्ध है। मैं बहुत ही नम्रतापूर्वक और बहुत ही आदर के साथ कहूंगा कि यह अनुशासन का प्रश्न किसी अधिकार या कानून का प्रश्न नहीं होता। दुनिया का कोई भी आज का शिक्षा शास्त्री ऐसा नहीं होगा जिसका मत यह हो कि राड की डिसिप्लिन जो किसी जमाने में मानी जाती थी उसको आज भी एडवोकेट करता हो, इस चीज को प्लेटो के बाद किसी ने नहीं माना है कि डंडे से शिक्षा और अनुशासन रह सकता है। अनुशासन कोई बाहर से लादी जाने

वाली चीज नहीं होती वह एक भीतर की सेल्फइम्पलाइड चीज होती है और सही माने में अगर शिक्षा है, शिक्षा के कुछ माने हुए उद्देश्य होते हैं और उसी की कल्पना पर हमारा सर्वांगीण विकास आधारित है। यह चीज इस तरह से ऊपर से लादने से नहीं होती और किसी भी शासन के लिये यह कोई गर्व की बात नहीं है कि वह इस की व्यवस्था कर दे कि अध्यापक के लिये पुलिस दी जाय। इस तरह से छोटी छोटी बातें करके काम नहीं चल सकता है। बार बार सरकार की तरफ से जब भी कोई संशोधन लाया जाता है तो कहा जाता है कि हम एक काम्प्रीहेंसिव बिल लाने वाले हैं शिक्षा के सम्बन्ध में लेकिन आज तक सरकार ने कभी मिलजुलकर इस बात की कोशिश नहीं की कि कोई स्पष्ट शिक्षा विधि वह अपनाती और तैयार करती और इस चीज की वह आज तक कल्पना तक नहीं कर सकी, तरह तरह के प्रारूप हमारे सामने आते हैं और वह निश्चित ही नहीं कर पाते हैं कि क्या करें और कैसे चलें। जब कभी भी वह कोई ऐसा विधेयक लाते हैं तो काम्प्रीहेंसिव विधेयक लाने की चर्चा करते हैं लेकिन वह कब आयेगा यह कोई नहीं जानता। मैं तो मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस तरह के छोटे मोटे बिल वापस लें और पूरी तरह से प्राबलम को देखकर एक काम्प्रीहेंसिव बिल लायें जिसमें सब बातों का समाधान हो। मैं मंत्री जी से पूछता हूं कि पर्चे जो आउट हो जाते हैं उसके लिये आप कौन सा बिल ला रहे हैं? . . .

एक सदस्य—उसके लिये कानून मौजूद है।

श्री गौरीशंकर राय—कानून तो मारने के लिये भी मौजूद है, कोई मार देगा तो क्या होगा, दफा ३२३ है दफा ३२६ है। हमें देखना है कि इस तरह के रोगों का निदान सरकार मूलतः भी कभी सोचेगी या नहीं। हम लोग नारेबाजी की बात करते हैं, कहा गया कि अध्यापकों की रक्षा का प्रश्न है उनको कैसे बचाया जाय, अध्यापकों का प्रश्न होते हुए भी मैं कहना चाहता हूं कि वह दिन इस देश के लिये एक दुखद दिन होगा और देश का दुर्भाग्य होगा कि जिस दिन शिक्षा संस्थाओं में अध्यापकों की सुरक्षा के लिये ला औरआई० पी० सी० की धाराओं की शरण ली जायगी और उनके बूते अनुशासन कायम किया जायगा। इससे हमें प्रगति नहीं मिलेगी और यह चीज हमारे लिये, हमारी शिक्षा के लिये गर्व नहीं बल्कि लज्जा की बात होगी कि पुलिस को कोई अधिकार दिये जायं। फिर एक मास के लिये आप उनकी रक्षा करते हैं। ठीक है आप ने एक मास के लिये प्रबन्ध कर दिया लेकिन एक मास के बाद क्या होगा। अगर उस एक मास के बाद कोई मास्टर के दस जूते मारने लगे तो भी तो ३२३ का मुकदमा ही कायम होगा। उसके लिये फिर अध्यापक को कोर्ट में जाना होगा। तो अध्यापक की दृष्टि से अगर श्री जगदीश शरण जी सोचते तो उनके तर्कों की यह प्रणाली न होती। उनका सोचना सही है, और नागरिकों और अध्यापकों का सोचना उचित है, क्योंकि थ्योरी उनकी यह है "अदर थिंग्स रिमेनिंग दि सेम", ऐसे करके सोचते हैं। अगर ऐसे ही सोचते रहे तो सोचते सोचते हम मर जायेंगे, कर कुछ नहीं पायेंगे। "अदर थिंग्स" भी कुछ बदल जायं, यह सोचना चाहिये और शिक्षा-विदों को यह सोचना चाहिये।

चारों तरफ भाषण होता है कि डिसिप्लिन खराब हो गया है। मैं भी थोड़े दिनों के लिये अध्यापक रह चुका हूं। मेरा अपना विश्वास है कि अध्यापक अगर अध्यापक के कर्त्तव्यों को पूरा करता है तो विद्यार्थी कभी इंडिसिप्लिन्ड नहीं हो सकता और जो शिक्षा प्रणाली है उसके दोष हटा दिये जायं तो ऐसी चीज नहीं आ सकती जिससे दंड की व्यवस्था करनी पड़े। एक दफा यह बात हमने कही थी तो हमारे शिक्षा मंत्री तो नहीं थे, एक और मंत्री थे वह बहुत नाराज हो गये। कहा जाता है कि हम जो कहते हैं वह राजनीति की बात है। आज हम देखते हैं कि अध्यापक हर चीज के लिये सरकार से मांग करता है, तनख्वाह के लिये मांग करे, पैरिटी के लिये मांग करे, दवा-दारू के लिये मांग करे, यह बहुत जायज है, लेकिन जिस दिन अध्यापक अपने डिसिप्लिन में सरकारी मदद और कानून के संरक्षण की मांग करता है, मैं समझता हूं किसी भी व्यक्ति को ऐसी मांग का समर्थन नहीं करना चाहिये और अगर करता है तो ऐसा ही है जैसे लड़कों को प्यार में बाप ऐसी चीज दे देता है जिससे स्वास्थ्य खराब हो जाय। मैं जगदीश शरण जी से कहता हूं, जैसा कि राजनारायण जी ने कहा, कौन सी धरा धंसने लगी है, क्या संकट की स्थिति हो गयी है, जैसे मालूम होता है लीबिया के मोर्चे में, अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध में जा रहा

[श्री गौरीशंकर राय]

है अध्यापक कूदने के लिये। मैं कहता हूं कि इस प्रकार से वहां की जो विधि है उसको नष्ट न कीजिये और शिक्षाविद् जो उसमें काम करते हैं उनको कायर मत बनाइये और ऐसा मत बनाइये जिससे उनको आपके कानून की तरफ देखना पड़े। मैं चाहता हूं कि यह सदन पूरा जोर सरकार के ऊपर दे कि सरकार वह अपना काम्प्रिहेंसिव बिल लाये जो ऐसा कुछ मसाला है, ऐसी कल्पना है जिसकी कल्पना बन्द रहने पर ही की जा सकती है, खोल कर उसकी कल्पना करना हमारे जैसे साधारण लोगों के लिये बड़ा कठिन है।

रोज बात आती है कि हमारी परीक्षा विधि में दोष है। अगर दोष है तो जैसे कि देहात की मसल है कि छोटी चादर सर की तरफ ज्यादा होगी तो पैर की तरफ कम हो जायगी और पैर की तरफ होगी तो सर की तरफ कम हो जायगी। आप अध्यापक को मैजिस्ट्रेट बना दीजिये, लड़के मार-पीट नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद नकल होगी, दायें-बायें से होगी, कापियों पर सिफारिश होगी और न जाने क्या क्या वितंडावाद होने वाला है। मेरे कुछ मित्रों ने कहा कि यह अध्यापक की मांग का सवाल है, तुम विरोध करोगे। अगर इस दृष्टि से देखना है कि प्रस्ताव आ गया है तो समर्थन करें, नहीं आया है तो न करें, तो कल्याण होने वाला नहीं है। अध्यापकों की उचित मांगों को खत्म करने के लिये और उसके प्रयास में जो उनका आन्दोलन हो रहा है उसको कामयाबी से दबाने के लिये यह लेजिस्लेशन और अमेंडमेंट लाया गया है वरना यह समस्या और भी पहले सामने थी। हमारे मंत्री जी सर हिलाते हैं। वह बतलायें कि २ महीने या ३ महीने पहले जब हमने अपना इंटरमीडियट एजूकेशन बिल पास किया है इसके पहले समस्या की गम्भीरता का आपको आभास था या नहीं था? नहीं था। खैर, जिस नीयत से भी करने जा रहे हैं, लेकिन ३-३ महीने में बार बार लेजिस्लेशन और अमेंडमेंट ले आना कानून के लिहाज से कभी अच्छी बात नहीं होगी। ऐसे संशोधन वापस लिये जाने चाहिये। हो सकता है कि शिक्षा मंत्री जी कहीं दौरे पर गये हों। हो सकता है कि उधर से आते समय बाराबंकी में कोई उनका मित्र मिल जाय और उनको एक सुझाव दे दे तो फिर नये अमेंडमेंट की आवश्यकता पड़ जायगी। इसलिये उनकी प्रतीक्षा कर लें दो, चार दिन और जैसा कि हमारे मित्रों ने कहा, इसे प्रवर समिति में भेज दें। वैसे तो मैं कहूंगा कि सरकार इसे वापस ले और जो अध्यापकों का वह कल्याण करना चाहती है उस कल्याण को अपने थैले में रखे लेकिन प्रवर समिति वाला सुझाव बड़ा निर्दोष है और इसे मान लेना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं भाई गोविंद सिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़े ध्यान से भाई गौरीशंकर राय जी और अवस्थी जी के प्रवचन या सम्भाषण या अध्यापकों के प्रति जो उनकी सहानुभूति है वह सुनता रहा। सौभाग्य या दुर्भाग्य से मैं भी अवस्थी जी के साथ थोड़ा अनुभव रखता हूं और सेंटर से भी अपना सम्बन्ध रहा है। जब इस छोटे से एक धारा वाले विधेयक के बारे में इतनी शंका, कुशंका की जा रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि अध्यापकों के पक्ष को ठीक ठीक समझ नहीं पाये। इन्टरमीडियट एजूकेशन ऐक्ट सन् १९२१ का है और सन् १९४७ से जो एजूकेशन रिआर्गेनाइजेशन स्कीम चली तो उसमें हायर सेकेंडरी स्कूल्स की संख्या बहुत बढ़ गयी। इस समय करीब १८०० संस्थायें इस प्रदेश में हैं। जब यह ऐक्ट बना था उस समय केवल २० धारायें थीं और शिक्षा की सारी समस्या उसमें समीभूत नहीं हो सकी थी। इसलिये आवश्यकता थी परिवर्तन की। तमाम रिप्रेजेन्टेशन आये हैं और इस सदन ने एक समिति बनायी जिसमें यह स्पष्ट कहा गया कि हमारा यह ऐक्ट अधूरा है। ऐसी स्थिति में मौके मौके से सुधार आते रहे हैं। इस सदन में कहा गया है कि इस वक्त छात्रों में अनुशासन-हीनता अधिक है। सब अध्यापक मानते हैं, माध्यमिक शिक्षक संघ ने भी कहा है, जनता ने कहा है और इसकी घटनायें भी हुई हैं। एक ही प्रश्न इसमें सम्मिलित है कि जो अध्यापक है वह इंटरमीडियट ऐक्ट के मुताबिक परीक्षक और निरीक्षक दोनों रहता है। साथ ही साथ प्रिन्सिपल सुपरिन्टेन्डेन्ट और असिस्टेन्ट सुपरिन्टेन्डेन्ट होता है। ऐसी स्थिति में सरकार अपने काम के लिये

सेंटर्स बना कर उनसे काम लेना चाहती है। १,८०० स्कूलों में से सरकारी तो केवल १०० हैं बाकी १,७०० प्राइवेट स्कूल हैं जिनमें करीब ३० हजार अध्यापक अधीक्षक लगते हैं और जैसा कि मंत्री जी ने बतलाया करीब ८०० सेंटर्स में जो प्रिन्सिपल काम करते हैं ये सुपरिन्टेन्डेन्ट रहते हैं। अतः गवर्नमेन्ट तो उनसे पब्लिक सर्वेन्ट का काम लेती है लेकिन जो पब्लिक सर्वेन्ट की सुरक्षा की व्यवस्था उनके लिये नहीं है वह इस छोटे से विधेयक द्वारा दी जा रही है। अगर कोई दायित्व सरकार की ओर से दिया जाय और उसके संरक्षण की व्यवस्था न की जाय तो यह कोई बहुत उचित बात नहीं होगी। हमारी यह बड़ी भारी मांग थी कि हम अधीक्षक तो हैं सेंटरों के, लेकिन हमारे पास कोई साधन नहीं। लड़कों ने सेंटरों पर टीचर्स पर ढेले मारे और कापियां छीन लीं। हमने पुलिस को लिखा लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। हमने पुलिस के सिपाही मांगे उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। कभी कभी कोई केस चला तो वह नकल करने वाले लड़कों और उनके गार्जियन्स के हक में हुआ। इस कारण टीचर्स और सुपरिन्टेन्डेन्ट्स ने कहा कि यह तो बड़ी थैंकलेस जाब है। केवल ५०–६० रुपये सेन्टर सुपरिन्टेन्डेन्ट को मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि ५०–६० रुपये के लिये कौन अपने जीवन की सुरक्षा खतरे में डाले। इसीलिये बहुत सी संस्थाओं ने सेन्टर बनने से इन्कार कर दिया। इसलिये शिक्षा बोर्ड के सामने यह प्रश्न आया। मैं भी उसमें हूं। बहुत सी संस्थाओं ने कहा कि हम सेंटर नहीं चाहते। वे कहती हैं कि हमारे टीचर्स की कोई सुरक्षा नहीं है इसलिये कि कई बार हमले हो चुके हैं, हमारे कालेज का रेपुटेशन गिरा है। सेंटरों पर वहां के नहीं बल्कि बाहर के विद्यार्थी भी आते हैं और यह आवश्यक भी है कि एक सेंटर में बाहर के विद्यार्थी ही रखे जायं। बाहर का विद्यार्थी टीचर के प्रति कितनी श्रद्धा रखेगा और कितनी अनुशासन की भावना दिखा सकेगा यह चीज हम लोगों के सोचने की है। इसमें सिवाय इसके कुछ नहीं है कि सुरक्षा के लिये एक धारा के अनुसार टीचर्स को पब्लिक सर्वेन्ट डिक्लेयर किया जा रहा है। हम परीक्षा से एक महीने पहले और दो महीने बाद तक के लिये यह चीज कर रहे हैं। इसके माने यह हुये कि यदि उन पर कोई बाहर से आघात होता है तो जो भी गवर्नमेन्ट के अधिकारी हैं चाहे वह पुलिस हो या मजिस्ट्रेट हो उसको सुरक्षा दे सकेंगे। इस छोटे से विधेयक का मंशा यही है इसके सिवाय और कुछ भी नहीं है।

श्रीमन्, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इसमें इतने भाव कुभाव क्यों लगाये जा रहे हैं। अभी तीन चार महीने पहले एक अमेंडिंग बिल आया था। अगर इंडियन पेनल कोड के अन्तर्गत यह संशोधन उसके साथ रखते तो वह प्रेसीडेंट के पास जाता। हमारे कानून के पंडित लोग बतायेंगे कि इसके भी जाने की आवश्यकता है या नहीं। अगर यह भी जाय तो हमारे सारे कार्य रह जाते हैं। जैसे केरल के एजूकेशन बिल का हाल हो रहा है। उस बिल को हमने देखा है। वह दो वर्ष से केरल से दिल्ली और दिल्ली से केरल घूम रहा है। क्या हमारे भाई जो अध्यापकों के इतने हामी हैं वह यह चाहते हैं कि जब उनकी सुरक्षा का सवाल आये तो वह दिल्ली से लखनऊ और लखनऊ से दिल्ली बराबर घूमता रहे और उसमें ३-४ साल लग जायं। मैं समझता हूं कि इससे हित के बजाय अहित हो जाने की सम्भावना है। ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि इसको तीन महीने पहले उसके साथ नहीं आना चाहिये था। इसके साथ ही साथ उसमें मैनेजमेंट वगैरह की भी बातें हैं उनमें भी दिक्कत हो जाती। इसलिये इसको अलग से ही आना चाहिये था और आया भी।

श्रीमन्, मैं एक बात और कह देना चाहता हूं और वह यह है कि पब्लिक सर्वेन्ट की परिभाषा इंडियन पेनल कोड की धारा २१ में दी हुई है। इसके सब सेक्शन (९) में दी हुई है। उसमें यह है कि सरकार की तरफ से अगर कोई पब्लिक का काम करे और उसे पारिश्रमिक मिले तो वह पब्लिक सर्वेन्ट डिक्लेयर किया जाता है। ऐसी बात नहीं है कि वह जाकर मजिस्ट्रेट हो जायगा और उसका काम करने लगेगा। बात तो केवल इसमें इतनी ही है कि जो बाहर से उसके ऊपर यदि कोई आघात होगा तो उससे उसको सुरक्षा मिल सकेगी। इसके अलावा इसमें और कोई बात नहीं है।

[श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी]

एक आध बात कही गई उसकी ओर इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहता हूं। गवर्नमेन्ट कालेजेज के प्रिंसिपल्स हैं, टीचर्स हैं जो सुपरिन्टेन्डेन्ट और इंविजिलेटर्स का काम परीक्षा में करते हैं। हमारे माध्यमिक संघ की यह मांग रही है कि गवर्नमेन्ट के सेकंडरी स्कूलों को एबोलिश किया जाय और शिक्षा को नेशनलाइज किया जाय। एक तरफ तो हम इसकी बात करते हैं और दूसरी तरफ जब कोई सुविधा दी जाती है तो उसका विरोध किया जाता है। यह भी कहा जाता है कि एक टीचर एक हजार लड़कों को पढ़ाता है। हमारे उत्तर प्रदेश में डेढ़ दो लाख लड़के पढ़ते हैं उनमें ५० हजार लड़के गवर्नमेन्ट स्कूलों में पढ़ते हैं तो उनके टीचर्स को आपने बहुत ज्यादा तनख्वाह दे रखी है उनके स्टेटस को बहुत बढ़ा रखा है। लेकिन जब हम टीचर्स को थोड़े समय के लिये कुछ स्टेटस देना चाहते हैं और उनकी सुरक्षा का प्रबंध करते हैं तो आपत्ति की जाती है। इसलिये मेरा यह कहना है कि इसमें किसी प्रकार की आपत्ति की गुंजायश नहीं है। यह सिर्फ तीन चार महीने के लिये चीज हो रही है। यह काम जो बड़ी दिक्कत का है उसके निर्वाह में सहायता मिलेगी। इसलिये इस दृष्टि से भी इस पर किसी प्रकार कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। फिर मुझे मालूम नहीं हो रहा है कि न जाने इसका क्यों इतना विरोध हो रहा है। मैं समझता हूं कि "संशयात्मा विनश्यति" यानी हमारे महात्मा गांधी जी ने कहा है कि जो बहुत शंकायें करता है उसकी बुद्धि लुप्त हो जाती है। इसलिये मेरा ख्याल है कि इस पर बार बार शंकायें करने से कोई लाभ नहीं है। मैं समझता हूं कि नीयत में कहीं आक्षेप की बात नहीं है। एक बात और है। भाई मोतीलाल जी ने कहा कि अध्यापकों का आदर नहीं किया गया है। अध्यापक भी एलेक्टर्स हैं। मैं भी अध्यापक हूं। जनरल कांस्टीटुएंसी से कंटेस्ट करता हूं। अपर हाउस में उनके स्थान सुरक्षित हैं। यह जरूर है कि जो अभी तक हुआ है बहुत कम है। मैं इसको मानता हूं। एजूकेशन के बारे में एक एग्जास्टिव बिल आना चाहिये। लेकिन हम लोग टीका टिप्पणी तो कर देते हैं लेकिन स्वयं नहीं बना पाते। यह जो विधेयक है बड़ा छोटा सा विधेयक है। इसका सबको स्वागत करना चाहिये। माननीय गौरीशंकर राय जी ने परीक्षकों के बायकाट का प्रश्न उठाया। उन्होंने कहा कि यह बिल इसलिये लाया गया है क्योंकि परीक्षक माध्यमिक संघ ने तय किया है कि बायकाट करेंगे। मैं समझता हूं कि सिद्धांततः यह कदम गलत है कि अध्यापक सत्याग्रह करें और स्लोगन लगायें। लेकिन सत्याग्रह तो उधर के लोगों का मुख्य उद्देश्य है। लेकिन अगर टीचर्स को इसमें डाला जायगा तो राष्ट्रीय चरित्र गिरेगा। टीचर्स को इस तरह से हड़ताल में डाल कर और वह आकर सदन के दरवाजे पर सोयें या पिकेटिंग करें उससे किसी की सहमति नहीं हो सकती। अध्यापक जो सद्भावना, प्रेम और प्रतिष्ठा के ऊपर जीवित हैं, वह क्यों अपने लिये मांग करें, जनता उसके लिये मांग करेगी और मांग कर रही है। तो इस हड़ताल की वजह से यह विधेयक नहीं लाया गया है। मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी अध्यापकों की सुरक्षा की व्यवस्था हो सके। और इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

*श्री देवीप्रसाद मिश्र (जिला फैजाबाद)—श्रीमन्, मैं उस प्रस्ताव का समर्थन कर रहा हूं जिसमें कहा गया है कि इसकी परिधि बढ़ा दी जाय।

अभी यह कहा गया कि अध्यापकों के संरक्षण के लिये यह बिल लाया गया है। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं यह बात समझ न पाया। क्योंकि इस में अध्यापक का कहीं जिक्र नहीं है। यह तो निरीक्षक और सुपरिन्टेन्डेन्ट की बात करता है। जैसा कि अभी बताया गया, माध्यमिक शिक्षक संघ ने तय कर लिया है कि उसके अध्यापक कम से कम इस वर्ष न इनविजिलेटर होने जा रहे हैं और न निरीक्षक बनने जा रहे हैं, न सुपरिन्टेन्डेन्ट का काम करने जा रहे हैं। इस तरह का निश्चित मत सरकार के सामने आ गया है। सरकार जानती है कि हमको निरीक्षक और सुपरिन्टेन्डेन्ट नहीं बनना है। इस पर भी बिल आ गया तो हमें

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जरूर शंका हो जाती है। जहां तक अनुशासन का प्रश्न है अगर इसको ही लेकर बिल लाया गया होता तो इसकी आवश्यकता दो तीन वर्ष पहले अधिक थी। दो वर्ष पहले जो घटनायें घटित हो रही थीं आज वह घटती जा रही हैं। यह मैं मानता हूं कि निरीक्षकों पर और सुपरिन्टेन्डेन्ट के ऊपर आक्रमण होना दुखद चीज है। लेकिन यह बात भी तो सही है कि स्वयं यह घटनायें घटती जा रही हैं। अगर इस बिल की आवश्यकता थी तो दो वर्ष पहले आना चाहिये था। एक प्रिंसिपल मार डाला गया। उस वक्त यह बिल क्यों नहीं आया? तो इस साल क्या लाने की आवश्यकता पड़ गयी? जब कि तीन महीने पहले इंटरमीडियट एजूकेशन बिल हमारे सामने था तो उसी वक्त इसकी आवश्यकता नहीं समझी गयी। यह संदेह जरूर हमारे सामने आ जाता है कि क्या वजह है कि यह समय चुना गया यह बिल लाने के लिये। इस बिल में जो पब्लिक सर्वेन्ट डिक्लेयर करने की बात कही गयी है यह हमारी समझ में अब भी नहीं आया। आप किसी अध्यापक को जो गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट नहीं है कैसे गवर्नमेंट सर्वेन्ट बना देंगे इस कानून के जरिये यह बात समझ में नहीं आयी। २१ की ९ वीं धारा को देखा जाय तो पब्लिक सर्वेन्ट बनने के लिये गवर्नमेन्ट की तरफ से फी, तनख्वाह या रिम्यूनरेशन इन तीनों बातों में से एक होना आवश्यक है। जहां तक मैं जानता हूं लड़के फीस देते हैं, लड़कों की फीस बोर्ड वसूल करता है और वह निरीक्षकों और सुपरिन्टेन्डेन्ट्स को दे देता है। लड़का अगर इम्तहान नहीं देता है तो वह अपनी फीस वापस ले लेता है। इसलिये अगर उस फंड से कोई रुपया निरीक्षक को दिया गया तो वह न गवर्नमेन्ट की तरफ से फीस मानी जायगी, न तनख्वाह मानी जायगी और न रिम्यूनरेशन ही समझी जायगी। इसलिये इस परिभाषा के अनुसार अगर किसी को सुविधा नहीं मिल सकती है तो उनको मिलेगी जो गवर्नमेन्ट स्कूल्स के नौकर हैं या जो किसी तरह से एस०डी०आई० या डी०आई० का कृपापात्र हो, जो पहले से गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स मौजूद हैं उनको यह फायदा देगा लेकिन जो नहीं हैं वह प्राइवेट स्कूल के अध्यापक जो हैं वे किसी तरह से इस दफा के अन्दर नहीं आयेंगे। क़ानून आप बना दीजिये लेकिन कानून बना देने से कोई चीज नहीं हो जाती। जब अदालत में वह कानून जायगा और इंडियन पेनल कोड के हिसाब से उसकी जांच की जायगी तो यह कानून स्वयं गिर जायगा। और इस क़ानून से जिससे आप अध्यापकों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं उनकी रक्षा नहीं हो सकती। उसके लिये दूसरे तरीके हैं।

दूसरा शक जो मुझे होता है जैसा कि हमारे भाई गौरीशंकर राय जी ने कहा कि अनुशासन एक मौलिक प्रश्न है। इस विधेयक के द्वारा यह किया जा सकता है या नहीं, यह एक प्रश्न हमारे सामने आता है। आप कर क्या रहे हैं? बोर्ड की जब परीक्षा होगी तब एक, दो या तीन महीने के लिये हम उसे पब्लिक सर्वेन्ट बनाने जा रहे हैं लेकिन आप क्या यह नहीं जानते कि वह लड़का पहले भी परीक्षा देता है। छमाही परीक्षा देता है, तिमाही परीक्षा देता है। उन परीक्षाओं में अगर वह नकल करता रहा और उन समयों में वह नकल करते हुये अगर किसी अध्यापक ने उसे पकड़ा तब तो आप उसकी रक्षा नहीं करते। अगर आप उसको बराबर नहीं पकड़ते और अगर लड़का तिमाही और छमाही में नकल करने की आदत प्राप्त करता जा रहा है और इस डर से कि आपने क़ानून बना दिया कि सालाना परीक्षा में नहीं नक़ल कर सकता तो वह उस परीक्षा में नक़ल नहीं करेगा, इस क़ानून के बनने का इन्तजार थोड़े ही करेगा। वह एक महीने पहले नहीं मारेगा या दो महीने बाद क्या वह नहीं मार सकता। पहले नहीं मारेगा, छः महीने के बाद मार देगा। आप तो साल भर के लिये दवा नहीं कर रहे हैं। क्या आप लड़कों को इतना बेवकूफ समझे बैठे हैं, अगर आप उसके गार्जियन को इतना बेवकूफ समझते हों वह इस विधेयक को पढ़ना न चाहेंगे तो आप गलती कर रहे हैं। अगर उसका मारना ही ध्येय होगा तो वह इस क़ानून में लिखी हुई शर्त से बच जायगा और पहले या बाद को मार देगा। उसे बचने में कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। इसलिये आप को अगर निरीक्षक की रक्षा करनी है तो कोई दूसरा क़ानून बनाइये और दूसरा क़ानून बनाने के लिये हम आपको सुझाव दे सकते हैं बशर्ते कि जैसा कहा गया है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय और दो-चार दिन का समय ले लिया जाय।

[श्री देवीप्रसाद मिश्र]

एक बात और मेरी समझ में नहीं आई । कहा गया कि अभी तो बहुत जल्दी है । यह जल्दी कैसे समाप्त हो जायगी । एक महीने बाद परीक्षा होने जा रही है और आप इसमें देने जा रहे हैं एक क्लाज के अन्दर कि ऐसिस्ट जो करता है उसके एक महीना पहले से ही उस पर हमला होगा और जो उसको रोकने के लिये प्रयत्न होंगे वह इसके अन्दर आ जाते हैं । तो पहली बात तो समझ में नहीं आयी कि जो हम एसिस्ट करते हैं एक महीने बाद । इस वक्त तो हम एनविजिलेटर हैं नहीं । एक महीने बाद हमें सब काम करना होगा तो एक महीने पहले से हम कैसे कानून से रक्षा कर सकते हैं । यह बात मेरी समझ में नहीं आयी । माननीय मंत्री जी यदि इसे बताने की कृपा करेंगे तो समझने की कोशिश करूंगा । अभी एसिस्ट करने के काम में एक महीने की देर है । परीक्षा जब प्रारम्भ होती है तो एक या दो घंटे पहले उसको पता होता है कि वह एसिस्ट करने जायगा और निरीक्षक का काम करेगा । आप उसकी रक्षा एक महीने पहले से करना चाहते हैं । यह बात हमारी समझ में कानून से कैसे साबित हो सकेगी । इसलिये मालूम यह हो रहा है कि आप असल में अध्यापकों की रक्षा नहीं कर रहे हैं । मालूम यह हो रहा है कि आप किसी दूसरे को निरीक्षक का काम सौंपने जा रहे हैं । अध्यापक के अतिरिक्त आप दूसरे लोगों को निरीक्षक और सुपरिन्टेन्डेन्ट बनाने का मन्शा सोच रहे हैं और आप यह भी सोच रहे हैं कि अध्यापक अगर गैरहाजिर हो गये तो जहां एक निरीक्षक मिल जायगा वहां हर निरीक्षक मिल जायगा । आपने इस बात को समझ लिया है कि अध्यापक के प्रति श्रद्धा, प्रेम और विश्वास घट गया है । लेकिन उस घटने के बावजूद भी कुछ लड़कों में अभी वह मौजूद है । जहां पर निरीक्षक या सुपरिन्टेन्डेन्ट के पद से वह हट जायगा, जैसा कि अब निश्चित है, तो जो आपके नौकर होंगे वह आयेंगे और हो सकता है कि पद यात्रा में आप उनको भी शामिल कर लें । मेरी समझ से आप अध्यापक के नाम पर किसी और का ही संरक्षण करना चाहते हैं । यह बात जरूर है कि अध्यापकों की तरफ से यह मांग आई थी और अध्यापक संघ ने इस मांग को सरकार के पास रखा था लेकिन यह उनकी बहुत पुरानी मांग थी । ३, ४ वर्ष पहले से यह उनकी मांग रही है लेकिन आप ३, ४ साल तक चुप बैठे रहे और आपने गौर नहीं किया और आज फौरन जरूरत महसूस हो गई । अगर अध्यापक की रक्षा का सरकार का मन्शा होता तो मैं उसको मान लेता । अगर इस विधेयक में यह होता कि अध्यापक निरीक्षक बनना नहीं चाहता है तो वह इन्कार कर सकता है और सुपरिन्टेन्डेन्ट अगर नहीं बनना चाहता है तो वह इन्कार कर सकता है ।

यहां पर जो लोग विद्यमान हैं हो सकता है उनका सम्बन्ध किसी संस्था से रहा हो । हो सकता है वह मैनेजर रहे हों या प्रिन्सिपल हों या हो सकता है कि किसी न किसी तरह से उनका सम्बन्ध किसी संस्था से रहा हो । यह भी हो सकता है कि हम अध्यापकों की ड्यूटी इसको अभी तक मानते रहे हों लेकिन आज अध्यापक इस बात को मानने लगा है कि हमारा काम निरीक्षक का नहीं है । वह इस बात को कहने लगा है कि हमारा काम निरीक्षक का नहीं है । अगर सरकार इस बात को डिक्लेयर कर दे कि हां यह बात सही है कि अध्यापक का कर्त्तव्य निरीक्षक का नहीं है और अगर अध्यापक चाहे तो वह इससे इन्कार कर सकता है, अगर प्रिन्सिपल चाहे तो वह इन्कार कर सकता है कि वह सुपरिन्टेन्डेन्ट नहीं होना चाहता तो यह बात बिलकुल साफ हो जायगी । हमारी जो शंका है वह बिलकुल समाप्त हो जायगी । अगर वह नहीं होगा तो कौन होगा अगर इस बात को साफ कर दिया जाय और अध्यापक को यह अधिकार दे दिया जाय तो मसला बिलकुल साफ हो जायगा । लेकिन यह अधिकार उसको प्राप्त नहीं है और आज उनको यह अधिकार नहीं है कि वह कह सकें कि निरीक्षक हों या न हों । मैं यह समझता हूं कि सरकार और सरकार से सम्बन्धित संस्थायें जैसे बोर्ड आदि हैं वह सब इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हैं । वह सब इस बात को मानती हैं कि अगर अध्यापक निरीक्षक के पद से इन्कार करता है तो वह सर्विस में नहीं रह सकता है । वह अध्यापक नहीं रह सकता है, जैसा कि इस सम्बन्ध में मणि जी ने बतलाया । उनकी बात सही है क्योंकि वह गवर्नमेंट के अंग हैं । मेरे कहने का मतलब यह है कि शिक्षा मंत्री जी बड़ी आसानी के साथ हमारे अध्यापकों का

संकट दूर कर सकते हैं यदि वह यह डिक्लेयर कर दें कि अध्यापक बिल्कुल आजाद हैं, स्वतन्त्र हैं कि वह निरीक्षक अगर बनना चाहे तो बने और न बनना चाहे तो न बने। तब मैं समझता हूं कि इस बिल को पास करने में देर नहीं लगेगी। अब सोचेंगे कि अध्यापकों को यह अधिकार मिलना चाहिये या नहीं।

श्री रामस्वरूप यादव—अगर आप इच्छुक हैं तो इसका सीधा जवाब है कि उसके लिये कानून बना हुआ है। इस बात को स्पष्ट करना इस विषय के बाहर जाना होगा। इस सम्बन्ध में आप सवाल पूछें उसका जवाब दिया जायगा और इसके लिये एक इंटरमीडियेट एजूकेशन ऐक्ट बना हुआ है, उसमें उनको अधिकार है या नहीं, यह स्पष्ट है।

श्री देवीप्रसाद मिश्र—मैंने कानून अच्छी तरह पढ़ा है और शायद शिक्षा से आपका सम्बन्ध न होने के कारण आपने उसको पढ़ा नहीं है। उसमें कहीं भी कौन निरीक्षक हो सकता है इसका जिक्र नहीं है, कौन सुपरिंटेंडेंट हो सकता है इसका कहीं जिक्र नहीं है। एक अध्यापक और एक चपरासी दोनों ही निरीक्षक हो सकते हैं, बनाये जा सकते हैं एक सुपरिंटेंडेंट...

श्री रामस्वरूप यादव—मैंने कानून पढ़ा है और इसलिये इसका जिक्र किया।

श्री देवीप्रसाद मिश्र—उसमें क्या है ?

श्री रामस्वरूप यादव—मैंने कहा कि आप पूछें तो जवाब दे दूंगा।

श्री देवीप्रसाद मिश्र—मेरा सवाल सीधा सा है कि अगर एक अध्यापक निरीक्षक नहीं होना चाहता तो वह इन्कार कर सकता है अथवा नहीं। मैं समझता हूं कि चुप रहने का मतलब एक ही है। अगर आप जरूरत समझेंगे तो कह देंगे कि तुम्हें अगर नौकरी करना है तो निरीक्षक बनना होगा। जैसी कि आप लोगों में से कुछ लोगों की राय है कि अध्यापक का और काम ही क्या है, अगर वह पढ़ाता है तो उसको निरीक्षक का काम भी करना ही चाहिये। अगर वह निरीक्षक का काम करने के लिये तैयार नहीं है तो उसको अध्यापक रहने का अधिकार भी नहीं है। मेरी समझ में सरकार भी इसी विचार की पुष्टि कर रही है।

अब मैं उन बातों की तरफ आ रहा हूं कि जो मैं समझता हूं एक प्रकार से मूल कारण हैं और जिनकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये। अनुशासनहीनता लड़कों में होती है और वह इस कानून के बन जाने से रुक जायगी ऐसा मेरा बिलकुल विश्वास नहीं है। इस कानून के बन जाने से कुछ थोड़े से अधिक अधिकार सरकार के हाथ में आ जायेंगे, इस के बाद थोड़ा दंड उन लड़कों को मिल सकता है या उनके साथियों को मिल सकता है जो अध्यापकों या निरीक्षकों के रास्ते में रुकावट डालते हैं या उनके ऊपर हमला करते हैं। लेकिन मैं अब भी आपसे कहता हूं कि इसमें न तो अध्यापकों का कसूर है और न कुछ ज्यादा उन लड़कों का ही कसूर है। यह अव्यवस्था कैसे उत्पन्न होती है अगर इसको हम थोड़ा सा समझ लें तो अच्छा है ताकि हम इस बिल की महत्ता को भी अनुभव कर सकें। बोर्ड के २ मेम्बर अभी हमारे सामने मौजूद थे। मैं तो इस बात को कहूंगा कि अनुशासनहीनता की ९० फीसदी जिम्मेदारी अगर दी जा सकती है, अगर मास्टरों के पिटने का ९० प्रतिशत अभियोग किसी पर लगाया जा सकता है तो वह बोर्ड पर लगाया जा सकता है। और यह मैं अनुभव के आधार बता रहा हूं। मैं यह अपने निजी अनुभव की बात बता रहा हूं। पारसाल हमने अपने सेन्टर के बारे में रिपोर्ट कर दी कि यहां लड़कों की इतनी अधिक संख्या दी गयी है ७००, जिसमें एक स्कूल के ५०० लड़के हैं और दूसरे के २००, कि उनकी व्यवस्था नहीं की जा सकती। बोर्ड का एक नियम है कि आल्टरनेट सिटिंग हो, एक स्कूल का लड़का दूसरे स्कूल के लड़के से अलग होना चाहिये। मैंने कहा कि यह संभव नहीं होगा। ५०० के साथ २०० नहीं बैठ सकते और नतीजा यह होगा कि यह सेन्टर नहीं चल सकता। इसका आप उपाय करिये। बोर्ड ने कहा कि अब तो बहुत देर हो गयी है, रुपये की कमी है और हम दूसरा सेन्टर

[श्री देवीप्रसाद मिश्र]

अब नहीं बना सकते। इनके लिये १ हजार सीटें चाहिये, सीधी अर्थमेटिक है, हमने रिपोर्ट कर दी थी कि हमारे यहां ७०० सीटें ही हैं, अधिक नहीं। मैंने बोर्ड को लिख दिया कि मैं सुपरिंटेंडेंटी नहीं कर सकता क्योंकि अव्यवस्था ऐसी है कि इस सेन्टर पर इम्तहान ठीक से नहीं हो सकता, लड़के नकल करेंगे और ठीक-ठीक नकल करेंगे। और मैं यह सब लिख कर असेम्बली को चला आया। बोर्ड ने दूसरा सुपरिंटेंडेंट रख दिया, वह मजबूर थे रखने के लिये। इम्तहान हुआ और नकल हुई और अध्यापक मारे गये। बोर्ड को जो मैंने लिखा था कि होगा, वह हुआ। तो मैं बता रहा हूं कि बोर्ड को यह बातें मालूम हैं लेकिन वह इनकी व्यवस्था नहीं करता। बोर्ड इनविजिलेटर या सुपरिन्टेन्डेन्ट पर रुपया खर्च नहीं कर सकता वह तो और सब चीजों पर खर्च कर सकता है जिनका अनुशासन से कोई सम्बन्ध न हो। नतीजा यह है कि अव्यवस्था होती है। लड़कों से भी थोड़े बहुत अपराध हो सकते हैं, निरीक्षक और मास्टरों से भी कुछ अपराध हो सकते हैं लेकिन जैसा कि मैंने बताया सब से बड़ा दोष बोर्ड का ही है। बोर्ड इन्तजाम करना नहीं जानता कि कहां सेन्टर बनाना चाहिये, कितनी तादाद निरीक्षकों की होनी चाहिये, कितनी लड़कों की संख्या होनी चाहिये, क्या अधिकार सुपरिन्टेंडेन्ट के और निरीक्षक के हों उसकी व्यवस्था नहीं है। इस सिलसिले में मैं उदाहरण स्वरूप यह भी बता दूं कि न तो निरीक्षकों का विश्वास किया जाता है और न सुपरिन्टेन्डेंट का। अभी अभी बात हुई थी परसाल नकल हो गई। हमें मालूम है कि पोस्ट आफिस में किसी ने पर्चे खोल लिये थे। बोर्ड से इसकी जांच हुई तो जिस तरह से सी० आई० डी० की जांच होती है उसी तरह से हर एक अध्यापक और सुपरिन्टेन्डेन्ट की जांच हुई। तो मैंने जैसा बताया कि अविश्वास के पात्र अगर कोई माने जाते हैं तो वे निरीक्षक, अध्यापक और परीक्षक हैं जो वहां होते हैं। वे सुपरिन्टेन्डेन्ट जो कि ५०, ६० रु० के लालच में यह जिम्मेदारी ले लेते हैं। इसलिये वास्तविक बात यह है कि जब तक आप निरीक्षकों और सुपरिन्टेन्डेन्ट्स का विश्वास नहीं करेंगे, उनको अधिकार नहीं देंगे तब तक केवल यह अधिकार दे देने से कि वे थोड़े दिनों के लिये गवर्नमेंट सर्वेन्ट हो गये, इस समस्या का हल हो जाय यह मेरी समझ में नहीं आता। एक अध्यापक के नाते अधिकार देकर के अनुशासन की व्यवस्था की जाय और ६, ६ या ८, १० महीने की सजा दे करके अनुशासन सिखाया जाय और नकल को रोकने के लिये अगर यही एक तरीका बच गया हो तो मैं सरकार को सलाह दूंगा और अध्यापकों को सलाह दूंगा कि अध्यापकों को अपने सिर पर यह जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिये। दोष तो कहीं दूसरी जगह है। दोष बिल्कुल लड़कों में है, ऐसी बात नहीं है। दोष बिल्कुल अध्यापकों में है, ऐसी भी बात नहीं है। इसलिये उन चीजों की दवा करना जरूरी है न कि इन चीजों की दवा करना जरूरी है जिनका कि कोई सम्बन्ध नहीं है।

अब मैं कानून की दो एक बातों पर आता हूं। उसमें लिखा है कि इनविजिलेटर और निरीक्षक की क्या परिभाषा है। परिभाषा यह है कि निरीक्षक वह है जो सुपरिन्टेन्डेन्ट को उसके काम में मदद दे। यह मदद देने का काम एक चपरासी भी करता है। पानी वाला भी करता है, कापियां ले जाता है वह भी करता है और इनमें से बहुतों को न तो कोई फीस मिलती है न कोई रेम्यूनरेशन मिलता है। चूंकि स्कूल के नौकर हैं इसलिये सब काम करते हैं। जैसा मैंने पहले अर्ज किया कि वे तो इस सेक्शन के अन्दर आयेंगे नहीं क्योंकि आप बिना रेम्यूनरेशन या फीस दिये हुए उनका कुछ नहीं कर सकते। अध्यापकों को खींच-तान कर आप फीस और रेम्यूनरेशन में ले आयें लेकिन उनका क्या होगा जोकि कापियां ले जाते हैं क्योंकि यह भी एक जिम्मेदारी का काम है। आपने जो क्लाज पास किया है कि एसिस्ट करता है उसमें वे आ जाते हैं, तो आप उनकी मदद कैसे करेंगे? एसिस्ट करने वाला निरीक्षक समझा जावेगा। मैं १६ मार्च को एसिस्ट करना आरम्भ करूंगा और १६ मार्च से एक महीने पहले किसी को पता नहीं है कि मैं निरीक्षक रहूंगा या नहीं। अगर कल या परसों हमला हो जाय तो अदालत कैसे निर्णय करेगी कि १६ मार्च को मैं एसिस्ट करने वाला था या नहीं और इसलिये यह हुआ? मैं ज्यादा अविश्वास की बात तो नहीं करूंगा लेकिन दिक्कत पड़ेगी किसी के ऊपर पहले आक्रमण हो जाय

और मैं उस आदमी को १६ मार्च को निरीक्षक बना दूं तो क्या वह आदमी कागनिजेबिल आफेंस का बहाना लेकर एक महीने पहले किये हुये एसाल्ट पर सरकार को मजबूर कर सकता है कि वह उसे मदद दे ? अगर यह मंशा है तो कानून बहुत वृहद् बनाया गया है। इसमें बहुत से निरपराध लोग भी फांस लिये जा सकते हैं ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, इस समय जो मंत्री जी आये हैं वह पता नहीं क्या ऐसा कागज पढ़ रहे हैं कि सबका ध्यान उस ओर चला गया है और सदन के कार्य में अव्यवस्था हो रही है । हमारे नियमों में है कि जो विधेयक पेश हो उससे बाहर का विषय नहीं पढ़ना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष---यह सिद्ध करना मुश्किल होगा कि बाहर का विषय है ।

श्री देवीप्रसाद मिश्र---मौलिक रोग की जब तक जांच नहीं की जाती तब तक ऊपरी दवा करने से कोई लाभ नहीं है । निरीक्षकों के ऊपर हमले क्यों होते हैं, यह ऐसा प्रश्न है जिसे सोचना जरूरी है वर्ना दवा बिल्कुल गलत होगी । दूसरा आधारभूत प्रश्न यह है कि अगर उनके ऊपर हमले होते हैं तो क्या वे इस कानून के द्वारा बचाये जा सकते हैं । एसाल्ट लड़के करते हैं, उनके साथी करते हैं या गार्जियन करते हैं, क्यों करते हैं, ये सब सोचने के विषय हैं । सीधी सी बात है कि समाज में जो अव्यवस्था चली आ रही है उसी समाज का अंग होते हुये लड़के भी उसका अनुकरण करते हैं । जो भ्रष्टाचार उनके भाई, बाप या और समाज वाले करते आये हैं उसी के वे भी शिकार होते हैं । उसे वे प्रयोग में लाने का प्रयत्न करते हैं परीक्षा हाल में । वे रोके जाते हैं । इस बात को मैं मानने के लिये तैयार हूं कि इस व्यवस्था को दे देने के बाद क्या यह आवश्यक है कि अध्यापक उनको रोकें ही । आप एक आफेंस को कागनिजेबिल बनाते हैं और लड़के को सजा देने के लिये तैयार हो जाते हैं, तो क्या गारंटी है कि लड़का जरूर पकड़ा जायगा । मास्टर उसको जरूर ही पकड़ लेगा, निरीक्षक उसको जरूर पकड़ ही लेगा ? आपको शायद उसका अनुभव न हो लेकिन मुझको इसका अनुभव है और उसके आधार पर मैं कहता हूं कि अध्यापक और कोई चीज चाहता है । जब तक आप उसको वह चीज नहीं दिलाते हैं तब तक आप चाहें कि उस लड़के को सजा दिलाकर अध्यापक को अपने कर्त्तव्य पालन करने के लिये प्रेरित करें, ऐसा नहीं हो पायेगा । अध्यापक तो तभी प्रेरित होगा जब कि उसको यह विश्वास हो जायगा कि आप उस पर विश्वास करते हैं, उसको अपनी अवस्था से संतोष हो । जब तक उसको अपनी अवस्था से संतोष न होगा तब तक वह कोई जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेगा कि वह लड़कों को पकड़े और मारा जाय और तब वह लड़का ८-१० महीने के बाद सजा पाये ।

जैसा कि बताया गया यह विधेयक पुलिस विभाग से आया है । लेकिन पुलिस विभाग से ही आने के कारण अध्यापक का हृदय पुलिस का सा तो हो नहीं जायगा ? अध्यापक का हृदय वही रहेगा जो एक शिक्षक का रहता है । हो सकता है वह क्रोध में मार दे, हो सकता है क्रोध में वह सोचे कि ऐसे दुष्ट लड़के को सजा मिलनी ही चाहिये लेकिन २-३ महीने के बाद वही अध्यापक लड़के के क्षमा याचना करने पर, उसके रोने पीटने पर, अगर वह अध्यापक का हृदय रखता है, तो उसका हृदय अवश्य बदल जायगा और वह अवश्य ही उसको माफ कर देगा । किसी ने अपराध किया है, उसको दंड दिया जाय लेकिन उसके साथ ही साथ यह भी होना चाहिये कि अध्यापक उसको क्षमा कर सके । लेकिन इस विधेयक के द्वारा उसका यह क्षमा करने का अधिकार छीना जा रहा है । वह अपने विद्यार्थी को अवश्य माफ करेगा ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी---अगर उसका विद्यार्थी वह नहीं है तो ?

श्री देवीप्रसाद मिश्र---मणि जी पूछते हैं कि अगर उसका विद्यार्थी नहीं है कोई प्राइवेट स्टूडेंट है तो क्या होगा । पता नहीं उनके विचार से अध्यापक कौन होता है । अध्यापक एक वर्ग और विद्यार्थी एक वर्ग है चाहे वह उसके स्कूल में पढ़ता हो या किसी दूसरे स्कूल में पढ़ता हो । यह प्रश्न हमारे सामने नहीं उठता, उनके सामने भले ही उठता हो । एक प्रश्न यह भी उठता

[श्री देवीप्रसाद मिश्र]

है कि जो विधान सभा के सदस्य हैं, अगर वह परीक्षा दें तो क्या होगा । उनके लिये नियमों में अलग से व्यवस्था की जा सकती है । ऐसी बातों के लिये ही हमने यह परिधि बढ़ाने की बात रखी है कि ऐसे सुधार किये जा सकें । इस विधेयक के द्वारा एक मानवता का अधिकार जो अब तक अध्यापकों को प्राप्त था, वह छीना जा रहा है और वह यह कि अगर वह चाहे तो विद्यार्थी को क्षमा कर सके । अगर उसके आंसुओं से उसका दिल पिघल जाय तो उसको वह माफ कर दे । विद्यार्थी को मारना या उसको दंड दिला देना अध्यापक का बल कदापि नहीं है । उसका बल तो यही है कि विद्यार्थी यह समझता रहे कि उसका हृदय सहानुभूति से भरा हुआ है । वह समझता है कि अगर उसको क्रोध में दंड देने का अधिकार है तो क्षमा करने का भी अधिकार है । अगर इस भावना को विद्यार्थी के हृदय से निकाल दीजिये, अगर विद्यार्थी यह समझ जाय कि उसको केवल क्रोध करने का ही अधिकार है और क्षमा करने का नहीं है, जो कि अध्यापक का सबसे बड़ा गुण है तो मेरे विचार से वह सच्चा अध्यापक रह नहीं जाता है । अगर वह अपने इस गुण से वंचित कर दिया जाता है तो मेरी समझ में नहीं आता कि किस प्रकार से वह अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा विद्यार्थियों के बीच कर सकेगा । मैं तो अभी भी मानता हूं कि अध्यापक अगर कभी भी शासन करता है तो वह पुलिस की मदद से नहीं कर सकता है और न भारतीय दंड विधान और इंडियन पेनल कोड की धाराओं के जरिये शासन कर सकता है । वह अगर विद्यार्थियों के हृदय पर शासन कर सकता है तो अपने प्रेम से, अपनी सहानुभूति से और क्षमा करने की अपनी प्रवृत्ति से ही कर सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य अपना भाषण दूसरे दिन जारी रखेंगे ।

उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९५९

स्वायत्त शासन उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५९ को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसका विरोध करता हूं । हमारी प्रक्रिया नियमावली के नियम २३ में लिखा हुआ है---

"A list of business for the day shall be prepared by the Secretary and a copy made available for the use of every member.

(2) Save as provided in these rules, no business not included in the list of business for the day shall be transacted at any meeting without the leave of the Speaker."

श्री उपाध्यक्ष---अन्त में जो शब्द आपने पढ़ा उसके बाद कोई बात कहने की गुंजायश नहीं है । मुझसे उन्होंने पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा मांगने की आज्ञा मांगी जो मैंने उनको दे दी थी ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---मैं तो अनुज्ञा दिये जाने का ही विरोध कर रहा हूं । श्रीमन्, पहले से यह चीज आज के एजेंडे पर नहीं थी और उसे एकाएक हमारे सामने पेश कर दिया गया जिसका किसी को पता तक नहीं था ।

श्री उपाध्यक्ष---केवल इन्ट्रोड्यूस हो जायगा । उसके ऊपर आज विचार नहीं होगा ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---श्रीमन्, सरकार की तरफ से इस तरह से रूल की बराबर ही अवहेलना होती रहती है और यह भी हमारे रूल की सरासर अवहेलना है जो कि हमारे सदन द्वारा ही बने हुये हैं । मैं आपको बतला दूं कि इसके पहले भी दो बिल इस तरह से सदन के सामने आ चुके हैं और यह तो एजेंडे में छपा

तक नहीं है। मैं समझता हूं कि इस तरह से पहले भी आपको इस तरह के बिलों के लिये अनुज्ञा देने के लिये सरकार की तरफ से मजबूर किया गया है इसलिये जब तक ३ दिन की नोटिस न हो तब तक इस बिल को न लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य को समझ लेना चाहिये कि सरकार की तरफ से किसी बिल को पेश करने की अनुज्ञा देने के लिये चेयर को मजबूर नहीं किया जा सकता है और न सरकार मजबूर कर रही है। इस तरह की बातें कहना चेयर के प्रति उचित नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—मेरा मतलब चेयर के प्रति कोई अनादर का नहीं था।

श्री उपाध्यक्ष—यहां तो केवल इंट्रोड्यूस करने की बात थी इसलिये मैंने उनको इजाजत दे दी। अगर इस पर विचार करने की बात होती तो मैं इजाजत देता ही नहीं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—श्रीमन्, एजेंडे पर नहीं होने से हम लोगों को बड़ी दिक्कत हो जाती है। अभी परसों ही इसके ऊपर विचार करने की बात हो जायगी। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि डिस्क्रिशन इस तरह का नहीं होना चाहिये जिससे हम लोगों को असुविधा हो।

अध्यक्ष द्वारा किसी सदस्य के भाषण को रोक कर किसी अन्य कार्य को लेने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

***श्री राजनारायण** (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा मूल प्रश्न यह है कि जब किसी प्रस्ताव पर किसी सदस्य का भाषण हो रहा हो तो बीच में उस सदस्य को उपाध्यक्ष द्वारा टोकना कहां तक उचित है। अभी सदन का समय ५ मिनट बाकी है और ५ मिनट के अन्तर्गत ही माननीय सदस्य को तो टोक दिया गया और उनको बैठा दिया गया और वह भी इसलिये कि माननीय वित्त मंत्री जी को कोई विधेयक पुरःस्थापित करना था। तो क्या यह सदन की मर्यादा के अनुरूप है? कोई सदस्य ५ मिनट तक भाषण देता है और फिर बीच में उसकी शृंखला तोड़ दी जाती है और फिर उसको दूसरे दिन बोलने का मौका होता है तो यह कहां तक उचित है?

श्री उपाध्यक्ष—यदि बोलने की आवश्यकता हो तो बीच म माननीय सदस्य को रोक कर और कार्यवाही की जा सकती है। वह दूसरे दिन अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री राजनारायण—दूसरी बात श्रीमन्, यह है जैसा कि माननीय गोविन्द सिंह जी ने बतलाया कि यह कार्यक्रम सचिव ने कार्यक्रम में नहीं दिखलाया है, तो कैसे पता चल सकता है।

वित्त मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—मैं यह कह रहा था कि १० मिनट सदन का समय बढ़ा दिया जाय।

श्री राजनारायण—मैंने व्यवस्था का प्रश्न पहले उपस्थित कर दिया था, उस पर आप अपनी सम्मति दे दें। उसके बाद जो दूसरे प्रश्न हैं उस पर आप रूलिंग दें।

श्री उपाध्यक्ष—आप कृपया बैठिये।

एक सदस्य—उपाध्यक्ष महोदय, सदन का समय समाप्त हो चुका है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष---शायद माननीय सदस्य को नये नियमों की जानकारी नहीं है। नियम १६ को देखें इसके प्रोवाइजो में अध्यक्ष को अधिकार है कि अपने डिस्क्रीशन पर वह सदन का समय १५ मिनट तक बढ़ा सकता है। उस अधिकार का प्रयोग कर के मैं सदन का समय १५ मिनट के लिये बढ़ाता हूं।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---मैं एक व्यवस्था चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---पहले मैं एक व्यवस्था दे दूं। प्रश्न यह है कि जिस समय एक सदस्य बोल रहा हो उस समय बीच में उसे बिठा कर अध्यक्ष दूसरा कार्य ले सकता है या नहीं, तो इसके सम्बन्ध में मेरी व्यवस्था यह है कि स्पीकर को पूरा अधिकार है कि जिस समय जनहित में जैसी कार्यवाही वह उचित समझे कर सकता है। आप नियम चाहते हैं तो वह नियम ३१७ है।

श्री गोविन्दसिंह त्रिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---प्वाइंट आफ आर्डर, सर।

श्री उपाध्यक्ष---जिस समय मैं रूलिंग दे रहा हूं तो बीच में खड़ा होने की माननीय सदस्य धृष्टता न करें।

नियम ३१७ के अनुसार मैंने इस विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा माननीय मंत्री को दी।

श्री राजनारायण---लेकिन जब कोई सदस्य बोल रहा हो तो . . . . .

श्री उपाध्यक्ष---आज का जब समय समाप्त हो जाता, जैसे ५ बज जाते तो उस समय उनको भाषण समाप्त करना होता। मैंने केवल ५ मिनट पहले उन्हें भाषण देने से रोक कर विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुज्ञा मांगने की आज्ञा नियम ३१७ के अनुसार दे दिया है।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---मैं एक व्यवस्था चाहता हूं। व्यवस्था का प्रश्न यह है कि ५ बजे के पहले आप को समय बढ़ाने का अधिकार है लेकिन ५ बजे के बाद नहीं।

श्री उपाध्यक्ष---ठीक ५ बजे के कुछ पहले ही मैंने सदन का समय बढ़ाया है।

श्री गोविन्दसिंह त्रिष्ट---क्या किसी सदस्य से माननीय अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को यह कहने का अधिकार है कि तुम धृष्टता कर रहे हो, यह कहां तक वैधानिक है ?

श्री उपाध्यक्ष---मैं तो बहुत कुछ अभी स्वयं माननीय सदस्य के मुख से सुन चुका हूं। अध्यक्ष को हस्तक्षेप का काफी अधिकार है। उन्हीं अधिकारों का प्रयोग करके मैंने तो केवल धृष्टता न करने का निवेदन किया है।

श्री राजनारायण---कहीं फिर पूर्वी बंगाल की असेम्बली न बना दीजिये ?

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य की इच्छा पर है चाहे पूर्वी बंगाल की असेम्बली बना दें या कुछ और आदर्श कायम करें।

उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९५९---(क्रमागत)

स्वायत्त शासन उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)---मैं, आपकी आज्ञा से, उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५९ को पुरः स्थापित करने की अनुज्ञा चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५९ को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ :

पक्ष में---५८,

विपक्ष में---३१।)

श्री रामस्वरूप यादव—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५९ पुरः स्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'न' आगे पृष्ठ ९२४–९३८ पर)

(इसके बाद सदन ५ बजकर ८ मिनट पर शुक्रवार, १३ फरवरी, १९५९ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
११ फरवरी, १९५९।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये १२ दिसम्बर, १९५८ के स्थगित तारांकित प्रश्न ६३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८०१ पर)

सरकारी व असरकारी मान्यता प्राप्त संस्थाओं की सूची

सरकारी संस्थायें—

१—गवर्नमेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट, लखनऊ	सिविल मिकेनिकल तथा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग
२—गवर्नमेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट, गोरखपुर	" " "

असरकारी मान्यता प्राप्त संस्थायें—

३—रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की	" "
४—सिविल इंजीनियरिंग स्कूल, लखनऊ	सिविल इंजीनियरिंग
५—हीवेट इंजीनियरिंग स्कूल, लखनऊ	" "
६—इंजीनियरिंग वोकेशनल स्कूल, लखनऊ	" "
७—काली प्रसाद इंजीनियरिंग इन्स्टीट्यूट, इलाहाबाद	" "
८—सिविल इंजीनियरिंग स्कूल, इलाहाबाद	" "
९—देवनागरी इंजीनियरिंग इन्स्टीट्यूट, मेरठ	" "
१०—सिविल इंजीनियरिंग इन्स्टीट्यूट, मेरठ	" "
११—सिविल इंजीनियरिंग स्कूल, बलिया	" "
१२—कन्हैया लाल टेक्निकल इन्स्टीट्यूट, रुड़की	" "
१३—दिगम्बर जैन इंजीनियरिंग इन्स्टीट्यूट, बरौत (मेरठ)	" "
१४—महाराणा प्रताप इंजीनियरिंग इन्स्टीट्यूट, गोरखपुर	" "
१५—दयानन्द बृजेन्द्र स्वरूप इंजीनियरिंग इन्स्टीट्यूट, कानपुर	" "
१६—गांधी इंजीनियरिंग इन्स्टीट्यूट, बागरा (मुजफ्फरनगर)	" "
१७—ओवरसियर स्कूल, नैनीताल	" "
१८—टेक्निकल इन्स्टीट्यूट, हंडिया (जिला इलाहाबाद)	" "
१९—सिविल इंजीनियरिंग स्कूल, चन्दौली, (जिला वाराणसी)	" "
२०—टेक्निकल कालेज, दयालबाग, आगरा	मिकेनिकल तथा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग।
२१—आई० डी० टेक्निकल इंस्टीट्यूट, बहजोई (मुरादाबाद)	मिकेनिकल इंजीनियरिंग।
२२—प्रेम महाविद्यालय टेक्निकल इंस्टीट्यूट, मथुरा	" "

नत्थी 'ख'

(देखिये १२ दिसम्बर, १९५८ के स्थगित तारांकित प्रश्न १०४ व १०५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८०४ पर)

बेकारी दूर करने के लिये ३६ नगरों के विद्युतीकरण की योजना

नगरों का नाम जिनका विद्युतीकरण हो चुका है—

	जिला
१—फतेहपुर	फतेहपुर
२—बिन्दकी	"
३—खजुहा	"
४—नानपारा	बहराइच
५—पयागपुर	"
६—रिसिया	"
७—उतरौला	गोंडा
८—नवाबगंज	"
९—मानकापुर	"
१०—कर्नलगंज	"
११—ग्यानपुर	वाराणसी
१२—भदोही	"
१३—गोपीगंज	"
१४—मछलीशहर	जौनपुर
१५—शाहगंज	"
१६—बादशाहपुर	"
१७—फूलपुर	आजमगढ़
१८—नवाबगंज	बरेली
१९—बहेड़ी	"
२०—फरीदपुर	"
२१—सिसवाबाजार	गोरखपुर
२२—जंघई	इलाहाबाद
२३—फूलपुर	"
२४—पवायन	शाहजहांपुर
२५—जलालाबाद	"
२६—मोहम्मदी	खीरी
२७—मिसरिख	सीतापुर

नगरों का नाम जिनका विद्युतीकरण होना बाकी है—

१—तुलसीपुर	गोंडा
२—कालपी	जालौन
३—उरई	"
४—जालौन	"
५—गौसगंज	कानपुर
६—अकबरपुर	"
७—पुखरायां	"
८—महाराजगंज	"
९—हैदरगढ़	बाराबंकी

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये १५ दिसम्बर, १९५८ के स्थगित तारांकित प्रश्न ७३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८१३ पर)

बस्ती जिले की नौगढ़ तहसील में कूड़ा घोंघी बांध के भीतरी ओर स्थित ग्रामों में बाढ़ से इस वर्ष फसलों को हुई क्षति का विवरण—

क्रम सं०	नाम ग्राम	क्षेत्रफल एकड़ों में	क्रम सं०	नाम ग्राम	क्षेत्रफल एकड़ों में
१	कटहा ..	३६०	२०	महनाग ..	१२
२	मुदिला ..	५०	२१	दहला ..	२१
३	सिघोंरवा ..	१३	२२	महजिदिया ..	२
४	खजुरिया ..	२८	२३	भीटापारा ..	१०
५	मीलनजी बुजुर्ग	२५	२४	कौलपुर ग्रांट ..	५
६	मीलनजी खुर्द ..	३	२५	विहिटा ..	२०
७	झुगंवा ..	१८	२६	पड़रहा बुजुर्ग ..	७
८	महुवा माफी ..	३०	२७	करमहा ..	२०
९	पड़रहा खुर्द	१३	२८	वरवा ..	७
१०	महुआ काशीराम	२५	२९	सैनवा ..	१२
११	खखरा खुर्द	१२५	३०	पोखर भिन्डा ..	१५
१२	गुलरिहा ..	११०	३१	खखरा बुजुर्ग	१२
१३	बड़हरा ..	७०	३२	बरगदही ..	१५
१४	परसीना ..	१८०	३३	सेमरी सिटिया डांडी	५
१५	गेल्हा डांडी	३५	३४	ठडवरिया ..	४०
१६	उदयपुर ..	शून्य	३५	गदहमरवा ..	७५
१७	देवकली	१५	३६	रमवापुर ..	७
१८	भगता ..	२२	३७	सेमरा ..	१५५
१९	साहिला ..	५			
				कुल योग ..	१,५६७ एकड़

श्री चरणसिंह,
सिंचाई मंत्री ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये १५ दिसम्बर, १९५८ के स्थगित तारांकित प्रश्न ९८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८१७ पर)

१९५६–५७ व १९५७–५८ में ऊंचे किये गये गांवों की सूची तथा उन पर किया गया व्यय—

			रु०
१	बसन्तपुर	..	३,४१६
२	कुतलूपुर	..	४,१०७
३	लोहटीजइ	..	२,९४५
४	गोबरहा	..	७५२
५	लोहटी पसइ	..	२,१२०
६	इब्राहीमपुर	..	३,६३५
७	करमुल्लाहपुर	..	६,९३५
८	मथुरा	..	९,१२७
९	ढेहवा	..	३,२९४
१०	बैराहीमुपुर	..	२,१८०
११	दसवन्तपुर	..	१,१०३
१२	दौलतपुर	..	९,६७८
१३	टन्डवा	..	१,६७२
१४	उतरावां	..	१,६७०
१५	फीरोजपुर	..	१,११९
१६	मेसुरिया	..	१,१२४
१७	भायनियांव	..	४,३६९
१८	गोन्डा	..	८,६१६
१९	ढकवा	..	१०,२९२
२०	बल्लूपुर	..	१४,४८२
२१	मझोरी	..	६,२०५
२२	रहटा	..	५८०
२३	सैलाक जालालपुर		१२,२७८
२४	रजनापुर	..	२,१६८
२५	सायपुर	..	४,०२९
२६	बरानामो	..	३,७६२
२७	बिझला	..	१,४८६
२८	खोजनपुर	..	१,२८०
२९	पिपरी	..	८,४४८
३०	चिचरी	..	१,४०१
३१	टनदौला	..	३३८
३२	मदनान	..	३,३१२
३३	एमा	..	२,०१०
३४	सिरकौली	..	४१३
३५	धानापुरवा	..	१,०३८
३६	रामपुरवा	..	३,७६३
३७	मौअतौली	..	९,८५८
३८	पस्ता	..	५,४४०
३९	जमदारा	..	३,९८०
४०	संगोली	..	१,११६
४१	बसन्तपुर	..	४,३४४
४२	रामपुर हराहा	..	३,७३४
४३	सेवराजपुर	..	४,०९८
४४	लोघामन	..	४,७७४
४५	पटरा	..	७३५
४६	अतरसुइया	..	२,३१६
४७	हौसिंगपुर	..	१,६३६
४८	हयातनगर	..	१,९२०
४९	भीलखेरा	..	१,९८०
५०	कोटरीगोसिया	..	९,५३२
५१	सन्डरी	..	५,८२०
५२	अहरौली	..	६००
५३	पनसारा	..	५,२२०
५४	सिहोरिया	..	३,५४९
५५	मोहम्मदपुर	..	४,३४०
५६	मनरानेहा	..	६,३१२
५७	मिलकर	..	३,६२०
५८	खजूरी	..	४,५७८
५९	खारी	..	१,५३६
६०	पससिया	..	३,३७२
६१	इटवा पश्चिम	..	२,४००
६२	इटवा पूरब	..	२,४१८
६३	सरीनसीर	..	५,३७२
६४	बारी	..	२,३५०
६५	गनौली	..	३,४२०
६६	बेमा	..	६,६८४
६७	बंशगांव	..	३,५०४
६८	परसावल	..	१०,७३२
६९	बिहार	..	४,३२६
७०	गिधवापुर	..	१,८३७
७१	तिलवारी	..	३,६९४
७२	कमरूली	..	२,९४०
७३	कोइलावर	..	१०,७३०
७४	नैयपुरा	..	९,२९२
७५	कैथी	..	३,९९५
७६	सेमरी	..	९,३३६
७७	रायपुर मोरया	..	२,२३९
७८	टिकरी	..	३,७१८

सिंचाई मन्त्री

नत्थी 'ङ'

(देखिये १५ दिसम्बर, १९५८ के स्थगित तारांकित प्रश्न १११ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८१८ पर)

मेरठ जिले में १९५७–५८ में बनाये गये नालों तथा पुलों की सूची

क्रम-सं०	तहसील का नाम	नाले का नाम	लम्बाई बनाई गई मील	फर्लांग		पुल का नाम सहित	मय मौका मी०	फ०	फी०	
१	मवाना ..	पश्चिम मवाना	२	०	पूर्ण हो गई।					
		बली	६	०	विस्तार किया जा चुका है।					
		इकला	१७	०	विस्तार किया जा चुका है।	वी० आर० बी०	१	४	५००	
						वी० आर० बी०	१३	२	३००	
						वी० आर० बी०	१७	१	३००	
						वी० आर० बी०	१९	६	६००	
		महलवाला	०	०	से					
			४	६	तक विस्तार किया जा चुका है।	वी० आर० बी०	२	३		पूर्ण हो गया।
		राधना	५	४	से					
			१५	०	तक विस्तार किया जा चुका है।					
२	मेरठ ..	छोइया	१६	२	से					
			१८	०	तक विस्तार किया जा चुका है।	वी० आर० बी०	२५	१	०	
						वी० आर० बी०	२८	१	६००	
						वी० आर० बी०	२९	२	०	
३	हापुड़ ..	छोइया ..	०	०	से					
			१६	२	तक विस्तार किया जा चुका है।	वी० आर० बी०	१४	३	६०	
		राधना	०	०	से					
			५	४	तक विस्तार किया जा चुका है।	वी० आर० बी०	४	६	०	पूर्ण हो गया।
		बेट जाखेरा	०	०	से					
			८	६	तक पूर्ण हो गई।					

उत्तर प्रदेश विधान सभा

	नीम नदी	..		..	बी० आर० बी०			..		बुकलाना दलयान सड़क पूर्ण हो चुकी है।
	धानपुर	२	४	कार्य प्रगति पर है।						
	शाहजहांपुर	२	४	कार्य प्रगति पर है।						
४ सरधाना]	सरधाना]	०	०	से						
		६	०	तक कार्य प्रगति पर है।						
	पथोली	२	२	कार्य प्रगति पर है।	बी० आर० बी०	मील	०	३	०	पर तथा मील १–७–० पर कार्य पूर्ण हो चुका है।
	माधन	३	४	कार्य प्रगति पर है।	बी० आर० बी०	मील	०	५	०	पर कार्य पूर्ण हो चुका है।
	रोहला]	३	३		बी० आर० बी०	मील	१	१	०	पर कार्य पूर्ण हो चुका है।

चरणसिंह,
सिंचाई मंत्री।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८२१ पर)

मांगों की सूची--

१--वेतन वृद्धि ।

२--निवास के लिये क्वार्टर का निर्माण अथवा किराये की व्यवस्था ।

३--स्टाफ का बढ़ाया जाना तथा कार्य क्षेत्र की सीमा में कमी ।

४--पदोन्नति के अवसर का विस्तार ।

५--सरकारी नुकसान के लिये कटौती का न होने देना ।

६--कार्यालय के समय में परिवर्तन ।

७--एक कमीशन की नियुक्ति जो कि कार्य के उत्तरदायित्व का भार पुनः निर्धारित करे ।

८--बकाया का भुगतान ।

९--ग्रोसराबन्दी के लिये एक ही प्रकार का तरीका ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८२३ पर)

निम्नांकित ड्रेनेज कट अति वर्षा के पानी को निकालने के लिये तहसील सिकन्दराराऊ में बनाये गये तथा बनाये जा रहे हैं—

क्षेत्र का नाम		लम्बाई मी०	फ०	फी०	लाभप्रद क्षेत्र एकड़	लागत रु०
१—गोबराचान्दपुर गांव का क्षेत्र	..	२	५	०	८००	९,०००
२—खंडवार गांव का क्षेत्र	..	०	५	०	५५	१,०००
३—अमामदापुर गांव का क्षेत्र	..	०	४	०	२३०	२,३००
४—पिलखना गांव का क्षेत्र	..	१	४	१६५	३४०	४,१००
५—नाई नगला तहार का क्षेत्र	..	०	६	०	१००	श्रमदान
६—जिरोली बुजुर्ग क्षेत्र	..	०	४	०	५०	श्रमदान
७—गांव थिरामई का क्षेत्र	..	१	२	०	७५	श्रमदान
८—साइफन ..	..	१	०	०	९०	१,०००
९—भदवास सोगरा का क्षेत्र	..	१०	४	०	३२०	३०,०००
१०—सुहावली का क्षेत्र	..	१	१	३३०	१८०	३,०००
		२०	३	४९५	२,२४०	५०,४००

यानी २०.४००

वैयक्तिक सहायक (बाढ़),
कृते मुख्य अभियन्ता, सि० वि० ।

उत्तर प्रदेश सभा

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३० का उत्तर पीछे पृष्ठ ८२४ पर)

जिला देवरिया में उन ग्रामों की सूची जो नारायणी नदी से सटे हैं तथा उनका रकबा जो कट कर नदी में चला गया है ।

	एकड़		एकड़
१---अमवाखास ..	१,६६१	१८---नारायनपुर ..	२८३
२---मदनपुर सुकरौली ..	१६	१९---हनुमानगंज ..	४
३---देवीपुर एहतमाली ..	२८७	२०---कटाइ भरपुरवा ..	६६
४---देवीपुर मुस्तकिल ..	१	२१---पकीउहवा ..	५३
५---डोबहा रामनगर ..	१३०	२२---पकीउहवा एहतमाली	१४२
६---डोबहा एहतमाली ..	..	२३---करमहवा मुस्तकिल	५०
७---माछी एहतमाली ..	२०६	२४---करमहवा एहतमाली	९३
८---माछी जदीह ..	१०६	२५---पालिकपुर ..	२००
९---पनिहवा ..	१३५	२६---सूरजपुर ..	१७२
१०---भैंसहा मुस्तकिल ..	१०५	२७---श्यामपुर ..	२
११---भैंसहा एहतमाली ..	५३	२८---बलदेव छपरा ..	१०१
१२---बबुआदह ..	१८१	२९---मथुरा छपरा ..	५२
१३---दघघाट ..	२२९	३०---महादेवा ..	..
१४---पिपरासी मुस्तकिल ..	८४	३१---ज्वालापुर ..	११६
१५---पिपरासी एहतमाली	४२३	३२---टैंगरहा चक ३ ..	३
१६---हरिहरपुर ..	३८३	३३---टैंगराहा चक ४ ..	१६
१७---बालगोविन्द छपरा	१५६	३४---बोघी छपरा ..	५
		कुल योग ..	५,५१४

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४० का उत्तर पीछे पृष्ठ ८२६ पर)

पश्चिमी जिलों की पानी निकास योजनाओं तथा उनपर होने वाले व्यय का जिलेवार ब्योरा।

जिले का नाम	अनुमानित लागत
	रु०
१---सहारनपुर	७,२१,०००
२---मुजफ्फरनगर	२३,७५,४८५
३---मेरठ	६७,०७,२८८
४---बुलन्दशहर	३७,६०,५७१
५---अलीगढ़	३०,०७,५६४
६---एटा	१४,३२,१२९
७---मथुरा	२१,५२,७३१
८---आगरा	१६,६५,२६७
९---इटावा	४,३३,१७०
१०---मैनपुरी	११,२१,९०३
११---फर्रुखाबाद	६,६०,०००
१२---फतेहपुर	१,३७,७४७
१३---कानपुर	६२,६३२
१४---इलाहाबाद	१,९९,६८४
१५---करोन तथा सिरसा इत्यादि नदियों की भांति विशेष पानी निकास योजनाओं का पुनर्सुधार	१,००,००,०००
योग ..	३,४४,३७,१७२

संसद विधान सभा

नत्थी 'ञ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८२९ पर)

तालिका 'क'

सहायक चकबन्दी अधिकारियों की सर्किलों के अनुसार ग्रामों की सूची जिनमें चकबन्दी संचालक तथा उप-संचालक चकबन्दी द्वारा चकबन्दी उल्टी गई:

ए० सी० ओ० सर्किल नम्बर	उल्टे गये ग्रामों की संख्या
१	१
२	१
३	१
३३	१
२४	४
२८	१
३८	१
३७	१
३८	२
३९	३
कुल योग ..	१६

तालिका 'ख'

सहायक चकबन्दी अधिकारियों की सर्किलों के अनुसार ग्रामों की सूची जिनमें जांच के फलस्वरूप चकबन्दी उल्टी गई:

ए० सी० ओ० सर्किल नम्बर	उल्टे गये ग्रामों की संख्या
४	१
५	१
९	१०
११	४
२४	३
२५	३
२६	५
२७	१
२९	७
३०	१८
३१	२
३२	४
३३	१०
३४	१४
३५	५
३६	१
३७	१५
३८	६
३९	३
४०	९
योग ..	१२२

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ट'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८३१ पर)

तहसील सफीपुर, जिला उन्नाव

क्रम संख्या	गांवों के नाम	क्रम संख्या	गांवों के नाम
१	फतेहपुर खालसा	१५	बांस खेरा
२	मेला आलम शाह	१६	मिताऊ पुरवा
३	गढ़ी	१७	अमीरपुर गम्भीरपुर
४	सिरधरपुर (अहाता माली)	१८	खम्भ भोली
५	पापारी	१९	कबीरपुर
६	कुरसत	२०	सफीपुर
७	बांगरमऊ	२१	दरौली
८	मिश्री खेरा	२२	रसूलपुर रूरी
९	राजयपुर	२३	दखदां
१०	अवेक	२४	महमूदपुर
११	निहालपुर	२५	दारापुर
१२	लाबानी	२६	नैनीखेरा
१३	सुखुमऊ	२७	घलहाहा
१४	भटकौरी	२८	उदशाह

नथी 'ठ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६८ का उत्तर पृष्ठ ८३१ पर)

१ अप्रैल १९५८ से ३१ जुलाई, ५८ तक बलरामपुर तथा गोंडा तहसील जिला गोंडा में जिन-जिन ग्रामों में अग्निकांड हुये, जितना-जितना नुकसान हुआ और सरकार की ओर से जो सहायता दी गई उसका विवरण

तहसील	ग्राम का नाम	नुकसान का विवरण				सहायता जो दी गई	
		संख्या मकान जिनमें आग लगी	मृत्यु मनुष्यों की (संख्या)	मृत्यु पशुओं की (संख्या)	नुकसान (रु० में)	अहेतुक सहायता (रु०)	तकावी (रु०)
१	२	३	४	५	६	७	८
बलरामपुर	१—भगतपुर मुशमले कोपेलश्वार ..	३४	..	..	१०,०८०	..	..
	२—मरहापारा ..	८	..	..	४,२००	..	..
	३—बेलभरिया ..	१२	..	..	२,८२२	..	२००
	४—टेगनहिया मान कोट	२	..	..	४६०	..	..
	५—सेहरिया कशमले जैरहमिया ..	२८	..	३	२०,६५०	..	२२०
	६—पूरनपुरू ..	७२	..	..	२३,२९०	..	..
	७—कोहन्ष बेरीहया ..	२७	..	३	३,६७६	..	..
	८—पड़रौना ..	१८	..	..	५,०००	..	१३०
	९—औरूहवा ..	१४	..	..	२,९००	..	..
	१०—लरीहा हिशामप	१४	..	..	३,०५०	..	..
	११—गावरिया ..	२६	..	..	४,७४२	..	१००
	१२—बेलवा खास ..	१	..	..	१,०००	..	२१०
	१३—बरदौलिया ..	२	..	..	३५०	..	..
	१४—कौवापुर नेवाजपुर	१६	..	१	१,९००	..	१९५
	१५—हरहटा ..	१३	..	..	४,०२४	..	१,९२०
	१६—छतईडीहपुरे बखरा	१	..	..	६००	..	..
	१७—जुमली गुरचिहवा	९	..	..	९५०	..	१,५००
	१८—गुगौली खुर्द ..	४०	..	२	४,७४५	..	४८०
	१९—लवेखपुर ..	३८	..	..	२,५२३	..	..
	२०—भगवानपुर ..	३१	..	२	८,९२५	..	२७०
	२१—जोगिया मघनगर	२७	१	२	१०,३५०	१०८	..
	२२—अमरनगर ..	७८	१	..	११,१००	११२	..
	२३—वीरपुर ..	१३	..	..	६,८९०	४५	५८०
	२४—दावो ..	३९	..	..	२,८०५	..	५५०
	२५—अल्लीनगर ..	६	..	..	२,८००	..	२१०
	२६—फतहजोत ..	५५	..	१	१३,८३२	१०२	८५५

		नुकसान का विवरण				सहायता जो दी गई	
तहसील	ग्राम का नाम	संख्या मकान जिनमें आग लगी	मृत्यु मनुष्यों की (संख्या)	मृत्यु पशुओं की (संख्या)	नुकसान (रु० में)	अहेतुक सहायता (रु०)	तकावी (०)
१	२	३	४	५	६	७	८
बलरामपुर (क्रमागत)	२७—जुमली कंला	८०	..	३	१३,०३९	७५	४,७०५
	२८—मुडला	४	..	१	१,३००	..	..
	२९—औरहवा	४३	१	२	१,०५८८०	१९३	८७५
	३०—कुकुर भुकवा	२१	..	..	९०५०	..	१,०००
	३१—जबदही	४५	..	..	८,४९५	..	..
	३२—बलरामपुर	३	..	..	६००	..	..
	३३—सोतपुर	८	१	१	४,२५०	..	..
	३४—ननहवापुर	१३	..	..	१,८५०	..	८३०
	३५—मडांडीह	१३	..	..	२,८५०	..	३२०
	३६—राम नगर	३६	..	..	७,५००	..	१००
	३७—सगा नगर	४८	..	१	१८,४२१	..	१,४०५
	३८—हिडली कलां	३८	..	..	१३,४२०	..	..
	३९—भवानी डीह	२४	..	..	२,९८७	..	..
	४०—भीखमपुर	३	..	..	५५०	..	..
	४१—खजुरिया	२	..	..	१,०५०	..	..
	४२—गनवरिया	३८	..	..	४,७२१	..	..
	४३—सबरहा	८	..	..	१,४३५	..	१४०
	४४—गैडहवा	२	..	..	१,५०५	९०	११०
	४५—लछमनपुर	११	..	२	६,०२५	..	५२५
	४६—ठाकुरपुर	२७	..	..	७,१५०	..	..
	४७—बसंतपुर	१६	..	..	२,१२०	..	..
	४८—कटरा शंकर नगर	२	..	..	१,३५०	..	..
	४९—डकही	८	..	..	१,१००	..	५१५
	५०—किटरा	१७	..	३	२,२२३	..	..
	५१—सैजहवा	३	..	..	२५०	..	..
	५२—मिरजापुर	१०	..	..	३,३५०	..	६७०
	५३—लौकहवा	९	..	..	१,३६०	..	..
	५४—सुखरामपुर	४	..	..	१,८००	..	..
	५५—चकौलीडालपुर	११	..	..	४३६	..	१७०
	५६—दुलटांपुर	१	..	..	२००	..	..
	५७—खजुरिया	१०	..	..	२,१५०	..	४०
	५८—परसा पलईडीह	८	..	..	३,१००	..	..
	५९—बतहनीया करहया	५७	..	४	१९,०९५	..	३२५

		नुकसान का विवरण				सहायता जो दी गई	
तहसील	ग्राम का नाम	संख्या मकान जिनमें आग लगी	मृत्यु मनुष्यों की (संख्या)	मृत्यु पशुओं की (संख्या)	नुकसान (रु० में)	अहेतुक सहायता (रु०)	तकावी (रु०)
१	२	३	४	५	६	७	८
बलराम-पुर (क्रमा-गत)	६०—महराजगंज ..	२७	..	..	६,९१०	..	..
	६१—मझौली ..	२४	..	..	६,४००	..	..
	६२—गैजहवां ..	१६	..	..	६,०००	..	३,७०५
	६३—गौवरी ..	१०	..	..	१,४५०	..	८५
	६४—विशुनपुर ..	२	..	..	७५	..	..
	६५—लालपुर ..	१७	..	..	१,७००	..	..
	६६—लाल नगर ..	३०	..	..	८,०३५	२४	..
	६७—जैनगर ..	३४	..	७	७,८४५	..	८१०
	६८—पिपरहवा ..	२	..	..	३५०	..	..
	६९—लौकहवा ..	१	..	..	८००	..	..
	योग, तहसील बलरामपुर	१,४१०	४	३८	४,४३,८४१	७४९	२३,७५०
गोंडा	१—रामनगर तरहर	८	..	..	१,५७५	..	..
	२—रूमपइया ..	१५	..	..	५,८६०	१७०	२५०
	३—लोहसीसा ..	१३	..	१	७,०६०	१२५	..
	४—महादेव ..	२	..	..	३६८	..	..
	५—विसुनपुर बैरिया	२	..	..	४२१	..	..
	६—मथुरा चौबे ..	३	..	..	७१०	..	..
	७—रुदरियापुर हरदो-पट्टी ..	१	..	..	२००	..	..
	८—मलथुवा शाहजोत	१	..	..	२४०	..	..
	९—वनदाई ..	९	..	..	१,५२५	..	..
	१०—पूरे तिवारी राम सहाय ..	२	..	..	..	..	..
	११—खोरी ..	१	..	..	१८५	..	..
	१२—चौदहा ..	१२	..	..	२,२२५	५५	..
	१३—सूलंहरी ..	६	..	..	१,७५०	२०	..
	१४—कमालपुर ..	५	..	..	२,७५५	१०	..
	१५—वनगाई ..	५	..	..	२१५	..	..
	१६—वेलवा बाजार ..	७	..	..	३५०	..	२२५
	१७—हारीपुर ..	१	..	..	२०	..	७५
	१८—फीरोजपुर ..	२८	..	..	५,०००	२५	..

तहसील	ग्राम का नाम	नुकसान का विवरण				सहायता जो दी गई	
		संख्या मकान जिनमें आग लगी	मृत्यु मनुष्यों की (संख्या)	मृत्यु पशुओं की (संख्या)	नुकसान (रु० में)	अहेतुक सहायता (रु०)	तकावी (रु०)
१	२	३	४	५	६	७	८
गोंडा	(क्रमागत)						
	१९—विशम्भरपुर ..	२५	..	..	१,२९४	१०	..
	२०—देवरिया अलावल	१	..	..	१,५००	..	..
	२१—सिहपुर ..	१६	..	..	२,४२०	..	..
	२२—विरवा बभनी ..	१	..	..	४९५	..	..
	२३—सेखापुर ..	१३	..	१	१,०९५	३५	..
	२४—गोंडा सिटी में नहसपुरवा ..	१	..	..	१,८३७	..	..
	२५—गोविन्द पारा ..	१०	१	..	१,२६९	३५	..
	२६—पूरे नेंमकरन ..	१०	..	१	५,५४०	..	९५५
	२७—रुद्रगढ़ नौसी	१	..	..	४५०	..	..
	२८—तेन्दुवा मोहनी ..	२	..	..	६९०	..	..
	२९—रनियापुर ..	१५	..	..	५,५५५	..	..
	३०—दत्तनगर माफी ..	९	..	..	३,४००	..	..
	३१—बुलहापुर ..	१	..	..	३००	..	..
	३२—गनेहपुर गिरन्द ..	७	..	..	५९४	..	..
	३३—बनकटी सूरजबलीसिंह	४	..	..	७५७	..	..
	३४—पारा सराय पूरेमिया पट्टी ..	१	..	..	३४५	३०	..
योग तहसील गोंडा ..		२३८	१	३	५८,०००	५१५	१,५०५
योग, तहसील बलरामपुर व गोंडा ..		१,६४८	५	४१	५,०१,८४१	१,२६४	२५,२५५

नत्थी 'ड'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८३२ पर)

नदियों की बाढ़ से क्षतिग्रस्त ग्रामों की सूची

अ—गोमती नदी से

(१) तहसील लखनऊ

१—इरावनगर
२—मवेहगंज
३—बरवलिया
४—अहबरनपुर
५—गुलबागारा
६—लोहरामऊ
७—रूपपुर खदरा
८—गाजीपुर बलराम
९—गौर भीट
१०—फैजुल्लागंज
११—बैहला
१२—दाऊद नगर
१३—अल्लनगर डीकरिया
१४—खतईया
१५—सरूरा
१६—अली नगर
१७—बारावन खुर्द
१८—बारी कलां
१९—कुतुबपुर
२०—अराजी महताव बाग
२१—सैथा
२२—अरडउना मऊ
२३—बरावन कलां
२४—अहमामऊ
२५—सारासवान
२६—जिया मऊ
२७—जुगौली
२८—भीकमपुर
२९—शेखपुर कसैला
३०—माहनगर
३१—रैंथा
३२—घतोनगारा
३३—बौवरो मऊ
३४—दुग्गौर
३५—धुवेला
३६—उजरगांव
३७—मलेसे मऊ
३८—बाघामऊ
३९—भनससउरा
४०—चंदिया मऊ
४१—मखदूमपुर
४२—लोनापुर
४३—देवरिया
४४—सीकनदरपुर खुर्द
४५—पीर नगर
४६—जेहता
४७—हंसेमऊ
४८—पुरवा
४९—मऊरा
५०—बंसीमढ़ी
५१—कनकराबाद
५२—गोपरामऊ
५३—नरहरपुर
५४—पलहरी
५५—रहीमतगर डंडोली
५६—फर्रुखाबाद
५७—मेहउरा

(२) मोहनलालगंज तहसील

१—घसकर
२—सलेमपुर
३—सुरायामऊ
४—दऊदामऊ
५—साहसघाट
६—सालाहीमऊ
७—बाउराहरा
८—गौरिया कलां
९—फतेहपुर
१०—बस्तौली
११—बक्कास
१२—मस्तेमऊ
१३—अलिखमऊ
१४—नौहरहिया
१५—चौणासी
१६—नूरपुर बेहटा
१७—मोहम्मदाबाद
१८—रसूलपुर तिकनियामऊ

ब—सई नदी से

(१) तहसील लखनऊ

१—गुनवौली
२—सोभमऊ
३—संवपर पुराही
४—तिरवा
५—दरावनगर
६—हरौनी
७—लतीफनगर
८—बेती
९—रहीमनगर परयाना
१०—मिर्जापुर लातावा
११—भटगावन
१२—हुलासखेरा
१३—वानी
१४—सराय शहजादी

(२) तहसील मोहनलालगंज

१—सुलसामऊ
२—मीनापुर
३—बेवरिया भरसउरा
४—मीरनपुर
५—बरौलिया
६—मनगतिया
७—अकबरपुर बेनीगंज
८—रातो

पानी के जमाव (WATER LOGGING) से प्रभावित ग्रामों की सूची

(१) तहसील लखनऊ

१—सलेहनगर
२—अवरंगाबाद खलासा
३—अवरंगाबाद जागीर
४—किला मुहम्मदी नगर
५—सैफलपुर
६—बिजनौरी
७—अशफरंनगर धौहरवा
८—रसूलपुर इथौरिया
९—कमलापुर

(२) तहसील मोहनलालगंज

१—रंभानखेड़ा
२—खुजेहटा
३—इन्दरजीत खेरा
४—तमुरिया

नत्थी 'ढ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८३३ पर)

बाढ़-ग्रस्त ग्रामों में सहायतार्थ किये गये कार्यों का विवरण

सहायतार्थ कार्यों का विवरण	तहसील लखनऊ	तहसील मोहनलालगंज
	रु०	रु०
१—अहेतुक सहायता के रूप में खाद्यान्नों तथा अन्य आवश्यक सामग्री का वितरण ..	१३,३४३·६२	२,७४७·११
२—मकानों के मरम्मत तथा पुनः बनाने के लिये राज्य सहायता के मद में वितरित किया गया धन	१५,०००	८,७९६
३—रबी के बीज के खरीदने के लिये तकावी ..	९४,१२५	२९,०००
४—मालगुजारी की वसूली तिलम्बित की गई धनराशि	५५,७०९·७२	१२,०४८·४३

(१) इसके अतिरिक्त बाढ़-ग्रस्त ग्रामों के निवासियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने तथा सहायतार्थ कार्यों के लिये १०० नावों का प्रबंध सरकारी व्यय पर किया गया।

(२) लखनऊ शहर के प्रभावित जनता को अस्थायी रूप से शरण देने के लिये टीन के १० शरणार्थी-गृह सरकारी व्यय पर स्थापित किये गये तथा स्कूलों व अन्य राज्य इमारतों का प्रबंध किया गया।

(३) प्रभावित ग्रामों के पशुओं के निशुल्क चरने के लिये सरकारी वन खोल दिये गये।

(४) मनुष्यों व पशुओं की चिकित्सा का व बीमारी के फैलने की रोकथाम का उचित प्रबन्ध सरकारी व्यय पर किया गया।

(५) ५ सस्ते गल्ले की दूकानें भी खोली गई।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ण'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८३४ पर)

उन ग्रामों की सूची तथा व्यय का ग्रामवार विस्तृत विवरण जिनमें शासकीय आदेश संख्या ५२९ आर/आई० एस०-१२९-१९५८, दिनांक १४ मई, १९५८ के अन्तर्गत स्वीकृत किया हुआ धन सहायतार्थ बाढ़-पीड़ितों को सीतापुर जिले में बांटा गया।

तहसील	नाम गांव	नकद धन जो सहायतार्थ बांटा गया
		रु०
सीतापुर ..	१—सउयाभाट	३०
	२—जेतीखेरा	६१
	३—रामकोट	८९
	४—सिकटिहा	५
	५—हुमायूंपुर	१५
	६—सीतापुर शेखराय	५०
	७—कघैलिया	३५
	८—उभरिया खानपुर	३८
	९—नवीनगर	९७
	१०—नौवापुर	२८
	११—भदेंवा	५२
	१२—रायपुर	१०
	१३—मौहीउदीनपुर	२२
	१४—रायपुरगंज	३०
	१५—उदनापुर कौराइया	३७
	१६—सेमरीभान	४२
	१७—परसेहरा माल	९
	१८—रखौना	१३
	१९—बैना	१५
	२०—मझिगवा	८
	२१—कसरैला	२०
	२२—उलजापुर	१९ ५० नये पैसे
	२३—भादीपुर	११ ५० नये पैसे
	२४—टप्पाखजुरिया	८
	२५—मज्जासिंहपुर	५
सिधौली ..	२६—जमनीपुर मजरा सलेमपुर	७५
	२७—बाबूपुर	७०
	२८—कनटनयन	१०
	२९—रायपुर देवसिंह	२५६.८१ नये पैसे
	३०—वीरसिंहपुर	१५०
	३१—नवागांव	२५५
	३२—हनीरपुर	२०
	३३—जोन्यौरा	१०

तहसील	नाम गांव	नगद धन जो सहायतार्थ बांटा गया
		रु०
मिश्रिख ..	३४—गंगूपुर	६८
	३५—हिन्डौरा	२०
	३६—मछरेहटा	६९
	३७—लखनापुर	८०
	३८—अटौवा	३५
	३९—राजकलवापुर	५
	४०—कोहिकापुर	५
	४१—मिश्रित	८
	४२—बरमी	१०
	४३—जमलापुर	१०
	४४—कुर्सी	१०
	४५—तेरवा	४०
	४६—खरवाद	५५
	४७—सेजख	४५
	४८—गोपालपुर	५
	४९—कुट्टापुर	६५
	५०—मनिकापुर	५०
	५१—कमालउद्दीनपुर	८५
	५२—नवीनगर	४
	कुल नगद धन जो बांटा गया ..	२,२६५· ८१ नये पसे

धन जिसके आवश्यक सामग्री जैसे नमक, तेल, तथा अनाज के रूप में वितरण करने के हेतु व्यय किया गया। जिन ग्राम में यह सामग्री सहायतार्थ बांटी गई उसकी सूची संलग्न है .. .. .. १,४८६· ४ नये पैसे

कुल धन जो नकद तथा सामग्री के रुप में बाटा गया .. ३,७५१· ५८ ,,

सूची उन गांवों की जिनमें जिला सीतापुर में आवश्यक सामग्री जैसे तेल, नमक तथा अनाज इत्यादि सहायतार्थ बांटा गया

तहसील	नाम गांव जिनमें आवश्यक सामग्री जैसे नमक, तेल तथा अनाज इत्यादि सहायतार्थ बांटी गई
सिधौली	१—औराबन
	२—गौरा
	३—वीरसिंह पुर
	४—मदारीपुर मजरा रायपुर
	५—जमुनीपुर
	६—नकराहा मजरा वीर सिंह पुर
	७—फतेहपुर मजरा रायपुर देवसिंह
	८—जनसापुर मजरा अखावर-पुर
	९—जमिनपुर मजरा सलेमपुर
	१०—भवानीपुर मजरा रायपुर देवसिंह
	११—रायपुर देवसिंह भोदिया
	१२—बैलवापुरवा मजरा अकबर पुर
	१३—रौवां
	१४—खानीपुर
	१५—खमपुर मजरा नवागांव
	१६—लकड़िया मऊ
	१७—भल्लापुवी
	१८—गजोधरपुर
	१९—करियाडीय
	२०—हिन्डौरा
	२१—कुर्सी
	२२—अनुरूध खेरा
	२३—गेथा
	२४—आन्ट
	२५—अनीजपुर
	२६—काकर घाटों
	२७—साहा ढाकी नगर
	२८—बरमी तरसावन
	२९—गोपोलारी
	३०—भीमसार

अवध पत्रकार संघ

नत्थी 'त'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८३५ पर)

जिला अलीगढ़ में अतिवृष्टि के कारण पानी के जमा होने तथा ऊपरी बहाव के फलस्वरूप जन, मवेशियों, मकानों तथा फसलों की हुई हानि का तहसीलवार विवरण-पत्र

क्रम-संख्या	तहसील	जन हानि	मवेशी हानि	क्षतिग्रस्त मकान की संख्या	प्रभावित भूमि एकड़	फसल खरीफ की हानि (एकड़)	भूमि जिसमें रबी की फसल संभवतः न बोई जा सके
१	२	३	४	५	६	७	८
१	कोल	३	..	३,७६७	७५,६००	७२,३६९	..
२	अतरौली	..	..	११६	१,७००	१,५५५	..
३	सि० राऊ	१	..	७०५	२८,४००	२३,२९५	..
४	हाथरस	९	६८	६,३२३	४३,०००	३७,९५८	१,०००
५	इगलास	४	२१	६,७५८	७५,१२२	४१,७५४	..
६	खैर	२	..	१,६००	१,२३,८२८	७१,६७६	१,०००
		१९	८९	१९,२६९	३,४७,६५०	२,४८,६०७	२,०००

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'थ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८३६ पर)

क्रम-संख्या	तहसील का नाम	प्रभावित ग्रामों की संख्या	क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या	मृत्यु संख्या		फसल को क्षति (मूल्य)
				जन	पशु	
						रु०
१	फूलपुर	६५	..	..	..	१,३२,०००
२	सगड़ी	१७०	७२	..	..	१,९८,०००
३	सदर	२५१	..	..	..	१,७८,०००
४	घोसी	८०	..	..	..	१,२४,०००
५	मुहम्मदाबाद	११८	..	..	..	९५,०००
	योग ..	६८४	७२	..	..	७,२७,०००

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'द'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८३७ पर)

खाद्य सामग्री जो मुफ्त बाटी गई—

			मन
चना	..	..	१,६७६
नमक	..	..	२०८
मिट्टी का तेल	..	..	१२० टीन
दियासलाई	..	..	४८१ दर्जन

इसके अतिरिक्त मवेशियों के लिये चारा १० वैगन घास तथा २६० मन भूसा का प्रबंध किया गया। पीड़ितों के गृह-निर्माणार्थ बन विभाग से बल्ली इत्यादि का प्रबन्ध किया गया।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ध'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८३८ पर)

तहसील	१३५६ फसली में शिकमी काश्तकारों की संख्या (जिसमें सीर के काश्तकार तथा अध्यासी भी सम्मिलित हैं)	१३५९ फसली में शिकमी काश्तकारों की संख्या (जिसमें सीर के काश्तकार तथा अध्यासी भी सम्मिलित हैं)	उन अधिवासियों की संख्या जिनके विषय में १३६३ फसली में सीरदार बनाये जाने की कार्यवाही हो रही थी
जौनपुर ..	७५,८९३	७८,३८२	७६,४५३
मड़ियांव ..	४५,४७५	४३,३८२	४२,२८२
मछली शहर ..	२३,१७६	२४,३१९	२१,६६१
शाहगंज ..	५२,१२७	५०,९१७	४८,७४९
केराकत ..	७६,७५४	७६,७५४	७५,७२३
जिले भर का योग ..	२,७३,४२५	२,७३,७५४	२,६४,८६८

अध्यात्म पदुआ संस्था

नत्थी 'न'

(देखिये पीछे पृष्ठ ८९६–८९७ पर)

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५९

उत्तर प्रदेश ऐक्ट संख्या १५, १९४८

कतिपय प्रयोजनों के लिए उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० को और संशोधित करने का

विधेयक

यह इष्टकर है कि आगे प्रकट होने वाले प्रयोजनों के निमित्त उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० को संशोधित किया जाय :

अतएव भारतीय गणतंत्र के दसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रसार

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अधिनियम, १९५९ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

उ० प्र० ऐक्ट सं० १५, १९४८ की धारा २ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० (जिसे आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा २ में—

(१) खंड (ख) में, अन्त में पूर्ण विराम के पूर्व निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं :

"और इसके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त बिक्री-कर के अतिरिक्त कमिश्नर, संयुक्त कमिश्नर या उप-कमिश्नर (डिप्टी कमिश्नर) भी हैं"

(२) खंड (ग) के स्पष्टीकरण १ तथा २ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"स्पष्टीकरण—कोई मध्यवणिक (factor), दलाल, कमीशन ऐजेन्ट या आढ़ती, परिशोधी अभिकर्ता (a del-credere agent), नीलाम करने वाला, या अन्य कोई व्यापारिक अभिकर्ता (mercantile agent), वह चाहे जिस नाम से पुकारा जाय, और चाहे वह ऊपर उल्लिखित अभिधान वाला हो या न हो, जो कि माल खरीदने या बेचने का व्यापार करता हो और जिसे व्यापारिक चलन के अनुसार अपने निर्देष्टाओं की ओर से माल खरीदने या बेचने का प्राधिकार हो, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए व्यापारी समझा जायगा।"

(३) खंड (घ) में से निम्नलिखित शब्द निकाल दिये जायं :

"वह प्रत्येक सामान, वस्तु और व्यापारिक माल सम्मिलित है जो चल अथवा अचल सम्पत्ति के निर्माण, फिटिंग, सुधार या मरम्मत के काम में आता है, और इसमें"

(४) खंड (छछ) का प्रतिबन्धात्मक खंड निकाल दिया जाय :

(५) खंड (ज) के स्पष्टीकरण २ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"स्पष्टीकरण २—ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसके पास धारा ३—ङ के अधीन लाइसेंस न हो, किसी कमीशन एजेन्ट को धारा ३—घ की उपधारा (१) के अधीन विज्ञापित माल, मूल्य पर, जिसका भुगतान कर दिया गया हो या आगे किया जाना हो, दिया जाना उस कमीशन एजेन्ट द्वारा माल की खरीद समझा जायगा।"

(६) खंड (झ) में द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड निकाल दिया जाय तथा शब्द "विक्रय धन (टर्न ओवर) से तात्पर्य व्यापारी द्वारा की गयी बिक्री से प्राप्त कुल धनराशि से है" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"विक्रय धन" का तात्पर्य उस कुल धनराशि से है जितने का माल किसी व्यापारी द्वारा या तो स्वयं या दूसरे के द्वारा, अपनी ओर से या दूसरों की ओर से, नकद रुपये या बाद में किये जाने वाले भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए बिक्री के रूप में दिया या वितरित किया जाय या खरीदा या बेचा जाय।"

३—मूल अधिनियम की धारा ३ की उपधारा (१) में—

उ० प्र० ऐक्ट सं० १५, १९४८ की धारा ३ का संशोधन

(१) शब्द "तीन पाई प्रति रुपये" के स्थान पर शब्द "दो नये पैसे प्रति रुपये" रख दिये जायं।

(२) प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"प्रतिबन्ध यह है कि व्यापारी धारा १८ में अन्यथा उपबन्धित अवस्था को छोड़ कर, कर का देनदार न होगा यदि कर-निर्धारण वर्ष में उसका विक्रय धन १२,००० रु० अथवा ऐसी अधिक धनराशि से, जो तदर्थ राज्य सरकार द्वारा किसी विशेष माल के व्यापारियों के सम्बन्ध में अथवा ऐसे व्यापारियों के किसी विशेष वर्ग अथवा श्रेणी के सम्बन्ध में विज्ञापित की जाय, कम हो, सिवाय उस स्थिति के जब :—

(क) उसने उत्तर प्रदेश के बाहर से अपने द्वारा आयात किये गये किसी माल को, जिसके विक्रय-धन पर धारा ३-क की उपधारा (१) के अधीन कर लगाया जा सकता हो, बेचा हो, और ऐसी दशा में, इस प्रतिबन्धात्मक खंड में विक्रय-धन की निम्नतम धनराशि के सम्बन्ध में किसी भी बात के होते हुए भी वह ऐसे माल के विक्रय-धन पर उक्त धारा की उपधारा (२) के अन्तर्गत निर्दिष्ट दर के अनुसार कर का देनदार होगा ; अथवा

(ख) वह सेन्ट्रल सेल्स टैक्स ऐक्ट, १९५६ के अधीन रजिस्टर्ड हो तथा उसने उपयुक्त ऐक्ट की धारा ८ की उपधारा (४) के अधीन घोषणा-पत्र दे दिया हो, और ऐसी

दशा में, इस प्रतिबन्धात्मक खंड में विक्रय-धन की निम्नतम धनराशि के सम्बन्ध में किसी बात के होते हुए भी वह किसी भी ऐसे माल की अपनी बिक्री पर कर का देनदार होगा जिसकी खरीद के सम्बन्ध में उसने पूर्वोक्त घोषणा-पत्र दे दिया हो।"

(३) द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड में अंक तथा शब्द "६ पाई प्रति रुपये" के स्थान पर शब्द "तीन नये पैसे प्रति रुपये" रख दिये जायं ;

(४) तृतीय प्रतिबन्धात्मक खंड में शब्द "में निर्धारित" के स्थान पर शब्द "के अधीन विज्ञापित" रख दिये जायं ; तथा

(५) अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण के रूप में बढ़ा दिया जाय :—

"स्पष्टीकरण—जब कमीशन एजेन्ट द्वारा अपने निर्देष्टा की ओर से किसी विक्रय-धन पर कर देय हो और वह दे दिया गया हो, तो निर्देष्टा ऐसे विक्रय-धन के सम्बन्ध में कर का देनदार न होगा।"

उ० प्र० ऐक्ट सं० १५, १९४८ की धारा ३-ग का संशोधन

४—मूल अधिनियम की धारा ३-ग के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"३-ग (१) किसी भी विघटित फर्म इत्यादि पर कर का दायित्व—यदि व्यापारी कोई फर्म अथवा व्यक्तियों का संघ अथवा संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब हो तथा ऐसी फर्म, संघ अथवा कुटुम्ब ने किसी कर निर्धारण वर्ष की अवधि में व्यापार बन्द कर दिया हो, तो—

(क) इस अधिनियम के अधीन उक्त फर्म, संघ अथवा कुटुम्ब द्वारा व्यापार के इस प्रकार बन्द किये जाने के दिनांक तक की अवधि के लिए देय, अर्थदण्ड सहित, यदि कोई हो, कर, इस प्रकार निर्धारित तथा अवधारित किया जायगा मानो व्यापार इस प्रकार बन्द हुआ ही न हो ; तथा

(ख) प्रत्येक व्यक्ति जो व्यापार के इस प्रकार बन्द होने के समय उक्त फर्म का हिस्सेदार, अथवा उक्त संघ अथवा कुटुम्ब का सदस्य रहा हो, व्यापार के इस प्रकार बन्द होने पर भी उक्त फर्म, संघ अथवा कुटुम्ब द्वारा देय निर्धारित कर तथा आरोपित अर्थ-दण्ड का पृथक-पृथक तथा संयुक्त रूप से देनदार होगा, चाहे ऐसा कर-निर्धारण या अर्थ-दण्ड का आरोपण व्यापार के इस प्रकार बन्द होने के पूर्व अथवा पश्चात् किया गया हो, तथा पूर्वोक्त के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे मानों प्रत्येक ऐसा व्यक्ति अथवा हिस्सेदार स्वयं ही व्यापारी हो :

प्रतिबन्ध यह है कि जब ऐसा मालूम हो कि फर्म या संघ के संघटन में परिवर्तन हुआ है तो पुनः संघटित फर्म या संघ तथा पुनःसंघटन के पूर्व यथा विद्यमान

अर्थ-दण्ड सहित, यदि कोई हो, ऐसे कर के देनदार होंगे जो पुनःसंघटन के पहले की किसी अवधि के लिए उक्त फर्म या संघ द्वारा देय हो।

(२) हस्तान्तरिती पर कर का दायित्व---यदि कर के देनदार किसी व्यापारी के, व्यापार का स्वामित्व हस्तान्तरित किया जाय तो हस्तान्तरकर्त्ता तथा हस्तान्तरिती (transferee), ऐसे हस्तान्तरण के समय तक उक्त व्यापार के सम्बन्ध में देय, अर्थ-दण्ड सहित, यदि कोई हो,कर के संयुक्त रूप से तथा पृथक-पृथक देनदार होंगे, चाहे कर निर्धारण या अर्थ-दण्ड का आरोपण ऐसे हस्तांतरण के पूर्व अथवा पश्चात् किया गया हो।

(३) यदि पुनस्संगठित फर्म अथवा संघ से उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन अथवा हस्तान्तरिती से उपधारा (२) के अधीन, अर्थदण्ड सहित, यदि कोई हो, कर वसूल किया जाय तो ऐसी फर्म अथवा संघ या हस्तान्तरिती को अधिकार होगा कि वह उस व्यक्ति से वसूल कर ले जो उस कर का मूलतः देनदार था।

स्पष्टीकरण---किसी फर्म अथवा व्यक्तियों के संघ का विघटन अथवा पुनस्संघटन अथवा किसी व्यापारी द्वारा अपने व्यापार का हस्तान्तरण अथवा संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब का विभाजन, इस धारा के अर्थ में व्यापार का बन्द किया जाना समझा जायगा।"

५---मूल अधिनियम की धारा ५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :---

उ० प्र० ऐक्ट सं० १५, १९४८ की धारा ५ का संशोधन

"५---ऐसे माल के सम्बन्ध में जो विज्ञापित किये जायं, राज्य सरकार, ऐसी शर्तों तथा निबन्धों के अधीन रहते हुए जो निर्धारित किये जायं, ऐसे माल की विक्रियों के क्रम में किसी निर्दिष्ट स्थल (point) पर लगाये गये कर की पूरी धनराशि तक छूट दे सकती है।"

६---मूल अधिनियम की धारा ७ की उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा (१-क) के रूप में बढ़ा दिया जाय :---

उ० प्र० ऐक्ट सं० १५, १९४८ की धारा ७ का संशोधन

"(१-क) उपधारा (१) के अधीन विवरण-पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व, व्यापारी ऐसी रीति से जो निर्धारित की जाय, ऐसे विवरण-पत्र में दिखाये गये विक्रय-धन पर देय कर की धनराशि जमा करेगा।"

७---मूल अधिनियम की धारा ७-क की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :---

उ० प्र० ऐक्ट सं० १५, १९४८ की धारा ७-क का संशोधन

"७-क (१) राज्य सरकार किसी व्यापारी को कर-निर्धारण वर्ष के किसी भाग के विक्रय-धन का विवरण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए आदेश दे सकती है और यदि व्यापारी के विक्रय-धन का, जैसा कि वह कर निर्धारक अधिकारी द्वारा कर निर्धारण वर्ष के उस भाग के लिए अवधारित किया गया हो, धारा ३ की उपधारा (१) के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड में निर्दिष्ट या उस के अधीन विज्ञापित धनराशि, यदि कोई हो, से अनुपात उससे कम न हो जो कर निर्धारण अवधि का १२ मास से हो, कर निर्धारक अधिकारी, धारा ७ के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कर निर्धारण वर्ष के उस

भाग के सम्बन्ध में इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार, जहां तक कि वे लागू होते हों, अस्थायी रूप से कर निर्धारण (Provisional Assessment) कर सकता है।"

यू० पी० ऐक्ट संख्या १५, १९४८ की धारा ८ का संशोधन

८—मूल अधिनियम की धारा ८ में—

(१) उपधारा (१) में शब्द तथा अंक "उपधारा (२)" के स्थान पर शब्द तथा अंक "उपधारा (८)" रख दिये जायं ;

(२) उपधारा (२) निकाल दी जाय ;

(३) निम्नलिखित उपधारा (३) से (८) तक के रूप में बढ़ा दिया जाय :

"(३) किसी विधि या संविदा में किसी विपरीत बात के होते हुए भी, कर निर्धारक अधिकारी, किसी समय या समय-समय पर, लिखित नोटिस द्वारा, जिसकी एक प्रति व्यापारी के पास उसके अन्तिम पते पर जो कर निर्धारक अधिकारी को ज्ञात हो, भेजी जायगी, किसी व्यक्ति से—

(क) जिसके द्वारा व्यापारी को कोई धनराशि देय हो या देय हो जाय, या

(ख) जिसके पास व्यापारी के निमित्त या उसकी ओर से धन हो या बाद में हो जाय,

यह अपेक्षा कर सकता है कि वह कर-निर्धारक अधिकारी को—

(१) धन देय होने पर या उस के पास होने पर तुरन्त, या

(२) नोटिस में निर्दिष्ट समय पर या उस के भीतर, जो धन देय होने या उस के पास होने के पहले न होगा,

उस धनराशि में से ऐसी राशि अदा करे जो व्यापारी द्वारा देय कर के बकाया या इस अधिनियम के अधीन देय अन्य धनराशियों के भुगतान के निमित्त पर्याप्त हो या, जब वह उक्त धनराशि के बराबर हो या उस से कम हो तो, वह पूरी धनराशि अदा करे।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजन के निमित्त व्यापारी को देय धनराशि या व्यापारी के निमित्त या उसकी ओर से किसी व्यक्ति के पास की धनराशि का हिसाब उन दावों पर, यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात् लगाया जायगा जिन के भुगतान उक्त व्यापारी द्वारा उस व्यक्ति को देय हो गये हों और जो उस समय विधितः अवस्थित हों।

(४) कर-निर्धारक अधिकारी किसी भी समय या समय-समय पर किसी ऐसे नोटिस को संशोधित कर सकता है या वापस ले सकता है या नोटिस के अनुसरण में किसी धनराशि के भुगतान के लिए समय बढ़ा सकता है।

(५) उपधारा (३) के अधीन नोटिस के पालन में भुगतान करने वाले व्यक्ति के विषय में यह समझा जायगा कि उसने व्यापारी के प्राधिकार में भुगतान किया तथा कर-निर्धारक अधिकारी की रसीद, उस व्यक्ति को व्यापारी के प्रति दायित्व से रसीद में उल्लिखित धनराशि की मात्रा तक विधि संगत तथा पर्याप्त रूप से उन्मुक्त करेगी।

(६) जो व्यक्ति उपधारा (३) में उल्लिखित नोटिस की प्राप्ति के पश्चात् व्यापारी के प्रति दायित्व का उन्मोचन करता है वह कर-निर्धारक अधिकारी के प्रति उन्मुक्त दायित्व की मात्रा तक या उस नोटिस में उल्लिखित धनराशि की मात्रा तक, जो भी कम हो, व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा।

(७) यदि कोई व्यक्ति जिसे उपधारा (३) के अधीन नोटिस भेजा जाता है, कर निर्धारक अधिकारी के सन्तोषानुसार यह सिद्ध कर दे कि मांगी गयी धनराशि या उसका कोई भाग उस के द्वारा व्यापारी को देय नहीं है, या व्यापारी के निमित्त या उसकी ओर से कोई धनराशि उस के पास नहीं है तो इस धारा में दी गयी किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि उसके कारण उस व्यक्ति से यह अपेक्षित है कि वह मांगी गयी धनराशि या उसके किसी भाग का, जैसी भी दशा हो, कर निर्धारक अधिकारी को भुगतान करे।

(८) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार को देय कोई कर या अन्य धनराशियां या कोई धनराशि जिसे कर निर्धारक अधिकारी को देना किसी व्यक्ति से उपधारा (३) के अधीन अपेक्षित हो या जिसके लिए वह उपधारा (६) के अधीन कर-निर्धारक अधिकारी के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हो, मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी।"

९—मूल अधिनियम की धारा ८-क में :

(१) उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"(१) (क) प्रत्येक व्यापारी जो उत्तर प्रदेश के बाहर से अपने द्वारा आयात किया हुआ कोई ऐसा माल बेचता है जिसके विक्रय-धन पर धारा ३-क की उपधारा (१) के अधीन कर देय है ; तथा

(ख) प्रत्येक व्यापारी जो इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन कर का देनदार है ; तथा

(ग) प्रत्येक व्यापारी, जो इस अधिनियम के अधीन दी गयी अथवा स्वीकृत छूट के अभाव में तद्धीन कर का देनदार होता, यदि कर निर्धारण वर्ष में उसका वास्तविक या अनुमानित विक्रय-धन १२,००० रु० से अथवा ऐसी अधिक धनराशि से, जो धारा ३ की

उ० प्र० ऐक्ट संख्या १५, १९४८ की धारा ८-क का संशोधन

उपधारा (१) के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन विज्ञापित की जाय, कम न हो ; तथा

(घ) प्रत्येक व्यापारी जो कर निर्धारण वर्ष के दौरान में व्यापार प्रारम्भ करता है तथा जिसका वर्ष के शेष भाग का औसत मासिक अनुमानित विक्रय-धन, अथवा जिसका उपर्युक्त अवधि के किसी मास का वास्तविक विक्रय धन १२,००० रु० के अथवा ऐसी अधिक धनराशि के, जो धारा ३ की उपधारा (१) के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन विज्ञापित की जाय, बारहवें भाग से कम न हो,

कर निर्धारक अधिकारी को ऐसे रूप में, ऐसी रीति से तथा ऐसी अवधि के भीतर, जो निर्धारित किये जायं, रजिस्ट्री के लिए प्रार्थना-पत्र देगा।"

(२) उपधारा (१-क) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"(१-क) (क) कर निर्धारक अधिकारी, ऐसी जांच के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर सकता है और व्यापारी को रजिस्टर करा सकता है। इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, रजिस्ट्री कर निर्धारण वर्ष में अथवा उस कर निर्धारण वर्ष के जिसके लिए वह स्वीकृत हुई हो, अव्यतीत भाग में प्रवृत रहेगी।

(ख) जो व्यापारी इस धारा के अधीन रजिस्टर हो जाय वह प्रति वर्ष अपने रजिस्ट्री के प्रमाण-पत्र का नवीकरण कराने के लिए उत्तरदायी होगा जब तक कि वह रद्द न कर दिया जाय।

(ग) रजिस्ट्री तथा उसके प्रत्येक नवीकरण के लिए व्यापारी को १० रुपया शुल्क देना होगा।

(घ) जो व्यक्ति निर्धारित अवधि के भीतर रजिस्ट्री अथवा नवीकरण के लिए, जैसी भी दशा हो, प्रार्थना-पत्र न दे उसे, धारा १४ के उपबन्धों पर कोई विपरीत प्रभाव डाले बिना, उपर्युक्त अवधि के समाप्त होने के एक मास के भीतर प्रार्थना-पत्र दे देने की दशा में, अपेक्षित शुल्क के अतिरिक्त ५ रु० अर्थ दण्ड तथा अन्य दशाओं में १० रु० का अर्थ दण्ड देना होगा।"

(३) उप धारा (१-ख) में शब्द "कर के दायित्व" के स्थान पर शब्द "रजिस्टरी के दायित्व" रख दिये जायं।

(४) उप धारा (३-क) में शब्द "आठ आना" के स्थान पर जहां कहीं भी वे आये हों शब्द "पचास नये पैसे" रख दिये जांय।

(५) उपधारा (४) में शब्द तथा अक्षर "के वाक्य खंड (च)" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"की उप धारा (२) के खंड (छ)"।

(६) उपधारा (६) के द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड में शब्द "किन्तु प्रतिभूति" तथा "के उपरान्त" के बीच में आये हुये शब्द "की राशि जमा कर देने" के स्थान पर शब्द "दे देने" रख दिये जायं।

१०—मूल अधिनियम की धारा ९ की उपधारा (१) में शब्द "कोई व्यापारी, जो" और अंक तथा अक्षर "१५-क" के बीच में निम्नांकित रख दिया जाय; उ० प्र० ऐक्ट संख्या १५, १९४८ की धारा ९ का संशोधन

"धारा ४ की उपधारा (१) के खंड (ख) के अधीन मुक्ति शुल्क (exemption fee) निर्दिष्ट करने की आज्ञा अथवा"

११—मूल अधिनियम की धारा ११-ख निकाल दी जाय। उ० प्र० ऐक्ट संख्या १५, १९४८ की धारा ११-ख का निकाल दिया जाना

१२—मूल अधिनियम की धारा १३ की उपधारा (३) से (५) तक के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय: उ० प्र० १५, १९४८ की धारा १३ का संशोधन

"(३) यदि उपधारा (२) के अधीन प्राधिकृत किसी अधिकारी को, जो सहायक बिक्री-कर अधिकारी (Assistant Sales Tax Officer) या उस से निम्न श्रेणी का अधिकारी न हो, ऐसा विश्वास करने के लिए यथोचित कारण हो कि कोई व्यापारी इस अधिनियम के अधीन कर या अन्य देय धन-राशियों के दायित्व से बचने का प्रयत्न कर रहा है, और यह कि उस के दायित्व की जांच के प्रयोजन के लिए आवश्यक कोई बात किसी लेखे, खाते (रजिस्टर) या लेख-पत्र में प्राप्त की जा सकती है, तो वह ऐसे लेखे, खाते या लेख-पत्र पर जो आवश्यक हो, अपना अधिकार कर सकता है। उक्त लेखे, खाते या लेख-पत्र पर अधिकार करने वाला अधिकारी उनके लिए तुरन्त रसीद देगा और वह उन से ऐसी प्रतिलिपियां या उद्धरण लेने के बाद, जो आवश्यक समझे जायं, इस प्रकार अधिकार करने के दिनांक से नब्बे दिन की अवधि के भीतर उन्हें उस व्यापारी या व्यक्ति को लौटा देने के लिए बाध्य होगा जिस की अधिरक्षा से लेकर उन पर अधिकार किया गया हो, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि व्यापारी या उपर्युक्त व्यक्ति उस लेखे, खाते या लेख-पत्र के लिए, जो उसे लौटाया जाय, लिखित रसीद दे। अधिकारी लेखा, खाता या लेख-पत्र लौटाने के पूर्व उस पर एक या अधिक स्थानों पर अपने हस्ताक्षर कर सकता है और अपनी सरकारी मुहर लगा सकता है और ऐसी दशा में व्यापारी या उपर्युक्त व्यक्ति से यह अपेक्षित होगा कि वह अपनी दी हुई रसीद में उन

स्थानों की संख्या का उल्लेख करे जहां पर ऐसे अधिकारी के हस्ताक्षर तथा मुहर प्रत्येक लेखे, खाते या लेख-पत्र में किये अथवा लगाये गये हों।

(४) उपधारा (२) या उपधारा (३) के प्रयोजनों के निमित्त उस के अधीन कार्य करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी किसी कार्यालय, दूकान, गोदाम, यान, गाड़ी या व्यापार के किसी अन्य स्थान या किसी भवन अथवा स्थान में जहां उक्त अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि व्यापारी अपने व्यापार से सम्बद्ध लेखा, खाता, लेख-पत्र या माल रखता है या सम्प्रति रख रहा है, प्रवेश कर सकता है और उसकी तलाशी ले सकता है।

(५) उपधारा (१) के अधीन अधिकार प्राप्त कोई अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को—

(क) जो किसी व्यापारी को या उस की ओर से देने के निमित्त किसी माल का परिवहन करता है या उसे अभिरक्षा में रखता है, यह आदेश दे सकता है कि वह उक्त माल के सम्बन्ध में ऐसी सूचना, जिसके, उसके पास होने की सम्भावना हो, दे अथवा उसका निरीक्षण करने दे, जैसी भी दशा हो ;

(ख) जो किसी व्यापारी के व्यापार के सम्बन्ध में कोई लेखा, बही या लेख-पत्र रखता हो या उसे अपने अधिकार में रखे हो, यह आदेश दे सकता है कि वह उक्त लेखे, बही या लेख-पत्र को निरीक्षण के लिये प्रस्तुत करे ।"

उ० प्र० ऐक्ट संख्या १५, १९४८ की धारा १४ का संशोधन

१३—मूल अधिनियम की धारा १४ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"१४—(१) कोई व्यक्ति जो—

(क) इस अधिनियम के अधीन उस पर निर्धारित कर को नियत समय के भीतर न दे ; अथवा

(ख) धारा ३—ङ के अधीन लाइसेंस प्राप्त न करे, जब कि वह धारा ३—घ के अधीन कर का देन-दार हो ; अथवा

(ग) इस अधिनियम के अधीन कर का देनदार होते हुये—

(१) इस अधिनियम के उपबन्धों अथवा तद्धीन बने नियमों के अधीन अपने विक्रय-धन का विवरण-पत्र प्रस्तुत न करे ; अथवा

(२) धारा ८—क के अधीन तथा उसके अनुसार रजिस्ट्री के लिये प्रार्थना-पत्र दिये बिना व्यापारी के रूप में व्यापार करे ; अथवा

(घ) किसी बही, लेख-पत्र अथवा लेखे का निरीक्षण या परीक्षण करने देने से इन्कार करे या उन्हें निरीक्षण या परीक्षण क लिये प्रस्तुत करने से इन्कार करे या प्रस्तुत करने में उपेक्षा करे अथवा धारा १३ के उपबन्धों के अनुसार

उसकी प्रतिलिपियां तैयार करने देने से इन्कार करे ; अथवा

(ङ) इस अधिनियम के उपबन्धों या तद्धीन बने नियमों का उल्लंघन करे,

किसी अन्य विधि के अधीन, जो तत्समय प्रचलित हो, उसके दायित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाल बिना, तथा इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा देय कर तथा अन्य देय धनराशियों की वसूली के अतिरिक्त, सिद्ध दोष ठहराये जाने पर अर्थ-दंड का भागी होगा जो एक हजार रुपये तक हो सकता है, और जब अपराध बराबर होता रहे तो अतिरिक्त अर्थ-दंड का भागी होगा जो पहले दिन के बाद ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसमें अपराध बराबर होता रहे, ५० रुपये तक हो सकता है ।

(२) उपधारा (१) में किसी बात के होते हुये भी, कोई व्यक्ति जो जानबूझ कर—

(क) इस अधिनियम के अधीन विक्रय धन का मिथ्या विवरण-पत्र प्रस्तुत करे ; अथवा

(ख) मिथ्या लेखे, खाते या लेख-पत्र रखे या प्रस्तुत करे ; अथवा

(ग) मिथ्या प्रमाण-पत्र या घोषणा-पत्र दे या प्रस्तुत करे जिसके कारण इस अधिनियम अथवा तद्धीन बने नियमों के अन्तर्गत विक्रय या क्रय पर कर न लग सके ; अथवा

(घ) रजिस्ट्री के लिये प्रार्थना-पत्र पर या इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य कार्यवाही के सम्बन्ध में मिथ्या या सत्यापन घोषणा करे ; अथवा

(ङ) कर का जिसका वह इस अधिनियम के अधीन देनदार हो ; भुगतान करने से बचे ; अथवा

(च) धारा १३ के अधीन अधिकृत किसी अधिकारी को उस धारा की उपधारा (२), (३), (४) और उपधारा (५) के खंड (क) में निर्दिष्ट कृत्यों को करने से रोके या उसमें बाधा डाले ; अथवा

(छ) किसी माल की बिक्री पर ऐसा कर मांगे या वसूल करे जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देय न हो ; अथवा

(ज) कोई ऐसी सूचना देने से इन्कार करे या देने में उपेक्षा करे जो उसकी जानकारी या अधिकार में हो और जिसे देने का आदेश उसे इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये दिया गया हो, या ऐसी सूचना दे जिसका कोई महत्वपूर्ण विवरण मिथ्या हो ; अथवा

(झ) धारा ८—क के उपधारा (६) के अधीन मांगी गई प्रतिभूति दिये बिना व्यापारी के रूप में व्यापार करे,

किसी अन्य विधि के अधीन जो तत्समय प्रचलित हो, उसके दायित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, तथा इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा देय कर तथा अन्य देय धनराशियों

की वसूली के अतिरिक्त, सिद्ध दोष ठहराये जाने पर साधारण कारावास के दंड का, जो छः (६) मास तक हो सकता है, या अर्थ-दंड का या दोनों का भागी होगा और जब अपराध बराबर होता रहे तो अतिरिक्त अर्थ-दंड का भागी होगा जो पहले दिन के बाद ऐसे प्रत्येक दिन के लिये, जिसमें अपराध बराबर होता रहे, १०० रुपये तक हो सकता है ।

(३) बिक्री कर कमिश्नर की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन या तद्धीन बने नियमों के अधीन किसी अपराध का संज्ञान (cognizance) न करेगा तथा प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट से नीचे की श्रेणी का कोई न्यायालय ऐसे किसी अपराध की सुनवाई नहीं करेगा ।"

उ० प्र० ऐक्ट संख्या १५,१९४८ की धारा १५-क का संशोधन

१४--मूल अधिनियम की धारा १५-क में :

(१) उपधारा (१) में शब्द "इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के दौरान में" निकाल दिये जांय ;

(२) उपधारा (१) के खंड (क) में शब्द तथा अंक "धारा ७" के पश्चात् कामा रख दिया जाय और तत्पश्चात् अंक तथा शब्द "७-क अथवा १८" बढ़ा दिये जांय ;

(३) उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक खंड के खंड (२) में, शब्द तथा अंक "धारा ७" के पश्चात् कामा रख दिया जाय और तत्पश्चात् अंक तथा शब्द "७-क अथवा १८" बढ़ा दिये जांय ; और ।

(४) उपधारा (४) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"(४) धारा १४ के अधीन कोई अभियोग उन्हीं तथ्यों के आधार पर नहीं चलाया जायगा जिनके लिये इस धारा के अधीन कोई अर्थ-दंड लगाया जा चुका हो और देय कर के अतिरिक्त उस अर्थ-दंड की धनराशि का भी भुगतान किया जा चुका हो ।"

उ० प्र० ऐक्ट संख्या १५,१९४८ की धारा १८ का संशोधन

१५--मूल अधिनियम की धारा १८ में :

(१) उपधारा (१) तथा (२) में--

(क) शब्द "खंड के अधीन" तथा "की जाय" के बीच में आने वाले शब्द "निर्धारित" के स्थान पर शब्द "विज्ञापित" रख दिया जाय, तथा

(ख) क्रमशः शब्द तथा अंक "या जिसने ऐसी अवधि में उत्तर प्रदेश के बाहर से अपने द्वारा आयात किया गया कोई ऐसा माल बेचा हो जिसके विक्रय धन पर धारा ३-क की उपधारा (१) के अधीन उस पर कर लगाया जा सकता हो," और शब्द तथा अंक, "या जिसने ऐसी अवधि में उत्तर प्रदेश के बाहर से आयात किया हुआ ऐसा माल बेचा हो जिसके विक्रय धन के सम्बन्ध में उस पर धारा ३-क की उपधारा (१) के अधीन कर लगाया जा सकता हो," के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"या ऐसी अवधि के जिसक विक्रय-धन पर धारा ३ की उपधारा (१) के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड के खंड (क) या (ख) के अधीन कर लगाया जा सकता हो"

(२) उपधारा (३) में शब्द तथा अंक "या व्यापारी ने उपधारा (१) या (२) में निर्दिष्ट आयात किया हुआ कोई माल बेचा है" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"या व्यापारी के विक्रय-धन पर धारा ३ की उपधारा (१) के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड के खंड (क) या (ख) के अधीन कर लगाया जा सकता है"; और

(३) उपधारा (४) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"(४) यदि तदर्थ निश्चित अवधि के भीतर कोई व्यापारी उपधारा (१) या (२) के अधीन विवरण-पत्र प्रस्तुत न करे या उसके द्वारा प्रस्तुत कोई विवरण-पत्र गलत या अपूर्ण प्रतीत हो, तो कर निर्धारक अधिकारी, ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, अपने सुविचार से (to the best of his judgment) व्यापारी का विक्रय-धन अवधारित करेगा और देय कर, यदि कोई हो, निर्धारित कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति पर, किसी ऐसे मामले में जो उपधारा (१) या (२) के अधीन आता हो औसत मासिक विक्रय धन तत्रोहलिखित राशि से कम पाया जाय, तो कर की उतनी राशि को छोड़कर जिसे धारा ८-क की उपधारा (४) या (५) के अधीन, जैसी भी स्थिति हो, जमा करने का उत्तरदायित्व व्यापारी पर हो, अदा किये गये कर की शेष राशि वापस कर दी जायगी ।

अपवाद--उपर्युक्त प्रतिबन्धात्मक खंड ऐसे व्यापारी पर लागू नहीं होगा जिसके विक्रय धन पर धारा ३ की उपधारा (१) के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड के खंड (क) या (ख) के अधीन कर लगाया जा सकता हो ।"

१६--मूल अधिनियम की धारा २२ में शब्द "एक वर्ष" के स्थान पर शब्द "तीन वर्ष" रख दिये जांय । उ० प्र० ऐक्ट संख्या १५, १९४८ की धारा २२ का संशोधन

१७--मूल अधिनियम की धारा २४ की उपधारा (५) में शब्द "कम से कम सात दिन तक" के स्थान पर शब्द "चौदह दिन" रख दिये जांय । उ० प्र० ऐक्ट संख्या १५, १९४८ की धारा २४ का संशोधन

उ० प्र० ऐक्ट संख्या १५, १९४८ में नयी धारायें २९ तथा ३० का बढ़ाया जाना

१८—मूल अधिनियम की धारा २८ के पश्चात् निम्नलिखित धारा २९ तथा ३० के रूप में बढ़ा दिया जाय :

"२९—रुपये की वापसी—कर निर्धारक अधिकारी, किसी व्यापारी के तदर्थ प्रार्थना-पत्र देने पर, इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा देय धनराशि से अधिक भुगतान किये गये कर, शुल्क या अन्य देय धनराशियों को उसे निर्धारित रीति से वापस कर देगा, सिवाय उतनी धनराशि के जिसे धारा ८-क की उपधारा (४) या उपधारा (५) के अधीन, जैसी भी स्थिति हो, जमा करने का उत्तरदायित्व व्यापारी पर हो :

प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के अधीन भुगतान किये गये किसी कर या अन्य धनराशि की वापसी का कोई दावा स्वीकृत नहीं किया जायगा, जब तक कि वह कर निर्धारण का आदेश दिये जाने के दिनांक से चौबीस महीने के भीतर या कर निर्धारण के आदेश के सम्बन्ध में अपील, पुनरीक्षण या समाधान के लिये भेजे गये मामले (reference) पर अन्तिम आदेश दिये जाने के बारह महीने के भीतर, जो भी अवधि बाद में हो, प्रस्तुत न किया जाय :

प्रतिबन्ध यह भी है कि कर निर्धारक अधिकारी वापस करने योग्य पाई गई धनराशि को प्रथमतः व्यापारी द्वारा देय अवशिष्ट कर, अर्थ-दंड या शुल्क के भुगतान में लगायेगा तथा शेष धनराशि को यदि कोई हो, वापस कर देगा ।

"३०—एक पक्षीय आदेश को रद्द करने का अधिकार—किसी मामले में जिसमें कर निर्धारण के सम्बन्ध में एक पक्षीय आदेश दिया गया हो, व्यापारी उक्त आदेश की तामील के तीस दिन के भीतर कर निर्धारक अधिकारी को ऐसे आदेश को रद्द करने तथा उस मामले पर पुनः विचार करने के लिये प्रार्थना-पत्र दे सकता है ; और यदि उक्त अधिकारी को सन्तोष हो जाय कि प्रार्थी को नोटिस नहीं मिला या वह पर्याप्त कारणों से नियत दिनांक को उपस्थित न हो सका तो वह आदेश को रद्द कर सकता है और मामले की सुनवाई पुनः प्रारम्भ कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि कर निर्धारण के एक पक्षीय आदेश के रद्द किये जाने के लिये कोई ऐसा प्रार्थना-पत्र तब तक नहीं लिया जायगा जब तक कि उसके साथ कर की धनराशि के, जिसे व्यापारी ने देय स्वीकार किया हो, भुगतान का सन्तोषजनक प्रमाण न हो ।"

उद्देश्य तथा कारण

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम, १९४८ से, जिस रूप में कि वह इस समय है, राज्य सरकार को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह उपयुक्त मामलों में भी माल की बिक्री के क्रम में किसी निर्दिष्ट स्थल (point) पर लगाये गये कर में छूट दे सके। इसके अतिरिक्त इसमें ऐसी किसी प्रक्रिया की भी व्यवस्था नहीं है जिससे किसी व्यापारी द्वारा देय कर से अधिक जमा की गई कर की धनराशि उसको वापस की जा सके। इसी प्रकार किसी उपबन्ध के न होने के कारण कर-निर्धारक अधिकारी ऐसे मामलों पर पुनः विचार प्रारम्भ नहीं कर सकता जिनमें एक पक्षीय कर निर्धारण किया गया हो। इन त्रुटियों के कारण कर-दाताओं तथा प्रशासन दोनों ही को असुविधा हो रही है। इन कठिनाइयों को दूर करने के विचार से उत्तर प्रदेश बिक्री कर ऐक्ट में उपयुक्त संशोधन करने का प्रस्ताव है।

२—इस अवसर का उपयोग कुछ प्रक्रिया सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने के लिये तथा अधिनियम के कार्यान्वय से प्रकट होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से कुछ अन्य संशोधन करने के लिये भी किया जा रहा है।

३—अतः यह विधेयक पुरःस्थापित किया जा रहा है।

सैयद अली जहीर,
वित्त मंत्री।

प्रतिनिहित विधायन के सम्बन्ध में ज्ञाप

यह विधेयक राज्य सरकार को यह अधिकार देना चाहता है कि वह मूल अधिनियम की धारा २४ के अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके बनाये जाने वाले नियमों के द्वारा कुछ विषयों की व्यवस्था कर सके। जिन विषयों के सम्बन्ध में राज्य सरकार ऐसे नियम बना सकती है, वे निम्नलिखित हैं :

(१) मूल अधिनियम की धारा ५ के अधीन राज्य सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि वह उन शर्तों और प्रतिबन्धों की व्यवस्था करे जिनके अधीन रहते हुये स्थानीय रूप से निर्मित ऐसे माल पर, जिसका राज्य से बाहर निर्यात किया जाय, लगाये जाने वाले कर पर उसकी आधी मात्रा तक छूट दी जा सकती है। अब विधेयक के खंड ५ में यह प्रस्ताव है कि किसी माल पर विक्रय के किसी स्थल (point) पर लगाये गये कर में उसकी पूरी मात्रा तक छूट देने की व्यवस्था की जाय। क्योंकि उन शर्तों और निर्बन्धनों की व्यवस्था करना आवश्यक होगा जिनके अधीन रहते हुये राज्य सरकार स्वमति से ऐसी छूट दे सके और क्योंकि इन निर्बन्धनों और शर्तों में मामलों की विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार भिन्नता होगी, अतः यह प्रस्ताव किया गया है कि राज्य सरकार को नियमों द्वारा ऐसे निर्बन्धनों और शर्तों की व्यवस्था करने का अधिकार प्रतिनिहित किया जाय।

(२) विधेयक के खंड ६ में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य सरकार उस रीति की व्यवस्था करने के लिये नियम बना सके जिसके अनुसार व्यापारी अपने विक्रय धन का विवरण-पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व जमा करेगा। यद्यपि मूल अधिनियम की धारा ७ की उपधारा (१) के अधीन राज्य सरकार को यह अधिकार पहले ही से प्राप्त है, किन्तु उक्त उपधारा (१) की भाषा स्पष्ट न होने के कारण, प्रस्तावित खंड ६ द्वारा उक्त अभिप्राय स्पष्ट किया जा रहा है।

(३) वह अवधि जिसके भीतर, वह आकार जिसमें और वह रीति जिससे व्यापारी रजिस्ट्री के लिये प्रार्थना-पत्र देगा, इन सबक सम्बन्ध में नियम बनान के अधिकार, जो विधेयक का खंड ९ का उपखंड (१) राज्य सरकार को प्रदान करना चाहता है, मूल अधिनियम की धारा ८—क (१) के अधीन पहले ही से विद्यमान है । प्रस्तावित उपखंड (१) उक्त धारा ८-क (१) को नई भाषा में प्रस्तुत करता है । इस प्रकार विधायी अधिकार का कोई नया प्रतिनिधान अभिप्रेत नहीं है ।

(४) विधेयक का खंड १८ राज्य सरकार को यह अधिकार देता है कि वह उस रीति की व्यवस्था करन के लिये नियम बनाय जिसक अनुसार दय धनराशि से अधिक जमा किया गया कर वापस किया जायगा । क्योंकि उक्त वापसी के लिये विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित करनी पड़ेगी और क्योंकि समय-समय पर उस प्रक्रिया में आवश्यकतानुसार संशोधन हो सकते हैं अतः यह वांछनीय प्रतीत होता है कि एसी प्रक्रिया की इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों द्वारा व्यवस्था की जाय ।

नियम बनाने का अधिकार सामान्य प्रकार का है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—३२३ एल० ए० —१९५९—८४५ ।

विधान सभा सचिवालय मुजफ्फरपुर